भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार

(पुनरावाहन के अधिकार के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

ELECTION AND ELECTROL REFORMS IN INDIA

(AN ANALYTICAL STUDY WITH SPECIAL REFERENCE TO RIGHT TO RECALL)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की

पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सामाजिक विज्ञान संकाय

शोधार्थी

अलका मीना

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
वर्ष 2019

प्रमाण–पत्र

मुझे यह प्रमाणित करते हुए प्रसन्नता है कि शोध–प्रबन्ध **"भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार (पुनरावाहन के अधिकार के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)"** शोधार्थी अलका मीना ने कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की पीएच.डी. राजनीति विज्ञान के नियमानुसार आवश्यकताओं के साथ मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है–

1. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार कोर्स वर्क किया है।
2. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के 200 दिन के आवासीय आवश्यकता नियम को पूर्ण किया है।
3. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर अपने कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
4. शोधार्थी ने विभाग एवं संस्था प्रधान के समक्ष अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है।
5. शोधार्थी को बताई गई शोध पत्रिका में शोध–पत्र का प्रकाशन हुआ है।

मैं इस शोध–प्रबन्ध को कोटा विश्वविद्यालय कोटा की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु मूल्यांकनार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा करता हूँ।

दिनांक :

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर (राज.)

ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE

It is certified that PhD Thesis Titled ''भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार (पुनरावाहन के अधिकार के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)'' by **Alka Meena** has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.
b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.
c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.
d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment of processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented inthe research record.
e. The thesis has been checked using Plagiarism checker plagiarismchecker.com, and found within limits as per HEC plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Research Scholar

Alka Meena

Place :

Date :

(Research Supervisor)

Dr. Madhumukul Chaturvedi

Govt P.G. College

Swai Madhopur (Raj.)

Date :

शोध सार

प्रथम अध्याय – परिचयात्मक

निर्वाचन का तात्पर्य, लोकतंत्र में निर्वाचन का महत्व, मतदान का अर्थ, निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार का अवधारणात्मक व सैद्धान्तिक विवेचन, निर्वाचन को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रमुख चुनाव सुधार एवं प्रयास, वापस बुलाने का अधिकार का विश्लेषण किया। तथा शोध पद्धति, शोध के उद्देश्य तथा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा का उल्लेख किया।

द्वितीय अध्याय –निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग

भारत में चुनावों का इतिहास में भारत शासन अधिनियम, 1958, भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 भारत सरकार अधिनियम, 1919, भारत सरकार अधिनियम, 1935, क्रिप्स मिशन (मार्च, 1942), कैबिनेट मिशन (मार्च, 1946) आदि में की गयी निर्वाचन की व्यवस्था का विवेचन। निर्वाचन आयोग की संरचना : पदावधि व शर्ते, कार्मिक व्यवस्था व व्यय, सांविधानिक प्रावधान, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, निर्वाचन आयोग की विशेषताएँ आदि। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एवं कार्य प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन तंत्र का उल्लेख किया।

तृतीय अध्याय – भारत की निर्वाचन प्रक्रिया

चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्र का आकार, मतदाता सूचियों की तैयारी, नवीनीकरण, संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन, मतदान हेतु आवश्यक प्रबंध करना, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन अधिसूचना की प्रक्रिया, मतदान तिथि बढ़ाना अथवा परिवर्तित करना, नाम निर्देशन, नाम निर्देशन के लिए प्रस्तावकों की संख्या, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्तिता वापस लेना, निर्वाचक प्रतीकों का आवंटन, निर्विरोध निर्वाचन, उम्मीदवार की मृत्यु का प्रभाव अभ्यर्थी की योग्यता–अयोग्यताएँ, सदस्यों की निरर्हताएं, दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता, न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अयोग्यताएँ, अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षित स्थान हेतु, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए आदर्श आचरण संहिता, मतदान, मतदान कार्मिक, महिला मतदान कर्मी, पीठासीन अधिकारी, अनारक्षित मतदान कार्मिक, मतदान का प्रारम्भ, निर्वाचन द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना, अन्धे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान, निविदत्त मत, डाक मतपत्र, मतगणना, गणना कार्मिकों की नियुक्ति, परिणाम की घोषणा, निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन, निर्वाचन का प्रमाण पत्र आदि का उल्लेख किया।

चतुर्थ अध्याय – चुनाव सुधार के प्रयास एवं सुझाव

निर्वाचन व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ – राजनीति का अपराधीकरण, निर्वाचन व्यय की समस्या, हिंसा व जाली मतदान, निर्वाचन नामावलियों से सम्बन्धित त्रुटियाँ, मत व परिणाम के मध्य असंतुलन, राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या, विधिहीन आचार संहिता, सरकारी मीडिया का दुरुपयोग, मतदाता पहचान पत्र का दोहराव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सम्बन्धित त्रुटियाँ, निर्वाचकों की अनुपस्थिति आदि का उल्लेख किया। तथा निर्वाचन सुधार के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाता रहा है संयुक्त संसदीय समिति (1970), तारकुंडे समिति (1974), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), इन्द्रजीत गुप्त समिति (1998), के. संथानम समिति (1962) तथा समय–समय पर विभिन्न राजनैतिक दलों के सुझावों का भी उल्लेख किया है। साथ ही कुछ अन्य सुझाव सी. राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित, हैगड़े सरकार द्वारा, राजीव सरकार द्वारा किये प्रयास, विधि आयोग का 170वाँ प्रतिवेदन तथा निर्वाचन आयोग के सुझाव आदि का उल्लेख किया।

पंचम अध्याय – पुनरावाहन के अधिकार (राइट टू रिकॉल) का विश्लेषण

वापस बुलाने के अधिकार का अर्थ तथा इतिहास, विश्व के कई देश अमेरिका, युगाण्डा, आइसलैंड, रोमानिया, क्यूबा, जर्मनी, बेलारूस, इववाडोर, इथोपिया, किर्गिस्तान, पलाऊ में अलग–अलग स्तरों पर राइट टू रिकॉल लागू है। भारत में राइट टू रिकॉल का इतिहास, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, बिहार में नगर निकायों में राइट टू रिकॉल लागू है। राइट टू रिकॉल के मतदान की प्रक्रिया, क्या भारत में विधानसभा व संसद स्तर पर लागू होना चाहिए, राइट टू रिकॉल के गुण व दोष तथा प्रमुख समस्याओं का वर्णन किया तथा राइट टू रिकॉल को संसद व विधानसभा में लाने के लिए इनके प्रति जनता का सकारात्मक पक्ष तथा नकारात्मक पक्ष का उल्लेख किया।

♦♦♦♦

घोषणा पत्र (शोधार्थी)

मैं अलका मीना (शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग) यह घोषणा करती हूँ कि मेरा यह शोध प्रबन्ध "भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार (पुनरावाहन के अधिकार के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)" जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह मेरा अपना शोध कार्य है। मैंने यह शोधकार्य डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान के निर्देशन में पूर्ण किया है। यह मेरा मौलिक कार्य हैं। मैंने अपने विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है और जहाँ दूसरे विचारों और शब्दों का प्रयोग किया गया है व मेरे द्वारा मान्य स्त्रोतों से लिये गये हैं। अपरिहार्य स्थिति में ली गई ऐसी हर सामग्री का यथा स्थान सन्दर्भ एवं आभार व्यक्त कर दिया गया है, जो कार्य इस शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक नियमों का निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन किया है तथा किसी तथ्य को गलत प्रस्तुत नहीं किया है। मैं समझती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी नियम उल्लंघन पर मेरे खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। मेरे खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है यदि मैंने किसी स्त्रोत से बिना उसका नाम दर्शाये या जिस स्त्रोत से अनुमति की आवश्यकता हो बिना अनुमति के लिया हो।

दिनांक :

स्थान :

अलका मीना

शोधार्थी

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी अलका मीना (RS/771/13) द्वारा दी गयी उपर्युक्त सभी सूचनाऐं मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी

एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

सवाई माधोपुर (राज.)

प्राक्कथन

आज विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का चलन है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का आधार चुनाव होते हैं जिसके ऊपर यह भव्य लोकतंत्र रूपी महल टिका हुआ है। भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही गहराई तक फैली हुई है। पिछले 65 वर्षों में हमारा लोकतंत्र पड़ौसी देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत ही हुआ है। हमारे लोकतंत्र रूपी जहाज अथाह समुद्र में लाख थपेड़े सहते हुए, हिचकोले खाते हुए भी धीरे–धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रकृति में जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन निश्चित है जो उठा है गिरेगा यह चक्र अनवरत रूप से चलता आ रहा है। राजनीति विज्ञान के पितामह यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने शासन प्रणालियों में चक्र की विवेचना अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में किया है। जिसमें राजतंत्र, अत्याचार तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र, जनतंत्र एवं भीड़तंत्र से पुनः राजतंत्र का निरूपण किया था।

अरस्तु के उसी परिवर्तन चक्र के फलस्वरूप हम विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को फलता–फूलता देख रहे हैं।

चुनाव की बुनियाद पर ही लोकतंत्र रूपी महल की भव्य इमारत खड़ी होती है इसलिए हमारी आज की सबसे बड़ी जरूरत इस बुनियाद को मजबूत बनाना होगा और यह मजबूती तभी आ सकती है जब हम निर्वाचन प्रणाली में आई खामियों और कमियों का निराकरण कर सकें अन्यथा यह लोकतंत्र रूपी महल कभी ध्वस्त होकर तानाशाहों या सैनिक शासकों का शिकार हो सकता है। चुनाव का सीधा अर्थ है अपने मताधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनना और उन्हें सत्ता सौपना आज की सभी लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है। मत देने और जनता को अपने लिए कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार ही मताधिकार कहलाता है और यह अधिकार चुनावों द्वारा ही प्राप्त होता है यही प्रक्रिया लोकतंत्रीय व्यवस्था का मूल आधार है।

किसी भी देश की शासन प्रणाली के अन्तर्गत चुनाव सरकार के निर्माण तथा शासन की वैधता का आधार होते हैं। इन चुनावों के द्वारा ही सरकारों का भविष्य तय होता है और यह लोकतंत्रीय सरकारों में प्राण फूंकने का काम करते हैं। इस दृष्टि से चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था

की हृदय गति के समान है, लेकिन जब यही चुनाव बार–बार बिना किसी नियमित अंतराल के होते हैं, सदैव राजनीतिक अस्थिरता एवं असमंजस का वातावरण बना रहता हो, मतदाता आमजन आदि किंकर्तव्य विमूढ़ स्थितियों में खड़े रहते हों तब यही चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार : पुनरावाहन के अधिकार के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन का प्रयास है इसमें निर्वाचन व्यवस्था का इतिहास संवैधानिक आयाम तथा भारत में निर्वाचन संगठन व प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था में पाई जाने वाली कमियों व खामियों को दूर करने हेतु विभिन्न समितियों, आयोगों, सरकारों, राजनीतिक दलों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें चुनाव सुधार का उल्लेख हुआ है तथा पुनरावाहन के अधिकार का विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। अन्त में शोध प्रबन्ध का निष्कर्ष एवं आत्मकथन प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध प्रबन्ध के लेखन में मैं अपने परम् श्रद्धेय गुरु **डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी** के प्रति कृतज्ञता अर्जित करती हूँ जिन्होंने पग–पग पर स्नेहिल विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन किया है। उनके इस मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से अनुगृहित हूँ।

किसी भी शोध कार्य को सम्पन्न करने में शोध सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी उपलब्धता पुस्तकालयों के सहयोग के बिना कठिन है। अतः मैं गूगल सर्च इन्टरनेट और उन सभी पुस्तकालयों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ मैं सेन्ट्रल लाइब्रेरी राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराजा लाइब्रेरी चौड़ा रास्ता, राधाकृष्णन लाइब्रेरी जे.एल.एन. मार्ग, साउथ एशिया लाइब्रेरी, कोटा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा कोटा विश्वविद्यालय के सभी प्रबंधकों और स्टॉफ का आभार व्यक्त करती हूँ।

इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने का सर्वाधिक श्रेय मेरे पूज्य पिताजी–माताजी एवं मेरे परिवारजनों को जाता है उन सभी का सहृदय से आभार और अभिनन्दन करती हूँ। जिनके प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद की छाँव में ही मैं अपने इस कार्य को समय पर पूर्ण करने में सफल हो पायी हूँ।

मैं अपने पति सहदेव मीना, पुत्र विहान, भाई प्रकाश, अजय, अंकुर, विशाल, बहिन सम्पत, पलक, ममता तथा मित्रजन सीमा, संतरा का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य को पूर्ण करने में सक्रिय सहयोग किया है।

अन्त में मैं इस शोध–प्रबन्ध को आकार रूप देने के लिए शबनम खान स्टेशन, कोटा को धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने यथा समय पर मेरे इस शोध–प्रबन्ध का कार्य पूर्ण किया। साथ ही मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे इस शोध को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में निश्चय ही अनेक त्रुटियाँ रह गई होगी। अपेक्षा करती हूँ कि विद्वान् परीक्षक, सुधी सज्जन व जिज्ञासु पाठक मुझसे हुई त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझ अल्पज्ञा शोधार्थी को सुझाव देंगे एवं त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।

शोधार्थी

अलका मीना

♦♦♦♦

अनुक्रमणिका

	विषय – वस्तु	पृष्ठ संख्या
	शोध सार	i-ii
	प्राक्कथन	iii-v
प्रथम अध्याय	परिचयात्मक	1–19
द्वितीय अध्याय	निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग	20–49
तृतीय अध्याय	भारत की निर्वाचन प्रक्रिया	50–84
चतुर्थ अध्याय	चुनाव सुधार के प्रयास एवं सुझाव	85–131
पंचम अध्याय	पुनरावाहन के अधिकार (राइट टू रिकॉल) का विश्लेषण	132–157
षष्ठम् अध्याय	निष्कर्ष एवं आत्मकथन	158–179
	शोध सारांश	180–184
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	185–195
	प्रकाशित शोध–पत्र	

सारणी सूची

क्र.सं.	सारणी संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सारणी संख्या 2.1	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	34–35
2.	सारणी संख्या 4.1	लोकसभा निर्वाचन कितना खर्चीला	89–90
3.	सारणी संख्या 4.2	मत और परिणाम के मध्य असंतुलन	94
4.	सारणी संख्या 4.3	लोकसभा निर्वाचन में निर्दलीय उम्मीदवार	97
5.	सारणी संख्या 4.4	लोकसभा निर्वाचन में कुल निर्वाचक	101
6.	सारणी संख्या 4.5	लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत	102

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

''आधुनिक राष्ट्रों में जनता अब पुराने नगर राज्यों की तरह शासन पर नियंत्रण के लिये सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होती। बल्कि इसके स्थान पर ये कार्य अब एक चुनिंदा समूह द्वारा किया जाता है। इस समूह को प्रतिनिधि समूह कहा जाता है।''[1]

चुनाव एक लोकतांत्रिक गणराज्य के गठन की प्रक्रिया का वह आवश्यक तत्व है जिसके बिना लोकतंत्र महत्वहीन हो जाएगा अर्थात् ''चुनाव' या 'निर्वाचन' लोकतंत्र के प्राण तत्व की भांति है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्न्तगत ''निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते है।[2] निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने का आवश्यक बेरोमीटर है। इनके माध्यम से ही साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकता है। परन्तु लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल निर्वाचन व्यवस्था की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता इस बात की भी है कि जो निर्वाचन सम्पन्न कराएं जाये वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, इनका संचालन निर्दलीय आधार पर हो और वे हर समय पर सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त हों। जैसाकि हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि ''यदि निर्वाचन मशीनरी (यन्त्र) त्रुटिपूर्ण हो, या अकुशल हो या, ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती हो जिनकी सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो लोकतंत्र स्त्रोत के स्थान पर ही विषैला हो जायेगा।''[3]

लोकतंत्र और निर्वाचन परस्पर अन्योन्याश्रित होते है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के जीवनदायी तत्व होते है, इसके बिना लोकतंत्र में परिवर्तन की हलचल संभव नहीं है। किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग ही सरकार के निर्माण और परिवर्तन का प्रमुख साधन है।

निर्वाचन का लोकतंत्र में विभिन्न रूप से व्यापक प्रभाव है। एक मतदाता से शुरू होकर अन्ततः सामान्य सदिच्छा के रूप में उभरने वाला निर्वाचन एक इकाई के रूप में एक मतदाता से प्रारम्भ कर देश की स्थापित सरकार की वास्तविकता तक राजनीतिक निकाय की

व्यापक क्रियाशीलता को स्वयं में समाहित करता है। निर्वाचन द्वारा स्थापित सरकार, मतदाताओं के एक संघ के रूप में राज्य की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विधितः अधिकृत होती है। यही नहीं एक स्वतंत्र निर्वाचन प्रशासन एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की पूर्व शर्त है। वह एक वैध सरकारी की साक्ष्य भी है। निर्वाचन को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का संवाहक माना जा सकता है।

चुनाव के महत्व को गिल क्राइस्ट ने इन शब्दों में व्यक्त किया ''आधुनिक राज्य प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों की अपेक्षा विस्तार से अधिक बड़ा है और नागरिकों के लिए यह असम्भव है कि कानूनों पर विचार विनिमय करने के लिए वे एक स्थान पर इकट्ठे हो सके। अतः आधुनिक जनतन्त्र प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होता है, जिसके द्वारा सब नागरिक कानून बनाने वाली सभा में भाग लेने की बजाय औरों को उनके लिए निर्वाचित करते हैं।''

लोकतंत्र में निर्वाचन का महत्व निम्न कारणों से हैः–

- इससे सत्ता परिवर्तन अहिंसक तरीके से होता है।
- यह राजनीतिक दलों को स्वयं आत्म निरीक्षण करने का अवसर देते हैं।
- यह मानव को समाज के लिए कार्य करने का अवसर देते हैं।
- यह व्यक्ति को स्थानीय दायरे से ऊपर उठाकर राष्ट्रीयता के दायरे तक ले जाते है इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।
- ये सरकार में स्थायित्व लाते है।
- ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का संचार करते है।
- देश के साथ प्यार करना सिखाते है।
- लोक कल्याणकारी कार्य को प्रोत्साहन देते है।[4]

निर्वाचन की महत्ता को स्वीकार करते हुए ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में प्रमुख स्थान दिया है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है, जिनमें निर्वाचन को सम्पन्न कराने के लिये एक तटस्थ और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। जिसका कार्य चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर भारत में चुनाव सम्पन्न कराना है।

राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता और जीवतंता लाने का महत्ती कार्य निर्वाचन माध्यम से होता है। फलतः धुरी के चारो ओर लोकतंत्र की समस्त क्रियाएँ गतिशील रहती है। निर्वाचन लोकतंत्र का प्रतीक और प्रतिबिम्ब दोनों है। इसीलिये इनका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना इसकी सफलता का आधार कहा जा सकता है। वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्राण तत्व है।

जब तक व्यक्ति को उसका देश, उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व जो एक जीवंत लोकतंत्र के प्रमाणिक चिन्ह है– मात्र मायावी आदर्श बने रहेगें। लोकतंत्र वह है जहाँ कानून का पालन सर्वोपरि होता है। लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गये कानूनों में सन्निहित सहमति द्वारा शासित होते है। उन्हें असहमति व्यक्त करने का और जो गैर कानूनी है, चोरी छिपे किये जा रहा है, उसे चुनौती देने का अधिकार होता है।[5] यह सब तभी हो सकता है जब स्वच्छ एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निर्वाचनों का संचालन करवाये।

इसका तात्पर्य यह कदापि न समझा जाना चाहिए कि निर्वाचन नये मूल्यों का सृजन करता है। निर्वाचन न तो नए मूल्यों का सृजन करता है और न ही नये लक्ष्य निर्धारित करता है, यह नये आदर्शों की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। यह सांविधानिक विचारधारा में पूर्णतः गुम्फिल लक्ष्यों के अनुकूल जनता की इच्छा की क्रियाशीलता को अभ्यांकित करता है। निर्वाचन का कार्य मूल्यों की व्याख्या करना नहीं है, इसका कार्य केवल यह ज्ञात करना है कि संविधान द्वारा निर्धारित मंतत्यों की प्राप्ति के संदर्भ में किसी सरकार का कार्य व व्यवहार कैसा रहता है। यह निःसंकोच स्वीकार किया जाना चाहिए कि निर्वाचन मूल्यों की उद्देश्यपूर्ण परिचालना नहीं है और न ही यह मूल्यों को व्यवहार में घटित करने में सक्षम व्यवस्था है। यह केवल ऐसी व्यवस्था है जो सरकारों के परिवर्तन चक्र को निरंतरता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह इस तथ्य को सांख्यिकीय रूप से अभ्यांकित करती है कि राजनीतिक निकाय ने किसी विशिष्ट समय में सरकार के गठन के संदर्भ में कैसा व्यवहार किया है। इस विवेचन से प्रस्तुत प्रसंग में ''जनप्रिय'' शब्द का महत्व स्पष्ट हो जाता है। ''जनप्रिय सरकार'' शब्द से संविधान के अन्तर्गत आयोजित प्रत्येक आम चुनाव में राजनीतिक निकाय द्वारा स्वीकृत सरकार का बोध होता है। निर्वाचन एक प्रकार से सरकारों की संदर्भिधा है। यह वस्तुतः सरकारों का सारानुक्रम है।[6]

निर्वाचन के माध्यम से जन–इच्छाएँ और आंकाक्षाएँ प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त होकर निश्चित समय के लिये सरकार को ''शासन का अधिकार'' देती है एवम् सरकारें इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो जनता ही उन सरकारों को निर्वाचन के माध्यम से सत्ता–च्युत कर देती है। इसे ही ''मतदान द्वारा क्रान्ति'' की संज्ञा दी जाती है। यही नहीं, निर्वाचन राजनीतिक व्यवस्था को सुप्तता से बचाते हुए संभागियों को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, तथा समाज से राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त करते है।

अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रों की व्यवस्था के अनुरूप केन्द्रीय स्तर पर लोकसभा एवं प्रान्तीय स्तर पर विधान–सभाएं जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये सदन ही वे पवित्र तीर्थ स्थल हैं जहाँ परिवर्तन की हलचल प्रत्यक्षतः दृष्टिगत होती है।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने इन संस्थाओं को परिवर्तन की गंगोत्री, जैसे शब्दों से अलंकृत किया है। उनके अनुसार ये एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र का ह्रदय भी है और मस्तिष्क भी। ये सदन ही वे पवित्र स्थल है जहाँ विधिवत तरीके से चुने गये प्रतिनिधि अपने स्वतंत्र विचार–विमर्श द्वारा जनेच्छा को प्रकट करने के साथ–साथ जन नेतृत्व भी करते है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अस्तित्व और कार्य दोनों के लिए लोगों की सहभागिता पर निर्भर रहती है। तथा जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन तंत्र एक प्रमुख माध्यम है चुनावों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी सीमा तक उन पर नियंत्रण भी रखती है। किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती और उसका भविष्य वहाँ के मतदाताओं के दृष्टिकोण की व्यापकता पर निर्भर करता है। लोकतंत्र को वैसी ही सरकार मिलती है जैसे उसके मतदाता है। मतदान एक सशक्त अधिकार है तो साथ ही यह एक पवित्र कर्त्तव्य भी है जो इस धारणा पर आधारित है कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है। चूंकिः मतदाता, प्रभुता का अंश होता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक संसदीय तथा राज्य विधान मण्डलों के कई चुनाव व मध्यावधि चुनाव हो चुके है। ये सभी चुनाव सामान्यतः शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए है। फिर भी लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ खामियां भी दिखाई देती है। मशहूर शायर इकबाल ने कही लिखा है ''जम्हूरियत (लोकतंत्र) वो तर्जे–हुकूमत (शासन प्रणाली) है कि जिसमें बन्दों को गिना जाता है तौला नहीं जाता'' ऐसी खामी का अच्छा उदाहरण है। माना लोकतंत्रीय शासन

व्यवस्था गिनती का खेल हैं पर निर्वाचित प्रतिनिधि चारित्रिक दोषों से मुक्त हो, अपेक्षित है। लोकतंत्रीय व्यवस्था की एक बड़ी कमी तात्कालिक प्रकरणों में भी विलम्बित निर्णय रहता है। परिणामतः परिवर्तन (लोक हितार्थ) क्रांतिकारी रफ्तार नहीं पकड़ पाते। दूसरे इनके कारण– शीघ्र निर्णय नहीं लिये जा सकते हैं, तीसरे ये बहुत महंगे होते है।[7]

बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव, निर्दलियों की बढ़ती बाढ़, जाली मतदान की घटनाएँ तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने वाली वांछित चुनाव मशीनरी की हो निष्पक्षता पर संदेह, जबरन मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, समाज के कमजोर वर्ग को मतदान करने से रोकने, चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद का सहारा लेने, सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने तथा राजनैतिक दलों द्वारा जोड़तोड़, 'आयाराम गया राम' तथा गठबंधन सरकारों का अनुभव भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला नहीं कहा जा सकता। इन विसंगतियों एवं खामियों की आलोचना हमेशा होती रही है। निर्वाचन प्रणाली से इन विसंगतियों को दूर करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आयोग व समितियों का गठन होता रहा है तथा विभिन्न समितियों ने चुनाव सुधार के लिए समय–समय पर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए है।

चुनाव सुधार का आशय यह है चुनाव प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते है जिनके करने से जनता को आकांक्षाएँ चुनाव परिणाम के रूप में अधिकाधिक परिणत होने लगे।

चुनाव प्रणाली के प्रमुख सुधारों मे वापस बुलाने का अधिकार (राइट टू रिकॉल) भी महत्वपूर्ण सुधार है। जनता से जिस प्रतिनिधि को चुना है, यदि वह अपने उस प्रतिनिधि के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है, तो जनता अपने उस प्रतिनिधि को समय से पूर्व ही वापस बुला सकती है इसे ही वापस बुलाने का अधिकार कहा जाता है।

अनेक नेता अनुनय विनय करके वोट मांगते है एवं जनता को अनेक कार्य करने का आश्वासन देते हैं परन्तु चुनाव के पश्चात जनता के अनुरूप कार्य नहीं करते। ऐसी दशा में यदि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की जाती है तो जनप्रतिनिधि जनता से किये वादों के अनुसार कार्य करेगें और उन्हें सदा यह भय बना रहेगा कि उन्होंने जनता के विपरीत कार्य किया तो वह जनता के द्वारा वापस बुलाये जा सकते है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने कहा था, ''जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं किया करती।''[8]

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामयिक निर्वाचन प्रक्रिया भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अटुट अंग है। निर्वाचन की निष्पक्षता व शुचिता के प्रति निष्ठा, जहाँ एक ओर लोकतंत्र प्रणाली के सुचारू व सार्थक संचालन की अनिवार्य संवैधानिक पूर्वापेक्षा है, वहीं निर्वाचन का निष्पक्ष आयोजन व इस हेतु समस्त व्यवस्थाओं के सम्यक् निष्पादन का कार्य अत्यन्त जटिल, श्रम साध्य एवं चुनौतिपूर्ण है।[9]

संविधान द्वारा स्थापित यह निर्वाचन आयोग पिछले 17 महानिर्वाचनों का सफलतापूर्वक नियंत्रण, निर्देशन तथा अधीक्षण करता आया है। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन संचालन वास्ते विभिन्न नियम–विनियम की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आयोग का कार्य निर्वाचन अधिसूचना जारी करवाने से लेकर निर्वाचन के बाद प्रत्याशियों के निर्वाचित होने तक की घोषणा करनी होती है। निर्वाचन आयोग को एक मजबूत एवं स्वतंत्र निकाय बनाने तथा बनाये रखने के लिए आवश्यक नियमों उपनियमों का निर्माण हमारी संसद ने समय–समय पर किया है तथा जिनकी समय–समय पर हमारे न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गयी है। विभिन्न नियमों–विनियमों से पूर्ण भारतीय निर्वाचन पद्धति अद्वितीय है जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचनों का संचालन करवाती है।

अध्ययन के उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग, सम्पूर्ण देश के निर्वाचकों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण और नियंत्रण करता है। निर्वाचन आयोग व्यापक स्तर पर निर्वाचनों का निर्देशन करता है। सम्पूर्ण निर्वाचन व्यवस्थाओं का प्रबन्ध एवं आयोजन निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं नवीनीकरण, नामांकन पत्रों की स्वीकारोक्ति, उनकी जांच एवं समीक्षा, मतपत्रों का मुद्रण, उनका रख–रखाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा उसका उपयोग, मतदान की व्यवस्था, कानून और व्यवस्था का अनुरक्षण, शिकायतों की सुनवाई और समाधान तथा मतगणना आदि कई कार्यों का संचालन विभिन्न प्रशासनिक सोपानों के माध्यम से निर्वाचन तंत्र द्वारा किया जाता है।

इस उद्देश्यों के विभिन्न पक्षों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:–

1. लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की प्रमुख इकाई 'चुनाव' एवं चुनाव सुधार का समग्र मूल्यांकन

2. निर्वाचन प्रशासन के विभिन्न स्तरों के केन्द्रीय, राज्यीय एवं जिला स्तरीय संरचना की निष्पक्षता का मूल्यांकन।

3. भारतीय निर्वाचन तंत्र के समग्र संगठन एवं कार्यकरण का मूल्यांकन।

4. राज्य निर्वाचन तंत्र के संगठन और कार्यकरण की समीक्षा तथा संगठन के श्रेष्ठतर संगठनात्मक प्रारूप का निर्माण।

5. निर्वाचकीय अधिनिर्णय की प्रक्रिया का मूल्यांकन।

6. निर्वाचनों के आयोजन की विधि–सम्मत प्रशासनिक व्यवस्था व प्रक्रिया की पर्याप्तता व प्रभाविकता का आंकलन।

7. चुनाव प्रणाली के संबंध में मतदाताओं के आचरण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों का अवलोकन एवं विश्लेषण

8. निर्वाचन व्यवस्था के विकारों के संबंध में चुनाव सुधारों का अभिज्ञान का, इस क्षेत्र में हुए प्रयत्नों का परीक्षण, एवं निर्वाचन आयुक्तों के आचरण की समीक्षा।

9. निर्वाचन राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिये किये जाने वाले प्रयासों व सुझावों का अध्ययन किया जायेगा।

10. चुनाव प्रणाली में लोकतंत्र की भावना को दूषित करने वाले तत्वों यथा जातिवाद, धनबल, बाहुबल, राजनीतिक भ्रष्टाचार धर्म जैसे कारकों के प्रभाव का अध्ययन।

11. निर्वाचन प्रशासन द्वारा निर्वाचन परिवादों के निस्तारण की प्रक्रिया का अवलोकन एवं परीक्षण।

12. लोकतंत्र के लिए जहर घोलने वाले तत्वों का मूल्यांकन

13. लोकतंत्र का समग्र मूल्यांकन जैसे लोकतंत्र के पक्ष–विपक्ष में तर्क इसकी सफलता के लिए बाधाएँ एवं उपचार।

14. राजनैतिक दल उनकी नीतियों एवं चुनाव घोषणा पत्रों का मूल्य परक विश्लेषण प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

15. जन प्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाओं का विश्लेषण किया जाएगा।

16. मतदान के महत्व पर प्रकाश डालकर उसके उत्प्रेरक तत्वों का समावेश करने का एक प्रयास प्रस्तुत किया जाएगा।

17. भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उन कारकों का पता लगाना जो निर्वाचन सुधारों के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन सुधार पर समय–समय पर विभिन्न लेखकों, अध्येताओं तथा शोधकर्ताओं ने पुस्तकों, लेखों, प्रतिवेदनों एवं शोध–प्रबन्धों आदि के माध्यम से विस्तृत सामग्री प्रस्तुत की है।

निर्वाचनों के आयोजन के प्रशासनिक पक्षों का विशद् विवरण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् प्रकाशित उसके प्रतिवेदनों में उपलब्ध होता है।

डॉ. अशोक शर्मा द्वारा लिखित एवं अनुसंधान एवं विशद अध्ययन संस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन'[10] 1984 लोकतंत्र और निर्वाचन की पारस्परिकता के दार्शनिक व व्यवहारिक आयामों का सतत परीक्षण करती है एवं भारत में समस्त स्तरों पर निर्वाचन के सांविधानिक सैद्वान्तिक और व्यवहारगत पक्षों का समीक्षात्मक विवेचन करती है।

प्रोफेसर एन.एस. गहलोत द्वारा लिखित पुस्तक 'इलैक्शन्स एण्ड इलैक्टरोल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया'[11] 1992 में लेखक ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के उद्गम, भारत में चुनाव व्यवस्था, निर्वाचन आयोग के अधिकार, कार्य एवं चुनावों की तैयारियों से चुनाव सम्पन्न होने तक की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों के विश्लेषण के साथ–साथ अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों जैसे चुनावों में भ्रष्ट आचरण, चुनाव आचरण संहिता की आवश्यकता, उसका प्रभाव, चुनावों में विभिन्न विवादों से संबंधित चुनाव याचिकाएँ उन पर निर्णयन तथा चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

एम.एल. आहूजा द्वारा लिखित पुस्तक 'हैण्डबुक ऑफ जनरल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रोरियल रिफार्मस् इन इण्डिया– 1932–1999'[12] में लेखक ने राज्यवार निर्वाचकीय राजनीति का उल्लेख करते हुए निर्वाचकीय कमियों को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया और उनसे सम्बन्धित सुधारों पर प्रकाश डाला है।

डॉ. पद्मनाथ शर्मा कृत 'भारत में निर्वाचन राजनीति''[13] पुस्तक में लोकसभा निर्वाचनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। भारत में शांतिपूर्ण परिवर्तन तथा महानिर्वाचन परिणामों की सकारात्मक तथा नकारात्मक परिलब्धियों को खोलने के प्रयास में निर्वाचनों की सफल सम्पन्नता लेकिन इसमें धन, भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराधीकरण, दल–बदल, निर्वाचन व्यय से उत्पन्न त्रुटियों आदि पर पर्याप्त आंकड़ों सहित विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक निर्वाचन सुधारों पर भी चर्चा करती है।

सुभाष कश्यप की पुस्तक 'इलेक्शन एण्ड इलैक्टरोल रिफार्मस् इन इण्डिया'[14] में लेखक ने 1967 के आम निर्वाचनों के पश्चात् निर्वाचकीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में उत्पन्न विकृतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने की आवश्यकता एवं तरीकों को प्रतिबिम्बित किया गया।

अन्जु शरण उपाध्याय द्वारा लिखित 'इलेक्ट्रोरल रिफार्म इन इण्डिया'[15] पुस्तक में मतदान से सम्बन्धित अनियमिताओं दल के वित्तीय स्त्रोतों जैसे पहलुओं से सम्बन्धित त्रुटियों और उनसे सम्बन्धित आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है।

डॉ. आर.एस. आढ़ा द्वारा लिखित पुस्तक 'भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'[16] में लेखक द्वारा आधुनिक भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं का विकास एवं निर्वाचन के अन्तर्गत 1958 से भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से जिस निर्वाचन प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है उस पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में लेखक ने निर्वाचन प्रक्रिया, उसके तन्त्र की संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक स्थिति तथा उसके सम्मुख आने वाली चुनौतियों को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, अपितु निर्वाचन दोषों को दूर करने हेतु विभिन्न सुधारों को परिलक्षित करने तथा वर्तमान एवं भावी–निर्वाचन सुधारों का भी खाका तैयार करने का श्रेष्ठ प्रयास है।

बी. वेंकटेश कुमार की पुस्तक 'इलेक्ट्ररोल रिफार्म इन इण्डियाः करेष्ट डिसकार्सेसज'[17] में लेखक ने बताया है कि यह पुस्तक इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीन के प्रयोग के पश्चात् उत्पन्न त्रुटियों और कमियों पर प्रकाश डालती है। लेखक ने निर्वाचन सुधारों के उन तत्वों को अपने अध्ययन के केन्द्र में रखा जो समसामयिक परिस्थितियों में आवश्यक है।

निर्वाचन के अध्ययन से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन ''इलेक्शन इन इण्डियाः इट्स सोशल बेसिस''[18] डॉ. सुशीला कौशिक का है। अध्ययन में लेखिका ने चुनावी

गतिविधियों के पृष्ठ पोषक सामाजिक कारकों को ढूंढने की सफल चेष्टा की है। अपने अध्ययन में उनका निष्कर्ष सही है कि मतदाता भी शहरी व ग्रामीण परिस्थितिगत विभिन्नताओं एवं विशिष्टताओं से युक्त होते है और इनकी सोच की प्राथमिकता, विशिष्टता, सामाजिक, धार्मिक आधार, आर्थिक सम्पन्नता, विपन्नता, साक्षरता आदि के तत्वों का प्रभाव उनके मतदान व्यवहार में परिलक्षित होता है। लेखिका ने पुस्तक को तीन खण्ड़ों में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभक्त किया है। प्रथम खण्ड में भारत में चुनावों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण, द्वितीय में चुनाव व्यवस्था, चुनाव की भूमिका, महत्व एवं विशेषताएं, सत्ता वर्ग का पुर्नगठन, राजनीतिक व्यवस्था में उत्पन्न विभिन्न नवीन चुनौतियाँ, भारत में संविद सरकारों की राजनीति और उससे समाज के वर्गों को मिलने वाले राजनीतिक लाभों आदि तथ्यों की ओर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तृतीय खण्ड में चुनाव व्यवस्था और वामपंथी राजनीति तथा अन्त में निर्वाचन प्रक्रिया के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामाजिक आधारों पर विश्लेषित किया है।

सुभाष कश्यप द्वारा सम्पादित 'नेशनल रिसर्जेन्स थ्रू इलैक्टोरल रिफार्मस्'[19] में निर्वाचकीय प्रक्रिया और राजनीति से सम्बन्धित 46 विभिन्न महत्वपूर्ण लेखों में भारतीय निर्वाचन पर ब्रिटिश प्रभाव, निर्वाचन के बढ़ते धन–भुजबल का प्रभाव जैसे विभिन्न पक्षों पर विचार अभिव्यक्त किये गये। पुस्तक इस बात की वकालत करती है कि निर्वाचन सुधारों की अपेक्षा करना भारतीय लोकतन्त्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।

निहाल सिंह द्वारा सम्पादित ''काउण्ट डाउन टू इलेक्शन ''[20] पुस्तक में 1987 के बाद के 2 वर्षों का आंखों देखा हाल अपनी विश्लेषणात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्ति एवं समूह, संस्थाएँ आदि किस तरह तत्कालीन घटना चक्रों एवं सामाजिक आर्थिक परिवेशों से प्रभावित होती है।

एच.सी. शर्मा ने अपनी पुस्तक ''भारत में शासन और राजनीति''[21] में तुलनात्मक राजनीति–भारत में औपनिवेशिक विरासत, भारतीय आन्दोलन और राजनीतिक विकास, जाति का राजनीतिक रूप, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा संविधान संशोधन, भारत में साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद, भारतीय सरकार का स्वरूप, आधुनिक युग में दबाव गुट, भारत में निर्वाचन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें लेखक ने मतदान की प्रकृति को भी बताने का प्रयास किया गया है मताधिकार तथा गुप्त मतदान स्वस्थ प्रजातन्त्र के स्तम्भ हैं

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व मताधिकार अत्यन्त सीमित था। मताधिकार के आधार पर मुख्यतः सम्पत्ति और शिक्षा थे परन्तु अब बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति मत देने का अधिकारी है मतदान गुप्त होने के कारण अपनी इच्छानुसार व्यक्ति को अपना मत दे सकता है। इसके साथ ही लेखक ने चुनाव सुधार की आवश्यकता, चुनाव सुधार के सुझाव, भारतीय चुनावी व्यवस्था की त्रुटियों, दोषों आदि का उल्लेख किया गया है।

प्रो. मधुकर श्याम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक ''भारतीय शासन और राजनीति''[22] में मताधिकार, निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य व कमियाँ, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति में सुधारों की समस्या आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया हैं पुस्तक में लेखक ने यह बताने का भी प्रयास किया है कि क्या संविधानकारों ने भारत के निर्वाचकों में जिस विश्वास को व्यक्त किया था, वह पिछले चुनावों के अनुभव से सही प्रमाणित हुआ है? लेखक का मानना है कि भारत की निर्वाचन पद्धति में सुधार की समस्या आज इसलिए प्रस्तुत है क्योंकि भारतीय समाज का संगठन अभी तक उस आधार पर नहीं हो पाया है जिसे लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास के लिए समीचीत कहा जा सके। लेखक ने बताया है कि भारतीय समाज में गतिशीलता का अभाव नहीं है वह निरन्तर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है।

डॉ. बसन्ती लाल ने अपनी पुस्तक ''निर्वाचन विधि संहिता''[23] में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 के बारे में उल्लेख किया गया है इस अधिनियम में जिन बातों को बताने का प्रयास किया गया हैं वे इस प्रकार है लोकसभा एवं राज्यों के विधान–मण्डलों में स्थानों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाताओं की योग्यताएं, निर्वाचन नामावलियां तैयार करने की प्रक्रिया, राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा स्थानों को भरने की रीति सुनिश्चित करना आदि। लेखक ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों व संसद द्वारा की गयी प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक है।

सुरेन्द्र पाण्डेय द्वारा सम्पादित ''आम चुनाव में जाति एवं सम्प्रदाय''[24] पुस्तक में लेखक द्वारा आम चुनाव में जाति एंव सम्प्रदाय किस प्रकार भूमिका अदा करते है इसको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया गया है देश के समस्त नागरिकों को प्रजातान्त्रिक संविधान के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समानता का अवसर प्रदान किया गया था लेकिन आज जातिवाद, व सम्प्रदायवाद की समस्या संविधान के उन लक्ष्यों की

प्राप्ति में बड़ी बाधक बनकर स्थापित हो रही है। लेखक ने बताया है कि आज प्रजातंत्र एवं प्रजातान्त्रिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव, जाति, धर्म तथा वर्ग भावना के आधार पर लड़े जाने लगे है।

राजीव रंजन ने ''चुनाव, लोकसभा और राजनीति'[25] पुस्तक में प्रथम आम चुनाव से लेकर सन् 2000 तक हुए लोकसभा चुनावों के निर्वाचन क्षेत्रों, निर्वाचन व्यय, निर्वाचन राजनीति व मतदान को प्रभावित करने वाले मुद्दों और नारों, अब तक जितने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बने है उनका विवेचन किया है और राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक व वर्तमान स्थिति का तथा उनके चुनाव चिन्हों का उल्लेख किया है और इन दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण होने वाली गठबंधन की राजनीति का विवेचन किया है। साथ ही लेखक ने बताया है कि इन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों ने समय–समय पर सोनिया गाँधी के विदेशी होने, बाबरी मस्जिद की जगह राम मन्दिर बनवाने, स्थायी सरकार बनाने, सामाजिक न्याय आदि मुद्दों को उठाकर चुनाव जीतने के प्रयास किये।

जोगीन्दर कुमार चौपड़ा ने अपनी पुस्तक 'पोलिटिक्स ऑफ इलैक्टरोल रिफार्मस्'[26] में आम निर्वाचनों में उत्पन्न कमियों को सुधारने के प्रति सत्तारूढ़ दलों की राजनीतिक कारणों से उत्पन्न अनिच्छा पर प्रकाश डाला एवं प्रतिपक्ष दलों के निर्वाचन सुधार के प्रति राजनीतिक हितों के आधार पर मांग पर प्रकाश डाला है।

हंसराज जयन्ता द्वारा सम्पादित ''चुनाव क्रिया में भ्रष्टता''[27] पुस्तक में लेखक ने चुनावी राजनीति व चुनावी प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार व आपराधिक तत्वों का विस्तार से उल्लेख करते हुए बताया है कि आज हर राजनीतिक दल मत खरीदने से लेकर छीनने तक के सभी प्रयासों पर विचार करते है। नेताओं ने सम्पूर्ण देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है। भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर व्यापक रूप से चल रहा है। ऐसा लगता है कि सार्वजनिक महत्व के मदों पर मौजूद भ्रष्टाचार उल्लेख किया है कि चुनावी प्रक्रिया में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपराधिक तत्वों के वर्चस्व के कारण आज भी मतदाता मतदान केन्द्रों पर जाने से डरते हैं तथा सही मतदान नहीं कर पाते है।

वी.एम. सिरससिकर द्वारा लिखित पुस्तक ''बिना ताज के सम्प्रभुताः भारतीय क्रिया में व्यावहारिक विश्लेषण'[28] पुस्तक में लेखक द्वारा भारतीय राजनीति में विद्यमान भाई–भतीजावाद

और दूषित निर्वाचन प्रणाली का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में भाई–भतीजावाद का प्रचलन भी काफी जोर पर है प्रत्येक राजनेता अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाने के क्रम में देश के विकास और जनता के हित की बात भूल जाते है। अपने परिवार के अयोग्य सदस्यों को निर्वाचित कराने के लिए अपने दब दबे का खुलकर प्रयोग करते है। साथ ही यह भी बताया है कि हमारे यहाँ जो निर्वाचन प्रणाली अपनायी गयी है उसमें उम्मीदवारों की जीत–हार के लिए जिस तरीके का सहारा लिया गया है वह दोषपूर्ण है यहाँ अधिकतम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है।

ए.एस. नारंग की पुस्तक ''भारतीय शासन एवं राजनीति''[29] में लेखक ने भारत में निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक भागीदारिता तथा राजनीतिकरण, सामाजिक ढांचा और राजनीतिक प्रक्रिया, निर्वाचन तथा लोक रचना, नई प्रवृतियां, 1989 तथा 1991 के चुनावः सत्ता परिवर्तन, 1996 तथा 1998 के चुनाव, निर्वाचन तथा लोकतंत्र आदि का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि से चुनाव प्रणाली बहुत प्रभावित रही है इसलिए चुनाव सुधार की बात भी की गयी है।

प्रोफेसर भवानी सिंह द्वारा सम्पादित ''इलेक्शन, पोलिटिक्स एण्ड वोटिंग बिहेवियर''[30] पुस्तक में लेखक ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों यथा पंजाब, गोआ, लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा कुमायूं आदि सहित राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न राजनीति–शास्त्रियों के चुनाव से संबंधित निबंधों का लेखन द्वारा संपादन करके एक पुस्तक सूत्र में पिरोया गया प्रशंसनीय प्रयास है। इसमें नवम्बर, 1993 के हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लोकसभा के मध्यावधि चुनावों का विश्लेषण विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया हैं। साथ ही चुनाव आयोग की बहुसदस्यीयता के प्रश्न एवं इसके विभिन्न सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवादों पर सारगर्भित प्रकाश भी डाला गया है।

''इलेक्ट्रोरल रिफार्म इन इण्डियाः लॉ एण्ड इन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड वर्ल्ड''[31] 2004 शीर्षक से लिखित पुस्तक के लेखक डॉ. पी. रत्नास्वामी ने भारत सहित 20 से ज्यादा देशों के निर्वाचकीय प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आवश्यक निर्वाचन सुधारों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक कई निर्वाचन सुधारों के सुझाव प्रस्तुत करती है जिनमें से कई क्रियान्वित हो चुके हैं तो कुछ आज भी प्रासंगिकता एवं आवश्यकता बनी हुई है।

डॉ. निशांत सिंह द्वारा सम्पादित पुस्तक ''लोकतंत्र और चुनाव सुधार''[32] में लेखक ने चुनाव प्रक्रिया में आ गयी खामियों और उनके समस्त समाधानों की विस्तार से चर्चा की गयी है। भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में लेखक ने अनेक कमियों का वर्णन किया है जैसे धन का बढ़ता हस्तक्षेप, जातिवाद, बाहुबल, राजनीति का अपराधिकरण, साम्प्रदायिकता, धर्म, क्षेत्रवाद, मतदाता सूचियों में हेरफेर करना तथा उम्मीदवारों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि। इन कमियों को देखते हुए लेखक ने निर्वाचन में सुधार की आवश्यकता महत्वपूर्ण बतायी है। साथ राइट टू रिकॉल के अधिकार की भी बात की है।

भालचन्द प्रखर गोस्वामी की पुस्तक ''भारत में चुनाव सुधार दशा और दिशा''[33] में लेखक द्वारा विद्यमान चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न वैधानिक, कानूनी, जटिल कमियों तथा उनके समाधान एवं उन्हें किस तरह से सुधारा जा सकता है के सम्बन्ध में गहन अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने विश्व की शासन प्रणालियों तथा चुनाव की भी दो प्रणालियाँ प्रचलित है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का वर्णन किया है। साथ ही भारत व अन्य देशों की चुनाव प्रणाली के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है तथा चुनाव प्रणाली की विभिन्न कमियों का भी विस्तार से विवेचन किया है।

डॉ. आर.एन. त्रिवेदी एवं डॉ. एम.पी. राय द्वारा सम्पादित ''भारत सरकार एवं राजनीति''[34] पुस्तक में लेखक ने चुनाव आयोग के गठन एवं कार्य, निर्वाचन आयोग की आलोचना प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 17वीं लोकसभा के चुनावों तक की चुनावी राजनीति कैसी रही और मतदान किन–किन तत्वों से प्रभावित रहा और कौन से चुनाव में किस दल की सरकार बनी और हर चुनाव में जीतने वाली पार्टी के पीछे हारने का क्या कारण रहा इन सभी बातों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही संसदीय और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार की निम्नलिखित प्रवृतियां उजागर होती है – जातिवाद, आर्थिक स्थिति, सत्तारूढ़ दल का आचरण, नेतृत्व, दलीय विचारधारा, कार्यक्रम और नीति, सामन्तशाही प्रभाव, राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप, दल अथवा प्रत्याशी की जीत की सम्भावना, धर्म और साम्प्रदायिकता आदि।

रूपा मंगलानी ने ''भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियाँ एवं सूचना का अधिकार : परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियां''[35] आलेख में लेखक ने भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियों एवं सूचना के अधिकार की इन विकृतियों को दूर करने में भूमिका का विवरण देते हुये लिखा है

कि विगत पांच दशकों के कालखण्ड के 15 आम चुनावों एवं अनेक विधानसभा चुनावों का नियमित आयोजन तथा मतशक्ति से लोकतंत्र की निरन्तरता का अधिष्ठापन भारतीय निर्वाचनिक व्यवस्था एवं निर्वाचन अभियंत्र की उपलब्धि का साक्षी है। अतः लेखिका ने निर्वाचन व्यवस्था के सामने जो चुनौतियाँ का भी विस्तृत रूप में उल्लेख किया है निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जिन लोकाचारों एवं आस्थाओं को नियत किया गया था, क्या उनकी प्राप्ति हो पायी है? क्या येन–केन–प्रकारेण वांछित अवांछित निर्वाचनों का आयोजन ही पर्याप्त है; मतदान में हिंसा एवं करोड़ों के व्यय एवं मूल्य विहिनता से लोकतंत्र का पर्व माने जाने वाले निर्वाचन वही हुडदंगबाजी तो नहीं बन गये? दल–बदल की प्रवृति के निमित्त निर्मित उपाय कहीं अपूर्ण एवं अपर्याप्त तो नहीं है? क्या राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं को उत्तरदायी बनाया जा सका है? इनके साथ ही निर्वाचन व्यवस्था में आने वाली विकृतियों में सुधार की आवश्यकता बताई है।

निलांजना जैन ने अपने आलेख ''चुनाव सुधारों पर विचार''[36] में लेखिका ने भारत में चुनाव प्रक्रिया के बढ़ते हुए आपराधिकरण का विस्तार से वर्णन किया है। इस आपराधिकरण प्रक्रिया में अनेक मुद्दे हैं जैसे – मतदान केन्द्रों पर होने वाली धांधली, आपराधिक तत्वों द्वारा मतपेटियों की लूट, फर्जी मतदान, मतदाताओं को डराना, धमकाना, लालच देना और इन सबसे बढ़–चढ़कर यह तथ्य की अपराधी व्यक्ति स्वयं चुनाव में नामांकन पत्र भरकर प्रत्याशी बन जाते हैं और अधिकांश चुनाव जीतने में भी सफल होते हैं। इसके लिए चुनाव नियमों में सुधार की आवश्यकता से अधिक न्यायिक प्रक्रिया, विशेषकर सिविल और फौजदारी दंड प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है तथा चुनाव आयोग के प्रयासों से भी सुधार होगा। लेखिका ने आलेख में कुछ नवीन सुझाव भी बताये हैं जिनमें ''उपरोक्त में से कोई नहीं'' तथा ''वापस बुलाने का अधिकार'' (राइट टू रिकॉल) का भी विस्तार से वर्णन किया है।

अध्ययन प्रक्रिया

शोध प्रबन्ध के अध्ययन में मूलतः व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर अध्ययन को अधिक व्यावहारिक, तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक बनाये जाने का प्रयास किया गया है।

किसी भी शोध कार्य के वैज्ञानिक और तार्किक होने के लिए उसका मूल्य निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है जो बहुत कुछ अपनाई गई शोध पद्धति पर निर्भर करता है।

चूंकि वर्तमान शोध राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से विभिन्न चरणों में पूरा होता है जिसका उद्देश्य तथ्यों की गन्वेषणा एवं पुराने तथ्यों की जांच व सत्यापन करना है। प्रस्तुत अध्ययन आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों से निर्दिष्ट है। शोध प्रबन्ध में शोध कार्य हेतु सत्य एवं वस्तुनिष्ठ सूचनाएँ संकलित करने के लिए यथा–संभव तथ्य संग्रहण के प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों में अध्ययन के लिए चयनित सांसदों, विधायकों व मतदाताओं के वक्तव्यों और मतदाताओं व चुनाव अधिकारियों के साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोतों में सूचनाएँ निम्न माध्यमों से प्राप्त किया है–

- मुख्यतः भारत का संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, संसद द्वारा समय–समय पर निर्वाचनों से संबंधित निर्मित कानून तथा सरकार के विभिन्न आदेश तथा न्यायिक निर्णय।
- विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध परक लेखों का प्रयोग भी प्रस्तुत अध्ययन हेतु सामग्री संकलन में किया गया है।
- अध्ययन विषय से संबंधित प्रकाशित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकों का गहन अध्ययन करके आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।
- समय–समय पर प्रकाशित हाने वाले मासिक, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक रिपोर्टों का भी प्रयोग किया गया है।
- विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर शोध में समावेशित किया गया है।

उपलब्ध तथ्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए अधिकांशतः गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है।

♦♦♦♦

संदर्भ सूची

1. कार्ल, जे. फ्रेडरिख : ''कॉस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एण्ड डेमोक्रेसी'', ऑक्सफोर्ड एण्ड आई. बी.एच., दिल्ली 1966, पृष्ठ 259
2. गुप्ता, ओ.पी. : एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पृ. 76
3. संविधान सभा का वाद–विवाद, जिल्द आढ़ा, पृष्ठ संख्या 923
4. रईसा अली, ''रिप्रजेन्टेटी व डेमोक्रेसी एण्ड कन्सेप्ट ऑफ फ्री एण्ड फेयर इलेक्शन'', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशंस, न्यू देहली, पृष्ठ 20–24
5. शेषन, टी.एन. ''बोझिल मन की व्यथा कथा'', पृष्ठ 3 (नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली), 1995
6. शर्मा, अशोक, ''भारत में निर्वाचन–प्रशासन'', पृष्ठ 3, (शोध ग्रन्थ, राज.वि. विद्यालय, जयपुर), 1995
7. रईसा अली, ''रिप्रेजेन्टेटी व डेमोक्रेसी एण्ड कन्सेप्ट ऑफ फ्री एण्ड फेयर इलेक्शन'', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशंस, न्यू देहली, पृष्ठ 20–24
8. राजस्थान पत्रिका, 16 दिसम्बर, 2012
9. त्रिवेदी, आर.के., ''प्राक्कथन, भारत में लोकतंत्र एवं निर्वाचन'', अशोक शर्मा कृत, अनुसंधान एवं विशद अध्ययन संस्थान'', जयपुर, 1984
10. शर्मा, अशोक ''भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन'' अनुसंधान एवं विशद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1984
11. गहलोत, एन.एस. ''इलैक्शन्स एण्ड इलैक्टरोल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया'', दीप एण्ड दीप नई दिल्ली, 1992
12. आहूजा, एम.एल., ''हैण्डबुक ऑफ जनरल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रोरियल रिफार्मस इन इण्डिया–1932–1999'' मित्तल नई दिल्ली, 2000
13. शर्मा, पदमनाभ, ''भारत में निर्वाचन राजनीति'' सरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1993
14. कश्यप, सुभाष ''इलेक्शन एण्ड इलैक्टरोल रिफार्मस् इन इण्डिया'', स्टर्लिंग नई दिल्ली, 1971
15. उपाध्याय, अन्जु शरण, ''इलेक्ट्रोरल रिफार्म इन इण्डिया'', कानसेप्ट, नई दिल्ली, 2005

16. आढ़ा, आर.एस., ''भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'', ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008
17. कुमार, बी. वेंकटेश, ''इलेक्टरोल रिफार्म इन इण्डियाः करेण्ट डिसकार्सेसज'', रावत, 2009
18. कौशिक, डॉ. सुशीला, ''इलेक्शन इन इण्डियाः इट्स सोशल बेसिस''
19. कश्यप, सुभाष, ''नेशनल रिसर्जेन्स थ्रू इलेक्टरोल रिफार्मस'', शिप्रा, नई दिल्ली, 2002
20. सिंह, निहाल, ''काउण्ट डाउन टू इलेक्शन'', 1987
21. शर्मा, एच.सी., ''भारत में शासन और राजनीति'', जनशक्ति प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
22. चतुर्वेदी, प्रो. मधुकर श्याम, ''भारतीय शासन और राजनीति''
23. डॉ. बसन्तीलाल, ''निर्वाचन विधि संहिता''
24. पाण्डेय, सुरेन्द्र, ''आम चुनाव में जाति एवं सम्प्रदाय''
25. रंजन, राजीव, 'चुनाव, लोकसभा और राजनीति', ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2000
26. चोपड़ा, जोगीन्दर कुमार, ''पोलिटिक्स ऑफ इलैक्टरोल रिफार्मस'', 1989
27. जयन्ता, हंसराज, ''चुनावी क्रिया में भ्रष्टता'', दीप व दीप पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 1972
28. सिरससिकर, वी.एम. : ''बिना ताज के सम्प्रभुताः भारतीय क्रिया में व्यवहारिक विश्लेषण'', लोकप्रिय प्रकाशन, बाम्बे, 1973
29. नारंग, ए.एस. : ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, 2005
30. सिंह, भवानी, ''इलेक्शन पॉलिटिक्स एण्ड वोटिंग–बिहेवियर'', अरिहन्त पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1995
31. रतनास्वामी, पी., ''इलेक्ट्रोरल रिफार्मस इन इण्डिया : लॉ एण्ड इन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड वर्ल्ड'', बुक वेल, नई दिल्ली, 2004
32. सिंह, डॉ. निशांत, ''लोकतंत्र और चुनाव सुधार'', राधा पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली, 2003
33. गोस्वामी, भालचन्द्र प्रखर, ''भारत में सुधार दशा और दिशा'', पोइन्टर पब्लिशर्स, 1999
34. त्रिवेदी, डॉ. आर. एवं एम.पी. राय, ''भारत सरकार एवं राजनीति'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–2001

35. मंगलानी रूपा : भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियाँ एवं सूचना का अधिकार : परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियाँ, ''राज्य शास्त्र समीक्षा'', राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, अंक 1–2, 2004, पृष्ठ संख्या 121–130

36. जैन, निलांजना, चुनाव सुधारों पर विचार : ''लोकतंत्र समीक्षा'', सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, अंक 1–4, 2004, पृ. 89–96

द्वितीय अध्याय

निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग

अध्याय द्वितीय

निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग

निर्वाचन लोकतंत्र के आधार है और जनता की इच्छा जानने का बेरोमीटर हैं। इसके माध्यम से साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकता है। इस तरह निर्वाचन जहाँ शासन और जनता को जोड़ने की आवश्यक कड़ी हैं वहाँ वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। परन्तु लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल निर्वाचनों की ही आवश्यकता है कि जो निर्वाचन सम्पन्न कराए जाए वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, उनका संचालन निर्दलीय आधार पर हो और वे हर समय सतारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त हों। जैसा कि हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि ''अगर निर्वाचन तन्त्र दोषपुर्ण है या निष्पक्ष नहीं हैं या गैर–ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उद्‌भव काल में ही डगमगा जायेगा।''[1]

निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने, कनाड़ा का अनुसरण करते हुए, निर्वाचन को संवैधानिक मान्यता दी है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। उसमें निर्वाचन मशीनरी का पूरा उल्लेख है। निर्वाचन के लिए स्थायी व्यवस्था का प्रबन्ध इसलिए भी किया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन कभी दूर नहीं होते। कभी लोकसभा, कभी राज्य विधानसभा, कभी स्थानीय संस्थाओं, कभी मध्यावधि और कभी ग्राम निर्वाचनों की आवश्यकता पड़ती रहती है। जल्दी–जल्दी चुनाव होने और राजनीतिक दलों में विभाजन से देश का निर्वाचन आयोग एक ऐसे सत्ता केन्द्र के तौर पर उभर रहा है, जो चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के आचरण और सरकार के कामकाज पर कड़ी नजर रखता है।

निर्वाचन : अर्थ, स्वरूप एवं महत्व

भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है जो संविधान निर्माताओं के विचारों की कुँजी है।[2] न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव के शब्दों में 'उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।'[3] हमारे संविधान निर्माता किन उच्च आदर्शों की स्थापना

हमारे संविधान में करना चाहते थे तथा उनके क्या उद्देश्य थे यह संविधान में निहित प्रस्तावना से जाना जा सकता है, जो इस प्रकार है –

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता[4] सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को एततद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।''[5]

उक्त प्रस्तावना के अनुसार हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अंगीकृत किया है। लोकतंत्रात्मक शब्द द्वारा हमारे संविधान में लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन यापन की एक पूरी व्यवस्था के रूप में माना गया है। लोक व्यवस्था, राज व्यवस्था का एक लोकप्रिय स्वरूप है, जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप होने के साथ–साथ समाज व्यवस्था का भी एक रूप है।

विभिन्न विचारकों ने लोकतंत्र की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। लार्ड ब्राइस के अनुसार ''लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किन्ही विशेष वर्ग अथवा वर्गों तक सीमित न होकर समूह के सदस्यों में सामूहिक रूप में निहित रहती है।'' प्रो. पुन्ताम्बेकर का कहना है कि ''लोकतंत्र शासन का एक वह प्रकार है जिसमें जनमानस एक निश्चित तथा प्रबन्धोचित रूप धारण कर लेता है। उसकी इच्छा तथा अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए उसका एक संगठन होता है लेकिन वह अल्प संख्या जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसके द्वारा चुनी जाती है तथा उसी के द्वारा अपदस्थ भी होता है। इस संगठन के अपने अधिकार नहीं होते। वह बहुसंख्या के द्वारा उत्पन्न होती है और उसी के लिए इसका अस्तित्व होता है बहु संख्या के आश्रम तथा समर्थन के द्वारा ही शासन करती है।'' लिंकन के अनुसार ''लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है।''

विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार लोकतंत्र के प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं–

शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अभिप्राय उस शासन प्रणाली से है, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शासन संचालन किया जाता है। इसमें शासन का संचालन यद्दपि सीमित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है लेकिन वे सीमित व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करते है और उन्हें आम जनता का समर्थन प्राप्त रहता है।

राज्य के प्रकार के रूप से लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसे राज्य से है जिसमें राज्य की सम्प्रभुता जनता में निहित रहती है। समस्त राजनैतिक मामलों में जनता की इच्छा को सर्वोपरी स्थान दिया जाता है।

समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी समाज व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति, वर्ग, धर्म तथा सम्पत्ति आदि के भेदभाव के बिना समानरूप से अपने अधिकारों का उपयोग करते है। लोकतांत्रिक समाज व्यक्ति की समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। हर्नशॉ के मतानुसार ''लोकतान्त्रीय समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धान्त प्रचलित हो।''

मताधिकार उस लोकतांत्रिक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति और क्रियान्वयन का व्यावहारिक स्वरूप है जिसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधित्व, चुनाव तथा मताधिकार के द्वारा ही संभव होता है। विश्व में प्रचलित समस्त शासन प्रणालियों में संसदीय प्रजातंत्र शासन व्यवस्था सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है तथा भारतीय लोकतंत्र विश्व के अन्य लोकतंत्रों की तुलना में बड़ा लोकतंत्र है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए प्रजातंत्र अर्थ जब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र सम्पन्न नही हो अतः यह कहना उचित ही होगा कि प्रजातंत्र और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव दोनो एक साथ चलने वाले तत्व है अर्थात एक ही गाड़ी के दो पहिये है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

भारतीय संविधान में विहित चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव आयोग के सन्दर्भ से पूर्व भारत में चुनाव व्यवस्था के विकास के सन्दर्भ में जानना आवश्यक होगा।

भारत में चुनावों का इतिहास

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का नाममात्र का समावेश किया गया था। सन् 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया तथा ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जिससे जनता का कानून निर्माण प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त किया जा सके ताकि नौकरशाही की कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सके। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम में स्थान दिया गया।[6] वस्तुतः निर्वाचन की माँग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के बाद से प्रारम्भ हुई।

भारत में निर्वाचन का प्रारम्भ भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 से होता है। इस कानून द्वारा प्रान्तीय परिषद और केन्द्रीय विधायी परिषद की कुछ अशासकीय सीटों के लिए सीमित एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान प्रथम बार किया गया। इस प्रकार भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का ब्रिटिश शासन में विकास अलोकतांत्रिक रूप से जाना जाता है।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 एवं निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचन के सूक्ष्म प्रावधानों को मार्ले–मिन्टो सुधार अथवा भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 में स्पष्ट एवं व्यापक रूप से अंगीकार किया, अतः 1909 के इस अधिनियम को निर्वाचन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त को मान्यता मिली। इसमें विधान परिषदों में चुने जाने वाले सदस्यों के लिए तीन प्रकार के निर्वाचन मण्डल बनाए गए –

(अ) सामान्य निर्वाचन वर्ग

(ब) वर्गीय (साम्प्रदायिक) निर्वाचन वर्ग

(स) विशिष्ट निर्वाचक वर्ग

इस प्रकार प्रत्येक विधान परिषद में दो प्रकार के सदस्य थे :–

(1) सरकारी सदस्य

(2) गैर सरकार सदस्य

गैर सरकारी सदस्यों में दो प्रकार के सदस्य आते थे (अ) नामजद गैर सरकारी सदस्य (ब) निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य।

इस अधिनियम में लोगो को वोट देने का अधिकार विभिन्न प्रकार की योग्यताओं पर आधारित था।

1909 के सुधारों से जनता को केवल 'छाया मात्र' सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं, इसमें प्रभाव तो मिला शक्ति नहीं। इसमें साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। निर्वाचकों को मताधिकार भी बहुत सीमित दिया गया था किन्तु इन सभी सीमाओं, कमियों के उपरान्त भी निर्वाचन का औपचारिक शुभारम्भ यहीं से हुआ।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 में चुनाव व्यवस्था

मार्ले–मिन्टों सुधारों के बाद माण्टेंग्यू–चैम्स फोर्ड सुधार अधिक संवैधानिक एवं महत्वपूर्ण सुधार थे, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1919 कहा गया। इस अधिनियम में निर्वाचन से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार थीं –

(1) केन्द्रीय विधायिका परिषद के लिए प्रथम बार मताधिकार का प्रयोग।

(2) तीन भिन्न–भिन्न प्रकार की चुनाव व्यवस्थाऐं थीं –

(अ) प्रान्तीय (ब) विधान परिषद से संबंधित एवं (स) राज्य की परिषद से संबंधित।

(3) प्रत्येक चुनाव व्यवस्था में दो निर्वाचक क्षेत्र थे प्रथम सामान्य एवं द्वितीय विशिष्ट। सामान्य से तात्पर्य मुस्लिम, सिक्ख, युरोपियन, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य से था, जबकि विशिष्ट का अभिप्राय बड़े जमीदारों, व्यवसाइयों, उद्योगपतियों, विश्वविधालयों इत्यादि विशेष क्षेत्रों से था।

इस प्रकार निर्वाचक वर्ग, सम्प्रदाय तथा जाति का नेतृत्व करता था। द्वैध प्रणाली के तहत, राज्यों की परिषद के लिए मताधिकार को अत्यधिक संयमित कर दिया गया था जो भिन्न–भिन्न प्रान्तों में विभिन्नता लिये हुये था। यह उच्च एवं विशेष सम्पति धारण की योग्यता पर आधारित था।

1919 के सुधार भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सके। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुति यह रही कि इसमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में बढावा दिया। प्रान्तों को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने के बाद भी संरचना ऐकिक और केन्द्रीकृत बनी रही। तथा प्रान्तीय क्षेत्र में द्वैध शासन के कार्यकरण से सबसे अधिक असंतोष हुआ। महिलाओं को अभी भी मताधिकार से वंचित रखा गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया

लिनलिथगो की अध्यक्षता में सन् 1933 में बनी संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदनों के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना।[6] इस अधिनियिम में द्वैध शासन प्रणाली को केन्द्र सरकार में स्वीकार किया गया। जिसमें केन्द्रीय विधायिका में लोकतांत्रिक तथा राजनैतिक तरीकों को मिश्रित कर दिया गया। इसमें प्रान्तों को अपनी सुविधानुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्यों को भेजने की स्वतंत्रता थी। इसी प्रकार देशी रियासतें भी बड़े ही अनुचित तरीके से ब्रिटिश भारत की तुलना में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भेजते थे। साम्प्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया को इसमें और अधिक विस्तृत किया गया एवं छोटे–छोटे सम्प्रदायों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

प्रान्तीय विधायिका के निर्वाचन क्षेत्रों का आधार लिंग, सामान्य हित, धर्म एवं सम्प्रदाय था। इसमें कुछ निश्चित स्थान अनुसूचित जाति हेतू भी आरक्षित रखे गये। महिलाओं को भी विधायिका में सीमित रूप में स्थाान प्रदान किया गया था।

यह अधिनियम भी त्रुटिपूर्ण था, इसमें वयस्क मताधिकार को स्वीकार न करना, साम्प्रदायिक मताधिकार को स्वीकार करना, साम्प्रदायिकता का विस्तार आदि इसकी आलोचना के कारण बने, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस अधिनियम को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। तथापि इस अधिनियम से भारतीय राजनीति में निर्वाचन धीरे–धीरे आम लोगो में लोकप्रिय होता चला गया। निर्वाचन की इस बढ़ती जनप्रियता से जन साधारण में सरकार के कामकाज व आलोचनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिला फलस्वरूप भारतीय राजनीति में नेतृत्व का विकास हुआ।[7]

संविधान सभा और निर्वाचन

मार्च, 1942 में क्रिप्स मिशन ने निर्वाचन के सन्दर्भ में आश्वासन दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रान्तीय मण्डलों के लिए निर्वाचन करायें जाएगें। प्रान्तीय विधान मण्डल संविधान सभा के लिए निर्वाचन मण्डल का कार्य करेंगे। संविधान सभा का निर्वाचन प्रान्तीय विधान मण्डलों के निम्न सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्वाचन मण्डल के 10 प्रतिशत भाग के बराबर

होगी। देशी रिहासतों के प्रतिनिधियों को नरेशों द्वारा जनसंख्या के अनुपात में नियुक्त किया जाएगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने स्वीकार नहीं किया।

महात्मा गाँधी ने इन प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनने वाले बैंक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव वास्तविकता से बहूत दूर थे। ''ये जादूगर की पीटारी मात्र होने से दिखावटी एवं चमकीले थे परन्तु वस्तुतः खोखले और भ्रमपूर्ण थे।''

केबिनेट मिशन के अर्न्तगत संविधान सभा की निर्वाचन व्यवस्था

मार्च, 1946 में एक तीन सदस्यीय केबिनेट मिशन भारत मंत्री लार्ड पथिक लारेन्स की अध्यक्षता में भारत आया जिसने संविधान सभा के निर्माण हेतु अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त निर्वाचन की व्यवस्था हेतु निम्न प्रावधानों को निर्धारित किया।[8]

1. भारत में संविधान बनाने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे जिनमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों के 93, देशी रियासतों और 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि होंगे।
2. लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा प्रान्तों के लिए निर्धारित किए स्थान जनसंख्या के आधार पर विभिन्न जातियों में बटेंगे।
3. प्रान्तों को संविधान सभा में आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा यह निश्चित किया गया कि प्रान्तीय विधान सभा में प्रत्येक सम्प्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, उनका चुनाव प्रत्येक सम्प्रदाय अलग–अलग करेगा।
4. अल्पसंख्यकों को आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी।
5. रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चित किया गया।

भारतीय राजनेताओं ने उक्त प्रावधानों को मंजूर कर लिया तथा इसी आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के सदस्य इस बात से सहमत थे कि मत देने के अधिकार को वयस्कों का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए इस कार्य को करने हेतु एक स्वतंत्र मशीनरी होनी चाहिए जो कि स्थानीय दबावों एवं राजनैतिक प्रभाव से मुक्त निर्वाचन करा सके। इस विषय पर मौलिक अधिकारों की उपसमिति एवं मंत्रियों की उपसमिति ने

गहनता से विचार विमर्श भी किया। 29 मार्च, 1947 को अपनी बैठक में मौलिक अधिकार की उपसमिति ने यह प्रस्ताव पारित किए –

1. नए संविधान द्वारा सार्वभौग वयस्क मताधिकार की गारन्टी दी जानी चाहिए।

2. निर्वाचन की व्यवस्था संघीय कानून के अनुसार निर्मित निर्वाचन आयोग द्वारा होनी चाहिए।

3. चुनाव गुप्त, स्वतंत्र एवं नियम समयावधि में होने चाहिए।

उक्त प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उपसमिति की रिपोर्ट में निम्न सिफारिशों को समाविष्ट किया गया –

1. प्रत्येक नागरिक जो 21 वर्ष से कम आयु का न हो संघ या राज्य की विधायिका या अन्य इसी प्रकार की संस्था के निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा।

2. कानून विधायिका के स्वतंत्र एवं गुप्त मतदान की व्यवस्था करेगा तथा चुनाव नियत समयावधि में सम्पन्न करायेगा।

3. विधायिका के सभी निर्वाचनों, न्यायाधिकरणों चाहे वह संघ अथवा उसकी इकाई न हों, के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण जिसमें न्यायाधिकरणों की नियुक्ति भी शामिल है अथवा किसी भी विवाद में संघ के कानून के अनुसार संघ या उसकी इकाई के अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होंगे।

इस संविधान के अधीन सभी निर्वाचनों, चाहे संघीय या प्रान्तीय का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जिसमें निर्वाचन से संबंधित किसी संदेह या विवाद उठने पर निर्वाचन न्यायाधिकरणों की नियुक्ति भी शामिल है, का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग में निहित होगा।[9]

प्रारूप समिति में संघ एवं प्रान्तीय संविधान समिति के द्वारा संविधान सभा में रखे प्रतिवेदनों के आधार पर दिनांक 21 फरवरी, 1948 को यह प्रारूप रखा कि केन्द्र तथा राज्यों के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जावे तथा इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 289 (क) में समाहित कर लिया जाये। 15 जून, 1949 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा के नए अनुच्छेद 289 से परिचित करवाया, जिसमें एक केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान था जो केन्द्र व राज्यों में निर्वाचन का कार्यभार संभालेगा। तथा

इस निर्वाचन आयोग के व्यापक प्रबन्ध के संबंध में संविधान सभा ने नया अनुच्छेद प्रस्तुत किया इस अनुच्छेद में निम्नलिखित विशेषताएँ थीं।

1. भारत में एक केन्द्रीय निर्वाचन आयोग होगा जो मतदाता सूची तथा संसदीय एवं प्रत्येक राज्य की विधान परिषद तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, न्यायाधिकरणों की नियुक्ति आदि के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन का कार्य करेगा।
2. आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिन्हें संघीय सरकार नियुक्त करेंगी।
3. यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर आम चुनाव से पूर्व ही या विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव से पूर्व आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त कर सकेंगे।
4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की सूरक्षा के वही प्रावधान होने चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हों। एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाना चाहिए।[10]
5. संघीय/राज्य सरकारें निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी उपलब्ध करवायेगी।

श्री हृदयनाथ कुंजरू का मत था कि राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार दिए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा राजनैतिक लाभ से दुरूपयोग किया जा सकता है। इस आलोचना का जवाब देते हुए श्री के. एम. मुंशी ने कहा था कि ''यह नियुक्तियाँ संसद द्वारा निर्मित कानून एवं नियम पर आधारित होंगी।'' इसके उपरान्त भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 324 का क्रम दिया गया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय आयोग की स्थापना का प्रावधान प्रारूप संविधान ने कनाडियन डोमेनियन एक्ट, 1920 से लिया था जिसके अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बिना भेदभाव के स्वच्छ निर्वाचन के निर्देशन एवं निरीक्षण का दायित्व सौपा गया। इस अधिनियम की धारा 19 के तहत यह कहा गया कि कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश की भांति, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसकी पदच्युति एवं उसका वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाऐंगे।

भारतीय संविधान और चुनाव आयोग

एक मतदाता से प्रारम्भ होकर अन्ततः 'लोकइच्छा के तौर पर सम्पन्न निर्वाचन द्वारा स्थापित सरकार राज्य अथवा राष्ट्र पर शासन करने के लिए विधानतः अधिकृत होती है। हमारे देश के नागरिक अपनी सरकार का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के प्रभाव से करते है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से अलग, मतदानाधिकार (जिसे लोग प्रायः मताधिकार कहते है) अपने आप में कोई मौलिक अधिकार नही है। मत देते का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) में प्रत्याभूत अधिकार का एक भाग है जबकि मतदाता बनने का अधिकार नागरिकों को अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है।

साधारण शब्दों में मतदाता और नागरिक में अन्तर होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है जबकि सरकार के निर्माण के सन्दर्भ में अभिव्यक्ति के अपने अधिकार का संव्यवहार करने की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी नागरिक मतदाता नहीं होते।''[11]

निर्वाचन आयोग की संरचना

समस्त निर्वाचनों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और संदेह रहित बनाने के लिए संविधान सभा के विनिश्चय से 'निर्वाचक' शीर्षक के अर्न्तगत भारतीय संविधान के 15 वें भाग में पृथक अध्याय में निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के तथ्य को विचार में रखकर संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि यह निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, अतः यह बड़ा कठिन कार्य है इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना का प्रबन्ध किया। भारतीय संविधान के भाग–15 के अनुच्छेद 324 के अर्न्तगत निर्वाचनों का निरिक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को सम्पादित कर सके। निर्वाचन की मशीनरी द्वारा कार्य करने के लिए निम्न बातों की आवश्यकता है।[12]

1. निर्वाचन संबंधी सब विधि,
2. ऐसा प्राधिकारी जो निर्वाचन का संचालन कर सके, तथा
3. निर्वाचन में उठने वाले विवादों का निपटारा करने की व्यवस्था।

अनुच्छेद 327 व 328 पहली आवश्यकता को पूर्ण करते है, अनु. 324 दूसरी तथा अनु. 329 तीसरी की। अनु. 325 व 326 दो सिद्धान्तों पर आधारित हैं जिन पर हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत जोर दिया है। ये हैं (1) धर्म, भाषा, जाति आदि बातों के आधार पर मतदाताओं में भेदभाव न होना (2) वयस्क मताधिकार।[13]

लोकतन्त्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कराए जाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग के गठन से पूर्व संविधान निर्माताओं के सामने जो समस्याऐं आई थीं वे इस प्रकार थीं –

1. एक स्थाई चुनाव आयोग का गठन किया जाए, जिसमें 4 या 5 सदस्य हों तथा वे अपने पद पर सेवानिवृति तक बनें रहें ? या,
2. एक अस्थाई संस्था चुनावों के दौरान चुनाव सम्पन्न कराए जाने हेतु राष्ट्रपति द्वारा बना दी जावें ? या,
3. एक स्थाई चुनाव मशीनरी का गठन मुख्यतया निर्वाचन आयुक्त के अधीन गठित कर दी जावे।
4. संविधान सभा के समक्ष यह भी समस्या थी कि या तो ब्रिटेन की तरफ एक केन्द्रीयकृत चुनाव आयोग का गठन किया जाए या फिर अमेरिका की तरह राज्यों को अपने अलग–अलग चुनाव आयोग गठित करने की अनुमति दी जाए।

संविधान सभा ने सभी गुण व अवगुणों का परीक्षण कर यह तय किया कि केन्द्र में एक स्थाई चुनाव आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि यह आवश्यकता भी महसूस की गई कि चुनावी तंत्र को केन्द्र की भांति राज्यों में भी न सिर्फ आम चुनाव बल्कि उपचुनाव व मध्यावधि चुनाव कराने का अधिकार दिया जाए। दूसरे, केन्द्रीयकृत चुनाव आयोग की इसलिए भी आवश्यकता हुई क्योंकि संविधान सभा की यह जानकारी में लाया गया था कि कुछ रियायतें धर्म, भाषा व संस्कृति के आधार पर कुछ वर्गों को निर्वाचक नामावलियों में शामिल नहीं करती हैं जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थितियों पैदा करती है। अतः एक केन्द्रीय चुनाव आयोग के गठन का निर्णय लिया गया था। तदनुरूप संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनु. 324 के अर्न्तगत निर्वाचन आयोंग की संरचना संबंधी व्यापक उल्लेख इस प्रकार किये –

1. इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदो ंके लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, एक आयोग में निहित होना (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।

2. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय–समय पर नियत करें, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।[14]

3. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

4. लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात; खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

5. संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्ते और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

6. जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वाचन के लिए आवश्यक हों।

भारतीय संसद और चुनाव आयोग

संविधान के उपबन्धों के अधीन (जिसमें अनुच्छेद 324 सम्मिलित है) रहते हुए अनुच्छेद 327 द्वारा संसद को निर्वाचन संबंधी सब मामलों में मय निर्वाचन नामावली को तैयार करने के विषय में विधि बनाने की शक्ति है परन्तु ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाऐगी जो निर्वाचन आयोग की शक्ति को कम करें।[15] यदि निर्वाचन आयोग कोई निर्देश जारी करता है तो वह किसी प्राधिकारी का डेलीगेट होकर नहीं करता बल्कि अपनी शक्ति के अर्न्तगत करता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयोग को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है।[16]

चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है जिनकी संख्या वह स्वयं निर्धारित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त करता है जिनकी अवधि और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति नियमों द्वारा निर्धारित करता है। सेवा की शर्तें संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार होती है।

राष्ट्रपति की भांति, निर्वाचन आयोग के कार्यों पर संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग संसदीय नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्र है। संसद आयोग के व्यय हेतु बजट पर भी मतदान करती है। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर वाद–विवादों के द्वारा भी संसद आयोग पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। आयोग द्वारा प्राप्त सूचना सामग्री के आधार पर कुछ परिस्थितियों में विधि मंत्रालय संसद में अपना उत्तर भी देता है। जिन मामलों में संसद द्वारा पारित विधि में प्रावधान नहीं है, उनके विषय में निर्वाचन आयोग आदेश दे सकता है, जैसा कि ऑल पार्टीज हिल लीडर्स कांफ्रेस बनाम डब्ल्यू ए संगमा[17] के मामलें में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया जा चुका है। जैसे मतदान को निरस्त करने के संबंध में कोई प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीं है। इसलिए इस मामलें में उचित प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीं है। इसलिए इस मामलें में उचित परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग आदेश दे सकता है।[18] संसद के किसी वर्तमान सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श ले सकता है।

निर्वाचन आयोग : निर्वाचकीय अधिकरण

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्णित किया है कि चुनाव आयोग एक अभिकरण है तथा इसके निर्णयों के खिलाफ अनुच्छेद 136 (1) के तहत अपील की अनुमति दी जा सकती है।[19] उच्च न्यायालय भी इसके आदेशों के खिलाफ अनु. 226 के अन्तर्गत रिट जारी कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग को चुनाव चिन्ह के विवाद को तय करने की शक्ति प्राप्त है। जो कि न्यायिक प्रकृति की है अतः यह प्राधिकरण है इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों भारत बैंक लिमिटेड बनाम भारत बैंक के कर्मचारी[20] तथा दुर्गाशंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह के बाद में निर्णित किया कि जो प्राधिकारी किसी विधि के अन्तर्गत मिले न्यायिक कृत्यों के अर्न्तगत कोई विवाद निपटाने की शक्ति रखते हैं, वे अधिकरण होते है।

निर्वाचन प्रक्रिया में अन्यान्य औपचारिक अनौपचारिक तत्वों के कारण चुनावों को प्रभावित करने वाली दुर्बलताएँ समाविष्ट हो जाती है, जिनके कारण तथा राजनीतिक कारणों से स्वभाविक रूप से निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाते है। प्रत्याशियों की अयोग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया में कोई वैधानिक त्रुटि, दोषपूर्ण और एकांगी निर्वाचन विधि, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन आयोग द्वारा पक्षपात आदि विभिन्न कारणों को लेकर निर्वाचन से संबंधित विवाद राजनैतिक परिवेश में न्यूनाधिक आक्रोश उत्पन्न कर देते है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रायः सभी देशों में यह व्यवस्था की गई है कि एक बार निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर उसे उपरोक्त किसी भी कारण से बीच में नहीं रोका जा सकता। अपितु प्रक्रिया पूर्ण होने पर निर्वाचन याचिकाओं के माध्यम से निर्वाचन प्रतिनिधि के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। निर्वाचन तंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के निर्माण में न्यायपालिका की असाधारण भूमिका रहती है, न्यायपालिका से जनता यह आशा करती है कि वह कार्यपालिका के अतिचार से निर्वाचन तंत्र की रक्षा करेगी।

सांविधानिक और वैधानिक प्रावधान

भारतीय निर्वाचन से संबंधित संविधान में दो प्रकार के विवादों का उल्लेख किया गया है। प्रथम ऐसे विवाद जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की योग्यता से संबंधित हो, दूसरे ऐसे विवाद जो निर्वाचन द्वारा चुने जाने में कोई वैधानिक त्रुटि या भ्रष्ट आचरण से संबंधित हों। जहाँ तक

दूसरे प्रकार के विवादों का प्रश्न है उसके बारें में संविधान के अनु. 324 (1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार निर्वाचनों से उदभूत एवं निर्वाचन से संबंधित सभी संदेहो और विवादों के विनिश्चय के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित किए जाएगे।

अनु. 327 विधान–मण्डलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद समय–समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या ससक्त सभी विषयों के संबंध में उपबन्ध कर सकेगी। अनु. 328 में कहा गया है कि किसी राज्य के विधान मण्डल के लिए निर्वाचनों के संधि में उपबन्ध बनाने की शक्ति इस संविधान के अधीन रहते हुए तथा जहाँ तक संसद इस हेतु उपबंध नहीं बनाती वहाँ तक सीमित होगी।

अनु. 329(क) यह उपबन्धित करता है कि अनु. 327 या अनु. 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता, जो निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से ंसबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। अनु. 329 (ख) यह उपबंधित करता है कि संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन हेतु निर्वाचन पर निर्वाचन याचिका के बिना आपति न की जाए।

इस प्रकार संविधान निर्माताओं का विचार अनु. के मूल में यह था कि एक बार निर्वाचन प्रक्रिया यदि आरम्भ हो जाती है तो इस जटिल व महत्वपूर्ण और व्यय साध्य प्रक्रिया के मध्य मे ंसामान्य न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा व्यतिक्रम उपस्थित नहीं किया जाना चाहिए।

2.1

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

क्र.सं.	नाम		कार्यकाल
1.	सुकुमार सेन	–	21 मार्च, 1950 – 19 दिसम्बर, 1958
2.	के.वी.के. सुन्दरम	–	20 दिसम्बर, 1058 – 30 सितम्बर, 1967
3.	एस.पी. सेन वर्मा	–	1 अक्टुबर, 1967 – 30 सितम्बर, 1972
4.	डॉ. नगेन्द्र सिंह	–	1 अक्टुबर, 1972 – 6 फरवरी, 1973

5.	टी. स्वामीनाथन	–	7 फरवरी, 1973 – 17 जून, 1977
6.	एस.एल. शकधर	–	18 जून, 1977 – 17 जून, 1982
7.	आर.के. त्रिवेदी	–	18 जून, 1982 – 31 दिसम्बर, 1985
8.	आर.वी.एस. शास्त्री	–	1 जनवरी, 1986 – 25 नवम्बर, 1990
9.	वी.एस. रमादेवी	–	26 नवम्बर, 1990 – 11 दिसम्बर, 1990
10.	टी.एन. शेषन	–	12 दिसम्बर, 1990 – 11 दिसम्बर, 1996
11.	एम.एस. गिल	–	12 दिसम्बर, 1996 – 13 जून, 2001
12.	जे.एम. लिंगदोह	–	14 जून, 2001 – 7 फरवरी, 2004
13.	टी.एस. कृष्णमूर्ति	–	8 फरवरी, 2004 – 15 मई, 2005
14.	बी.बी. टंडन	–	16 मई, 2005 – 29 जून, 2006
15.	एन. गोपालस्वामी	–	30 जून, 2006 – 20 अप्रैल, 2009
16.	नवीन चावला	–	21 अप्रैल, 2009 – 29 जुलाई, 2010
17.	शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी	–	30 जुलाई, 2010 – 10 जून, 2012
18.	वी.एस. संपत	–	11 जून, 2012 –15 जनवरी, 2015
19.	एच.एस. ब्रह्मा	–	16 जनवरी, 2015 – 18 अप्रैल, 2015
20.	नसीम जैदी	–	19 अप्रैल, 2015 – 5 जुलाई, 2017
21.	अचल कुमार ज्योति	–	6 जुलाई, 2017 – 22 जनवरी, 2018
22.	ओम प्रकाश रावत	–	23 जनवरी, 2018 – 1 दिसम्बर, 2018
23.	सुनील अरोड़ा	–	2 दिसंबर, 2018 से वर्तमान

निर्वाचन आयोग : कार्यप्रणाली

निर्वाचन आयोग के लिए भारतीय संविधान द्वारा कोई कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की है। यह उनके अपने विवके पर है, परन्तु तब भी उनके लिए यह आवश्यक होगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया जाए।[21] अन्यथा अनु. 14 के अर्न्तगत उनका आदेश भेदभाव वाला माना जा सकता है।

यहाँ निर्वाचन बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है इससे तात्पर्य उस सम्पूर्ण प्रक्रिया से है जिससे होकर कोई उम्मीदवार चुनाव में सफल घोषित है।[22] जब से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होती है तभी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

अनु. 325 के अनुसार ससंद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक–नामावली होंगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

इस अनुच्छेद द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि ब्रिटिश सरकार के समय से हिन्दू या मुसलमानों के लिए अलग–अलग थी, को समाप्त कर दिया गया। अतः यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इस अनुच्छेद की भावना का सम्मान हो तथा सबके लिए एक ही सिविल कोड हों।

भारतीय संविधान का अनु. 326 लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान–मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित नियत की जाए, 21 वर्ष की आयु से कम नही हों, और इस संविधान या समुचित विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चितविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का

हकदार होगा। 61 वें संविधान संशोधन विधेयक, 1989 द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है जो कि वर्तमान में 18 वर्ष ही है।

इस अनु. के अनुसार वे ही व्यक्ति जो मतदाता होंगे जो कि –

1. भारत का नागरिक हो तथा

2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष हों।

वह व्यक्ति जो मतदाता नही हो सकते :–

1. निवास ना होना,

2. चित का विकृत होना,

3. अपराध में दोषी होना,

4. चुनाव में भ्रष्ट या अवैध आचरण।

योग्य मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होना चाहिए बिना उसके वह मतदाता नहीं हो सकता है। भले ही वह उक्त योग्यताएँ रखता हो। यह अनुच्छेद केवल संसद व विधानमण्डलों के लिए ही मतदाता की अर्हता बताता है। स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत नगरपालिकाओं के लिए नहीं।[23]

अनुच्छेद 327 – इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद समय–समय पर विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या ससक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अर्न्तगत निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय है, उपबन्ध कर सकेगी। इस संबंध में संसद ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं –

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 : इसमें निर्वाचन नामावली तैयार करने के विषय में प्रावधान है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 : इसमें संसद व विधान मण्डलों के चुनाव की प्रक्रिया है।

3. लोक प्रतिनिधित्व (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1956, तथा

4. परिसीमन अधिनियम, 1962 : इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित करने के बारे में प्रावधान है।

अनुच्छेद 328 : किसी राज्य के विधान–मण्डल के लिए निर्वाचनों के उपबन्ध करने की उस विधान मण्डल की शक्ति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जहाँ तक संसद इस निमित उपबंध नहीं करती है वहाँ तक, किसी राज्य का विधान–मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या ससक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक–नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय है, उपबंध कर सकेगा।

अनुच्छेद 329 : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन – इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी –

(क) अनु. 327 या अनु. 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों में आवंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए, अन्यथा नहीं।

उक्त दोनों प्रावधान किसी भी निर्वाचन की सफलता के लिए आवश्यक है, यदि इनकों न्यायालय में चुनौती का अधिकार दिया जाता तो चुनाव की सारी प्रक्रिया ही बाधित हो जाती।

निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य

निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 324 में निहित है। अनु. 324 (1) में निर्वाचन आयोग को सभी महत्वपूर्ण चुनावों के आयोजन एवं अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व प्रदान किया गया है। अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण शब्द निर्वाचन आयोग के व्यापक उत्तरदायित्वों एवं विस्तृत अधिकारों को इंगित करता है जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी मनोहर सिंह गिल बनाम चुनाव आयुक्त एवं अन्य विवादों में स्वीकार किया है। इसी प्रकार का निर्णय सादिक अली व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग ए. आई. आर.

1972 सु. को., 187 तथा मोहम्मद युनूस बनाम शिव कुमार साही में किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 तथा संसद द्वारा बनाए गए अन्य नियम एवं राष्ट्रपति आदेशों के द्वारा चुनाव आयोग को अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई है।[24]

आयोग के प्रमुख कार्यों एवं अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित रूप में परिलक्षित किया गया है।[25]

1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना।
2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों को संचालित करना तथा उनका अधीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण करना।
3. सांसदों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को तथा विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना।
4. लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद/सभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए संविधान के अर्न्तगत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी आयोग करता है।
5. निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। एवं उन्हें चिन्हों, झण्डों का आवंटन करता है। इस मामले में किसी भी विवाद पर निर्वाचन आयोग का निर्णय मान्य होता है।
6. निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए मतदाता–सूची तैयार करता है और समय–समय पर उसे संशोधित भी करता है।
7. आयोग कार्यपालिका को निर्वाचन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों एवं निर्वाचन संबंधी कानुनों एवं आदेशों को पूर्ण करने अथवा उनके पालन हेतु निर्देश दे सकता है।
8. आयोग द्वारा दिए गये निर्देश विधि के अंग के होते है, एवं उनका क्रियान्वयन बाध्य भी हो सकता है। स्वच्छ एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु आयोग को वैधानिक प्रावधानों के अभाव में पूरक नियमों का निर्माण का अधिकार है।
9. निर्वाचन को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयोग प्रार्थना कर सकता हैं।

10. यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र, सदस्य का निर्वाचन करने में असफल रहे तो आयोग उस निर्वाचन क्षेत्र में पुनः सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान करवाने को अधिकृत है। किन्तु यदि पुनः असफल रहे तो आयोग पुनः मतदान करवाने को बाधित नहीं है, जब तक उसे यह विश्वास न हो जाए कि इस बार निर्वाचन क्षेत्र सदस्य चुनने में असफल नहीं होगा।[26]

11. निर्वाचन के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति की रोजमर्रा की रिपोर्ट आयोग को देनी होती हैं।

12. यदि मतदान केन्द्र पर बाधा अथवा रूकावट अथवा किसी भी प्रकार के दंगे अथवा हिंसा अथवा प्राकृतिक संकट के कारण मतदान देना संभव न हो सके या अन्य कारणों से मतदान बाधित हो तो वहाँ मतदान निरस्त कर पुनः मतदान कराने की घोषणा करेगा।[27]

13. निर्वाचन आयोग परिणाम घोषित होने से पूर्व किसी भी कारणों से परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने के निर्देश दे सकता है।[28]

14. राजनैतिक दलों को आवश्यकता होने पर आकाशवाणी व दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार करने की सुविधा उपलब्ध करवाना।

15. चुनाव में उम्मीदवारों को खर्च करने की राशि निश्चित करना।

16. आयोग परिणाम घोषणा से पूर्व पुर्नमतदान के आदेश दे सकता है, यद्यपि निर्वाचन कानून के तहत कोई विशिष्ट आधार न हो तो भी कुछ स्थिति में आयोग अपने अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।[29]

17. आम चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव सम्पूर्ण होने के साथ विजयी प्रत्याशियों की सूची मय उनके दल के अधिसूचना द्वारा जारी करता है और केवल इसके बाद ही सदन एकत्र होने योग्य होगा।[30]

18. यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण हेतु निर्वाचन याचिका में न्यायालय द्वारा दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति यह निश्चित करने की अकांक्षा करते है कि उक्त व्यक्ति अयोग्य होना चाहिए और यदि हो तो कितने समय के लिए। इस सन्दर्भ में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय जानने हेतु प्रार्थना कर सकता है।

19. जाली मतदान को रोकने के लिए राज्य सरकारों को मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देना।

20. राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की व्यवस्था करता है।

21. मतदाताओं को मतदान कार्य (राजनीतिक) प्रशिक्षण देना।

22. यदि कोई प्रत्याशाी समय सीमा में खर्च का हिसाब बताने में असफल रहता है तो उसे कानून के अनुरूप तीन वर्षों हेतु अयोग्य घोषित करने का तथा अयोग्यता के सन्दर्भ में कोई उचित कारण नहीं होने का निर्धारण करने का निश्चय करने का प्राधिकार है।[31]

23. आयोग को किसी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण के अतिरिक्त अयोग्यता को कम व सामान्य करने का अधिकार है। इस प्रकार मतदान हेतु अयोग्यता को भी समाप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ – बाल ठाकरे पर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पाबन्दी लगायी।[32]

निर्वाचन आयोग की विशेषताएँ

भारतीय निर्वाचन आयोग की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं –

1. सारी निर्वाचन मशीनरी, चाहे व केन्द्र से संबंधित हो या राज्य से, केन्दीय निर्वाचन आयोग के अधीन है। संविधान राज्यों में निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था नहीं करता। केन्द्रीय आयोग अपने ही अधीन पदाधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित कार्यों पर निर्देशन देता है, चाहे प्रश्न निर्वाचन के संचालन से संबंधित हो, या निर्वाचन सूचियों को तैयारी से हो या निर्वाचन से संबंधित विवादों आदि से हो। यह व्यवस्था संविधान के अर्न्तगत प्राप्त मताधिकार का आश्वासन देती है।

2. निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया है। उदाहरणत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों को उसके कार्यकाल के दौरान उसके अहित में नही बदला जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। समय से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है अर्थात उसे ''प्रमाणित कदाचार'' और ''अयोग्यता'' के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव सम्बोधित होने पर, जो संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पारित किया गया हो, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रदेश आयुक्तों को भी राष्ट्रपति मुख्य

निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर हटा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो तब तक रहता है।

3. भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के कार्य को कार्यपालिका और व्यस्थापिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है। यह निर्वाचकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए किया गया है। जहाँ अमेरिका में ''जेरीमेन्डरिंग'' नाम की कुख्यात प्रथा विद्यमान है वहाँ भारत में इसके विकास की कोई सम्भावना नहीं। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक स्वतंत्र आयोग की व्यवस्था की गई है जिसे सीमांकन आयोग (Delimitation Commission) कहते है। इसकी स्थापना 1952 के सीमांकन आयोग अधिनियम द्वारा की गई थी।

राज्य में चुनाव आयोग : गठन एवं कार्यप्रणाली

राज्य में चुनाव करवाने हेतू राज्य चुनाव आयोग[33] के निर्देशन में विहित प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव सम्पन्न कराये जाते है, मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल में से भारतीय चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है जो कि भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं अनुशासनाधीन कार्य करते है। मुख्य चुनाव की सहायता के लिए उपमुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के प्रत्येक जिले में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी ;क्डद्ध चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करते है तथा प्रत्येक चुनाव बूथ पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जाते है।

निर्वाचन तंत्र के प्रमुख कार्य

राज्य निर्वाचन तंत्र के कार्यों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. निर्वाचन सीटों का निर्धारण करना।
2. निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा (परिसीमन) निर्धारण।
3. निर्वाचन नामावली तैयार करना व संशोधन करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।

4. राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना।
5. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याक्षियों का नामांकन करना व नामांकन पत्रों का परीक्षण करना तथा कमी पाये जाने के दौरान नामांकन पत्र खारिज करना।
6. निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।
7. मतदान हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
8. चुनावी हिंसा के कारण आवश्यक हो तो पुर्नमतदान करवाना।
9. उपचुनाव करवाना।
10. मतगणना करना परिणाम घोषित करना।

इस प्रकार चुनाव सम्पन्न कराने हेतु मतदाता अपने मत का प्रयोग चुनाव आयोग के संरक्षण में निर्भिक रूप से करते है। राज्य में चुनाव सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन तंत्र को तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र
2. निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन तंत्र
3. जिला स्तरीय निर्वाचक तंत्र

राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा '13 क' में प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है।

राज्य स्तर पर निर्वाचनों के संचालन एवं मतदाता सूचियों की तैयारी संबंधी कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाता है जो कि भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं अनुशासनाधीन कार्य करते है। भारतीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। विभाग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता तथा अयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.), सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ट लेखाधिकारी के पद सृजित है। निर्वाचन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन किए जाने के लिए विभाग में कई अनुभाग स्थापित है। निर्वाचन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था का रेखाचित्र निम्न प्रकार है।

प्रशासनिक संरचना

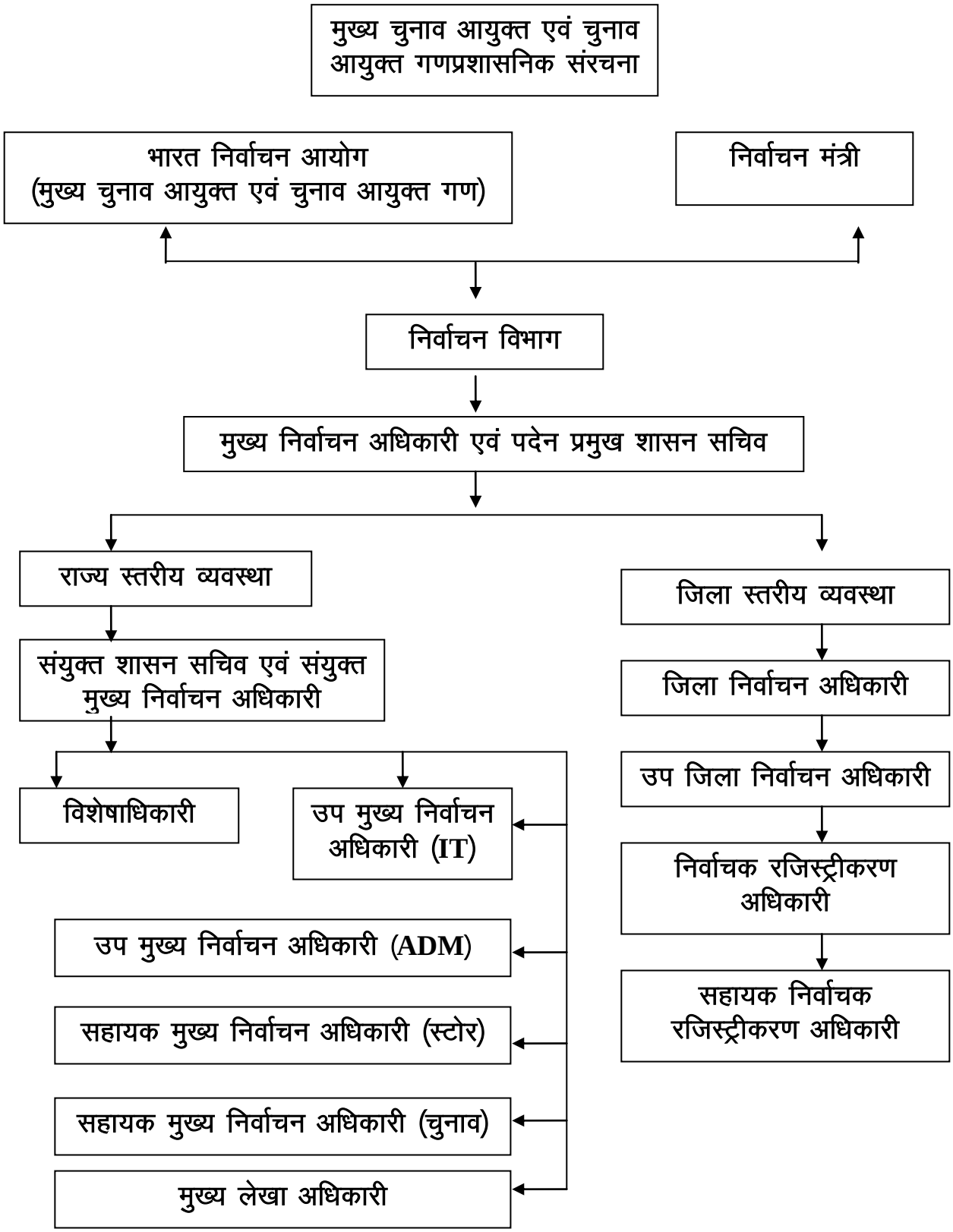
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त गणप्रशासनिक संरचना
भारत निर्वाचन आयोग (मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त गण)
निर्वाचन मंत्री
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव
राज्य स्तरीय व्यवस्था
संयुक्त शासन सचिव एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विशेषाधिकारी
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (IT)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ADM)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्टोर)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (चुनाव)
मुख्य लेखा अधिकारी
जिला स्तरीय व्यवस्था
जिला निर्वाचन अधिकारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन तंत्र

निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर वैधानिक रूप से चार प्रकार के अधिकारी होते है।

1. निर्वाचन पंजीयन अधिकारी
2. सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी
3. रिटर्निंग अधिकारी
4. सहायक रिटर्निंग अधिकारी।

निर्वाचन पंजीयन अधिकारी

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने तथा पुनरीक्षण किए जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा '13 ख' के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है।

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ही उस विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन संचालन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये गये है ताकि मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, निर्वाचन तथा फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम के निष्पादन में प्रशासनिक दृष्टि से पर्यवेक्षण कार्य में सुगमता हों। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते है।

सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों के पालन में सहायता किए जाने हेतु लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा '13 ग' के प्रावधानुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन उनकें द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करता है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन राज्य के तहसीलदार सेवा के अधिकारी कर रहे है।

रिटर्निंग अधिकारी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अर्न्तगत निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर संसद और राज्य विधान मण्डल के सभी निर्वाचकों के संचालन तथा अन्य कृत्यों का भी पालन करता है। जो भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए राज्य सरकार के परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी अधिसुचित है जो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता हैं।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के दायित्वों/कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए राज्य सरकार के परामर्श से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 23 के अन्तर्गत सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए है। आयोग की अधिसूचना 12 मई, 2008 के द्वारा एक राजस्व जिले में आंशिक व पूर्ण रूप से पडने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उस जिले के उपजिले निर्वाचन अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

निर्वाचक नामावलियाँ

प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावलियाँ तैयार की जाती है। निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के निरिक्षण हेतु एक रिटर्निंग अधिकारी होगा।[34] इसी अधिनियम की धारा 22 (2) में सहायक निर्वाचन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी की श्रेणी में आता है।[35]

पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा होती है। सामान्यतया एक निर्वाचन दल में एक पीठासीन अधिकारी तथा दो या तीन मतदान अधिकारी होते है। पीठासीन अधिकारी का कार्य मतदान केन्द्र पर स्वच्छ तथा स्वतंत्र निर्वाचन करना होता है।

इस प्रकार चुनाव सम्पन्न करवाने में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेकर पीठासीन अधिकारी तक एक कड़ी होती है। पीठासीन अधिकारी एवं समस्त अन्य मतदान अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पुलिस व्यवस्था हेतु पुलिस बल राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग को या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाते है।

जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा '13 क' के अर्न्तगत राज्य के प्रत्येक जिलों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर संसद और विधानसभा निर्वाचनों के संचालन, मतदान फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण एवं संसाधन से संबंधित समस्त कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करते है। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 508/राज/2008 दिनांक 12 मई, 2008 के द्वारा राज्य के सभी जिला कलक्टर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1965 में निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को स्वतंत्र एवं अपने कार्यों हेतु संवैधानिक बनाने का सुझाव दिया था। इस सिफारिश पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन किया गया। इस प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार जिले में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण तथा जन प्रतिनिधित्व कानुन 1951 के अनुसार जिले में सभी संसदीय एवं विधानसभा के चुनावों की देख–रेख समन्वय तथा आयोजन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

♦♦♦♦

संदर्भ सूची

1. जैन, डॉ. पुखराज तथा फड़िया बी. एल. :– भारतीय शासन एवं राजनीति (पृष्ठ–740)
2. इनरी बेरूबारी यूनियन :– ए.आई.आर. 1960, ए. सी. 845
3. गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब :– ए.आई.आर. 1967, ए. सी. 1643
4. 42 वां संविधान संशोधन, 1976 द्वारा समाविष्ट किए गए है।
5. पाण्डे, जयनारायण :– भारत का संविधान (संविधान की उद्देशिका, पृष्ठ–33)
6. बनर्जी, ए. सी. :– इंडियन कॉन्स्टीट्यूशनल डोक्यूमेन्टेसन भाग–2 पेज 85
7. पायली, एम. बी. :– कॉन्स्टीट्यूशनल गर्वमेन्ट इन इंडिया (बॉम्बे, एशिया, 1971 पृष्ठ–80)
8. पायली, एम. बी. :– कॉन्स्टीट्यूशनल गर्वमेन्ट इन इंडिया (बॉम्बे, एशिया, 1971 पृष्ठ–83)
9. पट्टामिसिता रमैया :– द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस खण्ड 11, पृष्ठ–360
10. कॉन्स्टीट्यूशनल एसेम्बली डिवेट्स खण्ड 3 पृष्ठ–529
11. रंजन, राजीव :– चुनाव लोकसभा और राजनीति (ज्ञानगंगा प्रकाशन दिल्ली)
12. एस. पी. पेनुस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी :– ए.आई.आर. 1952 सु. को. 64
13. सिंह महावीर :– भारत का संविधान
14. भाषा का संविधान :– अनुच्छेद, 324
15. सदिक अली बनाम निर्वाचक आयोग :– ए.आई.आर. 1972, एस. सी. 187
16. ए. सी. जोंस बनाम सिवरन पिल्लई :– ए.आई.आर. 1984, 2, एस. सी. के. 656
17. ए.आई.आर. 1977, सु. को. 2155
18. मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त : ए.आई.आर. 1978, सु. को. 851
19. आल पार्टिज हिल लीडर्स बनाम संगमा :– ए.आई.आर. 1977
20. ए.आई.आर. 1968, आन्ध्र प्रदेश, 218

21. भारत का संविधान :– अनुच्छेद, 324

22. एन. पी. पोनुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नमकल :– ए.आई.आर. 1952, सु. को. 64

23. ए.आई.आर. 1979, मध्यप्रदेश

24. भारत का संविधान :– अनुच्छेद, 324 (1)

25. शर्मा, अशोक :– भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन (अ.वि.अ. जयपुर 1984) पृष्ठ–33

26. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–9

27. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–10

28. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–12

29. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–13

30. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–14

31. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–16

32. शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–17

33. भारतीय संविधान :– अनुच्छेद 327 व 328

34. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 :– धारा 21

35. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 :– धारा 22

तृतीय अध्याय

भारत की निर्वाचन प्रक्रिया

अध्याय तृतीय

भारत की निर्वाचन प्रक्रिया

वयस्क मताधिकार पर आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण करने वाले निर्वाचनों की व्यवस्था तथा प्रक्रिया की स्थिति जानना आवश्यक है क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया जिसमें निर्वाचन स्थानों का निर्धारण करने से लेकर निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रिया का तरीका बहुत हद तक यह स्पष्ट करता है कि अमुक देश का संविधान तथा जनता किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण की इच्छा रखते हैं।

''लोकतंत्र का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उन सभी विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्र के अंग होते हैं।'' – महात्मा गाँधी

लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन एवं किसी अंश तक उन पर नियंत्रण रखते हैं। चुनाव नागरिकों को न्यूनतम राजनीतिक सहभागिता भी प्रदान करते हैं।

चुनावों अथवा शासितों के नियंत्रण के अभाव में शासक मनमाने ढंग से कार्य करने लगते हैं। आनुभाविक अध्ययनों द्वारा हमें यह पता चलता है कि राजनीतिज्ञों का व्यवहार चुनावों द्वारा प्रभावित होता है।[1]

निर्वाचन प्रक्रिया से अभिप्राय, संविधान में इंगित निश्चित अवधि के बाद विभिन्न पदों एवं संस्थाओं के लिए होने वाले चुनावों की, आरम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में समूचा निर्वाचन तन्त्र व्यस्त हो जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया की प्रकृति वस्तुतः भारतीय संविधान के इस प्रावधान द्वारा निर्धारित हुई है कि लोकसभा एवं राज्यों की प्रत्येक विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।[2] संविधान ने भारत के हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह राष्ट्र के नीति निर्माताओं का निर्वाचन स्वयं कर सके। भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की प्रकृति को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अलावा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 तथा राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा संसद ने निर्वाचन व्यवस्था नियम, 1961, निर्वाचन के पंजीयन का निर्वाचन नियम, 1960, संसदीय (अयोग्यता सम्बन्धी) अधिनियम, 1959, परिसीमन अधिनियम, 1972 एवं 2002 तथा

संघ शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963, आदि प्रमुख नियमों–अधिनियमों द्वारा निर्वाचन आयोजना को अधिक व्यवस्थित एवं सुचारु बनाने का प्रयास किया है। सामान्यतः निर्वाचन की पूर्व आयोजना में निम्न बातें प्रमुख होती हैं –

चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण

संविधान के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा तथा विधान परिषद के कुछ स्थानों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। संसद एवं विधान मण्डल के सीटों का निर्धारण संविधान के अंतर्गत कई अनुच्छेदों में निहित है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा तथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के निर्माण की बात निहित है। अनुच्छेद 80(क) तथा (ब) राज्यसभा में 250 सीटों से अनधिक तथा अनुच्छेद 81(क) तथा (ख) लोकसभा में 550 सीटों से अनधिक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 331 में आंग्ल–भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्यों का नाम निर्देशित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। इसके साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनुसूची में राज्यवार विभिन्न स्थानों का निर्धारण किया गया है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

अनुच्छेद 327 संसद को निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में कानून बनाने हेतु अधिकृत करता है। संविधान में यह प्रावधान है –

''प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो।''[3]

''प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।''[4]

इसी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख राज्य विधानसभाओं के बारे में है।[5] अनुच्छेद 81(2)(क) के उपबन्ध के अनुसार, ''किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के

प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना से अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं।''[6]

''परन्तु इस खण्ड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिनके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की गणना के प्रति निर्देश है।''[7]

भारत की निर्वाचन व्यवस्था में निम्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है।[7क]

- लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों वास्ते बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र को 'संसदीय निर्वाचन क्षेत्र' कहा जाता है।
- विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वास्ते बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र को 'विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' कहा जाता है।
- वे राज्य जिनमें विधान परिषद अस्तित्व में हे, निर्वाचन क्षेत्रों को 'विधान परिषदीय निर्वाचन क्षेत्र' कहा जाता है, जो निम्न निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करती हैं –
  (अ) नगरपालिका एवं जिला बोर्ड के सदस्य,
  (आ) वे व्यक्ति जो सम्बन्धित राज्य में रहते हों एवं कम से कम तीन वर्ष स्नातक की अर्हताएँ प्राप्त हों,
  (इ) व्यक्ति जो राज्य में कम से कम तीन वर्षों से शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य करते हों।

निर्वाचन क्षेत्र का आकार

संविधान में निर्वाचन क्षेत्रों में समानता का प्रयास किया है किन्तु निर्वाचकों की संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अलग–अलग निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 81(1) के आधार पर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम 5,00,000 तथा अधिकतम 7,50,000 (5 लाख – 7 लाख) जनसंख्या पर बनाया जाता है, जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु अधिकतम 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने का प्रावधान है किन्तु अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 500 से अनधिक तथा 60 से अन्यून होगी। विधान परिषद् के निर्वाचनों हेतु कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा।

भारत में जनसंख्या वृद्धि निरन्तर जारी है, उसी अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी अपेक्षित है।

मतदाता सूचियों की तैयारी, नवीनीकरण, संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन

निर्वाचन की मुख्य प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व मतदाता सूचियों के संशोधन, नवीनीकरण, उनके मुद्रण तथा प्रकाशन का कार्य भी आवश्यक वैधानिक शर्त है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि संसद के किसी भी सदन अथवा राज्यों के विधान मण्डल के किसी भी सदन के निर्वाचन के लिए, एक ही निर्वाचक नामावली होगी। इस नामावली में नाम शामिल करने की प्रक्रिया में धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।[8] निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारे निर्वाचन तन्त्र को दिया गया है। अमेरिका जैसे कुछ अन्य जनतांत्रिक राष्ट्रों की तरह भारत में निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करना व्यक्ति का, स्वयं का दायित्व न होकर, केन्द्रीय सरकार एवं निर्वाचन–तन्त्र का दायित्व माना गया है।[9]

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा राज्य निर्वाचन तंत्र के नियन्ता 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' को राज्य की सीमा में निर्वाचन नामावलियों के संशोधन, नवीनीकरण, मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए, निर्वाचन आयोग के निर्देशन में रहते हुए उत्तरदायी माना गया है। इस तरह राज्य का निर्वाचन तंत्र निर्वाचन के कुछ माह पूर्व इस कार्य के आरम्भ के साथ ही सक्रिय हो जाता है, इसकी पूर्ति के अभाव में निर्वाचन की यथार्थ एवं औपचारिक प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो सकती। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन तंत्र का यह दायित्व है कि निर्वाचन नामावलियों को अद्यतन बनाने एवं संशोधन करने के लिए एक बार उन्हें प्रकाशित कर, आम जनता की सूचना एवं अवलोकनार्थ सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाये और एक निश्चित अवधि में नागरिकों से उस पर आपत्तियाँ माँगी जाए। किन्हीं लोगों का नाम नामावली में न आ सके हों, या गलत छप गए हों या नागरिक उन सूचियों में गलत नामों का विवरण पाएं तो ऐसी स्थिति में निश्चित अवधि में अधिकृत अधिकारियों के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। राज्य निर्वाचन तंत्र निर्वाचक नामावलियों को इन्हीं प्राप्त आपत्तियों के पश्चात अंतिम रूप देकर उन्हें प्रकाशित करता है।[10]

सभी राज्यों के निर्वाचन तंत्र प्रायः सभी नये निर्वाचनों के पूर्व मतदाता सूची को संशोधित करते रहे हैं, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनके नए नाम जोड़े जाने, स्वर्गवासी अथवा प्रवासी लोगों के नाम निर्वाचक नामावली से हटाए जाने की प्रक्रिया

एक अत्यन्त जटिल कार्य है, जिसे हमारे तंत्र ने प्रायः कुशलतापूर्वक संचालित किया है, यद्यपि अनेक बार निर्वाचक नामावली में से नामों के गायब होने की शिकायत भी मिलती रही है। इन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 18 में यह व्यवस्था की गई है कि एक मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। निर्वाचक नामावली की भाषा तथा प्रपत्र को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयार किया जाएगा। वस्तुतः निर्वाचन प्रक्रिया नामावलियों के संशोधन आदि के बाद ही औपचारिक रूप से प्रारम्भ होती है।

मतदान हेतु आवश्यक प्रबंध करना

निर्वाचन व्यवस्था हेतु प्रबन्ध किए जाने वास्ते निम्न प्रमुख स्थितियाँ होती हैं –

(अ) **मतदान केन्द्र** – सामान्य भाषा में इसे मतदान बूथ भी कहा जाता है किन्तु दोनों पर्याय नहीं है क्योंकि एक ही मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदान बूथ हो सकते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी मतदान केन्द्र स्थापित करते हैं। राज्य में मतदान केन्द्रों की स्थापना की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की होती है जो निर्वाचन आयोग के गत अनुमानों के आधार पर आवश्यक संख्या में मतदान केन्द्रों की स्थापना करता है।[11]

निर्वाचक नामावलियाँ मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती है। मतदान केन्द्र भी प्रायः स्थायी आधार पर स्थापित किये जाते हैं जिनके अन्तर्गत सुपरिनिश्चित मतदान क्षेत्र आते हैं। उनमें परिवर्तन तभी आवश्यक होगा जब किसी विशिष्ट मतदान–क्षेत्र में निर्वाचकों की असामान्य वृद्धि हो जाये। सामान्यतः यह आवश्यक है कि मतदान केन्द्रों की सूचियों का अनुमोदन आयोग द्वारा पहले करा लिया जाये।

मतदान केन्द्र के वास्तविक स्तर का चयन करते समय यह देखा जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो सामान्यतया मतदान केन्द्र का न्यूनतम क्षेत्रफल यथा साध्य 20 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिससे मतदान केन्द्र के भीतर भीड़–भाड़ न हो पाए। निर्वाचन आयोग का यह निर्देश है कि मतदान केन्द्रों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाये कि साधारणतया किसी मतदाता को अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए दो किलो मीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।

जहाँ तक सम्भव हो मतदान केन्द्रों को स्कूलों (राजकीय या सहायता प्राप्त) और अन्य सरकारी या अर्द्ध–सरकारी संस्थाओं में स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आवश्यक फर्नीचर ओर उपकरण उपलब्ध हो जायेंगे और राज्य सरकार के

किसी अतिरिक्त खर्च के बिना ही उनका उपयोग किया जा सकता है। निजी भवनों या परिसरों में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जाने चाहिए, किन्तु जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य हो जाए वहाँ भवनों के लिए समुचित रूप से अधियाचना की जानी चाहिए और लिखित रूप से स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार अधियाचित निजी भवन मतदान शुरू होने के 24 घण्टे पहले से लेकर मतदान के लिए अपेक्षित अवधि तक के लिए रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में रहना चाहिए। मतदान केन्द्र में और उसके चारों ओर के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में राज्य–पुलिस की होगी। नाम–निर्देशन–पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि भवन का स्वामी उस निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थी से सहानुभूति रखने वाला परिचित जन या कार्यकर्ता न हो।[12]

निर्वाचन आयोग का यह सुस्पष्ट निर्देश है कि कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थानों, चिकित्सालयों, मंदिरों या धार्मिक महत्व वाले स्थानों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।[13] कमजोर वर्गों के लिए भी पृथक से उनकी बस्तियों में निर्वाचकों की संख्या को ध्यान में रखे बिना भी मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।[14]

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका सम्पूर्ण या अधिकांश भाग उसके अधिकारिता में आता हो, पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करें।[15] वह मतदान केन्द्रों के प्रारूप का समय रहते हुए प्रकाशन करवाता है और यदि किसी मतदान केन्द्र भवन का नाम परिवर्तित हो गया हो तो वह राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों आदि को ऐसे परिवर्तन के बारे में लिखित सूचना देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रतियाँ भी उपलब्ध कराता है। वह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की मांग करें, खुले तौर पर सशुल्क प्रदान कर सकता है। साथ ही वह इस सूची की प्रति पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक को भी प्रदान करता है।[16]

(ब) **मतदान दल** – प्रत्येक मतदान दल में निम्नांकित सदस्य होते हैं –

1. पीठासीन अधिकारी – एक

2. मतदान दल अधिकारी – तीन

3. पुलिस अधिकारी (सिपाही दो) (1200 से अधिक मतदाता होने पर एक और अधिकारी)

इस प्रकार छः सदस्यों का एक मतदान दल होता है, जिसकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में सहायता के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र स्थल पर एक स्थानीय सम्पर्क अधिकारी सहायता करता है। ये स्थानीय सम्पर्क अधिकारी प्रायः स्थानीय ग्राम–सेवक, पटवारी या अध्यापक आदि होते हैं, जो दल की सहायता करते हैं।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 के उपबन्धों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों/कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। संघ–राज्य क्षेत्रों में ऐसी नियुक्तियाँ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है। जब निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से यह तय करना होता है कि मतदान के लिए कर्मचारी–वृंद कौन नियुक्त करेगा।[17]

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 में जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं.12) द्वारा संशोधित किया गया है। उक्त यथा संशोधन धारा 159 के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी प्रार्थना किये जाने पर कि, निम्नलिखित प्राधिकारी किसी भी रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करायेंगे, जैसा निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो –

(i) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण,

(ii) प्रत्येक विश्वविद्यालय जो केन्द्र, प्रान्त या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या नियमित हो,

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी,

(iv) कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम जो केन्द्र, प्रान्त या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो या जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्णतः या सारतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा नियन्त्रित या वित्तपोषित हों।

विधि के उपयुक्त संशोधन की दृष्टि से उपर्युक्त प्राधिकरणों, कम्पनियों, संस्थाओं, समुत्थान या उपक्रम में से किसी के भी कर्मचारी वृंद को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ–साथ निर्वाचन कार्य के लिए तलब किया और लगाया जा सकता है।

(स) **निर्वाचन सामग्री** – संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन अब तक मतपत्रों और मतपेटियों की परम्परागत पद्धति के अधीन किये जाते रहे हैं। लेकिन 2004 के आम निर्वाचन से सम्पूर्ण देश में निर्वाचनों में पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का प्रयोग होने लग गया, जबकि इससे पूर्व आंशिक रूप से ही इसका प्रयोग किया गया था। अतः निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (मतदान मशीन) की व्यवस्था की जाती है जिससे पूर्ण रूप से मतदान हो सके।

(द) **पर्यवेक्षक की नियुक्ति** – 1977 से आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने लगा है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के उच्च अधिकारी तथा राज्य के उच्च न्यायिक सेवा के लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। सभी पर्यवेक्षकों को सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र की सूची, उनको प्रदर्शित करने वाला नक्शा तथा रास्तों की प्रति तथा आयोग के विभिन्न निर्देशों की प्रति दी जाती है। पर्यवेक्षक अपना प्रतिवेदन केवल एवं सीधे निर्वाचन आयोग को भेजता है।

(य) **वाहन, भवन–भूमि अधिग्रहण तथा परिवहन सुविधा** – सभी मतदान दलों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के पश्चात् वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकार है कि वह जिले में चल रहे वाहनों का निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहण कर सके।

इसी अधिनियम की धारा 160 के अनुसार राज्य सरकार मतदान की पूर्व योजना हेतु लिखित रूप में वाहन, भवन–भूमि, जानवर तथा गाड़ी आदि का निश्चित समय हेतु अधिग्रहण कर सकता है इसके लिए नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।[18] अथवा उस जगह के आधार पर उन्हें किराया अथवा दल मुआवजा के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।[19]

इन सभी शर्तों के पश्चात ही निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारम्भ हो सकती है।

निर्वाचन प्रक्रिया

वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण हेतु होने वाले निर्वाचनों की व्यवस्था तथा प्रक्रिया की स्थिति को जानना आवश्यक है क्योंकि निर्वाचन की प्रारम्भिक जिसमें नामांकन पत्र के दाखिले से लेकर निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रिया का तरीका बहुत हद तक यह स्पष्ट करता है कि अमुक देश का संविधान तथा जनता किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण की चाह रखते हैं। सामान्यतः भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को प्रमुख रूप से निम्न बिन्दुओं में उद्घाटित किया जा सकता है –

1. निर्वाचन अधिसूचना की प्रक्रिया
2. नाम निर्देशन/नामांकन प्रक्रिया
3. प्रत्याशी की योग्यता – अयोग्यता
4. मतदान
5. मतगणना
6. निर्वाचन के परिणामों की घोषणा और प्रकाशन।

यह व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया को व्यावहारिकता प्रदान करती है जिसको निम्न प्रकार से प्रतिबिम्बित किया जा सकता है।

निर्वाचन अधिसूचना की प्रक्रिया

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत राष्ट्रपति, वर्तमान किसी सदन का कार्यकाल पूरे होने तक उसके भंग होने पर नये निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी करते हैं।[20] इस पर निर्वाचन आयोग संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अनुसूची प्रकाशित करता है, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि/तिथियाँ निर्धारित करता है। आयोग द्वारा सुझायी गई तिथियाँ भारत के या सम्बन्धित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होती है। इसी प्रकार राज्य में चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में तिथियों के निर्धारण के कुछ विशेष प्रावधान भी हैं जैसे नामांकन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया निर्वाचन अधिसूचना के प्रकाशित होने के सात दिन बाद प्रारम्भ होनी चाहिए। नामांकन प्रपत्र की जांच का कार्य नामांकन प्रपत्र भरने की तिथि के तुरन्त बाद के दिन में होगा। नाम वापिस लेने की तिथि, उम्मीदवार के नामांकन प्रपत्रों की जाँच के दूसरे दिन तक की होगी। यह भी आवश्यक है कि मतदान की तिथि तथा उम्मीदवार द्वारा नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि के बीच 12 दिन का अन्तराल होना चाहिए। इसी

प्रकार का प्रावधान राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचन हेतु है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1) के तहत विधान सभा के आम चुनाव अथवा उप चुनाव में यही प्रक्रिया रहेगी इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र के स्थान पर राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होती है। संक्षिप्त में जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी प्रकार के निर्वाचन हेतु लागू होती है।[21]

निर्वाचन तिथियाँ निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी आम सूचना जारी करते हैं। जो कि नामांकन पत्र में अवश्य ही वर्णित होती है। इस सूचना का उद्देश्य नामांकन हेतु प्रत्याशियों को आमंत्रित करना होता है। आम सूचना अंग्रेजी में तथा राज्य की उस भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए जिसमें निर्वाचन नामावलियां छपी हुई है। यह प्रावधान संसदीय तथा विधान मंडल दोनों के निर्वाचनों में लागू होती है।

मतदान तिथि बढ़ाना अथवा परिवर्तित करना

आयोग कुछ मतदान केन्द्रों पर हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा तथा भ्रष्ट आचरण जैसी विरोध परिस्थितियों में मतदान हेतु नई तिथि निर्धारित करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, 153 के तहत आयोग उचित कारणों के आधार पर पूर्व घोषित निर्वाचन की समाप्ति की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। इस अधिसूचना की धारा 30 से 39 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में मतदान की नवीन तिथियों का उल्लेख करना आवश्यक है।

नाम निर्देशन

लोकसभा के आम निर्वाचन की दशा में भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अधीन ऐसी तारीख जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाये, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे नये सदन के गठन के प्रयोजनार्थ सदस्य निर्वाचित करें। इसी प्रकार किसी राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की दशा में, राज्य के राज्यपाल, ''लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन ऐसी तारीख जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए'', करेंगे, तथा राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा नई विधानसभा के गठन के प्रयोजनार्थ राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेंगे कि वे सदस्य निर्वाचित करें। जिस तारीख को निर्वाचन की उपर्युक्त अधिसूचना निकाली जाये उसी तारीख को निर्वाचन आयोग निर्वाचन के विभिन्न

प्रक्रमों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 30 के अधीन शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना निकालेगा। ऐसी अधिसूचना निकाले जाने के तुरन्त पश्चात रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 3 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 के अधीन निर्वाचन की लोक सूचना निकालेंगे। लोक सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ सहायक रिटर्निंग आफिसर/आफिसरों के नाम विनिर्दिष्ट करेंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर के अतिरिक्त नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। तथा वह स्थान भी जहाँ नाम निर्देशन पत्र लिए जायेंगे निर्दिष्ट होना चाहिए।

नाम निर्देशन के लिए प्रस्तावकों की संख्या

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संशोधित धारा 33 के अधीन किसी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।

1. प्रस्ताव के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचन के, यदि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजकीय/राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया है।
2. प्रस्ताव के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचकों के यदि अभ्यर्थी किसी रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है या निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति जो संविधान अथवा संघ शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम, 1963 के तहत योग्यता रखता हो, उम्मीदवार हेतु नामांकन प्रपत्र भर सकता है।

उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन प्रपत्र में अपना नाम तथा निर्वाचन सूची के क्रमांक का उल्लेख करना होता है। आरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ जिस स्थान से सम्बन्ध रखते हैं के बारे में घोषणा पत्र भी भरना होगा। उम्मीदवार को नामांकन पत्र (प्रपत्र 2(ए) से 2(ई)) के साथ राजकोष की रसीद अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रसीद को लगाना होता है जो कि जमानत की राशि जमा करवाने का सबूत होती है। इसके अतिरिक्त नामांकन पत्र में निर्वाचन चिन्ह की पसंदगी तथा निर्वाचन अभिकर्ता के बारे में भी घोषणा करनी होती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, 34(1) के अनुसार जमानत राशि संसदीय निर्वाचन तथा विधानसभा चुनाव हेतु क्रमशः 10,000, 5,000 होगी, किन्तु अनुसूचित जाति तथा जनजाति अभ्यर्थियों हेतु क्रमशः 5,000 तथा 2,500 होगी। एक व्यक्ति (मतदाता) चाहे वह संसदीय या विधानसभा हों, एक से

अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ सकता है, किन्तु उसे अधिकारित गजट में, परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर एक को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर से त्यागपत्र देना होगा।[22]

नामांकन पत्रों की संवीक्षा

नामांकन पत्रों को प्राप्त करने के उपरान्त रिटर्निंग अधिकारी उनकी संक्षिप्ततः किन्तु निर्णायक संवीक्षा (जाँच) करनी होती है। रिटर्निंग अधिकारी को निम्न आधार पर नामांकन पत्र के अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(1) उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191 के अन्तर्गत स्थान भरने योग्य नहीं है अथवा इस आधार पर कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 या 34 के उपबन्धों में से किसी का अन्तर्वन करने में असफलता हुई है। अथवा इस आधार पर कि नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी का या प्रस्तावक का हस्ताक्षर असली नहीं है। रिटर्निंग अधिकारी प्राविधिक त्रुटि, जो सारवान नहीं हैं, के आधार पर नामांकन पत्र को खारिज नहीं कर सकता है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. गुप्ता बनाम प्रसाद के मुकदमें में दिए गए निर्णय के अनुसार है।[23]

(2) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार यदि निर्वाचन नामावनी में नाम होने की प्रमाणित प्रतिलिपी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की है तो उसका आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।

रिटर्निंग अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के पश्चात विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36(8) के तहत उस सूची को सूचना पट्ट पर लगवाएगा तथापि यह आवश्यक नहीं है कि उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करवाए। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को पहचान पत्र भी जारी किए जाते हैं।

अभ्यर्थिता वापस लेना

कोई भी उम्मीदवार अपनी अभ्यर्थिता ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा। स्वयं उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और रिटर्निंग अधिकारी को या तो स्वयं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा या ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो ऐसे अभ्यार्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन नियत दिन को अपरान्ह तीन बजे से पहले परिदत्त कर दी जाएगी।

निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन हेतु निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को अधिकार प्रदान किये गये हैं। आयोग राष्ट्रीय एवं सम्बन्धित राज्य में राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को वही निर्वाचन प्रतीक आवंटित करता है जो उसने पूर्व में ही प्रदान किये थे। इस प्रकार के प्रतीकों को आरक्षित प्रतीक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी अथवा निर्दलीय उम्मीदवार को निर्वाचन के दौरान आयोग द्वारा मुक्त प्रतीक के अन्तर्गत निर्धारित प्रतीकों में से किसी एक का चयन करना होता है। यदि किसी एक ही प्रतीक को एक से ज्यादा निर्दलियों द्वारा मांगा जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी लॉटरी के माध्यम से उन्हें प्रतीक आवंटन करता है।

निर्विरोध निर्वाचन

यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही अभ्यर्थी है तो अभ्यर्थिता वापिस लेने का अन्तिम समय बीत जाने के तुरन्त बाद उस अभ्यर्थी को सम्यकरूप से निर्वाचित अभ्यर्थी घोषित कर देना चाहिए। ऐसे मामले में मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन के परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन प्रारुप 21 या प्रारुप 21(ख) में इनमें जो भी उपयुक्त हों में की जाएगी।[24]

उम्मीदवार की मृत्यु का प्रभाव

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 के अनुसार यदि वह अभ्यर्थी, जिसका नामांकन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है और जिसने धारा 37 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, उसकी मृत्यु हो जाती है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के धारा 38 के अधीन प्रकाशन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्योदिष्ट कर देगा और इस तथ्य की जानकारी निर्वाचन आयोग को और समुचित प्राधिकारियों को भी करेंगे। उस क्षेत्र के निर्वाचन के बारे में सभी कार्यवाहियाँ नए सिरे से होंगी।

अभ्यर्थी की योग्यता – अयोग्यताएँ

संसद अथवा विधान मण्डल के निर्वाचन में किसी व्यक्ति के खड़े होने का प्रावधान हमारे संविधान में सुस्पष्ट है। वर्तमान में एक अभ्यर्थी की निर्वाचन में खड़े होने की निम्न अर्हताएँ हैं –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 व 102 में संसद की सदस्यता हेतु, तथा अनुच्छेद 173 व 191 में राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने के लिए सदस्यों की अर्हता व निर्हता का वर्णन किया गया है जो निम्न प्रकार से है –

(1) वह भारत का नागरिक हो,

(2) राज्यसभा तथा विधान परिषद् हेतु कम से कम 30 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है,

(3) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ ले ली हो,

(4) वह ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो इस संबंध में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा विहित की जाएं। उदाहरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(5) अभ्यर्थी को संसदीय निर्वाचन हेतु जम्मू–कश्मीर सहित किसी भी सामान्य संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है।

सदस्यों की निरर्हताएं

अनुच्छेद 102 व 191 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति, संसद सदस्य या विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने के लिए अनर्ह है यदि वह व्यक्ति–

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है;

(2) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विधमान है;

(3) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(4) भारत का नागरिक नहीं हो या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर चुका है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किए हुए है;

(5) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अनर्ह घोषित कर दिया जाता है।[25]

संसद द्वारा लोक–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अर्न्तगत सदस्य चुने जाने हेतु आवश्यक अर्हताओं और निरर्हताओं का उल्लेख किया गया है। जो इस प्रकार है –

(1) किसी चुनाव में भ्रष्टाचार,

(2) किसी अपराध में दोष सिद्धि के फलस्वरूप दो या दो से अधिक वर्षों के कारावास का दण्ड;

(3) चुनाव का हिसाब पेश करने में विफलता;

(4) माल की आपूर्ति की संविदा में हित या अंश;

(5) किसी निगम में, जिसमें सरकार 25 प्रतिशत अंश रखती हो, लाभ का पद धारण;

(6) भ्रष्टाचार या सरकार के प्रति गैर वफादारी के आधार पर बर्खास्तगी के कारण।

दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा अनुच्छेद 122 में एक नया खण्ड (2) जोड़ा गया है इसी प्रकार विधान मण्डलों हेतु अनुच्छेद 191(2) में खण्ड (2) जोड़कर यह उपबंधित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची में उल्लेखित किसी निर्रहरता को प्राप्त कर लेता है तो सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दसवीं अनुसूची के अनुसार संसद और विधानसभाओं के सदस्य जो किसी राजनीति दल का सदस्य है, की सदस्यता निम्न परिस्थितियाँ में समाप्त हों जाएगी।[26]

(1) यदि वह राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है; या

(2) यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में मतदान करता है या नहीं करता है जिसे 15 दिन भीतर माफ नहीं कर दिया गया है,

(3) यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल सम्मिलित हो जाता है, या

(4) यदि कोई नामजद सदस्य शपथ लेने की तारीख से 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

अपवाद – निम्नलिखित परिस्थितियों में दल परिवर्तन निरर्हता नहीं होगा और सदन की सदस्यता समाप्त नहीं होगी।

(1) यदि दल के विभाजन के फलस्वरूप 1/3 सदस्य सदस्यता छोड़ दे।

(2) यदि मूल राजनीतिक दल का अन्य दल में विलय हो जाए और उसे विधान दल के 1/3 सदस्य स्वीकृति दे दें।

(3) यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं।

सम्बन्धित सदन के पीठासीन अधिकारी इस अनुसूची के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनायेंगे और प्रक्रिया विहित करेंगे। इन नियमों को सदन द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा।

न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता सम्बन्धी प्रश्नों पर सदन के पीठासीन अधिकारी निर्णय लेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। किसी भी न्यायालय को इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिता नहीं होगी। ऐसे सभी प्रश्न अनुच्छेद 122 और 212 के अर्थ में सदन की कार्यवाहियाँ होंगे और उनकी विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अयोग्यताएँ

उम्मीदवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ग) एवं 171(ड) के तहत अथवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125/135 या 136(2)(क) के तहत अपराधी नहीं होनी चाहिए।[27]

अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षित स्थान हेतु

अभ्यार्थियों के लिए उपरोक्त वर्णित योग्यताओं व अयोग्यताओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में चुनाव लड़ने हेतु न केवल उन जातियों का होना आवश्यक है बल्कि उस अथवा उक्त जिलों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन भी होना चाहिए।[28]

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

1. साधारण आचरण

(i) किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें।

(ii) जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जो ऐसे आरोपों

पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़–मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।

(iii) मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहाँ से वापस लाना।

(v) सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघनरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरुद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए।

(vi) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये।

(vii) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि से बाधाएं उत्पन्न न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रुप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा

सभाएँ की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

2. सभाएं

(i) दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने तथा शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें।

(ii) दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहाँ सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनकी कड़ाई के साथ पालना किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(iii) यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले से ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(iv) किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करें।

3. जुलूस

(i) जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा।

(ii) आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें।

(iii) आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिए कि जिन क्षेत्रों से होकर जुलूस जाना है, उनमें कोई निर्बन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाए, उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये।

(iv) आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस निकालना संभव हो सके।

(v) जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके उन्हें सड़क की बायीं ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।

(vi) यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है, तो आयोजकों को चाहिये कि वे समय के काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे।

(vii) जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में, जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है, राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये।

(viii) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

4. मतदान दिवस

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान शान्तिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से हो, और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

(ii) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।

(iii) इस बात से सहमत हों कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक अभ्यार्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

(iv) मतदान के दिन और उसके पूर्व के 24 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

(v) राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकठ्ठी न होने दें, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पाये।

(vi) यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों। उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जाये और भीड़ न लगाई जाये।

(vii) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे इसे लगा दें जिससे ये साफ–साफ दिखाई देते रहें।

5. मतदान केन्द्र

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

6. प्रेक्षक

निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त करता है यदि निर्वाचकों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

7. सत्ताधारी

सत्ताधारी दल को, चाहे वे केन्द्र में हो या संबंधित राज्य या राज्यों में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभिमान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है और विशेष रूप से –

(i) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से संबंधित प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाए, ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(iii) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुज्ञा देगा, किन्तु कोई दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का इसके साथ संलग्न परिसरों सहित प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचक प्रोपागेंडा के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, सरकारी जन माध्यमों का दुरुपयोग ईमानदारी से बिल्कुल बन्द होना चाहिये, जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ दिखाई गई हों।

(v) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं, वैवेकिक निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(vi) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं –

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे; अथवा

(ख) (लोक सेवकों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधारशिलाएँ आदि नहीं रखेंगे, या

(ग) सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे आदि, या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये। जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

(vii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोड़कर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

मतदान

मतदान, निर्वाचन प्रक्रिया की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। लोकतंत्र में यह मतदान ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अभ्यर्थी के बारे में अपनी–अपनी पसन्द अभिव्यक्ति करते हैं। मतदान के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता निर्वाचन को दूषित कर सकती है। अतः मतदान का संचालन सर्वथा विधि और विहित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। यदि मतदान कराने के कार्य हेतु उचित रूप से योजना बनाई गई है और योजना के अनुसार आवश्यक प्रबन्ध पहले से ही कर लिये गये हों, तो सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सामान्यतया शान्तिपूर्वक सम्पन्न होगा।

नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा करके वैध पाये गए उम्मीदवारों की सूची (नाम वापिस लेने की तारीख के बाद) जारी करने के बाद मतदान की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लोकसभा निर्वाचन हेतु लिखने योग्य चिकना मक्खनियाँ सफेद कागज तथा विधानसभा निर्वाचन हेतु गुलाबी कागज काम में लिया जाता है। मतपत्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में कड़ी सुरक्षा–व्यवस्था में राजकीय मुद्रण प्रेस में छपता है।

संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन अब तक मतपत्रों और मतपेटियों की परम्परागत पद्धति से किए जाते हैं परन्तु अब यह चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंगमशीन के द्वारा होने लगे हैं। भारत में पहली बार ई.वी.एम. का इस्तेमाल 1982 में किया था लेकिन कानूनी दाव पेच में उलझने के कारण इनके वैधानिक तौर पर इस्तेमाल का रास्ता सन् 1989 में साफ हो पाया। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान प्रबन्धों को अन्तिम रूप निम्न बिन्दुओं के आधार पर दिया जाता है –

(1) रिटर्निंग अधिकारी को अपने क्षेत्र में निर्वाचन करने हेतु मतदान केन्द्रों के अनुरूप समुचित मात्रा में मतदान मशीनों, बैलेट बॉक्स व बैलेट पेपर इत्यादि को तैयार करवाना।

(2) समस्त मतदान सामग्री, सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों और ऐसी अन्य सामग्री का प्रबन्ध करना।

(3) हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों व पुलिस को नियुक्ति करना।

मतदान का संचालन प्रमुखतः रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त, मतदान दल जिसमें लगभग 3 मतदान अधिकारी होते है, द्वारा किया जाता है। मतदान में पूर्ण निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता लाने हेतु मतदान अधिकारी जिनके मतदान दल का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है वह अभ्यार्थियों द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के समक्ष मतदान के दिन मतदान व उसकी पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति मतदान कार्मिक व पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति व मतदान के बारे में विस्तृत विवेचन नीचे किया जा रहा है।

मतदान कार्मिक

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 के उपबन्धों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों वर्ग की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं।

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 को हाल ही में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, (1998 का अधिनियम सं.12) द्वारा संशोधित किया गया है उक्त यथा संशोधित धारा 159 के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार से प्रार्थना किए जाने पर रिटर्निंग आफिसर को उतने प्राधिकारी व कर्मचारी वृन्द उपलब्ध कराऐंगे, जितने कि निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

विधि के उपर्युक्त संशोधन की दृष्टि से स्थानीय प्राधिकरणों, कम्पनियों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, समुत्थान या उपक्रम में से किसी के भी कर्मचारी वृन्द को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ–साथ निर्वाचन कार्य के लिए तलब किया और लगाया जा सकता है।

महिला मतदान कर्मी

मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को लगाते समय महिला मतदान कर्मियों की उपलब्धता की जाँच कर, कम से कम एक महिला मतदान अधिकारी, जो महिला मतदाताओं की पहचान के कार्य को सम्पादित कर सके, की नियुक्ति की जा सकेगी।

पीठासीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने की अपेक्षा की जाती है। जहाँ तक संभव हो वह राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए या ऐसा न होने पर वह ऐसा कर्मचारी होना चाहिए जो कम से कम पर्यवेक्षक की हैसियत से कार्य कर रहा हो जहाँ तक सम्भव हो उसे उसी परिक्षेत्र के मतदान केन्द्र पर कार्य करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए जहाँ पर वह रहता है। मतदान दलों की संख्या, मतदान केन्द्रों के बराबर होनी चाहिए। सामान्यतः एक दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी होंगे।

अनारक्षित मतदान कार्मिक

निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदान केन्द्रों पर आपत्तिक स्थिति से निपटने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की एक आरक्षित सूची भी बना ली जाए तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर निर्वाचन कार्य हेतु तैनात रखना चाहिए, ताकि मुख्य मतदान दल के सदस्यों की अनुपस्थिति में उन्हें लगाया जा सकें।

मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 द्वारा यह अपेक्षित है कि प्रत्येक मतदान अभिकर्ता मतदान की गोपनीयता को बनाये रखें और उसे उसमें सहायता करें और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित न करें। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। पीठासीन अधिकारी को उपर्युक्त धारा 128 के उपबन्धों से सभी उपस्थित व्यक्तियों को अवगत करा देना चाहिए।[29]

मतदान का प्रारम्भ

पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करवाये जाते हैं यदि समय के पूर्व सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाती है। यदि

दुर्भाग्यवश या विवशता के कारण यह नियत समय पर मतदान प्रारम्भ कराने की स्थिति में नहीं है, तो मतदान के समय को बढ़ाने का कोई प्राधिकार नहीं है और मतदान नियत समापन समय पर बंद कर दिया जाता है सिवाय इसके कि जो मतदाता, मतदान समाप्ति के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित है, उन्हें मत देने की अनुज्ञा दी जाती है मतदान कुछ अधिक समय के लिये जारी रहे।

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करने दिया जाये –

पीठासीन अधिकारी केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करने की अनुमति देता है –

(क) निर्वाचक

(ख) मतदान अधिकारी

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी उसका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक समय में एक मतदान अभिकर्ता

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

(ङ) ऐसे लोक सेवक, जो ड्यूटी पर हों

(च) निर्वाचक के साथ गोदवाला बालक

(छ) किसी अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल फिर न सकता हो, के साथ वाला व्यक्ति

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिये या मतदान करवाने में उसका समय–समय पर अन्यथा सहयोग हेतु प्रवेश करने दें।

निर्वाचन द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

(1) मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन – ऐसे प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेगा। उसे मतदान प्रक्रिया का पालन कड़ाई से करना चाहिए।

(2) मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार – (क) यदि कोई निर्वाचक, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो वह ऐसे निर्वाचक को, निर्वाचनों का संचालन नियम 1161 ..... के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करना चाहिए। यदि उस मतदाता को पहले से पर्ची दे दी गई है तो वह वापिस ले ली जाएगी।

(ख) किसी निर्वाचक को मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है वहाँ पीठासीन अधिकारों द्वारा, मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारुप 17(क)) में के अभ्युक्ति स्तम्भ में उस निर्वाचन से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने इस आशय की एक अभ्युक्ति की जायेगी कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है। पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेंगे। तथापि, मतदाताओं के रजिस्टर में के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचन या किसी उत्तरवर्त्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।[30]

अन्धे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अन्धत्व या अन्य शारीरिक शिथिलता के कारण, कोई मतदाता सहायता के बिना मतपत्र या मशीन पर प्रतीक चिन्हों को पहचानने में या बटन दबाने/चुनाव चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो, उस निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत रिकार्ड करने के लिए 18 वर्ष से अन्यून किसी साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिए नियम 49ढ़ के अधीन अनुज्ञा दे देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तथा उस साथी को यह भी घोषणा करनी होती है कि वह रिकार्ड किए गए मत की गोपनीयता रखेगा तथा उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।[31]

निविदत्त मत (Tender Vote)

ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो यह कहता है कि वह ऐसा निर्वाचक है जिसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो, ऐसी स्थिति में यदि पीठासीन अधिकारी का आवश्यक पूछताछ के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वास्तविक मतदाता है, तो पीठासीन अधिकारी उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। इस प्रयोजन के लिए पीठासीन ऑफिसर निविदत्त मतों की सूची में (निर्वाचन संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्रारुप–15) आवश्यक प्रविष्टि करते हैं और उसमें मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करते है। ऐसे मतदाता को मतदान के उपयोग के लिए साधारण मत पत्र दिया जाएगा, जो उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दिए गए मतपत्रों के बंडल में से अंतिम क्रम संख्यांक का मतपत्र होगा और ऐसे प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर

पीठासीन अधिकारी द्वारा 'निविदत्त मतपत्र' शब्द लिखे जायेंगे। तब मतदाता, मतदान कोष्ट में ऐसे निविदत्त मतपत्र पर मत अंकित करके उसे मोड़ देगा, उसके पश्चात उस निविदत्त मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा, बल्कि पीठासीन अधिकारी उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में अलग से रखेगा।

मतदान बंद करना

पीठासीन ऑफिसर मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देंगे और उसके बाद किसी भी निर्वाचक को केन्द्र के अन्दर नहीं आने देना चाहिए। किन्तु मतदान केन्द्र के बंद किए जाने से पूर्व जो निर्वाचक मतदान केन्द्र में उपस्थित हैं उन्हें अपने मत डालने की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे इस कार्य के लिए मतदान की विनिर्दिष्ट समापन समय के बाद भी जारी रखना पड़े। इस प्रयोजन के लिए पीठासीन अधिकारी सभी ऐसे मतदाताओं को जो पंक्ति में खड़े है और निर्धारित समापन समय पर मतदान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हस्ताक्षरित पर्चियाँ देगा।

इस प्रकार मतदान की समयावधि समाप्त होने के बाद मतदान केन्द्र के सदस्य सभी ई.वी.एम. या मतपेटियों को अभिकर्ताओं की उपस्थिति ने सील बंद कर लेंगे। इसके पश्चात पीठासीन ऑफिसर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 45 के उपबंध के अनुसार मतदान के बंद होने के बाद मतपत्र लेखा विहित प्रारूप के अनुसार तैयार करके तथा उसकी प्रमाणित प्रति रसीद प्राप्त कर प्रत्येक अभिकर्ता को देगा। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद करके आयोग के अनुदेशों के अनुसार निर्वाचन से संबंधित सभी कागज पत्रों को पृथक पैकेटों में मुद्रा बंद कर लेंगे और मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता भी उन लिफाफों और पैकेटों पर पीठासीन अधिकारी की मुद्रा के अतिरिक्त अपनी मुद्रा लगा सकते हैं।

इस प्रकार मतदान समाप्त कर मतदान दल उनको आवंटित वाहनों से आवंटित मार्ग द्वारा मत पेटियो/ई.वी.एम. व अन्य सामग्री को मत संग्रहण केन्द्र पर जहाँ मत गणना होनी है और ऐसा पूर्व में ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। समस्त सामग्री जमा करा देते है तथा कार्यमुक्त हो जाते है।

डाक मतपत्र

डाक द्वारा मत देने के हकदार मतदाताओं की सूची निम्न प्रकार है–

(क) सेवानियोजित मतदाता – संघ के सशस्त्र बल, विशेष पुलिस बल, तथा विदेश में कार्य करने वाले भारत सरकार के कर्मचारी यथा राजदूत।

(ख) विशेष मतदाता – 'विशेष मतदाता' से ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा पद धारण करता है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबन्धों का लागू होना घोषित किया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) व (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की पत्नियाँ।

(घ) निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचक – ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निवारक निरोध में रखे गये हैं।

(ङ) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता – मतदान कार्य में लगे हुए मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी कर्मचारीगण।

(च) अधिसूचित मतदाता – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा, 60 के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग का हो।

उक्त व्यक्ति डाक द्वारा मत देने के अधिकारी होंगे परन्तु यह और कि –

1. राजनयिक अधिकारियों के साथ भारत से जाने वाले घरेलू सेवक डाकमत पत्र से मतदान करने की रियायत के अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार भारत सरकार के कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियां जो अपने माता–पिता के साथ विदेश में रहते हैं इस रियायत के हकदार नहीं होते हैं।

2. डाकमत पत्र की सुविधा उन ड्राईवरों, हैल्परों और क्लीनरों को, उन्हें निर्वाचन ड्यूटी पर के, मतदाता मानते हुए दी जा सकेगी, जो वास्तव में निर्वाचन प्रयोजना के लिए अधिग्रहित यानों को चलाने के लिए नियोजित हैं।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन शब्द 'पत्नी' से पत्नी अभिप्रेत है और इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसी महिला का पति भी आता है जो उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई पद धारण करती है।[32]

मतगणना

उपरोक्त प्रक्रिया के तहत डाले गए मतों की गणना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्व निश्चित स्थानों पर कराई जाती है जहाँ पर मतपेटियाँ या मतदान मशीन सुरक्षित रखवाई गई

थी। यह कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सम्पन्न कराया जाता है तथा यह उसी दिनांक को सम्पन्न होता है जो तिथि चुनाव अधिसूचना में नियत की जाती है।

मतदान की परम्परागत प्रणाली के अधीन मतपत्रों तथा मतपेटियों के माध्यम से मतगणना एक बहुत ही जटिल, श्रम साध्य तथा समय खपाने वाली प्रक्रिया है। किसी भी निर्वाचन में डाले गए हर एक मत पत्र की विधि मान्यता का ऐसे प्रत्येक मतपत्र की उचित संवीक्षा और परीक्षा के पश्चात विनिश्चय करना पड़ता है। मतदान मशीन (ई.वी.एम.) का प्रयोग करने से इस प्रकार के विवाद पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। किसी मतदाता द्वारा मतदान मशीन के माध्यम से डाले गए हर मत को मतदान मशीन सही तरह से रिकार्ड करती है और इस प्रकार डाले गए हर मत का अभ्यर्थीवार सही–सही तथा अद्यतन लेखा रखती है। इस प्रकार मतदान मशीन द्वारा मतगणना की प्रक्रिया बहुत ही सरल, सहज और त्वरित हो गयी है।

मतगणना हेतु व्यवस्था

मतगणना हेतु कितनी मेजों की आवश्यकता होगी यह रिटर्निंग ऑफिसर को पहले ही विनिश्चय करके तद्नुरुप गणना पर्यवेक्षकों और गणना सहायकों की नियुक्ति कर लेनी चाहिए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को उतनी ही संख्या में गणना अभिकर्ता (ब्वनदजपदह ।हमदज) नियुक्त करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए जितनी कि गणना मेजे हैं और उसे एक और एजेंट की नियुक्ति की अनुज्ञा दी जानी चाहिए जो रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर मतगणना देख सके। सभी मतगणना ऐजेंटों की सूची प्रत्येक अभ्यर्थी से मय फोटो के मतगणना से तीन दिन पहले सायं पांच बजे तक प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा गणना अभिकर्ताओं को बिल्ले दे देने चाहिए।

गणना कार्मिकों की नियुक्ति

मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में जहाँ तक संभव हो केवल केन्द्र या राज्य के राजपत्रिक अधिकारियों या राज्य/केन्द्र के उपक्रमों के समतुल्य अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार गणना सहायकों को भी अपेक्षाकृत उच्च स्तर के अधिकारियों में से लिया जाना चाहिए तथा उन्हें गणना कार्य में गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक गणना टेबल पर एक–एक पर्यवेक्षक तथा सहायक होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें गणना हाल में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है –

गणना हाल के अन्दर निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है –

(i) गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक,

(ii) निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति,

(iii) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, और

(iv) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता।

यदि हॉल के अन्दर कानून व्यवस्था की आवश्यकता न पड़े तो पुलिस अधिकारी वर्दी में हो या सादा वस्त्रों में हॉल के अन्दर नहीं आना चाहिए क्योंकि पद निर्वाचकों के संबंध में कर्तव्यारुढ़ लोकसेवक की परिभाषा में पुलिस अधिकारी नहीं आते है इसी प्रकार राज्य/केन्द्र के मंत्री भी इस श्रेणी में नहीं आते यदि वे अभ्यर्थी हों, तो ही प्रवेश कर सकते है।

अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु रिटर्निंग अधिकारी केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेशों से ही आबद्ध होते हैं। इन्हें अपने उच्चाधिकारियों या राजनेताओं जिनमें मंत्री भी शामिल है से आदेश नहीं लेना चाहिए न कोई पक्षपात करना चाहिए और न ही मतगणना हॉल में इन्हें प्रवेश देना चाहिए जब तक कि इनके पास आयोग द्वारा जारी विधिमान्य प्राधिकार पत्र ना हो।

गणना का प्रारम्भ

गोपनीयता बनाये रखने की चेतावनी – मतगणना, नियत समय पर प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध जो कि मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के सम्बन्ध में है, को जोर से पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में लाये जाने चाहिए।

अन्तिम परिणाम पत्र को पूरा करना

1. किसी भी विधानसभा की मतगणना के बाद अन्तिम परिणाम पत्र प्ररुप 20 के भाग–प्रथम में ही तैयार करना चाहिए। उस भाग में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा डाक द्वारा प्राप्त मतों की संख्या की प्रविष्टि भी करनी चाहिए।
2. इसी प्रकार कुल प्राप्त निविदत्त मतों का योग होना चाहिए। इस प्रकार कुल योग का सही–सही आंकलन कर लेना चाहिए।

तथा प्रारुप 20 में सम्यक रूप से पूर्ण किया गया अंतिम परिणाम पत्र भर दिया जाना चाहिए।

गणना का स्थगन

यदि किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने के पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पड़े तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज–पत्रों को सील बंद कर दे तथा प्रत्येक अभ्यर्थी या अभिकर्ता उन पर अपनी सील लगा सकते हैं। ये सीलें पुनः निर्णयानुसार, मतगणना के समय ही खोली जानी चाहिए।[33]

परिणामों की घोषणा और प्रकाशन

गणना कार्य सभी तरह पूर्ण होने के बाद निर्वाचन के परिणाम की प्रारूपिक घोषणा कर देनी चाहिए तथापि ऐसा करने से पूर्व यह समाधान कर लेना चाहिए कि कोई भी इस तरह का मामला ना हो जिसे आयोग को उसके निर्देशों के लिए निर्दिष्ट किया जाना हो और यह कि आयोग के संप्रेक्षकों की ओर से परिणाम को रोकने के लिए कोई साधारण या विशेष निर्देश न हो। यदि ऐसा है तो, सम्पूर्ण अपेक्षित सूचना देते हुए आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजकर परिणाम घोषित करने के पूर्व उसका अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

परिणाम की घोषणा

आयोग से आवश्यक निर्देश, जहाँ भी जरूरी हो प्राप्त कर लेने के बाद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्ररुप 20 को पूरा करके हस्ताक्षर करने होते हैं। उसके बाद उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित कर दे जिसने सर्वाधिक वैधमत प्राप्त किए हों। यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों ने समान मत (बराबर) प्राप्त किए हो तो उस निर्वाचन का परिणाम लॉटरी निकाल कर घोषित किया जाएगा।

परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद प्ररुप 21–ग या यथास्थिति, प्ररुप 21घ में परिणाम की घोषणा की प्रतियां निम्नलिखित को प्रेषित कर देनी चाहिए।

(i) निर्वाचन आयोग, (ii) राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (iii)(क) संघ विधि और न्यायमंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली (ख) लोक सभा का महासचिव नई दिल्ली या विधानसभा चुनाव हेतु –

(क) राज्य सरकार (ख) राज्य विधान सभा का सचिव। इसी प्रकार निर्वाचन, संचालन नियम 1961 के प्रारूप 21ड में निर्वाचन की विवरणी को प्रमाणित व हस्ताक्षरित करके (i) निर्वाचन आयुक्त तथा (ii) राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। ऐसी

विवरणी की प्रति 2 रूपये के शुल्क से किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को दी जा सकती है।

निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन

निर्वाचन के परिणाम की जैसे ही घोषणा कर दी जाए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसकी सूचना अविलम्ब फैक्स/टैलेक्स या तार द्वारा निम्नलिखित को दी जानी चाहिए।

(i) भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

(ii) निदेशक, समाचार सेवाएँ, आकाशवाणी, नई दिल्ली।

(iii) उस राज्य के मुख्यालय पर आकाशवाणी केन्द्र को।

(iv) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

(v) राज्य के मुख्यालय पर स्थिति दूरदर्शन केन्द्र।

(vi) सूचना अधिकारी, नई दिल्ली।

(vii) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय को (लोकसभा के निर्वाचन के संबंध में) तथा राज्य सरकार (राज्य विधानसभा के चुनाव के संबंध में)

(viii) सचिव, लोकसभा नई दिल्ली या सचिव, राज्य विधानसभा।

(ix) राज्य के मुख्य निर्वाचन, अधिकारी को।

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

जैसे ही कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी को प्रारुप 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र दे देंगे और उस अभ्यर्थी से उसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर लेने होंगे तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। तत्पश्चात, उस अभिस्वीकृति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा लोकसभा या राज्य विधानसभा के सचिव को तुरन्त भेज दी जानी चाहिए। यह अभिस्वीकृति निम्न प्रारूप में होगी।[34]

''मैं ..... (अभ्यर्थी का नाम) ..... निर्वाचन क्षेत्र से .... के लिए तारीख ..... को घोषित अपने निर्वाचन के विषय में प्रारुप–22 में निर्वाचन के प्रमाण–पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करता हूँ।''

(निर्वाचित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख .....

अनुप्रमाणित और सचिव, ... को अग्रेषित

मूल्यांकन

उपरोक्त प्रकार से नामांकन भरने की प्रक्रिया से लेकर परिणाम घोषित होने तक की चुनाव संचालन तथा प्रक्रिया का वर्णन मैंने बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रतिपादित किया है। हालांकि यह प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में ही है परन्तु फिर भी मतदान से संबंधित समस्त पहलुओं यथा किसी निर्वाचक द्वारा मतदान करने से लेकर परिणाम घोषित करने व विजेता को प्रमाण–पत्र देकर रसीद प्राप्त किए जाने के बीच की समस्त प्रक्रिया जिसमें मतदान दलों के गठन, मतदान अभिकर्ता उसकी नियुक्ति तथा कर्तव्य, नाम निर्देशन एवं उसकी संवीक्षा करना, अभ्यार्थियों की योग्यताओं व अयोग्यताओं के संबंध में वर्णन तथा सम्बन्धित विधि व नियमों सहित भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ तथा जनप्रतिनिधित्व कानूनों के हवाले के साथ वर्णीत की गई है, इसी प्रकार मतदान की तैयारी, मतदान प्रारम्भ करना, मतदान के दिन की सम्पूर्ण कार्यवाही इत्यादि का सटिक विवेचन किया गया है।

चुनाव आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग के जटिल कानूनों एवं नियमों का समावेश इस अध्याय में किया गया है। इस विवेचन के द्वारा आम व्यक्तियों, अभ्यार्थियों तथा राजनैतिक दलों के सदस्यों को लाभ पहुँच सके ऐसा प्रयास अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव आये दिन होते रहते हैं तथा प्रायः प्रत्येक नागरिक निर्वाचन जैसे जाल में जकड़ा हुआ है अतः उन्हें निर्वाचन संबंधि ज्ञान इस शोध के माध्यम से दिए जाने से शोध की उपादेयता में वृद्धि ही होगी।

मतदान प्रक्रिया द्वारा जनप्रतिनिधियों के चयन का कार्य एक राष्ट्रीय महत्व का कर्तव्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारियों का यह पावन दायित्व बनता है कि उक्त जटिल प्रक्रिया में राज्य सरकार व चुनाव आयोग की यथा संभावित मदद करें ताकि यह चुनाव निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होकर एक प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हो सके। ताकि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार में, मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एक लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना कर सकें।

♦♦♦♦

संदर्भ सूची

1. जे.एम. डब्ल्यू मैकेन्जी, 'इलेक्शन' इन डेविड शील्स (सम्पादित), वाल्यूम 5, पृष्ठ
2. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 326
3. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 81(2)(क)
4. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 81(2)(ख)
5. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 170(2)
6. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 81(3)
7. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 81(3)

7क. गहलोत, एन.एस. : इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1992, पृ. 67

8. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325
9. पामर, नार्मन डी. : इलेक्शन्स एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेन्ट, दी साउथ एशियन एम्पीरियेंस, नई दिल्ली, 1976, पृ. 112
10. शर्मा, अशोक : भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन, जयपुर, अनुसंधान व विशद् अध्ययन संस्थान, 1984, पृ. 80–81
11. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 25.
12. रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका 2003, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित, पृ. 13.
13. रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका 2003, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित, पृ. 13.
14. रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका 2003, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित, पृ. 14.
15. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 25.
16. रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका 2003, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित, पृ. 17.
17. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 26.
18. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 161.
19. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 161(1)

20. जन प्रतिनिधित्व की धारा 15.

21. गहलोत, एन.एस., इलेक्शन एण्ड इलैक्ट्रोरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया (नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप, 1992), पृ.104.

22. भल्ला, आर.पी., इलेक्शन इन इण्डिया (दिल्ली एस. चांद एण्ड कम्पनी, 1973), पृ.178.

23. हेगड़े, के.एस., इलेक्ट्रोरल रिफार्मस (पॉलिटिकल बिल, पृ.122)

24. रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए पुस्तिका, निर्वाचन सदन भारत निर्वाचन आयोग, 1998.

25. पाण्डे, जयनारायण, भारत का संविधान (पृ. 167, 168 एवं 436)

26. पाण्डे, जयनारायण, भारत का संविधान (पृ. 168, 368, एवं 436)

27. निर्वाचनों का संचालन नियम–3.

28. श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम शिवशंकर प्रसाद यादव के मुकदमें का निर्णय।

29. मतदान अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका : भारत निर्वाचन आयोग, 1999 (निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा प्रसारित)

30. पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका : भारत निर्वाचन आयोग, 2003 अध्याय–18, पृ.43.

31. पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका : भारत निर्वाचन आयोग, 2003 अध्याय–19, पृ.44.

32. रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए पुस्तिका : निर्वाचन सदन भारत निर्वाचन आयोग, 1998, अध्याय 10, पृ.102–104.

33. रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए पुस्तिका : निर्वाचन सदन भारत निर्वाचन आयोग, 1998, अध्याय 14, पृ.199–231.

34. रिटर्निंग ऑफिसर के लिए पुस्तिका, निर्वाचन सदन भारत निर्वाचन आयोग, 1998, अध्याय 15, पृ.232–239.

चतुर्थ अध्याय

चुनाव सुधार के प्रयास एवं सुझाव

अध्याय चतुर्थ

चुनाव सुधार के प्रयास एवं सुझाव

लोकतंत्र और निर्वाचन में अनिवार्य अन्योन्याश्रित स्थिति महत्वपूर्ण रही है। किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग सरकार के निर्माण एवं परिवर्तन का प्रमुख तत्व है। भारत में अब तक लोकसभा के 17 महानिर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्य सभा एवं विधान परिषदो के द्वि–वार्षिक निर्वाचनों, राज्य विधान सभाओं के अनेक निर्वाचन एवं लोकसभा तथा विधानसभा के लगभग कई उप–निर्वाचन संपन्न हो चुके है। पिछले वर्षों में भारत वर्ष में निर्वाचन तंत्र से अनेक निर्वाचनों का सशक्त आयोजन किया है, किन्तु इस क्रम में प्रक्रिया में अनेक कमियाँ एवं विकृतियां भी परिलक्षित हुई है।

निर्वाचन व्यवस्था के सम्मुख चुनौतियाँ

निर्वाचन प्रक्रिया में परिलक्षित होने वाली विकृतियों के अनेक संदर्भ प्रभाव की दृष्टि से इतने गंभीर है कि निर्वाचन प्रक्रिया पर उनका अनुचित प्रभाव निर्वाचन व्यवस्था की सार्थकता को ही संदिग्ध बना सकता है निर्वाचन प्रक्रिया की विकृतियों की गंभीरता का अनुभव निर्वाचन तन्त्र से सम्बद्ध उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा भी किया गया है।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एन. शेषन की इस सम्बन्ध मे दी गई टिप्पणी महत्वपूर्ण है। आज देश में मूलभूत भ्रष्टाचार निर्वाचन है। वह पूरी तरह कैश, करप्शन, क्रिमिनलिटी अर्थात् धनबल, भ्रष्टाचार और अपराधिकता पर आधारित है।[1]

निर्वाचन प्रक्रिया में विगत वर्षों में परिलक्षित हुई विकृतियों में मुख्यतः भुजबल के हस्तक्षेप, सत्ता तथा धन के दूषित प्रभाव की गणना की जाती है। प्रस्तुत अध्याय में भारतीय निर्वाचन प्रणाली में विगत वर्षों में परिलक्षित हुई विकृतियों के प्रमुख संदर्भों का विवेचन अपेक्षित है–

1. राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण का इतिहास नया नहीं है। देश के अधिकांश शीर्षस्थ राजनेताओं द्वारा राजनीति के बढ़ते हुए हस्तक्षेप व राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया के

सम्बन्ध में चिन्ताएँ व्यक्त की गई किन्तु यह दुःखद विडम्बना है कि राजनीति के अपराधीकरण के प्रति राजनेताओं की अभिव्यक्त चिन्ता के पश्चात् भी निर्वाचन राजनीति के मध्य इस तथ्य को राजनेता नजरअंदाज करते रहे है, और निर्वाचन में अपराधी तत्वों को अभ्यर्थी बनाने का आक्षेप न्यूनाधिक प्रायः सभी राजनीतिक दलों पर लगाया जाता है।

जो व्यक्ति क्षेत्रीय राजनीति में अपराधी राजनीति का पक्ष पोषण करते रहे हैं उन्होंने भय और आतंक के बल पर सदैव मत–राजनीति को निकट रूप में प्रभावित किया है। कालान्तर में उन्होने विजय प्राप्ति की लालसा से युक्त राष्ट्रीय नेताओं को भी निर्वाचन संघर्ष के लिए अपराधी तत्वों को दल का अभ्यर्थी बनाये जाने के लिए प्रेरित किया है। अन्ततः वे अपने इस षड्यन्त्र में सफल भी रहे है। भारतीय राजनीति का यह दुःखद तथ्य है कि राष्ट्रीय दलों के प्रभावी नेताओं व उनके प्रभावक समूहों को विजय प्राप्त करने की लिप्सा ने उन्हें निर्वाचन राजनीति में अपराध और अपराधियों के बढ़ते हुये प्रभाव व हस्तक्षेप को रागात्मक स्थिति के कारण, सहन करने की अपूर्व क्षमता प्रदान की है। परिणामतः ऐसे अपराधी तत्वों ने निर्वाचन में विजय प्राप्त करने के उपरान्त भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया के क्रम की निरन्तरता को बल प्रदान किया है।

ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते है, जिनमें यह तथ्य प्रमाणित रूप में देखने को मिलता है कि जिन व्यक्तियों पर अनेकानेक आपराधिक मुकदमें चल रहे थे उन्हें सत्तारूढ़ दल की राजनीति में अपनी भागीदारी को अधिक उपयुक्त माना है और अनेक मंत्रियों, संसद सदस्यों, विद्यायकों के कार्यक्षेत्र के परिवेश में रहना अपने लिए अनुकूल समझा है। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे सत्तारूढ़ दल के शक्तिशाली सदस्यों ने अपने वर्चस्व को बनाये रखने और निर्वाचन क्षेत्र में संघर्ष के समय अपनी विजय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपराधिक तत्वों के बल व उसके प्रयोग को अपने अनुकूल समझा है। इस प्रकार, अपनी अपनी स्वार्थ लिप्सा से ग्रस्त दोनों ही पक्षों ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की है। सत्ताधारी नेताओं की निर्बल आत्मशक्ति ने जहाँ एक ओर शूद्र राजनीति के नए आयामों को जन्म दिया है वहीं अपनी आपराधिक मानसिकता से भारतीय राजनीति को दूषित किया है।

सितम्बर, 1989 में दिल्ली में हुए एक सेमिनार में पं. कमलापति त्रिपाठी और विपक्ष के नेता चन्द्रशेखर, भारत के नेता अटलबिहारी वाजपेयी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नम्बूदरी

पाद और कृष्णकांत ने अपने भाषणों में जोर दिया कि राजनीति में अपराधी तत्वों के प्रवेश को रोका जाए।[2] अमेठी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए राजीव गांधी ने विपक्ष के कुछ नेताओं को हिस्ट्रशीटर कहा था।[3] किन्तु राजीव गांधी सरकार में पर्यावरण मंत्री, जिया–उल–रहमान अंसारी के विरूद्ध 1 अक्टुबर, 1989 को 29 वर्षीय मुक्ति दत्ता नामक युवती ने उन पर दुर्व्यवहार तथा बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाया, फिर भी उन्हें निर्वाचन संघर्ष हेतु अभ्यर्थी बनाया गया।[4]

काली पाण्डे जिसको एक अन्य कुख्यात अपराधी और अपने प्रतिद्वन्द्वी नगीनाराय पर बम फेंकने के कारण इन्दिरा कांग्रेस से निकाल दिया गया और पाण्डे गिरफ्तार भी हुआ था किन्तु पाण्डे को गोपालगंज (बिहार) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1989 में इन्दिरा कांग्रेस का अभ्यर्थी बनाया गया था। और इसी भांति बिहार में सहकारिता माफिया तपेश्वर सिंह, शंकर दयाल सिंह, रामलखन यादव आदि की उम्मीदवारी से कांग्रेस (इं) में माफिया वर्ग के सबल अस्तित्व का ज्ञान होता है। तपेश्वर सिंह के विरूद्ध उनके आपराधिक मामले दर्ज थे उन्हें विक्रमगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन संघर्ष कराया गया।[5]

ऐसा प्रतीत होता है कि साम,दाम, दण्ड, भेद से निर्वाचन सफलता प्राप्त करना आज अभ्यर्थी की अनिवार्य योग्यता बन गई है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जन–साधारण की मानसिकता बलवान बनाने की ओर प्रेरित हो रही है, वे ऐसे समूह और संगठनों के सदस्य बन रहे है व प्रयत्नशील रहते हैं जो नियोजित रूप में समाज में शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भय और आतंक स्थापित करके अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में दक्ष है।

2. निर्वाचन व्यय की समस्या

आज विश्व में धन शक्ति की उपयोगिता को प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए विश्व के अनेक देशों में धन शक्ति ने निर्वाचन स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारत में धनशक्ति से सम्पन्न लोगों ने राजनीति को अपनी सहचरी बनाकर रखा है, विशेषतः निर्वाचन राजनीति में धन के मर्यादाहीन प्रयोग ने निर्वाचन राजनीति को दूषित ही नहीं किया, अपितु गरीबी का निर्ममतापूर्वक उपहास भी किया है। इसमें लोकतंत्र की मूल आत्मा का निष्प्रभावी स्वरूप ही दृष्टिगोचर हुआ है।

भारतीय निर्वाचन का यह कटु सत्य है कि यहाँ निर्वाचन में धन का प्रयोग दो प्रकार से होता है और ये दोनों ही तरीके यहाँ की गरीब जनता पर एक मार है। ये दो रूप हैः–

1. एक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा किया गया व्यय, और

2. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संचालन में किया गया व्यय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय गणतंत्र में होने वाले प्रथम महानिर्वाचन में ही धन का प्रभाव स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर हो गया था किन्तु बाद के निर्वाचनों में इसका विकृत स्वरूप उत्तरोत्तर विस्तार प्राप्त करता रहा है। सन् 1971 में हुए महानिर्वाचन के समय से ऐसा आक्षेप है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस की ओर से गरीबी हटाओं का नारा देकर गरीब मतदाताओं को आकर्षित कर निर्वाचन संघर्ष में विजय प्राप्त की थी। किन्तु विरोधाभासपूर्ण विडम्बना यह थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर यह आक्षेप लगाया गया कि अकूल धन का व्यय करके इस निर्वाचन को अपने पक्ष में मोड़ा था।[6]

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथियाँ तय करने के बाद लोकसभा निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति एवं विधानसभा के लिए राज्यपाल अधिसूचनाएँ जारी करते है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात् नामांकन दाखिल करने, वापस लेने आदि की प्रक्रियाएँ प्रारम्भ हो जाती है। अकेली दसवीं लोकसभा की 537 सीटों के लिए ग्यारह हजार से अधिक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किये थे। नाम वापिस लेने के बाद 8953 अभ्यर्थी मैदान में थे। इनमें से अखिल भारतीय कांग्रेस ने 493, भारतीय जनता पार्टी ने 479, जनता दल ने 317, जनता पार्टी ने 361, सी.पी. आई ने 46, सी.पी आई. (एम) ने 65, कांग्रेस जद सोशलिस्ट (सिन्हा) ने 26, समाजवादी ने 5, लोकदल ने 77 अन्य दलों ने 1437 अभ्यार्थी मैदान में उतारे थे। निर्दलीय अभ्यर्थियों की संख्या 5646 थी। इन प्रत्याशियों के मतपत्र आदि छापने के लिए करीब 10 हजार टन कागज लगा था। अकेले स्टेशनरी की खरीद पर 20 करोड़ से अधिक रूपया खर्च हुआ था।[7]

इस खर्च में प्रत्याशियों द्वारा कानूनन अध्यापित एवं घोषित, और उसमें कई गुना अधिक अघोषित खर्च शामिल नहीं है। दल की ओर से भी अखिल भारतीय स्तर पर हर प्रकार के प्रचार पर महीनों पहले से किया गया व्यय, अभ्यर्थी के समर्थकों द्वारा अघोषित रूप में किया गया खर्च, इसमें शामिल नहीं है। औसतन एक संसदीय क्षेत्र में 5 से 7 विधानसभा क्षेत्र जुड़े होते है। यदि किसी संभावित रूप से जीत सकने वाले अभ्यर्थी को अपने प्रचार के

लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मात्र पांच वाहनों की ही आवश्यकता पड़े तो इन वाहनों की संख्या कम से कम 25 से 35 तक की होगी और औसतन विभिन्न मदों से प्रति वाहन 1500 से 2500 रूपये खर्च प्रतिदिन आता है। यदि अभ्यर्थी इन वाहनों का प्रयोग केवल 5 दिनों तक ही करता है तो पूरे खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है और यह खर्च से बहुत ही कम है। एक अनुमान के अनुसार बड़े–बड़े राजनीतिक दल या दल से अलग हुए विद्रोही अभ्यर्थी दो से तीन करोड़ रूपये प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए खर्च करते हैं। यदि बहुत काँटे का मुकाबला त्रिकोणात्मक हो तो 543 सीटों के लिए होने वाले संसदीय निर्वाचन के खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है।[8] सामान्यतया यह माना जाता है कि विधानसभा के निर्वाचन में आज 1 करोड़ रूपये और लोकसभा निर्वाचन में 3–4 करोड़ रूपये तो खर्च करने ही पड़ते है।[9] उपर्युक्त विवेचन केवल इस व्यय को इंगित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि निर्वाचन व्यय को कम करने के उद्देश्य से परिसीमित करने के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय की विधि सीमा ज्यादातर निरर्थक हो गई है।

अग्रांकित तालिका में, देश में अब तक हुए महानिर्वाचनों में हुए मूल व्यय का विवरण प्रदर्शित है–

4.1

लोकसभा निर्वाचन कितना खर्चीला[10]

लोकसभाओं का क्रम	वर्ष	रूपये (लगभग)
पहली लोकसभा	1952	10,45,00,000
दूसरी लोकसभा	1957	5,90,00,000
तीसरी लोकसभा	1962	7,32,00,000
चौथी लोकसभा	1967	10,79,69,000
पांचवी लोकसभा	1971	11,60,87,450
छठी लोकसभा	1977	23,03,68,000
सातवीं लोकसभा	1980	54,77,39,000
आठवीं लोकसभा	1984	81,51,34,000

नवीं लोकसभा	1989	1,54,22,00,000
दसवीं लोकसभा	1991	3,59,10,24,679
ग्यारहवीं लोकसभा	1996	5,97,34,41,000
बारहवीं लोकसभा	1998	6,66,22,16,000
तेरहवीं लोकसभा	1999	947,68,31,000
चौदहवीं लोकसभा	2004	1,016,08,69,000
पन्द्रहवीं लोकसभा	2009	1,114,38,45,...
सोलहवीं लोकसभा	2014	3,87,034,56,024
सत्रहवीं लोकसभा	2019	70,000 करोड़

कुल मिलाकर प्रत्येक राजनीति दल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धनशक्ति के निर्लज्ज व्यवहार में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है। विस्मयकारक तो यह है कि अनेक क्षेत्रीय प्रभाव वाले दलों के प्रत्याशियों में से भी कई टिकट प्राप्त करने में धन शक्ति का सहारा लेते है।

प्रारम्भ से ही देश के बड़े औद्योगिक घरानों और राजा–महाराजाओं के परिवारों ने भारतीय गणतंत्र की राजनीति को अपना अनुचर बनाए रखने के लिए निरन्तर कठिन श्रम किया। विभिन्न कोणों से धनराशि के द्वारा भारतीय राजनीति पर किए जाने वाले प्रहारों ने धन–बल और सत्ता को प्रभावशाली रूप में एक–दूसरे के नजदीक ला दिया है। इस प्रकार निर्वाचन राजनीति में धन के प्रभावी उपयोग ने भारतीय राजनीति को निकट रूप से नियन्त्रित किया है। निर्वाचन अभियान के मध्य गरीब जनता को उनके हित के लिए दिए जाने वाले आश्वासनों को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जहाँ एक ओर नकारा है, वहीं लाइसेंस जारी करने में मनमानी, आयात और निर्यात पर नियन्त्रण की व्यवस्था तथा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से धन के प्रभाव को स्वीकारते हुए सम्पन्न लोगों को लाभ पहुंचाने का ही काम किया है।

विभिन्न पूँजीपतियों, उद्योगपतियों तथा कम्पनियों ने अपने हित साधने वाली पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार सामग्री, वाहनों की महत्वपूर्ण व्यवस्था, श्रेष्ठ निर्वाचन प्रबन्ध लोगों को उनकी वासनात्मक अनुरक्तियों के अनुरूप शराब व अन्य मादक पदार्थ तथा विलास की

सामग्रियां रिश्वत के रूप में प्रदान करने जैसे आपत्तिजनक व्यवहार किए जाते है। यही कारण है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, तारकुण्डे समिति, संसद की संयुक्त प्रवर समिति व अन्य अनेक राजनीतिक दलों व उनके प्रतिष्ठित नेताओं के द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्वाचन सुधार सम्बन्धी अनेक सुझाव और की गई सिफारिशें, कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकी है। क्योंकि निर्वाचन संघर्ष में येन–केन प्रकारेण सफलता प्राप्त कर लेने की राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की प्रवृति के कारण आचार संहिताओं के निर्माणकर्ताओं व शीर्षस्थ राजनेताओं के द्वारा भी उनका उल्लंघन किया जाता है। वस्तुतः निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित करने, कम्पनियों के द्वारा निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को दिए जाने वाले धन पर रोक लगाए जाने तथा आचार संहिता में निर्वाचन पर किए जाने वाले व्यय के निरोधक उपलब्धों की कालदयिक उपादेयता सीमित हो जाती है।

यह टिप्पणी की जा सकती है कि निर्वाचन राजनीति में धन के अनियन्त्रित और विकृत व्यवहार को रोके बिना देश की राजनीतिक व्यवस्था से साधनहीन लोगों के पक्ष में रचनात्मक हितकारी कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती।

3. निर्वाचन राजनीति एवं सार्वजनिक घूस

भारतीय राजनीति में जनता के एक वर्ग को सार्वजनिक अनुचित लाभ पहुंचाने की प्रवृति विगत कुछ वर्षों से उद्‌भुत हुई है। यद्यपि पं. जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल तक यह प्रवृत्ति विकृत स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी थी किन्तु राजनीतिक उद्देश्य व लाभ प्राप्ति की लालसात्मक दृष्प्रवृति ने इसे भारतीय राजनीति का दुःखद तत्व बना दिया है।

प्रभावशाली एवं सत्तारूढ़ दल के प्रभावी नेतृत्व ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में असन्तुलित एवं अनियमित विकास का क्रम चलाया है। इसने अन्य नेताओं में प्रतिस्पर्धा को भयंकर रूप में उत्पन्न किया है। निर्वाचन अभियान के मध्य राजनीतिज्ञों के द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास का जो स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है और विकास के जो आंकड़े दिए जाते हैं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार विकास जारी रखने के वायदे किए जाते हैं उनसे जनता में एक विशिष्ट प्रकार की रोगात्मक मनोवृति जागृत होती है और वे अपने मताधिकार के उपयोग में निष्पक्षता नहीं बनाये रख पाते है – इससे विपक्षी दल का श्रेष्ठ अभ्यर्थी भी मात खा जाता है। इस प्रकार सत्तारूढ़ दल की यह सार्वजनिक घूस की प्रवृति जन मानस को विकृत मनःस्थिति के लिए अभिप्रेरित करती है।

इस भांति किये जाने वाले विकास कार्यों से निम्नलिखित प्रमुख दोष उत्पन्न होते है या जिनकी भविष्य में होने की आशंका से बचा जाना संभव नहीं जान पड़ता हैः–

1. देश के विकास की स्थिति असन्तुलित होगी, प्रभावशाली नेताओं में अपने–अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जायेगी, जिससे देश के नियोजन का संतुलन बिगड़ेगा।
2. राजनीतिक दल के नेताओं में परस्पर एक–दूसरे से अधिक अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अनैतिक उपायों को अपनाने की संभावनाएँ बढ़ेगी।
3. अन्य क्षेत्रों के विकास की आशाएँ धूमिल होगी और अविकसित क्षेत्रों में असन्तोष बढ़ेगा।
4. ईमानदार अभ्यर्थी का निर्वाचन राजनीति में कोई स्थान नहीं रह जायेगा।
5. सत्तारूढ़ दल के विरूद्व विपक्ष की स्थिति नगण्य हो जायेगी।
6. कुल मिलाकर सत्तारूढ़ दल व उसके प्रभावशाली नेता मनमाना आचरण करने लगेगें।

सार्वजनिक घूस की एक अन्य दुष्प्वृति ने भी जन्म लिया है जिसके अन्तर्गत सत्ताधारी दल व सरकार जनता के द्वारा सरकार व बैंकों को लिए गए कर्ज की व्यापक माफी की घोषणा करने लगी है। लोकसभा निर्वाचन से पूर्व ग्रामीण निर्वाचकों को रूझाने के लिए कर्ज माफ कर दिये जाते है। इससे सार्वजनिक धन का अपव्यय हुआ है और लोगों में सरकारी ऋण व धन वापस करने की आदत में शिथिलता व लापरवाही आयी है। जनता में सार्वजनिक धन के उपयोग की मनोवृति में बेईमानी आयी है। इस प्रकार राजनीतिक अभिप्रेरणा से होने वाले सार्वजनिक धन के अपहरण को यदि तुरन्त नहीं रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था का ढाँचा बैठ जायेगा। राजनीतिज्ञों के द्वारा जनता को भ्रष्ट बनाकर अपने पक्ष में मतदान कराने की आपत्तिजनक प्रवृति को तुरन्त नहीं रोका गया तो आर्थिक लोकतंत्र का स्वप्न कभी भी साकार होने वाला नहीं है। सार्वजनिक घूस की यह प्रवृति भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक ही नहीं है अपतु इसे पतन के लिए भी उत्तरदायी प्रमाणित होगी।''[11]

4. हिंसा एवं जाली मतदान

प्रजातंत्र में जब तक निर्वाचकों को उनके मताधिकार के प्रयोग में स्वतंत्र इच्छाशक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक निर्वाचन निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। निर्वाचनों में बाहुबल और

हिंसा का प्रयोग, मतदान केन्द्रों पर कब्जा और जाली मतदान एक अत्यधिक गम्भीर त्रुटि और समस्या है और इसे सीमित करने के विविध उपाय किए जाने पर भी समय के बाहुबल और हिंसा के प्रयोग की सबसे अधिक प्रवृति को बिहार राज्य में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पं. बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा विविध महानगरों का झोपड़ पट्टी क्षेत्र आता है। हिंसा के प्रयोग से जुड़ी हुई ही एक अन्य स्थिति निर्वाचन में मादक पदार्थों की शक्ति का प्रयोग है।

5. निर्वाचन नामावलियों से सम्बन्धित त्रुटियाँ

प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व निर्वाचक नामावलियाँ सही और पूर्ण होना अति आवश्यक है। किन्तु हमारे यहाँ निर्वाचक नामावलियाँ में कई प्रकार की त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 में उल्लेखित है कि निर्वाचन नामावलियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो स्वयं एक भारी त्रुटि है, क्योंकि वर्तमान में निर्वाचन नामावलियों को सत्तारूढ़ दल एवं प्रभावशाली नेता अपने स्वार्थों के अनुरूप बनाने में लगे रहते है। स्वयं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एन.शेषन के शब्दों में निर्वाचक नामावलियों में कई दोष है। उन्हीं के अनुसार– 'मतदाता सूचियों में तमाम तरह की खामियाँ है। ऐसे भी लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पर वे मतदाता सूची में मौजूद है, और जो लोग जिन्दा है, उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। गलती से या संयोग से, कुछ लोगों के नाम अलग–अलग स्थानों की सूचियों में दर्ज है। देश में ऐसे भी हिस्से है, जहाँ लोगों के नाम जान–बूझकर मतदाता सूचियों से हटा दिये जाते है।[12]

'मतदाता सूचियों से आज तक षड्यंत्र के तहत नाम हटाए जा रहे है– यह षड्यंत्र अज्ञानता और जान–बूझकर नाम हटाने की योजना के बीच है।' 'आज पश्चिमी बंगाल से शुरू हुआ 'रिग्वेद' और राज्यों में भी पहुंच रहा है। मतदाता सूचियों से जान बूझकर नाम हटाये जा रहे है। कई लोग मुझसे आकर कहते है कि उनके नौकर का नाम तो मतदाता सूची में है, पर उनका नहीं। यह बेहद समाजवादी तरीके से किया गया काम हैं। दिल्ली में जिन नामों को छोड़ दिया गया, उनमें ऐसे बड़े नाम भी शामिल है जैसे विश्वनाथ प्रतापसिंह और चन्द्रशेखर।[13]

कई बार निर्वाचक नामावलियों में मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियां भी समस्या पैदा करती है, मसलन स्त्री के स्थान पर पुरुष छपना, आयु गलत अंकित होना इत्यादि। इन त्रुटियों के कारण भी मतदाता मतदान से वंचित रह जाता है।

6. मत और परिणाम के मध्य असंतुलन

भारतीय निर्वाचनों का नियमन करने वाले जन प्रतिनिधित्व अधिनियमो (1950 और 1951) की इस आधार पर गंभीर आलोचना की जाती रही हैं कि इनके द्वारा स्थापित निर्वाचन पद्धति में सर्वाधिक मत पाने वाला अभ्यर्थी विजयी घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसे उस क्षेत्र में डाले गए मतों के 50 प्रतिशत से कम ही मत मिले हो। कुछ राजनीतिक समीक्षकों का यह आरोप है कि इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि उस क्षेत्र के बहुमत द्वारा समर्पित नहीं होता है।[14]

यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों और उन्हें सीटों में कोई साम्य नहीं होता।[15]

4.2

वर्ष	भाजपा		कांग्रेस	
	प्राप्त स्थान	प्राप्त मतों का स्थान	प्राप्त स्थान	प्राप्त मतों का स्थान
1989	85	11.36	197	39.53
1991	120	20.04	244	35.66
1996	161	20.29	140	28.80
1998	182	25.59	141	25.82
1999	182	23.75	114	28.30
2004	138	22.16	145	26.63
2009	116	18.8	206	28.6
2014	267	31.0	44	19.3
2019	303	37.43	52	19.51

इससे यह स्पष्ट होता है कि देश की प्रतिनिधि सरकार वस्तुतः जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। प्रायः अल्पमत से सत्ता प्राप्त दल, पराजित बहुमत पर शासन करता रहा हैं, समीक्षकों ने इस स्थिति को स्वस्थ लोकतंत्र के प्रतिमानों के प्रतिकूल माना है।

इसके विकल्प के रूप में प्रायः निर्वाचन की वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित कर स्पष्ट बहुमत प्रणाली (अर्थात् 50 प्रतिशत + 1), आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सूची प्रणाली अपनाने की चर्चा की जाती रही है। अनेक बार वर्तमान संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाने के लिए भी प्रत्यक्ष प्रच्छन्न वातावरण बनाया जाता रहा है। यह सब इसीलिए चिन्तन का विषय बनता है कि हमारी वर्तमान शासन प्रणाली में निर्वाचन की पद्धति सच्चे प्रतिनिधित्व को प्रतिष्ठित नहीं करती।

7. उदासीन अभ्यर्थियों की समस्या

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें असंख्य छोटे–छाटे दलों को भी मान्यता मिल जाती है जो निर्वाचन के प्रति प्रायः उदासीन रहते है। ऐसी स्थिति में वे दल एवं इसी प्रकार के निर्दलीय निर्वाचन प्रशासन के लिए भारी सिरदर्द बन जाते हैं। वे निर्वाचनों को एक मजाक बनकर रख देते हैं। निर्दलीय की पिछले कुछ निर्वाचनों में लगातार संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ती जा रही है। जबकि उन्हें प्राप्त मत घटते जा रहे हैं।

इन उदासीन अभ्यार्थियों की विशाल संख्या स्वयं निर्वाचक को भी निर्वाचन में परेशानी डाल देती है। क्योंकि एक ही स्थान से अधिक संख्या में प्रत्याशियों के जुड़े होने पर मतपत्र भी बड़े आकार का बनता है। इतना ही नहीं स्वयं इनकी सुरक्षा व्यवस्था का निर्वाह भी करना प्रशासन के लिए आसान काम नहीं है।

वर्तमान में उदासीन अभ्यर्थियों के खड़े होने के पीछे एक नयी प्रवृति उभर कर सामने आयी है कि प्रशासन को तंग करने हेतु भी एक स्थान से सैकड़ों अभ्यर्थी निर्वाचन में खड़े किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना तक मुश्किल हो जाता है।

11वीं लोकसभा के महानिर्वाचन में आन्ध्रप्रदेश की तेलगांना क्षेत्र की नलगोण्डा सीट पर कुल 480 अभ्यर्थी तथा कर्नाटक की बेलगाम सीट के लिए 456 अभ्यर्थी निर्वाचन मैदान में थे। नलगोण्डा सीट के लिए निर्धारित मतपत्र का आकार काफी बड़ा था। यह तीन फीट लम्बा और ढाई फीट चौड़ा था जो एक अखबार के समान था। इस मतपत्र के दोनों ओर 240 अभ्यर्थियों के नाम अंकित थे। यह पहला मौका था जब मतपत्र के दोनों हिस्सों में छपाई हो रखी थी। नलगोण्डा में इतने प्रत्याशियों के खड़े होने के पीछे कारण यह रहा कि यहाँ के लोग देश के नेताओं और जनता को अपनी तीन दशक पुरानी पानी की समस्या से अवगत करवाना चाहते थे। यहाँ आम निर्वाचन के एक माह बाद निर्वाचन करवाना पड़ा।

इसी प्रकार तमिलनाडु की मुडकुरूची विधानसभा सीट पर 1996 के निर्वाचन में 1033 अभ्यर्थी मैदान में थे। यहाँ निर्वाचन पत्र न होकर मत–पुस्तिका बनवायी गयी।

निर्दलीय एवं उदासीन प्रत्याशियों ने निश्चितः निर्वाचन में समस्या पैदा कर रखी है। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग की यह बात तर्कसंगत लगती है कि जो लोग गंभीरता से निर्वाचन नहीं लड़ रहे हो उन्हे रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह नहीं माना जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में नामांकन पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थी जीतने को कटिबद्ध हैं। उनमें से अधिकांश जीत का दावा कर सकने की स्थिति से बहुत दूर हैं, वे सिर्फ अपने और जनता के मनोरंजन के लिए ही अखाड़े में आ गए और निर्वाचन प्रक्रिया के महत्व को अनदेखा करते हुए उससे खिलवाड़ कर रहे है। राष्ट्रीय मुद्दो पर गंभीर बहस जहाँ चाहिए वे मखौल का वातावरण बना रहे है।[16]

निर्दलियों की संख्या बढ़ने और बहुत से लोगो को बेवजह निर्वाचन मैदान में उतर जाने की समस्या पहले भी समय–समय पर महसूस तो की गई लेकिन उनके समाधान के बारे में नहीं सोचा गया।[17]

4.3

लोकसभा निर्वाचन में निर्दलीय उम्मीदवार

वर्ष	लोकसभा संसदीय क्षेत्र सं.	विजयी निर्दलीय उम्मीदवार	निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रतिशत जिनकी जमानत जब्त हुई
1952	489	38	66.6
1957	494	42	60.1
1962	494	20	79
1967	520	35	86.2
1971	518	14	94
1977	542	9	97.2
1980	529	9	98.9
1984	542	5	99.7
1989	529	12	98.9
1991	534	1	99.5
1996	542	9	99.7
1998	543	6	99.11
1999	543	6	99.13
2004	543	5	99.37
2009	543	9	99.61
2014	543	3	99.63
2019	543	4	99.69

8. राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या

वर्तमान में देश में बहुत सारे राजनीतिक दल है। भारत में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्रदान कर देता है उसके निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की सक्रियता– निष्क्रियता से कोई लेना देना नहीं रहता। परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक दल अपने आपको पंजीकृत तो करवा देते है किन्तु उसके उपरान्त वे सक्रिय राजनीतिक में आते ही नहीं है। इतना ही नहीं कई राजनीतिक पदाधिकारी दल तो नाम मात्र हैं जिनमें समस्त पराधिकारी या तो किसी अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य बन गये अथवा वे जीवित ही नहीं है। किन्तु इसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों की सूची में ऐसे राजनीतिक दलों का नाम हमेशा बना रहता है। परिणाम स्वरूप सही रूप से यह आंकलन ही नहीं हो पाता है कि भारत में राजनीतक दलों की वास्तविक स्थिति क्या है? निष्क्रिय राजनीतिक दलों की भरमार निर्वाचकों में भ्रम पैदा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वर्ष 2014 के निर्वाचन में 1646 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दलों में से मात्र 464 राजनीतिक दलों ने ही निर्वाचन में भाग लिया।

9. विधिहीन आचार संहिता

पाँचवे आम निर्वाचन (1971–72) में पहली बार निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु 12 सूत्रीय आचार संहिता बनायी थी। तब से वर्तमान तक इसमें कई संशोधन हुए। प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन आयोग एक आचार संहिता प्रकाशित करवाता है जिसमें सतारूढ़ सरकार, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आचरण के सामान्य निर्देश होते हैं किन्तु उन नियमों के पीछे किसी कानूनी शक्ति का अभाव होने से ये नियम प्रायः निष्प्रभावी ही रह जाते हैं। वस्तुतः यह देखा गया है कि इस आचार संहिता का पालन निर्वाचन से सम्बन्धित उक्त कोई पक्ष नहीं करना चाहता।

10. सरकारी मीडिया का दुरूपयोग

एक प्रजातांत्रिक देश में विशेषतः भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता की दर बहुत कम हो, सरकारी मीडिया (रेडियो एवं टेलीविजन)का प्रयोग और विशेषकर निर्वाचन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह ऐसा साधन है जिससे सभी प्रकार के लोग सीधे प्रभावित होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि निर्वाचन ज्यो–ज्यों पास आता है ये मीडिया के साधन सरकारी नियंत्रण में होने के कारण सत्तारूढ़ दल के प्रचारक के रूप में काम में लिये जाते हैं जो कि निर्वाचन की दृष्टि से बहुत बड़ी कमी है।[18]

सत्तारूढ़ दल को निर्वाचन के समय सरकारी मशीनरी से लाभ उठाने की इजाजत कदापि नहीं दी जानी चाहिए एवं सत्तारूढ़ दल की इस प्रकार की मानसिकता पर नियंत्रण करना जरूरी है।[19]

11. प्रशासनिक तंत्र का दुरूपयोग

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की एक गंभीर त्रुटि शासक दल और मंत्रियों द्वारा ''दलीय लाभों'' के लिए प्रशासनिक तन्त्र के दुरूपयोग के रूप में सामने आयी है। जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होती है, केन्द्रीय और राज्य सरकार का ध्यान विविध संगठित वर्गों के अनेकानेक रियायतों और सुविधाएं देने की ओर चला जाता है। निर्वाचन के अवसर पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक विकास योजनाओं की घोषणा करते हैं जिनमें से अधिकांश कमी भी क्रियान्वित नहीं होती। अनेक कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और पुलों के शिलान्यास किये जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन–भत्ते आदि में वृद्धि की जाती है, कर्ज दिए जाते हैं लगान माफ किये जाते हैं और सरकारी भवनों तथा सरकारी वाहनों आदि का दुरूपयोग किया जाता है।[20]

12. कार्मिकों पर राजनीतिक दबाव अथवा उनकी राजनीतिक आसक्ति

निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक व अन्य दबाव और इसके फलस्वरूप उनके द्वारा भ्रष्टाचार को अपनाये जाने के कारण भी कुछ उदहारण सामने आये है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सेन वर्मा ने स्वीकार किया– 'राजनीतक दबाव में आकर निर्वाचन नामावलियों में गड़बड़ी की गयी, मंत्रियों तक ने निर्वाचन में हस्तक्षेप किया, संसद सदस्यों तक के नाम निर्वाचक नामावलियों में से निकाल दिये गये ताकि वे निर्वाचन न लड़ सके और प्रतिपक्षी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र भारी संख्या में रद्द कर दिए गए। निर्वाचन के पहले और निर्वाचन के बाद निर्वाचन अधिकारियों को तंग करने की शिकायतें भी कम नहीं है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एन. शेषन के अनुसार ''हमारे यहाँ निर्वाचनों को हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक सेवा कुछ भय से, कुछ लालच से, कुछ और किसी बात से दलीय नेताओं का मात्र हथियार बनकर रह गयी है।''[21]

राजनीतिक दबाव का ही एक उदाहरण देते हुए श्री टी.एन. शेषन कहते हैं कि – 'एक राज्य में मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया कि 'निर्वाचन में वास्तव में कौन विजयी होता है, यह बात कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। एक बार जब मतगणना समाप्त हो जाएगी, तो निर्वाचन

अधिकारी खड़े होकर केवल हमारे ही अभ्यार्थी के नाम की घोषणा करेगा और यदि उसने गलती से कोई और नाम पढ़ भी लिया, तो वह पटना रेल्वे स्टेशन के पास नहीं पहुंच पायेगा। मान लो, यदि वह वहाँ तक पहुंच भी गया तो उसके दिल्ली तक पहुंचने की संभावना तो कतई नहीं रहेगी।[22]

13. निर्वाचकों की अनुपस्थिति

निर्वाचकों की अनुपस्थिति भारतीय निर्वाचकों की आम विशेषता बन गयी है। वस्तुतः भारत में अनुपस्थित निर्वाचकों का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है। निर्वाचनों में अधिकांश निर्वाचक रूचि नहीं लेते तथा निर्वाचन केन्द्रों पर पहुंचने की तकलीफ भी नहीं करते। निर्वाचन में मत न देने का अभिप्राय मत के अधिकार का उपयोग न करना और लोकतंत्रीय व्यवस्था को धोखा देना। अक्सर देखने को आता है कि निर्वाचन के समय मुश्किल से 60 प्रतिशत मतदाता ही अपने मत का उपयोग करते है। मान लिया एक स्थान के लिए पांच अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे हैं और पांच ही अपने प्रभाव के अनुसार साम, दाम, दण्ड, भेद के सभी साधन अपनाएं, तो निर्वाचक इतने रूपों में बिखर जायेगें कि 16 या 17 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी जीत जाएगा। ऐसी दशा मे विजयी अभ्यर्थी क्या सारी जनता का प्रतिनिधि समझा जा सकता है? सन् 1971 में हुए लोकसभा निर्वाचन का विश्लेषण किया जा सकता है। इन निर्वाचनों में केवल 55.27 प्रतिशत निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था अर्थात् 44.73 प्रतिशत (लगभग 12 करोड़) से अधिक मतदाताओं ने निर्वाचन में भाग ही नहीं लिया। साढ़े छः करोड़ से अधिक मत पाने वाले कांग्रेस दल को 518 स्थानों में 352 स्थान मिल गये। जिस दल को कुल निर्वाचकों का एक चौथाई से भी कम समर्थन हो और कुल डाले गए मतों का भी 43 प्रतिशत ही हो, परन्तु उनके सदस्यों को सदन में 2/3 से अधिक स्थान मिल गए तो उसकी सरकार को निर्वाचित सरकार तो जरूर कहा जाायेगा, लेकिन उसे वास्तव में प्रतिनिध्यात्मक सरकार कैसे कहा जा सकता है? मतदाताओं की अनुपस्थिति से निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और प्रायः जाली मतदान भी होता देखा गया है।[23]

4.4

लोकसभा निर्वाचन में कुल निर्वाचक

कुल निर्वाचक	वर्ष	पुरूष	स्त्री	**Thired Gender**
173212343	1951	.	.	.
193652179	1957	.	.	.
127719470	1962	67388166	60331304	.
248904300	1967	129568604	119335696	.
274189132	1971	143564829	130624303	.
321174327	1977	167019151	154155176	.
356205329	1980	185539439	170665890	.
379540608	1984	196730499	182810109	.
498906129	1989	262045142	236860987	.
498363801	1991	261832499	236531302	.
592572288	1996	309815776	282756512	.
605880192	1998	316692789	289187403	.
619536847	1999	323813667	295723180	.
671487930	2004	349490864	321997066	.
716985101	2009	374758801	342226300	.
834082814	2014	437035372	397018915	28527
908722153	2019	316792980	294035406	5663

4.5

लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत

वर्ष	कुल मतदान प्रतिशत	पुरुष	स्त्री
1951	44.87		
1957	45.44		
1962	55.42		
1967	61.04		
1971	55.27	60.8	49.11
1977	60.49	65.62	54.91
1980	56.92	62.17	51.2
1984	63.56	68.17	58.59
1989	61.95	66.13	57.31
1991	56.73	61.58	51.34
1996	57.94	62.06	53.41
1998	61.97	65.86	57.69
1999	59.94	63.96	55.63
2004	58.07	61.98	53.63
2009	58.19		45.79
2014	66.44	67.00	65.54
2019	67.11	68.3	68

14. निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय में विलम्ब

निर्वाचन याचिका में बहुत अधिक खर्च होता है और विवादों को शीघ्र निपटारा भी नहीं हो पाता है। यह चिन्तनीय हैं कि जब तक याचिकाओं का निर्णय होता है, तब तक तो

लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और विवादग्रस्त व्यक्ति अपने पद पर बना ही रहता है। अतः यह आवश्यक है कि इस संदर्भ में विशेष कानूनी प्रावधान होने चाहिए।

उपर्युक्त त्रुटियाँ यह परिलक्षित करती है कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में कुछ पूर्ण तो कुछ आंशिक त्रुटियां विद्यमान है जो कि यहाँ के प्रजातंत्र को समस्याओं का विकराल रूप प्रदान करके इसके मूल तत्वों को ही समाप्त कर सकती है, अतः इन कमियों पर शीघ्रताशीघ्र नियंत्रण अति आवश्यक है।

15. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से सम्बन्धित त्रुटियाँ

निर्वाचन में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में काफी महत्वपूर्ण रहा है किन्तु कई बार यह देखने को मिला है कि यह मशीने तकनीकी तौर पर खराबी आने से निर्वाचकीय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कई बार इन त्रुटियों के कारण भी पुर्नमतदान भी करना पड़ गया। इसी प्रकार समय समय पर यह भ्रान्ति भी फैलाई जाती रही है कि इन मशीनों में सोफ्टवेयर के माध्यम से मतों के साथ हेर–फेर की जा सकती है और ये मशीने भी जाली मतदान का शिकार हो सकती है। यदि ये बाते सत्य है तो निश्चित तौर पर बेहद चिन्ता का विषय है।

16. मतदाता पहचान पत्र का दोहराव

कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ही मतदाता के एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र बने हुए है। ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग एक करोड़ मतदाताओं के एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र बने हुए है। इतनी बड़ी संख्या में पहचान पत्र का दोहराव न केवल निर्वाचन की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है अपितु भारी मात्रा में समय और धन का अपव्यय भी करवाता है। जो अन्तत्तोगत्वा जनता के पैसे का दुरूपयोग प्रकट करता है।

17. राजनीतिक दलों में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का अभाव

कहने के नाम पर तो भारत में एक हजार से ज्यादा राजनीतिक दल हैं लेकिन सही मायने में वे राजनीतिक दलों के आन्तरिक कार्यों का किसी भी रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के प्रति अरूचि रखते हुए कार्य करते है। यही कारण है कि अधिकांश राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की निजी सम्पत्ति सी बन जाते हैं। जब राजनीतिक दल

ही आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते है तो उनसे स्वच्छ राजनीति की अपेक्षा करना नितान्त अनुचित सा प्रतीत होता है।

18. मतदाता पहचान पत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ

निर्वाचन आयोग द्वारा दिये जाने वाले पहचान पत्र गम्भीर त्रुटियों से युक्त होते हैं जैसे मतदाता के नाम, माता–पिता, पति इत्यादि के नाम जन्म तिथि उम्र इत्यादि में त्रुटियां देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, कई बार तो मतदाता का लिंग गलत लिख दिया जाता है तो कई बार फोटो किसी और की मुद्रित कर दी जाती है। इस प्रकार की त्रुटियों से मतदाता पहचान–पत्र की उपादेयता ही समाप्त हो जाती है।

19. लाभ का पद सम्बन्धित विवाद

कई बार उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति लाभ के पदों के धारण करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार लाभ के पद की व्याख्या करते है। लाभ का पद सम्बन्धी कानून में कमियों के कारण ऐसा हो रहा है अतः इस कानून को अधिक स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिये।

20. नागरिकता आधारित निर्वाचकीय योग्यता सम्बन्धी विवाद

कई बार उच्च पदों पर नागरिकता आधारित निर्वाचकीय योग्यता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होते रहे हैं तो स्वच्छ राजनीति के लिये किसी भी रूप में उचित प्रतीत नहीं होते। नागरिकता सम्बन्धी विवाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि निर्वाचन की उपर्युक्त गम्भीर त्रुटियाँ का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

निर्वाचन सुझार : कतिपय सुझाव एवं प्रयास

स्वतंत्र भारत में समय–समय पर हुए आम निर्वाचनों के आयोजन के क्रम में इसको संचालित करने वाले कानून नियमों आदि में कमियाँ, विकृतियाँ या त्रुटियाँ अनुभव की जाने लगी। निराकरण के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियमों तथा निर्वाचन से सम्बद्व अन्य वैधानिक प्रावधानों में सुधार के लिए भी मांग की जाती रही ताकि निर्वाचनों के आयोजनों से स्वच्छता, स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के अपेक्षित स्तर को प्राप्त किया जा सके। प्रायः यह मांग या तो निर्वाचन आयोग द्वारा इस कर्त्तव्य निर्वाह में आने वाली समस्या समाधान हेतु की गयी अथवा विपक्षी दलो के सदस्यों द्वारा इसकी मांग संसद के भीतर एवं बाहर लगातार की जाती रही है।

जनता में जागरूकता के अपेक्षित स्तर में कमी निर्वाचनों में परिलक्षित हुई त्रुटियों एवं विकृतियों के लिए एक निर्णायक कारक रहा है। यह भी अनुभव किया गया है कि सरकार ने निर्वाचन की गरिमा को बचाए एवं बनाये रखने हेतु सुधार की आवश्यकता के प्रति प्रायः उपेक्षा का ही भाव रखा है। सरकार की ओर से किये गए गौण एवं सूक्ष्म सुधारों में भी अनिच्छा के भाव प्रकट हुए है।

किन्तु 1967 के बाद भारतीय राजनीति के दृश्य पटल पर महत्वपूर्ण उथल पुथल हुई और पहली बार विपक्षी दलों ने संसद में अपने आपको विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया। राजनीतिक अस्थिरता और उन्मुक्तता के वातावरण में राजनीतिज्ञों में निर्वाचनिक सफलता के लिये आपराधिक तत्वों को आश्रय लेने को प्रेरित किया और इस प्रवृति से निर्वाचनों में विकृतियो में बहुत अधिक विस्तार हुआ। किन्तु इसका अर्थ यह कदाचित नहीं है कि इससे पूर्व निर्वाचनों का आयोजन पूर्णतः स्वच्छ, निष्पक्ष और त्रुटिमुक्त होता था। समय रहते निर्वाचनिक विकृतियों के निराकरण के प्रयास नहीं किये जाने से स्थिति विकट बन कर विकराल रूप धारण कर गयी।[24]

डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी के अनुसार– ''हमारे संविधान ने आधुनिक उदारवादी दर्शन के सार तत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया है। परन्तु इसके पूर्ण अर्थ का अभी उद्घाटन होना है, अभी इसे न्याय, स्वतंत्रता तथा क्षमता के उदान्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेष है। यदि हमें इस महत्वपूर्ण तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना है, तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपने निर्वाचन प्रकर्मों के वास्तविक स्वरूप एवं त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्वता की रक्षा के लिए पृथक प्रयास करें।''[25]

इस शोध प्रबन्ध के प्रारम्भिक अध्यायों में विभिन्न अधिनियमों, नियमों, आदेशों आदि के अन्तर्गत उल्लेखित निर्वाचनीय प्रावधानों को प्रतिबिम्बित किया गया तथा वर्तमान अध्याय में निर्वाचन की विकृतियों व त्रुटियों को उद्घाटित करने के साथ ही निर्वाचन की त्रुटियों के निराकरण के लिये अब तक विभिन्न स्तरों पर किए गये प्रयासों का आंकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्वाचन सुधार : पूर्व में किए गए सुधार एवं सुझाव

निर्वाचन से सम्बन्धित विकृतियों की विवेचना और निर्वाचन सुधार का विषय विगत दशकों से संसद और देश के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। अनेक पक्षों द्वारा

इस सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत की गयी, इनमें से अधिक, महत्वपूर्ण पक्षों की सिफारिशों का अध्ययन अपना महत्व रखता है। चूंकि निर्वाचन से जुड़ी त्रुटियों को हर व्यक्ति, राजनीतिक दल, राजनेता, संस्था, समूह ने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, अतः स्वाभाविक रूप से निर्वाचन सुधारों के लिये प्रस्तुत उनके सुझावों में उनका विशिष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ भी महसूस होता है।

स्पष्ट है कि ''भारत में निर्वाचन सुधार' की संभावनाओं के क्षेत्र व्यापक है, जबकि इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर हुए प्रयासों का परिणाम अत्यन्त सीमित। निर्वाचन सुधारों के लिए अब तक प्रस्तुत हुए सुझावों की सार्थकता व व्यापकता को इस तथ्य से भी प्रमाणित निर्धारित किया है कि इन सुझावों के प्रस्तुतीकरण से निर्वाचन व्यवस्था की समग्र समीक्षा की अपेक्षा उसके किसी विशिष्ट पक्ष को रेखांकित करने की प्रवृति परिलक्षित हुई है। निर्वाचन सुधारों के लिए अब तक हुए प्रयासों की उपर्युक्त सीमा के पश्चात् भी उनका सर्वेक्षण निर्वाचन सुधारों की संभावनाओं के आंकलन के लिए प्रारम्भिक व आवश्यक है।[26]

1. सी. राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित सुधार

सी. राजगोपालाचारी ने निर्वाचन में धन–बल और भ्रष्टाचार के बढ़ने से रोकने और स्वच्छ निर्वाचन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये।[27]

1. निर्वाचन का राष्ट्रीयकरण करने हेतु सरकार को निर्वाचन व्यय वहन करना चाहिए तथा मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
2. निर्वाचन के छः माह पूर्व राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अधीन एक कार्यकारी सरकार की स्थापना होनी चाहिए तथा प्रशासन को गैर–राजनीतिक बनाना चाहिये।
3. संसद प्रकार्यात्मक (व्यवसाय) तथा आनुपातिक आधार पर निर्मित होनी चाहिए। एक निर्वाचित आर्थिक परिषद जिसमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो तथा मजदूरों को राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों की जगह स्थान प्राप्त होना चाहिए।
4. राजनीकि दलों को औद्योगिक समूहों से प्राप्त मौद्रिक सहयोग की एक ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए तथा कम्पनियों को अपनी साधारण बैठक में उसे अनुमोदित करवाना चाहिए एवं बाद मे इसे प्रकाशित करवाना चाहिए प्रत्येक राजनीतिक दल के कोष का प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण होना चाहिए।

5. प्रत्येक राजनीतिक दल को निर्वाचन कम्पनियों द्वारा धन प्राप्त करने के स्थान पर सदस्यता शुल्क से प्राप्त कोष के आधार पर लड़ना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि स्वच्छ दलीय व्यवस्था जन्म ले सके।

6. राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचकों को लाने–ले जाने के लुभावने प्रयास को समाप्त करने के लिए सरकार को एक गैर–दलीय योजना के तहत प्रत्येक निर्वाचन को चल मतदान के तहत घर–घर जाकर मतपत्र देने और पुनः संग्रहित करने चाहिए तथा मतदान को राष्ट्रीय कार्य घोषित कर देना चाहिए।

7. एक मंत्री के लिए उसके मन्त्रीत्व काल में राजनीतिक दल के लिए कोष प्राप्ति पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि वह अथवा उसके अधिनस्थ सत्ता एवं प्रभाव के अवसर के कारण निर्वाचन को प्रभावित करने की क्षमता रखते है।

8. राज्यों को एक स्थायी स्टाफ का निर्माण करना चाहिए जो प्रत्येक निर्वाचक को एक मतदाता पत्र दे। उस पत्र पर एक कोड अंकित किया जाना चाहिए जिसका किसी अन्य को ज्ञान न हो।

9. जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाता को परिचय पत्र निर्वाचन के एक सप्ताह पूर्व प्रदान किया जाना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों की प्रचार–प्रसार सामग्री सरकार को निर्वाचन के सप्ताह पूर्व अधिग्रहित कर लेनी चाहिए।

10. चल मतदान का क्रियान्वयन एक तटस्थ एवं गैर–दलीय सरकार द्वारा होना चाहिए तथा सभी मंत्रियों को अपने दायित्वों को निर्वाचन प्रचार के समय अपने स्थायी अधिकारियों को प्रदान कर देना चाहिए।

11. निर्वाचकों के सम्मुख मतदान के समय आने वाली समस्या के समाधान के लिए हुए व्यय का सरकार भुगतान करे।

श्री एस.सी. छागला ने इन सुझावों के साथ दो अतिरिक्त सुझाव स्पष्ट किए है–

1. उप–निर्वाचन स्थान रिक्त होने के छः माह के भीतर अवश्य ही हो जाने चाहिए और यदि किन्हीं कारणों से वे नहीं होते हैं तो निर्वाचन आयोग को इसे समुचित कारणों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करने होगें।

2. निर्वाचन आयुक्त को पद से सेवानिवृत होने के बाद सरकार के किसी पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए।

2. संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव[28]

1970 में निर्वाचन सुधार के प्रश्न को सभी कोणों से देखने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बैठायी गयी जिसने दो भागों में क्रमशः 18 जनवरी, 1972 तथा 10 मार्च, 1972 को अपनी रिपोर्ट दी।

संसदीय समिति ने प्रतिवेदन में मुख्यतः निम्न सुझाव दिये–

1. किसी मतदान में भ्रष्ट–आचरण के लिए न्यायालय द्वारा प्रमाणित व्यक्ति को निर्वाचन में अयोग्य माना जाये।
2. बहु–सदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो।
3. आकाशवाणी पर निर्वाचन प्रसार के लिए समान राजनीतिक दलों को समान मात्रा में समय दिया जाये।
4. निर्वाचन–प्रणाली में बुनियादी परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति का गठन हो।

3. तारकुंडे समिति द्वारा प्रस्तावित सुझाव[29]

निर्वाचन सुझार के प्रश्न पर विचार और अध्ययन करने के लिए 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओर से श्री जय प्रकाश नारायण ने 1974 से एक समिति का गठन किया था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल मानववादी श्री वी.एम. तारकुण्डे इसके अध्यक्ष थे। समिति ने 9 फरवरी, 1975 को अपनी रिपोर्ट दी। समिति से कहा गया था कि वह देश के निर्वाचन कानून में निहित दोषों को दूर करने के उपाय खोजे।

'तारकुंडे समिति ' का मूल लक्ष्य था स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में बाधक धन की सत्ता और सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी साधनों एवं प्रशासकीय व्यवस्था के दुरूपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की व्यवस्था करने और निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में होने वाले असाधारण विलम्ब को रोकने के लिए रीति–नीति की खोज करना। तारकुंडे समिति ने प्रमुख सिफारिशें अग्रांकित की :–

1. मताधिकार 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया जाये।

2. आय के स्त्रोतों का उल्लेख तथा आय–व्यय का पूरा हिसाब लिखना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाये और निर्वाचन आयोग इसकी जाँच कराये। अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च के हिसाब की जाँच करायी जाये। राजनीतिक दलों द्वारा अभ्यार्थियों पर किया जाने वाला खर्च अभ्यर्थियों के हिसाब से जोड़ा जाए और निर्वाचन खर्च की वर्तमान सीमा को दुगुना कर दिया जायें।

3. प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिए जाये तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को छूट हो कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के नाम 50 ग्राम तक प्रचार सामग्री डाक से निःशुल्क भेज सके। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूचियों की 12 प्रतियाँ प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाये।

4. जो लोग राजनीतिक दलों को वर्ष में एक हजार रूपया दान दे, उन्हें उस राशि पर आय–कर की छूट दी जाये तथा कम्पनियों पर यह प्रतिबन्ध जारी रखा जाये कि वे राजनीतिक दलों को दान नहीं दे सकती। कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली सहायता पर भी पाबन्दी लगायी जाये।

5. लोकसभा अथवा विधानसभा के विघटन और नए निर्वाचनों की घोषणा के बाद से सरकार काम चलाऊ सरकार की तरह काम करे। वह नयी नीतियों की घोषणा नहीं करें, न उन्हें लागू करे, न नयी परियोजनाएं चालु करे, न उनको वादा करे, न नए ऋण अथवा भत्ते दे और न वेतन वृद्धि की घोषणा करे, तथा ऐसे सरकारी समारोह आयोजित न करे, जिनमें मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव भाग ले।

6. निर्वाचन के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा न करें। सरकारी वाहन प्रयोग में न लायें, उनकी सभाओं के लिए सरकारी मंच न बनाये जायें और उनके दौरों के समय सरकारी कर्मचारी तैनात न किये जाये।

7. जमानत की रकम लोकसभा के अभ्यर्थियों के लिए 500 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये और विधानसभाओं के अभ्यर्थियों के लिए 200 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी जाये।

8. आकाशवाणी के सम्बन्ध में चन्दा समिति की रिपोर्ट पर अमल किया जाये तथा आकाशवाणी को निगम का रूप दिया जाए। जिस तरह ब्रिटेन में बी.बी.सी. पर राजनीतिक दलों को पिछले निर्वाचनों में प्राप्त मतों के अनुपात में प्रचार का समय

दिया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी उन्हें रेडियों और दूरदर्शन पर समय दिया जाये।

9. राज्यों में निर्वाचन आयोग स्थापित किये जायें, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय तीन सदस्य हो तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं, अपितु तीन व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिश पर करें। इस समिति में प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में विरोधी पक्ष का नेता अथवा विरोधी पक्ष का प्रतिनिधि हो।

10. निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केन्द्र और राज्य में निर्वाचन परिषदें बनायी जाये, जो उसे सलाह दे। इन परिषदों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। इनके अलावा मतदाता परिषदें भी बनायी जायें, जो निर्वाचन के समय होने वाली बुराइयों पर निगाह रखें तथा निर्वाचकों की निष्पक्षता की रक्षा करें। 'तारकुंडे समिति' ने कुछ विवादास्पद मुद्दों पर स्पष्ट राय नहीं दी है। समिति ने लोक निर्णय और विधानसभा के सदस्यों के प्रत्यावर्तन (रीकॉल) की मांग तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सूची प्रणाली को भी व्यावहारिक नहीं माना और यह टिप्पणी की कि वह एक विवादास्पद विषय है, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा एवं चिन्तन की आवश्यकता है।

4. विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझाव[30]

समय–समय पर कई राजनीतिक दलों ने निर्वाचन सुधार हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किये एवं सुधारों की मांग भी की। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव/सुझाव भिन्न–भिन्न दलों के इस प्रकार हैं–

1. भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी का प्रस्ताव – कम्युनिष्ट पार्टी ने निर्वाचन प्रणाली में बुनियादी संशोधनों की मांग की है। उसने कहा कि देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत निर्वाचन प्रणाली लागु की जाये, निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य हों और उनका चयन संसद अपने दो तिहाई बहुमत से करें तथा उनमें से कोई भी सदस्य प्रशासकीय सेवाओं का सेवानिवृत कर्मचारी न हो।

2. जनसंघ का सुझाव – निर्वाचन प्रणाली के संबंध में जनसंघ की घोषित नीति भारतीय साम्यवादी दल के समान थी। उसने भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत सूची प्रणाली का समर्थन किया।

3. अन्ना–द्रमुक का सुझाव – अन्ना द्रमुक के सुझावों में कहा गया है कि मतदाताओं को प्रत्यावर्तन (रीकॉल) का अधिकार दिया जाये, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की जाये, मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाये, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने–ले जाने के लिए कारों या अन्य वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, निर्वाचन से तीन माह पहले सरकारों का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाये तथा इस बीच शासन की बागडोर राष्ट्रपति और राज्यपाल संभाले तथा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले दीवार विज्ञापनों का पूरा व्यय सरकार उठाये।

4. आठ–दलीय स्मरण पत्र – 22 अप्रैल, 1975 को प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान आठ राजनीतिक दलों की ओर से सरकार को एक संयुक्त स्मरण पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया था–

   1. विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति नियुक्त की जाये, जो वर्तमान निर्वाचन प्रणाली का ऐसा विकल्प तलाशे जिसमें जनता की इच्छा निर्वाचन परिणामों में अधिक प्रमाणिकता के साथ प्रतिबिम्बित हो सके।
   2. मताधिकार प्राप्ति की आयु 21 वर्ष की बजाय 18 वर्ष मानी जाये।
   3. आम निर्वाचनों के बीच उठने वाले सार्वजनिक प्रश्नों पर संविधान में लोक निर्णय (रेफरेंडम) की व्यवस्था की जाये।
   4. प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तन का सिद्धान्त अच्छा है, लेकिन एक सर्वदलीय समिति बनाकर उसे इस बारे में सिफारिश करने का काम सौंपा जाये।
   5. निर्वाचन आयोग बहु–सदस्यीय हो तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तीन सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करे, इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विरोधी दल का नेता या प्रतिनिधि हो।
   6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यों अथवा क्षेत्रों के लिए स्थायी निर्वाचन आयोग नियुक्त करे।
   7. निर्वाचनों में गड़बड़ की शिकायतों की जांच के लिए केन्द्र और राज्यों में जनता के प्रतिनिधियों और प्रमुख निर्दलीय व्यक्तियों की निर्वाचन परिषदें कायम की जायें और उन्हें वैधानिक स्तर दिया जाये।

8. आकाशवाणी और दूरदर्शन को निगम का रूप दिया जाये और उन पर सभी राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए बराबर समय दिया जाये।

9. देशभर में एक दिन में ही निर्वाचन कराया जाये, हर मतदान केन्द्र पर केवल एक मतपेटी हो और मतगणना केन्द्रवार हो।

5. हेगड़े सरकार द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें[31]

जनवरी, 1983 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े ने निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके निर्वाचन के वास्तविक ध्येयों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए निम्न सुझाव स्पष्ट किये –

1. बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाये तथा उनकी सेवा शर्त विधि द्वारा निर्धारित की जाये।

2. एक स्वतंत्र निर्वाचन विभाग की तथा निर्वाचन कोष की स्थापना की जाए। निर्वाचन आयोग की सहायता करने हेतु क्षेत्रीय आयुक्तों को भी नियुक्त किया जाना चाहिये।

3. सरकारी तंत्र एवं सूचना साधनों के विरूद्ध एक व्यापक आचरण संहिता होनी चाहिये तथा जिसे कानूनी स्थिति प्रदान की जाये।

4. उप–निर्वाचन हेतु छः मास की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिए।

5. निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी दलों को अपने आंतरिक संगठनात्मक निर्वाचन भी निर्धारित समयानुसार करवाने चाहिए। इन राजनीतिक दलों को अपने कोष का लेखांकन भी नियमित रूप से करवाना और प्रकाशित करना चाहिए।

6. निर्वाचकों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिये तथा निर्वाचकों को फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।

7. इलक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का प्रयोग प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

8. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेवा निवृति के बाद दूसरी नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए।

6. राजीव सरकार द्वारा किये गये प्रयास

दिसम्बर 1984 में सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने निर्वाचन से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण सुधार किये जो कि भारतीय राजनीति में काफी महत्व रखते हैं, वे हैं–

1. दल बदल पर रोक लगाना।

2. मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष करना।

राजीव सरकार ने प्रारम्भ में संसद को आश्वासन दिया कि वह निर्वाचन त्रुटियों को हटाने हेतु क्रमशः सुधार के प्रयास करेगी तथा इस हेतु वह विपक्ष को साथ लेकर चलेगी। इस सन्दर्भ में उन्होंने केबिनेट की एक उप–समिति निर्मित की जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों पर गौर करना था किन्तु इस समिति ने कोई विशेष कदम नहीं उठाया।

7. दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव[32]

वी.पी. सिंह सरकार में विधि राज्य मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधार सम्बन्धी एक समिति का निर्माण किया गया। समिति ने मई, 1990 में अपने सुझाव दिए, जो इस प्रकार हैं –

1. बूथ कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए पुनर्मतदान कराया जाये।
2. आरक्षित सीटों के लिए भ्रमणशील (रोटेशन) पद्धति अपनायी जाये।
3. निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाये।
4. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का उपयोग प्रारंभ किया जाये।
5. छः मास में किसी भी रिक्त स्थान के लिए उप–निर्वाचन का प्रावधान अनिवार्य किया जाये।
6. मतदाताओं को फोटो चिपके परिचय–पत्र दिये जायें।
7. प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रचार हेतु सरकार धन उपलब्ध करवाये।

8. इन्द्रजीत गुप्त समिति के सुझाव[33]

निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार ने जून, 1998 में वरिष्ठ सांसद इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से युक्त बहु सदस्य समिति बनाई जिसने निर्वाचन में राज्य द्वारा धन उपलब्ध करवाने हेतु निम्न सुझाव दिये –

1. प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रचार हेतु सरकार धन उपलब्ध करवाये।
2. सरकार केवल उन्हीं प्रत्याशियों को धन उपलब्ध कराये जो किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल से जुड़े हैं।

3. राजनीतिक दलों को उनके निर्वाचन प्रचार एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सरकार इस प्रकार धन उपलब्ध कराये कि वे किसी बाहरी आर्थिक मदद से दूर रहे।

4. राजनीतिक दलों को पूर्णतः प्रत्यक्ष आर्थिक मदद देने के स्थान पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जैसे – राजनीतिक दलों को मुख्यालयों के लिए स्थान एवम् उनके प्रत्याशियों को निश्चित मात्रा में डीजल और पेट्रोल आदि।

5. राज्य द्वारा एक पृथक निर्वाचन कोष की स्थापना करनी चाहिये जो 600 करोड़ रूपये के वार्षिक योगदान से बनना चाहिए। (दस रूपये प्रति मतदान के हिसाब से)

6. उपर्युक्त कोष में केन्द्र और राज्यों दोनों का हिस्सा होना चाहिए।

7. संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए।

9. विधि आयोग का 170वाँ प्रतिवेदन

1999 में विधि आयोग के अध्यक्ष के. जीवन रेड्डी ने आयोग का 170वाँ प्रतिवेदन निर्वाचन कानूनों में सुधार के सम्बन्ध में प्रेषित किया, जो इस प्रकार है–

1. आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 771 में संशोधन का सुझाव दिया।

2. न्यायालय द्वारा गम्भीर आपराधिक मुकदमों में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही निर्वाचन के लिए अयोग्य मान लेना चाहिए।

3. मिथ्या शिकायतों एवं प्रमाणों की स्थिति में दण्डित करने के लिए आपराधिक दण्ड संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए।

4. निर्वाचन में खड़े होने वाले हर अभ्यर्थी को अपने एवं परिवार के सदस्यों की चल–अचल सम्पत्ति की घोषणा करनी चाहिए।

5. निर्वाचन में विजयी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक कर देना चाहिए कि वह कुल मतों के आधे से अधिक मत अवश्य ही प्राप्त करे।

10. संविधान संवीक्षा आयोग के सुझाव[34]

पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बैंकट चलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान संवीक्षा आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया एवं राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन करने के पश्चात लगभग 40 सुझाव दिये, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं :–

1. निर्वाचन आयोग बहु–उद्देश्यीय नागरिक पहचान पत्र बनवायेगा जो मतदाता पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करेगा।

2. निर्वाचन आयोग को नागरिकों के समूह अथवा पर्यवेक्षक या रिटर्निंग अधिकारी की प्रतिवेदन पर मतदान केन्द्रों पर कब्जों की स्थिति में आंशिक या पूर्णतः निर्वाचन रद्द करने एवं पुनः मतदान का अधिकार होना चाहिए।

3. जाति, धर्म के नाम पर अथवा जातीय घृणा अथवा साम्प्रदायिक वैमनस्य के आधार पर मत मांगने पर दण्ड एवं कारावास का प्रावधान होना चाहिए।

4. हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, आदि जघन्य अपराधों में दोषी व्यक्तियों को निर्वाचन में खड़े होने से आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिये।

5. राजनेताओं के विरूद्ध लम्बित न्यायिक मुकदमों का निस्तारण शीघ्रता से करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये।

6. ऐसे विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय के समकक्ष होने चाहिये। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अनतर्गत अयोग्यता के निर्धारण करने का सीधा अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाना चाहिये।

7. निर्वाचन याचिकाओं का निस्तारण विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिये।

8. निर्वाचन व्यय की न्यूतनम सीमा आवश्कयता अनुसार परिवर्तित होनी चाहिये।

9. राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों पर होने वाले खर्च का पूर्णतः हिसाब रखा जाना चाहिये।

10. हर निर्वाचन के समय उम्मीदवारों एवं उनके परिजनों के सम्पत्ति का खुलासा होना चाहिये।

11. प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रचार हेतु सरकार धन उपलब्ध करवाये।

12. निर्वाचन अभियान की सीमा यथोचित कम की जानी चाहिये।

13. उम्मीदवार को एक ही प्रकार के निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिये।

14. आचार संहिता को वैधानिक रूप देना चाहिये।

15. निर्वाचन में जीत के लिये कुल डाले गये मतों के 50 प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त होने चाहिये।

16. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में होना चाहिये।

17. संविधान के 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिये।

18. निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कम करने के लिये यह कानून बना देना चाहिये कि किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को निर्वाचन पत्र भरने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 20 निर्वाचित सदस्यों (पंचायत, नगर पालिकाएं या अन्य स्थानीय संस्थाएँ) द्वारा समर्थन प्राप्त हो।

19. निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये जमानत राशि दुगुना कर देना चाहिये और अगर वही उम्मीदवार आगे भी निर्वाचन में भाग लेता है तो उसकी जमानत राशि को और अधिक बढ़ा देना चाहिये।

20. निर्दलीय उम्मीदवार जो लगातार 3 बार निर्वाचन में हार जाता है तो उसे निर्वाचन लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित कर देना चाहिये।

21. जमानत राशि पुनः लौटाने हेतु उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कम से कम 16.6 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे।

22. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा उप सभापति से युक्त समिति की सिफारिश के आधार पर होनी चाहिये। यही प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में लागू होनी चाहिये।

23. लाभ के पद का निर्धारण एवं व्याख्या का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाना चाहिए।

24. राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं कार्यों के नियमन के लिए व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। जिसे राजनीतिक दल (पंजीकरण एवं नियामन) कानून कहा जा सकता है।

25. राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक स्तर पर कम से कम 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित करने होंगे।

26. निर्वाचन आयोग को छोटे राजनीतिक दलों को हतोत्साहित करने के लिये नियम बनाने चाहिये।

27. राजनीतिक दलों को राजनीतिक कोष में पारदर्शिता रखनी चाहिये।

11. निर्वाचन आयोग के सुझाव

निर्वाचन से सम्बन्धित त्रुटियों पर सबसे अधिक विचार यदि किसी ने किया है तो वह है निर्वाचन आयोग। आयोग प्रारम्भ से ही स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सदैव जागरूक रहने का प्रयास करता रहा है। इसके उपरान्त भी प्रायः कुछ कमियां हर निर्वाचन में उजागर होती रहती है। इन कमियों को दूर करने का या तो स्वयं आयोग ने प्रयास किया है अथवा उन्हें दूर करवाने के लिए सरकार को सिफारिशें की हैं। वैसे आयोग हर निर्वाचन से पहले निर्वाचन से जुड़े प्रमुख तत्वों के लिए मार्ग निर्देशक की किताबें भी निकालता है। इतना ही नहीं वह अपनी प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में कुछ न कुछ सुधार से जुड़े मुद्दे भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

आयोग के निर्वाचन सुधार के सुझावों की विस्तृत सूची है। अतः वर्तमान अध्याय में समय–समय पर आयोग द्वारा दिये गये प्रमुख सुझावों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है –

(क) 1978 में प्रस्तुत सुझाव

निर्वाचन आयोग द्वारा 1978 में प्रस्तावित सुझाव इस प्रकार थे–

1. प्रधानमंत्री, मंत्रियों तथा अन्यों को निर्वाचन उद्देश्य से सरकारी विमान, वाहन तथा सरकारी मशीनरी प्रयोग में नहीं लेनी चाहिये।

2. सरकार के किसी भी सदस्य को उसके दल को निर्वाचन प्रसार के लिए निर्धारित समय से अधिक आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नहीं देना चाहिए तथा सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रसारित करने वाले सरकारी विज्ञापन नहीं होने चाहिए।

3. निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरान्त किसी भी पुलिस अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के स्थानान्तरण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

4. अभ्यर्थी एवं उसके राजनीतिक दल के व्ययों का लेखांकन होना चाहिए तथा निर्वाचन व्यय की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर दो गुना कर देना चाहिए।

5. मंत्रियों के स्वविवेकाधीन कोटा पर सदन के कार्यकाल से छः माह पूर्व अथवा अचानक होने वाले निर्वाचकों की घोषणा के बाद रोक लगा देनी चाहिये।

6. बूथों का बलात् अधिग्रहण अथवा मतपत्रों को छीनकर जबरन चिह्न अंकित करने आदि को अधिक व्यापक रूप में रोकने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 138 में संशोधन किया जाना चाहिए तथा इससे सम्बन्धित दण्ड दो वर्ष की केन्द्र अथवा जुर्माना एवं छः माह की कैद रखनी चाहिये।

7. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के तहत धारा 123(7) और 79 (ख) के संशोधनों को समाप्त कर देना चाहिए।

(ख) सितम्बर, 1983 में प्रस्तावित सुझाव

1. सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग किए जाने को रोकने के लिए राज्यों में निर्वाचन से पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिये।

2. निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को वैधानिक अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।

3. निर्वाचन कर्तव्यों का निर्वाह न करने वाले सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध स्वतंत्र संगठनों से जांच करवाने एवं उन पर सुनवाई का आयोग को पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

4. निर्वाचन कर्तव्यों में लगे राजकीय कर्मचारियों को जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है वहीं मतदान का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

5. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों के उपयोग के लिए वैधानिक प्रावधान किये जाने चाहिए।

6. निर्वाचन आयोग को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित होने की घोषणा के बाद भी पुनर्मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिये।

7. दुर्बल लोगों के लिए चल मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये।

8. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिये तथा निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वाह हेतु आयोग का स्वयं का स्थायी स्टाफ होना चाहिये।

(ग) 1985 में आयोग द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव

1. निर्वाचन सभाओं में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर भविष्य में निर्वाचन लड़ने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

2. नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्यंक अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक की विधाकय/संसद/राजपत्रित कर्मचारी द्वारा प्रमाणित फोटो अवश्य लगायी जानी चाहिये।

3. सरकार के उपक्रम, वैधानिक निकायों एवं निगमों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक तथा बीमा निगम आदि के कर्मचारियों के निर्वाचन राजनीति में भाग लेने को बन्द करने हेतु आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिये ताकि स्वच्छ एवं स्वतंत्र निर्वाचन का हित बना रहे।

4. अनुच्छेद 188 के तहत सदन में ली जाने वाली शपथ के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67क और 76 में संशोधन होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के उपनिर्वाचन में विजयी एक सदस्य ने शपथ नहीं ली और न ही स्थान ग्रहण किया। न तो संविधान में और न ही निर्वाचन कानूनों में शपथ ग्रहण का अधिकतम समय निर्धारित है।

5. विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भारतीय दण्ड सहिता की धारा 178 (एच) में संशोधन कर निर्वाचन में अवैधानिक भुगतान को तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन लेखों को रखने में असफलता के प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिये।

6. अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों में चक्रानुक्रम सिद्धांत होना चाहिये ताकि इन लोगों को वहाँ भी लाभ प्राप्त हो सके जहाँ वे 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

7. राजनीतिक दलों द्वारा आयकर देने तथा उनके खातों का नियमित लेखांकन विधि द्वारा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

(घ) आयोग के सुधारों/सुझावों की 1990 के दशक में दिशा

निर्वाचन की त्रुटियों को दूर करने के लिए जितना प्रयास पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एन. शेषन ने किया उतना उससे पूर्व कभी भी देखने को नहीं मिला। श्री शेषन ने दिसम्बर 1991 में कार्यभार संभालते ही इस ओर जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया।

उन्होंने आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत कानूनों का पालन कठोरता से करवाना प्रारंभ कर दिया तथा समय–समय पर सरकार का भी निर्वाचन सुधार के लिए ध्यान आकर्षित करवाया। श्री शेषन के उत्तराधिकारी के रूप में आए गिल ने भी इसे सही दिशा प्रदान की। बहुसदस्यीय इस निर्वाचन आयोग के दो अन्य आयुक्तों के भी प्रयास प्रशंसनीय हैं।

निवर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों के निर्वाचन सुधार संबंधी प्रयासों तथा सुझावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. आयोग ऐसा मानता है कि निर्वाचन व्यय सीधा व्यवहारिक होना चाहिए। उसके अनुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए इसकी वर्तमान सीमा साढ़े चार लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर देनी चाहिए। आयोग का मानना है कि राजनीतिक दलों को धनशक्ति के दुरूपयोग से बिल्कुल मुक्त करने की दृष्टि से निर्वाचन व्यय की व्यवहारिक सीमा तय किया जाना चाहिये।[35]

2. आयोग ने राज्यसभा के सदस्यों चयन प्रक्रिया में प्रत्याशियों एवं उनके समर्थक कई व्यावसायिक घरानों द्वारा धन शक्ति के प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण माना। इस स्थिति में निर्वाचन को बचाने के लिए आयोग ने आयकर व राजस्व तथा गुप्तचर विभाग को कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये।[36]

3. आयोग के अनुसार गंभीरता से निर्वाचन न लड़ने वालों पर रोक लगायी जानी चाहिये। आयोग का मानना है कि संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन लड़ने के लिए क्रमशः 500 रूपये और 250 रूपये की वर्तमान राशि बेतुकी है। इसे बढ़ाकर दस हजार रूपये तथा पांच हजार रूपये किया जाए तो ऐसे प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने से कुछ हद तक मदद मिल सकेगी।[37]

4. निर्वाचन आयोग ने वर्तमान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य को, चाहे कोई भी कारण रहे, सरकारी खर्च पर निर्वाचन में सरकारी विमान के उपयोग की अनुमति पर पाबन्दी लगा दी, चाहे उन्हें उच्चतम सुरक्षा 'जेड प्लस' ही क्यों न प्रदान हो। आयोग के अनुसार यदि राजनीतिक नेताओं को विशेष सुरक्षा प्रदान कर रखी है और गुप्तचर अधिकारियों समेत सुरक्षा एजेंसियों ने उपयोग की अनुंशसा की है तो उन्हें सरकारी बुलेट प्रूफ वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी।[38]

5. आयोग ने निर्देश जारी किया कि मकान मालिक की इजाजत के बगैर दीवारों पर पोस्टर, झंडियाँ, बैनर, नारे आदि नहीं लिखें या चिपकाएँ। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा बनाया जा सकता है।[39]

6. यदि किसी अभ्यर्थी का शुभचिन्तक 10 रूपये से अधिक उसके निर्वाचन अभियान में खर्च करता है तो उसे अभ्यर्थी की लिखित इजाजत लेनी होगी।[40]

7. आयोग ने अभ्यर्थी द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नजर रखने हेतु आयकर, आबकारी और राजस्व विभाग के आयुक्त स्तर के अफसरों को निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया।[41]

8. अब निर्वाचन आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन पत्र भरते समय एक 50 पत्रों का रजिस्टर देता है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद से होने वाले हर खर्च का हिसाब अभ्यर्थी को रजिस्टर में रखना अनिवार्य है। खर्च–पर्यवेक्षक समय–समय पर इनका आंकलन एवं लेखांकन करते रहेंगे। निर्वाचन के बाद हिसाब न देने वालों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10(क) के तहत आगामी तीन वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने से रोका जा सकता है।[42]

9. आयोग ने कई स्थान पर बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मार देने के आदेश भी दिये हैं तथा मतदान के दौरान शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार से रैपिड एक्शन फोर्स की कम्पनियाँ भी लेकर तैनात की है।[43]

10. आयोग का यह भी मानना है कि निर्वाचन संचालन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए जहाँ तक संभव हो लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन साथ–साथ होने चाहिए।[44]

11. आयोग के अनुसार निर्वाचन में जाली मतदान को रोकने के लिए फोटो युक्त मतदान पत्र मतदाताओं को दिए जाने चाहिए किन्तु इन पहचान पत्रों को सीमित न रखकर बहु–उद्देश्यीय बनाए जाने चाहिए।

12. राज्य सभा के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे उसी राज्य का प्रतिनिधित्व करें जहाँ के वे मूल निवासी हैं। इसी आधार पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद का नाम वाशिम (महाराष्ट्र) संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया।[45]

13. स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करता है, जो अपना प्रतिवेदन सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजता है। इन विशेष निर्वाचन पर्यवेक्षकों को अधिकार क्षेत्र में जाति, धर्म, भाषा आदि का निर्वाचन में दुरूपयोग करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष की कारावास की सजा देना भी शामिल है। उसे निर्वाचन लड़ने के लिये अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

14. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1989 में संशोधन के बाद प्रथम बार बिहार के विधानसभा निर्वाचन में फरवरी, 1995 में बिहार पुलिस को भी अपने नियंत्रण में लिया।[46]

15. आयोग ने अप्रैल–मई 1996 के लोकसभा निर्वाचन तथा कुछ राज्यों की विधानसभा निर्वाचन हेतु एक आदर्श आचार संहिता लागू की जिसका सख्ती से निर्वाचन के दौरान पालन करवाने भरसक कोशिशें कीं।

(ड़) 1997 में आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव[47]

सितम्बर 1997 में मुख्य निर्वाचन आयोग डॉ. एम.एस. गिल के कार्यकाल में सरकार को निर्वाचन सुधार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये–

1. लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी की न्यूतनम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए। इसी प्रकार, राज्यसभा एवं विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष कर देना चाहिये।

2. एक से ज्यादा स्थानों पर एक ही समय में निर्वाचन लड़ने पा पाबंदी लगा देनी चाहिये।

3. भ्रष्ट आचरण के दोषी स्वतः अयोग्य घोषित मान लेना चाहिये।

4. जमानत राशि बचाने के लिये कुल वैद्य मतों के 1/6 के स्थान पर 1/4 मत प्राप्ति की अनिवार्यता लागू की जानी चाहिये।

5. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष अभिकरणों के द्वारा राजनीतिक दलों के खातों का सालाना परीक्षण होना चाहिये।

6. कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले धन को पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिये।

7. राजनीतिक दलों के मान्यता एवं मान्यता समाप्ति संबंधी वर्तमान नियमों को और ज्यादा सशक्त किया जाना चाहिये।

8. संसद के कानून द्वारा निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन एवं आरक्षण का नियमन होना चाहिये।

9. अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित स्थानों का आरक्षण एवं कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य स्थानों का चक्रानुक्रम में आवंटन होना चाहिये।

10. उम्मीदवार के पक्ष में राजनीतिक दल द्वारा किये गये खर्च को उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में ही माना जाना चाहिये।

11. प्रत्येक आम निर्वाचन में निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारण का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाना चाहिये।

12. राज्य द्वारा निर्वाचन में प्रत्याशियों को धन उपलब्ध कराने का प्रावधान बनाना चाहिये।

13. वर्तमान निर्वाचन पद्धति को बहुमत व्यवस्था/सूची व्यवस्था/मिश्रित व्यवस्था/ अन्य किसी व्यवस्था द्वारा परिवर्तित किया जाना चाहिये।

14. अनिवार्य मतदान हो।

15. आचार सहिंता को वैधानिकता प्रदान की जाये।

16. दल–बदल कानून में संशोधन हो।

17. रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन पर्यवेक्षक को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिये निर्वाचन आयोग को अधिकार दिये जायें।

18. निर्वाचन के संबंध में आदेशों एवं सिफारिश जारी करने का निर्वाचन आयोग को अधिकार प्रदान करना चाहिये।

19. लोक उद्यमों, सरकार द्वारा अनुदानित वैधानिक एवं गैर–वैधानिक निकायों आदि के कर्मचारियों को निर्वाचन कार्यों में लगाये जाने का वैधानिक प्रावधान किया जाना चाहिये।

20. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन हो।

21. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल उपरांत किसी भी सरकारी नियुक्ति के लिये आयोग्य माना जाये।

22. लोकसभा सचिवालय की भांति निर्वाचन आयोग का भी सचिवालय हो तथा निर्वाचन आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हो।

23. प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पूर्णतया निर्वाचन कार्य ही प्रदान किये जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त आयोग ने आठ अन्य सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव भी भेजे जिनका सम्बन्ध था–

1. राजनीति का अपराधीकरण।

2. निर्वाचन से सम्बद्ध अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की शक्तियां निर्वाचन आयोग में प्रदत्त किया जाना।

3. निर्वाचन कार्यों के दौरान निर्वाचन अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक।

4. परोक्ष मतदान।

5. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के विरूद्ध जिला में अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति।

6. निर्वाचन कार्यों हेतु पुलिस व्यवस्था के निर्धारण में अनिवार्यतः निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श।

7. निर्वाचन से सम्बद्ध झूठे साक्ष्य देने पर भ्रष्ट आचरण माना जाना।

8. निर्वाचन आयोग को नियम निर्माण के अधिकार प्रदान करना।

(च) जुलाई, 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझाव[48]

जुलाई, 2004 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एस. कृष्णामूर्ति द्वारा केन्द्र सरकार को निर्वाचन कनूनों में निम्न सुझाव प्रेषित किये –

1. अभ्यार्थियों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र में कुछ और सूचनायें संकलित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा सूचना छुपाने पर सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

2. लोकसभा निर्वाचन हेतु जमानत राशि 20,000 रूपये और विधानसभा हेतु 10,000 रूपये कर देनी चाहिए जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों के लिये इसे आधा कर देना चाहिए।

3. राजनीतिक अपराधिकरण को रोकने के लिए जघन्य अपराध हेतु न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निर्वाचन से अयोग्य माना जाना चाहिए।

4. एक व्यक्ति एक समय में एही निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन हेतु योग्य माना जाना चाहिए।

5. निर्वाचन से सम्बन्धित सर्वेक्षण आदि पर निर्वाचन प्रक्रिया के एक निश्चित समय के पश्चात रोक लगाई जानी चाहिए।

6. प्रिन्ट मीडिया में मिथ्या सामग्री के विज्ञापन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

7. निर्वाचन कानून में परिवर्तन करके मतदाताओं को उपयुक्त उम्मीदवार न होने पर किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने हेतु उपर्युक्त में से कोई नहीं का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

8. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के विरूद्ध जिला में अपीलिय अधिकारी की नियुक्ति।

9. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष अभिकरणों के द्वारा राजनीतिक दलों के खातों का वार्षिक परीक्षण होना चाहिये।

10. सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा अपनी उपलब्धियों के लिए किये जाने वाले विज्ञपनों को सामान्य निर्वाचन के छः माह पूर्व प्रतिबन्धित कर देना चाहिए।

11. दूरदर्शन एवं केबल नेटवर्क के द्वारा जारी राजनीतिक विज्ञापनों के नियन्त्रण हेतु उचित प्रावधान हों।

12. लोकसभा सचिवालय की भांति निर्वाचन आयोग का भी सचिवालय हो तथा निर्वाचन आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हों।

13. निर्वाचन कार्यों के दौरान निर्वाचन अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक।

14. दलबदल कानून में परिवर्तन हों।

15. निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली एक ही हो।

16. भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण हो।

(छ) 2009 के निर्वाचन में आयोग द्वारा दिये गये सुझाव[49]

1. निर्वाचक के पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, उम्र के साथ उसके माता/पिता/पति के नाम के साथ जन्मतिथि का उल्लेख किया गया।

2. फोटोयुक्त निर्वाचक सूची का निर्माण किया गया।

3. निर्वाचनों में जागरूकता के लिए टाटा चाय और बेंगलुर के गैर सरकरी संगठन की मदद से अभियान चलाया गया जो देश में मतदान तथा सही प्रतिनिधि के निर्वाचन की आवश्यकता पर बल देने सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों का जनसंचार माध्यमों से प्रचार करते रहे। हिन्दी सिनेमा के लोकप्रिय गाने ''पप्पू काण्ट डान्स'' ''पप्पू वोट नहीं डालता'' गाने का प्रचार काफी लोकप्रिय भी रहा।

4. कम्प्यूटर तकनीक का जबरदस्त प्रयोग किया। इसमें निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक सूची, अभ्यार्थियों का उल्लेख तथा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाएं जो मतदान से लेकर मतगणना तक को सम्मिलित करती है, का इन्टरनेट के माध्यम से उचित सांख्यिकी रूप से प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया।

5. निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट को काफी अद्यतन रखना प्रारम्भ किया।

6. निर्वाचन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाने के लिए बूथ लेवल पर माइक्रो–पर्यवेक्षकों की नियुक्ति प्रारम्भ की गयी। जो सीधे अपनी रिपोर्ट क्षेत्र में नियुक्त पर्यवेक्षकों को देते थे।

7. निर्वाचन की पारदर्शी प्रक्रिया में एन.सी.सी., एन.एस.एस. जैसी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया गया।

8. निर्वाचक सूची की कमियों को दूर करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गयी जो बूथ की व्यवस्था में भी संलग्न रहते हैं।

9. जोनल मजिस्ट्रेट की भांति सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये जाने लगे।

10. निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पादित करवाने में मददगार कार्मिकों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान किन्हीं भी कारणों से मृत्यु होने पर 10 लाख के हर्जाने की व्यवस्था की गयी।

11. स्त्री और पुरूष के इतर लिंग वालों को जहाँ पहले स्त्री वर्ग में रखा जाता था, अब 'अन्य' वर्ग के नाम से उनके लिए अलग से निर्वाचन नामावलियों में शब्द जोड़ा गया।

12. पर्यवेक्षण को अधिक सुचारू बनाने के लिए 'नोडल अधिकारियों' की नियुक्ति की गयी।

(ज) 2014 के निर्वाचन में आयोग द्वारा दिये गए सुझाव[50]

1. विजयी प्रत्याशी को 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए तथा जिससे वोटिंग वरीयता क्रम में हों।
2. सांसद के चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित रखी जाए। यह सीमा आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है।
3. प्रत्याशी केवल एक ही स्थान से चुनाव लड़े।
4. जो प्रत्याशी अथवा दल गलत सूचना दें, उन्हें जुर्माना देर छोड़ा ना जाए बल्कि दो साल की सजा दी जाए।
5. पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार आयोग का ही होना चाहिए। आयोग ही अपराध तय करेगा और वही दंड देगा।
6. सैकड़ों पार्टियां रजिस्टर्ड तो है, लेकिन मान्यता नहीं है। जबकि आयकर का लाभ केवल मान्यता प्राप्त दलों को ही मिलता है।
7. चुनाव प्रचार की सीमा 3 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह कर दिया। इससे आर्थिक तौर पर कमजोर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहूलियत मिली।
8. जमानत राशि में बढ़ोतरी करके चुनावी मैदान में अत्यधिक प्रत्याशियों के उतरने में कमी की गई।
9. सभी चुनावों की समान मतदाता सूची होनी चाहिए।
10. चुनावों में धांधली पर लगाम कसने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाए।
11. फोटोयुक्त मतदाता सूची का निर्माण किया गया।
12. मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

(झ) 2019 के निर्वाचन में आयोग द्वारा दिये गये सुझाव[51]

1. दो जगह से चुनाव जीतने वाले नेता खाली की गई सीट के उपचुनाव का सारा खर्च वहन करे इस बाबत कानून में संशोधन करें।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पार्टियों को मिलने वाले चंदे के पाई–पाई का हिसाब भी आयोग को देने का प्रावधान बनाने का आग्रह किया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों पर 20 हजार या इससे ज्यादा का चंदा मिलने के बाद ही उसका हिसाब देने की पाबंदी है, पार्टियां 20 हजार से कम का चंदा मिलने पर उसका स्त्रोत नहीं बताती और इसके लिए उन पर कोई पाबंदी भी नहीं है।
3. सरकार आयोग को आचार संहिता और अनुशासन का गंभीर व बार–बार उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल की मान्यता और रजिस्ट्रेशन रद्द करने या कुछ समय के लिए निलंबित करने का अधिकार दे।
4. चुनावों में सभी उम्मीदवारों को बराबर अवसर उपलब्ध कराने की गरज से पेड न्यूज पर लगाम जरुरी है ऐसे में सरकार आयोग को ये अधिकार दे कि पेड न्यूज से संबंधित लोगों और संस्थान के साथ ही लेनदेन की रकम का सार्वजनिक खुलासा किया जा सके इसके लिए पेड न्यूज को भ्रष्ट आचरण के दर्जे में शामिल करना जरुरी है।
5. आयोग ने युवा मतदाताओं के लिए भी सरकार को सुझाव दिए है कि अब नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए साल में एक के बजाय चार मौके मिलने चाहिए यानी अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के बीच भी नए मतदाताओं के नाम लिस्ट में जोड़ा जाए।
6. विधि आयोग ने भी वर्षों से सिफारिश और सुझाव दे रखे हैं सरकार अब विधिक प्रावधान के लिए इन्हें संसद से मंजूरी दिलाए।

♦♦♦♦

संदर्भ सूची

1. शेषन, टी.एन.'बोझिल मन की व्यथा कथा', नेशनल (1994) पृ. 84
2. पब्लिक एशिया, नवम्बर, 1989, पृ. 33
3. पब्लिक एशिया, नवम्बर, 1989, पृ. 33
4. पब्लिक एशिया, नवम्बर, 1989, पृ. 33
5. पब्लिक एशिया, नवम्बर, 1989, पृ. 33
6. बढ़ रहा है चुनावी खर्च 'कर्नल राज मोहन वाजपेयी' राज पत्रिका। फरवरी, 1996
7. बढ़ रहा है चुनावी खर्च 'कर्नल राज मोहन वाजपेयी' राज पत्रिका। फरवरी, 1996
8. बढ़ रहा है चुनावी खर्च 'कर्नल राज मोहन वाजपेयी' राज पत्रिका। फरवरी, 1996
9. www.anticrruption. Tripod. Com
10. निर्वाचन आयोग की वेब साइट पर दी गयी सारणी
11. शर्मा पद्मनाथ, 'भारत में निर्वाचन राजनीति' स्वरूप एण्ड सन्स, पृ. 150
12. शेषन, टी.एन., 'बोझिल मन की व्यथा कथा, 'पृ. 37
13. शेषन, टी.एन., 'बोझिल मन की व्यथा कथा, 'पृ. 37
14. शर्मा, डॉ. अशोक 'भारत में लोकतन्त्र एवं निर्वाचन' पृ. 173
15. गहलोत, एन.एस., 'इलेक्शंस एण्ड इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया', दीप एण्ड दीप, पृ. 333
16. राजस्थान पत्रिका, सम्पादकीय 'निर्दलियों की समस्या, 13 अप्रेल, 1996
17. आढ़ा, आर.एस., ''भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'', एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. 199
18. राजस्थान पत्रिका, सम्पादकीय, 28 मार्च, 1996
19. आढ़ा, आर.एस., ''भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'', एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. 202
20. राजस्थान पत्रिका, सम्पादकीय, 23 अप्रेल, 1996
21. शेषन, टी.एन., ''बोझिल मन की व्यथा कथा'', पृ. 97

22. शेषन, टी.एन., ''बोझिल मन की व्यथा कथा'', पृ. 96

23. आढ़ा, आर.एस., ''भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'', एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. 203

24. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 208

25. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 209

26. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 209

27. गहलोत, एन.एस, ''इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया दीप एण्ड दीप, पृ. 218

28. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 211

29. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 213

30. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 214

31. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 216

32. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 217

33. आढ़ा, आर.एस. भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर 2008, पृ. 218

34. www.eci.nic.in

35. आयोग की 5 अप्रेल, 1996 की बैठक में लिया गया निर्णय

36. फरवरी, 1996 में राज्यसभा निर्वाचन में इस प्रकार की कमी सामने आयी

37. 10 अप्रेल, 1996 को संवाददाताओ के सम्मुख निर्वाचन आयुक्त श्री एम.एस. गिल के विचार।

38. आयोग का 9 अप्रेल, 1996 को जारी किया गया आदेश

39. नवभारत टाइम्स, 22 जनवरी, 1995

40. नवभारत टाइम्स, 22 जनवरी, 1995

41. नवभारत टाइम्स, 22 जनवरी, 1995

42. राजस्थान पत्रिका, 1 फरवरी, 1995

43. बिहार की चार विधानसभा सीटों पर निर्वाचन में यह निर्णय 25 मई, 1995 को लिया गया।

44. आयोग का 6 दिसम्बर, 1995 का निर्णय

45. नवभारत टाइम्स, 7 जनवरी, 1995

46. राजस्थान पत्रिका, 4 दिसम्बर, 1994

47. www.eci.nic.in

48. www.eci.nic.in

49. www.eci.nic.in

50. www.eci.nic.in

51. www.eci.nic.in

पंचम अध्याय

पुनरावाहन के अधिकार (राइट टू रिकॉल) का विश्लेषण

अध्याय पंचम

पुनरावाहन के अधिकार (राइट टू रिकॉल) का विश्लेषण

वापस बुलाने के अधिकार (राइट टू रिकॉल) जनता का वह अधिकार है जिसके अनुसार यदि वह अपने किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है और उसे हटाना चाहते हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे वापस बुलाया (हटाया) जा सकता है।[1]

यह एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है जो मतदाता को एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संतुष्ट करने में सक्षम करने के लिए तैयार किया गया ताकि मतदाता एक याचिका पर हस्ताक्षर करके कार्यकाल की निश्चित अवधि पूरी होने से पहले उसे हटा सके। एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, संवैधानिक रूप से हटाने की शक्ति या तो लोगों द्वारा दी गई या आरक्षित है, जो कि देश में सरकार और संप्रभुता के सिद्धान्त पर निर्भर करती है।[2]

अनेक नेता अनुनय विनय करके वोट मांगते एवं जनता को अनेक कार्य करने का आश्वासन देते हैं परन्तु चुनाव के पश्चात जनता के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। ऐसी दशा में यदि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की जाती है तो जन प्रतिनिधि जनता से किये वादों के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें सदा यह भय बना रहेगा कि उन्होंने जनता के विपरीत कार्य किया तो वह जनता के द्वारा वापस बुलाये जा सकते हैं।

प्रसिद्ध समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने कहा था, 'जिंदा कौमें पाँच साल इंतजार नहीं किया करती।'[3]

निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार (राइट टू रिकॉल) का इतिहास काफी पुराना है। 5000 ईसा पूर्व वैदिक साहित्य में इस अधिकार की चर्चा हुई थी। प्राचीन काल में एंथेनियन लोकतंत्र से ही यह कानून चलन में था। बाद में कई देशों ने इस राइट टू रिकॉल को अपने संविधान में शामल किया। 600 ईसा पूर्व ग्रीस में राइट टू रिकॉल व्यवस्था लागू की गई। इस कानून की उत्पत्ति स्विटजरलैंड से हुई पर यह कई अमेरिकी राज्यों में चलन में आया। 1903 में लॉस एंजिल्स में एक नगरपालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में राइट टू रिकॉल शुरू किया। 1908 में मिशिगन और ओरेगान में पहली बार राइट टू रिकॉल राज्य के अधिकारियों के लिए लागू किया गया।[4]

ऐसे देश जहाँ राइट टू रिकॉल का प्रावधान है –

- निम्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक रिकॉल की पहल करते हैं और फिर उसे अनुमोदन मिलता है। नाइजीरिया, वेनेजुएला, बेलारूस, इक्वाडोर, इथोपिया, किर्गिस्तान, पलाऊ, लिचेंस्टीन आदि।
- निम्न देशों में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर नागरिकों द्वारा रिकॉल की पहल की जाती है और उसे अनुमोदन मिलता है – अर्जेंटीना, कोलम्बिया, क्यूबा, जर्मनी, पेरू, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका (18 राज्य) आदि।
- निम्न देशों में रिकॉल्स की पहल अधिकारी (अथॉरिटीज) द्वारा की जाती है और अनुमोदन (अप्रूवल) नागरिक कहते हैं – ऑस्ट्रिया, आइसलैंड, रोमानिया, सर्बिया, तुर्केमेनिस्तान आदि।
- निम्न देश में रिकॉल्स की पहल नागरिक द्वारा की जाती है और अनुमोदन अधिकारी करते हैं – यूगाण्डा आदि।[5]

संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 राज्यों में और 36 स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। वहाँ अभी तक हुए रिकॉल में से 75 फीसदी रिकॉल सिटी काउंसिल या स्कूल बोर्ड लेवल पर हुए हैं। कैलिफॉर्निया में 1911 से 32 बार गर्वनर के रिकॉल के प्रयास हुए हैं, लेकिन 2003 में अमेरिका के कैलिफॉर्निया प्रान्त में कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए गए, कार महंगी हो गई, बिजली गुल रहने लगी और ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ा दिया गया। इस सबसे जनता परेशान हो गई। तभी कैलिफॉर्निया की जनता ने 2003 में तत्कालीन गर्वनर ग्रे डेविस को सबक सिखाने की ठान ली। मौका भांप कर विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य डरेल ईसा ने 16 लाख डॉलर का चंदा देकर लोगों को गर्वनर डेविस के खिलाफ 'राइट टू रिकॉल' का इस्तेमाल कर उन्हें वापस बुलाने के लिए अभियान छेड़ने को प्रेरित किया। नौ लाख लोगों ने गर्वनर को हटाने के लिए दस्तखत किए। दरअसल कैलिफॉर्निया के नियम के मुताबिक, चुनाव में जितने लोगों ने वोट दिया है, उसके 12 प्रतिशत मतदाताओं को रिकॉल के लिए दस्तखत करना जरूरी होता है। वहाँ एक बात और, गर्वनर को हटाने तथा नया गवर्नर चुनने का मतदान एक साथ ही होता है। रिकॉल के लिए चुनाव हुआ। मैदान में 35 उम्मीदवार भी उतरे। रिपब्लिकन पार्टी ने अर्नाल्ड स्वार्जनेगर

को उतारा जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने डेविस के उप–गवर्नर क्रूज बस्टमेंट को। आखिरकार जनता ने डेविस को हटाकर स्वार्जनेगर को नया गवर्नर चुना रिकॉल का असर यह हुआ कि इस मतदान में स्वार्जनेगर को, डेविस के पूर्व चुनाव में जितने मत मिले थे, उससे साढ़े छह लाख मत अधिक मिले। जनता ने राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल कर डेविस को हटाया और स्वार्जनेगर को नया गवर्नर चुना। यह पहली बार मतदान के आधार पर निर्णय हुआ था। अमेरिका वह पहला देश था जहाँ राइट टू रिकॉल का चलन पूरी तरह से हुआ। 2004 में राइट टू रकॉल के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज को हटाया गया।[6]

भारत में राइट टू रिकॉल

भारतीय संदर्भ में यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो सदियों से राजधर्म की परम्परा चली आ रही है। वैदिक काल से ही किसी राजा के प्रशासन को सुचारू रूप से न चला पाने की स्थिति में उसे हटा दिया जाता था।

1925 में सचिन्द्र नाथ सान्याल ने राइट टू रिकॉल की बात की। सचिन्द्र नाथ सान्याल ने रामप्रसाद बिस्मिल के साथ एक क्रान्तिकारी संगठन की योजना बनाई और इसका मेनीफेस्टो तैयार किया और उसी में दिया गया देश में पहली बार राइट टू रिकॉल का आइडिया। इस संगठन (हिंदुस्तान रिपलब्लिक एसोसिएशन) के मेनीफेस्टो में लिखा था, "In this (new) Republic the electors shall have the Right to Recall their representatives, if so desired, otherwise the democracy shall become a mockery."A

1944 में मानवाधिकारी एम.एन. रॉय ने विकेन्द्रीकृत और हस्तांतरण योग्य ऐसी सरकार का प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रतिनिधियों के चुनाव और निष्कासन दोनों का ही प्रावधान हो। रॉय ने 1946 में लिखी अपनी पुस्तक ''द कानून–ड्राफ्ट कान्सटिट्यूशन ऑफ इंडिया'' में राइट टू रिकॉल का समर्थन किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 4 नवंबर, 1974 को केन्द्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन के दौरान चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार के लिए आह्वान किया था। 1977 में जनता सरकार और 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान भी राइट टू रिकॉल के अधिकार का उल्लेखनीय है। वैसे अब तक राइट टू रिकॉल यानी चुने हुऐ प्रतिनिधियों को

वापस बुलाने का अधिकार सिर्फ नारों तक ही सीमित दिखता है। इस बाबत किसी भी तरह के ठोस कानून को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई पहल नहीं की।[7]

सर्वोच्च न्याालय ने भी अपने एक फैसले में यह कहा कि 'राइट टू रिकॉल वर्तमान स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मैकनिज्म है जिसके माध्यम से लोगों को सशक्त किया जा सके।

रामसिंह बनाम राज्य सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, ''एक सभ्य' समाज में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह है, जिसका अगर समय पर पता नहीं लगाया गया तो देश की राजनीति में विनाशकारी परिणाम पैदा होना निश्चित है। यह एक प्लेग के रूप में कहा जाता है जो न केवल संक्रामक है, लेकिन अगर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो जंगल में आग की तरह फैलता है। इसके वायरस की तुलना एचआईवी एड्स से होती है जो कि लाइलाज होती है। इसे शाही चोरी भी कहा गया है। इस तरह के खूंखार संचारी रोग के संपर्क में आने वाली सामाजिक–राजनीतिक प्रणाली अपने स्वयं के वजन के तहत उखड़ने की संभावना है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था के विरोधी है तथा जनविरोधी ही नहीं बल्कि उन पर लक्षित भी है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करता है जब तक कली को जल्द से जल्द नंगा न किया जाए, तब तक स्वस्थ व धनी, समाज भी प्रभावित होगा तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली के अशांत होने की संभावना है।''

भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, और बिहार आदि राज्यों के नगर निकायों में राइट टू रिकॉल को लागू कर रखा है।

मध्यप्रदेश में राइट टू रिकॉल

सन् 2000 में मध्य प्रदेश के नगर निकायों में राइट टू रिकॉल को लागू किया। वापस बुलाने का अधिकार का सर्वाधिक प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ। 2001 से 2011 तक 27 बार रिकॉल प्रस्ताव आया है, जिनमें से 14 रिकॉल सफल रहे हैं। भारत में राइट टू रिकॉल का प्रयोग पहली बार मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में अनूपपुर के मतदाताओं ने किया था। 9 अप्रैल 2001 में नगर पंचायत की अध्यक्ष पल्लविका पटेल को वापस बुलाने या पद पर बनाए रखने के लिए मतदान हुआ था। कुल 5519 वोट पड़े, 3255 वोट खाली कुर्सी के पक्ष में और 1678 वोट भरी कुर्सी के पक्ष में। अर्थात जनता ने पल्लविका पटेल को अध्यक्ष पद से वापस बुला लिया।

मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले की सांची नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम बाई मेहरा को वापस बुलाने के लिए 24 मई 2001 को मतदान हुआ, खाली कुर्सी के पक्ष में 962 वोट तथा भरी कुर्सी के पक्ष में 1007 वोट पड़े थे और श्याम बाई 45 मतों से अपना पद बचाए रखने में कामयाब रही थी। रिकॉल प्रस्ताव के बावजूद अपना पद कायम रखने वाली देश की पहली महिला श्याम बाई मेहरा राइट टू रिकॉल की समर्थक रही है।[8]

छत्तीसगढ़ में राइट टू रिकॉल

2007 में छत्तीसगढ़ में नगर निकायों में राइट टू रिकॉल लागू हुआ। यहाँ सरकार ने राइट टू रिकॉल के लिए जरूरी संशोधन कर रखे है। नगरीय निकायों में तीन–चौथाई प्रतिनिधि कलेक्टर से लिखित में रिकॉल मतदान करवाने की मांग करते हैं। फिर सरकार के कहने पर राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराता है। 2008 में तीन नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल हुआ था और खूब चर्चा हुई थी। यहाँ पार्षदों को रिकॉल करने का हक भी जनता के पास है।

बिहार में राइट टू रिकॉल

2011 में बिहार में नगर निकायों में राइट टू रिकॉल लागू हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार म्यूनिसपल एक्ट को संशोधित कर राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने के अधिकार को उसमें शामिल किया। बिहार के पंचायती राज सिस्टम में निर्वाचित मुखिया को वापस बुलाये जाने का अधिकार पहले से ही यहाँ है। नगर निकायों के लिए लागू राइट टू रिकॉल में यह प्रावधान है कि किसी निर्वाचित निकाय प्रतिनिधि से संबंधित वार्ड के पचास फीसदी से अधिक मतदाताओं को एक हस्ताक्षरित आवेदन नगर विकास विभाग को देना है। विभाग को उस हस्ताक्षरित आवेदन के मेरिट को देखना है। अगर विभाग इस बात से सहमत है कि संबंधित वार्ड काउंसिलर ने दो–तिहाई मतदाताओं का विश्वास खो दिया है तो वह उक्त काउंसिलर को हटा सकता है। सरकार ने मतदाताओं को यह अधिकार दिया है कि वह अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुला सकता है जब उसे वह पसंद न आये।[9]

पंजाब में राइट टू रिकॉल

पंजाब में पंचायत कानून 1994 की धारा 19 के तहत चुने हुए पंच, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकते हैं। हाल ही में पटियाला के दीवानगढ़ गाँव में इस कनून का राजनीतिक इस्तेमाल भी देखने को मिला। 2008 में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से सरपंच बने जसविंदर सिंह को चार सहयोगियों ने अक्षम करार देकर उनके ढाई साल पूरे होते ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया।

राजस्थान में राइट टू रिकॉल

2009 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में राइट टू रिकॉल के प्रावधान किये गये, लेकिन नियम नहीं बने। 2012 में राजस्थान में राइट टू रिकॉल के नियम जारी हुए।

राजस्थान में पहली बार राइट टू रिकॉल का प्रयोग 12 दिसम्बर को हुआ। बारां जिले के मांगरोल नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ पार्षदों द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद अदालत के हस्तक्षेप से राइट टू रिकॉल के तहत 12 दिसम्बर को मतदान और 14 दिसम्बर को मतगणना हुई। इसमें मांगरोल की जनता ने पालिकाध्यक्ष अशोक जैन में फिर विश्वास जताया और अविश्वास प्रस्ताव को 3488 मतों के अंतर से गिरा दिया। 2009 में अशोक जैन निर्दलीय के रूप में 1465 मतों से जीते थे, लेकिन राइट टू रिकॉल वोटिंग में वे 3488 मतों से जीते हैं। इस तरह राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग एक बार ही हुआ है।[10]

रिकॉल की मतदान प्रक्रिया

वोटिंग के लिए दो ही विकल्प होते हैं, नेता को वापस बुलाना है, तो वोटर 'खाली कुर्सी' को वोट देते हैं और पद पर बनाए रखना है, तो 'भरी कुर्सी' को। अगर 50 प्रतिशत वोटर भी 'खाली कुर्सी' को वोट दें, तो कुर्सी खाली हो जाएगी और फिर चुनाव होंगे।

भारत में राइट टू रिकॉल होना चाहिए

अक्सर पूछा जाता है कि अगर राइट टू रिकॉल लागू हो जाता है, तो इससे क्या बदलाव होंगे। इस सवाल का तार्किक जवाब इस उदाहरण से समझना चाहिए – मान लीजिए, एक फेक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं। अगर सरकार एक ऐसा कानून बना देती

है, जिसके अनुसार फैक्ट्री मालिक पांच साल तक किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाल सकता। अब सोचकर देखिए वहाँ क्या होगा? मजदूर काम करना बंद कर देंगे, अनुशासनहीनता पर उतर आएगें। फैक्ट्री में काम नहीं होगा और फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अभी यही हो रहा है। हमारे सांसदों, विधायकों को पता है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद पांच साल तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता। इसलिए वे निरंकुश हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करने लगते हैं। मनमाने फैसले लेने लगते हैं। जनतारूपी मालिक की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। वे उन्हीं पर शासन करने लगते हैं, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। अगर राइट टू रिकॉल लागू हेाता है तो वे जनता की उसी तरह चिंता करेंगे, जिस तरह एक नौकर मालिक की करता है। जिन देशों में राइट टू रिकॉल लागू है, वहाँ नेता हो या अधिकारी, सब अच्छा काम करते हैं। अमरीका के राज्यों में राइट टू रिकॉल का दायरा काफी विस्तृत है। वहाँ जनता हाईकोर्ट के जज, गवर्नर, पुलिस कमिश्नर को भी वापस बुलाने का अधिकार रखती है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी व्यवस्था अगर हमारे देश में होगी, तो नेता, अफसरों में भय रहेगा। शाश्वत सत्य है कि भय ही व्यक्ति को जवाबदेह, नैतिक और ईमानदार बनाए रखता है। यह अधिकार मिलता है, तो तय मानिए की भ्रष्टाचार नगण्य स्तर तक पहुंच जाएगा। नेता जनता के हितों को ध्यान में रखने लगेंगे।

एक लोकसभा सांसद को वापस बुलाने के लिए प्रति रिकॉल मतदान अगर वर्तमान पद्धति से होगा, तो करीब 45 लाख रूपए खर्च होंगे, पर रिकॉल मतदान यदि एसएमएस या एटीएम के जरिये किया जाए तो मात्र 5 लाख रूपये खर्च होंगे। इसके बाद जो नया चुनाव होगा, उस पर अलग से खर्च होगा। यह खर्च फिलहाल 25 रूपये प्रति मतदान बैठता है। मतदाता ज्यादा होंगे, तो खर्च भी ज्यादा होगा। रिकॉल का खर्च इसलिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह चुनाव पूरे देश में तो होने नहीं है, चुनाव वही होंगे, जहाँ अयोग्य जनप्रतिनिधि होंगे। कोई नेता नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ राइट टू रिकॉल के तहत चुनाव हों। इसलिए वह अच्छे काम पर ध्यान लगाएगा।

राइट टू रिकॉल को विधानसभा व संसद के स्तर पर लाने से पहले कुछ चुनाव सुधार करने जरूरी है। अगर इन चुनाव सुधारों को लागू किए बिना राइट टू रिकॉल को विधानसभा व संसद के स्तर पर लाया गया, तो यह अधिकार 'बंदर के हाथ में उस्तरा' की कहावत को

चरितार्थ करेगा। इस अधिकार की आड़ में देश और जनता का नुकसान तो होगा ही, नेता भी अपना बहुत नुकसान करेंगे। प्रमुख चुनाव सुधार निम्न हैं –

1. जीतने के लिए 50 प्रतिशत वोट का होना आवश्यक हो

लोकसभा, विधानसभा चुनावों में कुल वोट का 10 से 20 प्रतिशत पाने वाले उम्मीदवार भी जीत जाते हैं। यानी 90 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा ठुकराया गया प्रत्याशी भी विजयी हो जाता है। 15वीं लोकसभा में 120 सांसदों ने ही 50 फीसदी से अधिक मत प्राप्त किए थे। राइट टू रिकॉल में 50 प्रतिशत मतदाताओं का पक्ष/विपक्ष में होना जरूरी है। अतः चुनाव सुधार यह करना पड़ेगा कि किसी भी प्रत्याशी को आम चुनाव में जीत के लिए 50 प्रतिशत मत लाने ही पड़ेंगे।

2. पार्टियां संभलकर टिकट बांटे

राजनीतिक पार्टियों को प्रत्याशी के चयन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए तथा अयोग्य लोगों को हर हाल में चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। प्रत्याशी के चयन में धन, बल, पहुंच, परिवार और चापलूसी को जरा भी महत्व नहीं देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अपने क्षेत्र में प्रत्याशी कम से कम पचास प्रतिशत से ज्यादा लोगों की पसंद का हो। पार्टियों को स्थानीय स्तर पर जनता की राय को ध्यान में रखते हुए ही योग्य उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए।

3. दागियों को दरकिनार किया जाए

यह हमारे देश का कानून है कि जेल में बंद निर्दोष आरोपी मतदान देने के अधिकार से वंचित रहता है, लेकिन कोई दागी प्रत्याशी जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत सकता है। भारतीय कानून की यह विसंगति तत्काल दूर होनी चाहिए। देश के कुल विधायकों और सांसदों में करीब–करीब एक तिहाई दागदार हैं। नेताओं द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र की कड़ी जांच होनी चाहिए। सरकार को कड़े कानून बनाकर ऐसे उपाय करने चाहिए की राजनीति दागियों–अपराधियों की शरणगाह न बने।

4. 'पार्टी पॉलिटिक्स' कुछ कम हो

आज की राजनीति कुल मिलाकर पार्टी के लिए, पार्टी के द्वारा, पार्टी की हो गई है। दलीय राजनीति अगर योग्यता को दरकिनार करती रहेगी, तो राइट टू रिकॉल का कोई

मतलब नहीं रह जाएगा। एक निकम्मा जाएगा, तो दूसरा निकम्मा आएगा। निर्दलीय प्रतिनिधि के खिलाफ रिकॉल प्रस्ताव को रोकना मुश्किल हो जाएगा। सर्वाधिक महत्व देश और राज्य का है, दल का नहीं। इसके लिए जरूरी यही है कि जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं वो केवल योग्य लोगों को ही आगे लाएं।[11]

5. राइट टू रिजेक्ट का विकल्प चुनाव के दौरान रखना

- किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करते समय यह सुनिश्चित हो जायेगा की सही प्रत्याशी ही चुना जाये और गलत लोग न चुने जा सके।
- आज की चुनाव व्यवस्था में यदि चुनाव में 10 अपराधी खड़े हैं तो उनमें से आपको किसी एक को चुनने की बाध्यता है।
- अब आपके पास एक और विकल्प सबसे नीचे होगा – ''इनमें से कोई न चुना जाये'', यदि आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने इसे मुहर लगा दी तो यह चुनाव रद्द माना जायेगा और इस लिस्ट के सभी प्रत्याशी दुबारा वह चुनाव लड़ने के लिए हमेशा के लिए अयोग्य घोषित हो जायेंगे यानि यदि विधायक के चुनाव में जनता ने रद्द किया तो वे सभी प्रत्याशी दुबारा विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
- ऐसा होने पर सभी पार्टियां ईमानदार लोगों को ही मैदान में उतारेंगी।[12]
- वर्तमान में राइट टू रिजेक्ट का प्रयोग निर्वाचन में किया जा रहा है।

इन सभी सुधारों को लागू होने पर ही संसद व विधानसभा में राइट टू रिकॉल लाया जा सकता है।

राइट टू रिकॉल के प्रमुख गुण व दोष

राइट टू रिकॉल के गुण

1. रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मतदाताओं को अपने पद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उन्हें बदलने के लिए एक निर्वाचित अधिकारी से असंतुष्ट होने में सक्षम बनाती है, जो उन्हें लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बना देगा।

2. राइट टू रिकॉल सही मायने में भारत को लोकतंत्र बना देगा। पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किसी भ्रष्ट या अक्षम व्यक्ति को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

3. राइट टू रिकॉल में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के आचरण की निगरानी के लिए समकालीन सार्वजनिक मुद्दों के पक्ष में खुद को रखने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता भी है।

4. इस कानून से चुने गए किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी को बाद में किसी भी समय जनता असन्तुष्ट होने पर बरखास्त कर सकती या पद से हटा सकती है।

5. इस कानून से 5 साल की गारंटी समाप्त ही हो जायेगी और लोग ईमानदारी से काम करने को बाध्य होंगे।

6. चुनावों के दौरान बड़े–बड़े वादे करके जनता से मुंह फेर लेने की गलत परम्परा खत्म होगी।

7. यह नागरिकों को निर्वाचित अधिकारियों पर नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका प्रदान करता है जो अपने घटकों का सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, या जो अनुत्तरदायी या अक्षम है।

8. राइट टू रिकॉल की वजह से विधायी कार्य होने लगेंगे तथा सदन में समय की बर्बादी रूकेगी।

9. योग्य और ईमानदार लोगों को राजनीति में मौका मिलेगा। दागी, भ्रष्टाचारी हाशिए पर चले जाएंगें।

10. क्षेत्र की दो–तिहाई मतदाता यदि विरोध में वोट दे तों सांसद/विधायक को अपने घर जाना पड़ेगा, तो यह सबका ध्यान रखकर काम करेंगे।

11. इस कानून से जनप्रतिनिधियों की तानाशाही समाप्त हो जाएगी और उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होगी, अभी वह संसद के प्रति जवाबदेह हैं।

12. राइट टू रिकॉल का प्रयोग जनता चुनाव के 6 महीने के बाद कभी भी कर सकती है।

13. यह तंत्र मानता है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि एक एजेंट है, एक लोकतांत्रिक राज्य में वह एक नौकर है मास्टर नहीं।

राइट टू रिकॉल के दोष

1. सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए प्रस्तुत याचिका पर वास्तविक मतदाताओं के हस्ताक्षर हैं?

2. यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर जाली नहीं हैं?

3. यह लोकतंत्र की अधिकता को जन्म दे सकता है, जहाँ एक चुनाव का खतरा निर्वाचित अधिकारियों की स्वतंत्रता को कम करता है।

4. यह अच्छे अधिकारियों का चुनाव करने और अगले चुनाव तक उन्हें शासन करने का अवसर देने के सिद्धान्त को कमजोर करता है, और यह अच्छी तरह से वित्तपोषित विशेष हित समूहों द्वारा दुर्व्यवहार का कारण बन सकता है।

5. राइट टू रिकॉल की मौजुदा प्रक्रिया जटिल है। अभी इसमें आम आदमी की सीधी भागीदारी नहीं है, रिकॉल के बारे में पहले नेता तय करते हैं और उसके बाद मामला जनता के दरबार में जाता है।

6. जनप्रतिनिधि तात्कालिक फैसले ज्यादा लेंगे, लोकलुभावन राजनीति बढ़ेगी, दूरगामी फैसले कम होंगे, राजनीति में अस्थिरता बढ़ेगी।

7. अनुचित भय – प्रतिनिधि लगातार दबाव में रहेगा जिस तरह से लोग काम करवाना चाहते हैं उन्हें समाज के सभी सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत निर्णय लेने की क्षमता वाला एक समझदार व्यक्ति माना जाता है। लगातार भय उसे सख्त या अच्छे फैसले लेने से रोक देगा। (उदा. – यातायात के मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए सड़क के विस्तार के लिए मंदिर/मस्जिद को ध्वस्त/विस्थापित करने की अनुमति।)

8. कोई निश्चितता नहीं – राइट टू रिकॉल से प्रतिनिधि के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है। इस अनिश्चितता के कारण उन योजनाओं/नीतियों को बनाना कठिन हो जाता है जो दीर्घावधि में पर्याप्त परिणाम देती हैं। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने

के लिए, उसे तुरंत परिणाम देने वाली योजनाओं और निर्णयों को लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

9. राजनीति में वृद्धि – प्रतिनिधि की छोटी सी गलती को लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के द्वारा रिकॉल चुनाव की मांग कर दी जाती हैं इस समस्या से बाहर निकलना होगा यह अनावश्यक राजनीतिक खेल को जन्म देता है।

10. आन्तरिक राजनीति – पार्टी के प्रतिद्वंद्वी ही नहीं पार्टी के सदस्य भी सीट हथियाने के इरादे से मौजूदा उम्मीदवार को खेल से बाहर करने की साजिश रचते रहेंगे।

11. लोगों को खुश करना – प्रतिनिधि लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते रहेंगे। (जैसे – सड़क बनाना जहाँ पहले से सड़क बनी हुई थी।)

12. आतंक और शासन के लिए गुंजाइश – जो प्रतिनिधि छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग करते हैं, वे बल का प्रयोग उन लोगों को धमकाने के लिए करेंगे जो राइट टू रिकॉल के तहत फिर से चुनाव की मांग करते हैं।

13. अस्थिरता – राज्य में लगातार उथल–पुथल होगी और राजनेता विकास के लिए काम करने के बजाय सीट बचाने में व्यस्त रहेंगे।

14. भ्रष्टाचार – राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी लोगों के एक समूह को रिश्वत दे सकते हैं और उन्हें वर्तमान उम्मीदवार के खिलाफ राइट टू रिकॉल के तहत चुनाव की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अन्य तरीके से वर्तमान उम्मीदवार लोगों को रिश्वत देने की मांग करते हुए उन्हें चुप करा देंगे।

15. अधिक व्यय – रिकॉल के लिए जब मतदान होंगे, तो सरकारी खर्च बढ़ेगा। विधायिका पर होने वाला खर्च अभी ही बोझ साबित हो रहा है, यह और बढ़ेगा।[13]

राइट टू रिकॉल की प्रमुख समस्याएँ

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और सबसे अहम् अलग–अलग बौद्धिक स्तर के लोग रहते हो, वह इसे लागू करने से पहले काफी सोच विचार की जरूरत है। प्रणब मुखर्जी, जब वित्त मंत्री थे उन्होंने भी क्रियान्वयन की समस्या को लेकर कहा था कि राइट टू रिकॉल के क्रियान्वयन में प्रमुख समस्या दो चीजों को लेकर रहेगी –

1. किस मानदंड के आधार पर राइट टू रिकॉल को लागू करने की अनुमति देनी चाहिए।

2. क्या ऐसे मानदंड संविधान की सीमा का पालन करेंगे।[14]

इस राइट टू रिकॉल में सबसे बड़ा पेच यह है कि आखिरकार सरकारी अधिकारी यह कैसे तय करेंगे कि संबंधित काउंसिलर के खिलाफ दो–तिहाई वोटरों का जो हस्ताक्षरित आवेदन आया है वह सही है। सच में वे उस इलाके के वोटर हैं या नहीं? इतने बड़े स्तर पर हस्ताक्षर जुटाने में घपला नहीं हुआ कैसे संभव है?

आयोग ने कहा है कि ऐसा करना भारत जैसे बड़े देश में कारगर नहीं होगा। कई विकसित देशों में मौजूद निर्वाचन प्रतिनिधियों को 'वापस बुलाये जाने का अधिकार' जैसे प्रस्ताव का विरोध करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि ऐसा करने से देश विशेषकर उन क्षेत्रों में 'अस्थिर' हो जाएगा जहाँ लोग पहले से ही खुद को अलग–अलग महसूस करते हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जब अपना 68वां गणतंत्र दिवस बना रहा था तब एक बात जो हर आम आदमी के मन में आनी लाजमी थी; वो यह थी कि क्या भारत वाकई उस गणतंत्र की संकल्पना को साकार कर पाया है जिसकी आत्मा संविधान की प्रस्तावना में लिखित है।

कहने को यह प्रश्न सुनने में अजीब कहा जा सकता है। लेकिन सैद्धान्तिक और नैतिकता के पैमाने पर यह प्रश्न पूरी तरह से खरा उतरता है जिस संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान और सही मायनों में देश की आत्मा है में लिखा है कि देश में समता का अधिकार होगा, सभी लोगों को बढ़ने के बराबर अवसर मिलेंगे और किसी से भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा। क्या ऐसे सभी वचनों को जो संविधान भारत के लोगों को देता है उसे पूरा करने में कामयाब दिखता है।

वैसे संविधान या उसकी प्रस्तावना के ऊपर चर्चा अनंत और असीमित है जिस पर सीमा लगाना और बांधना असंभव सा है। लेकिन फिर भी इस पर चर्चा भी जरूरी है। यह देखना भी जरूरी है कि क्या संविधान की यह प्रस्तावना में जो दायित्व सरकार और लोगों को दिए गए हैं वह इसे पूरा करने में कामयाब हुए हैं की नहीं।

संविधान देश की आत्मा है इसमें कोई शक नहीं है और इसमें लिखित प्रस्तावना इसकी आत्मीयता को दर्शाता है जिसके तहत वो लोगों को सरकार से, सरकार को लोगों से और दोनों को संविधान से जोड़ती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए है कि उसने अपने संविधान की आत्मीयता को हमेशा से जीवित रखने का प्रयास किया है। संविधान की मूल भावना और उसकी आत्मीयता भारत में मरी नहीं है।

फिर भी क्योंकि कोई भी चीज पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होती, हर राम 'पुरूषोत्तम' नहीं होता; हर वाणी 'मधुर' नहीं होती; हर दिन एक जैसा नहीं होता वैसे ही संविधान में जो दायित्व लिखे हैं वो भी शायद पूरे नहीं हुए है। जिस प्रजा को संविधान में राजा का दर्जा दिया है वो आज मात्र एक 'वोटर' बन कर रह गया। साथ ही जिस 'राजा' को संविधान में 'सेवक' बताया गया है वो 'महाराजा' बन गया है। आखिर 'राजा' और 'प्रजा' के सम्बन्ध में जो यह संतुलन बिगड़ा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है अगर यह असंतुलन आया है तो संभव ही इसके लिए कोई जिम्मेदार भी होगा।

'अस्वीकार करने के अधिकार' संबंधी प्रावधान शामिल करने के प्रस्ताव पर एस. वाई. कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों के प्रति नाखुशी जाहिर करने का मतदाताओं को अधिकार देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (इवीएम) में नियम 49–ओ के तहत एक अलग बटन रखे जाने के समर्थन में है, लेकिन 'राइट टू रिजेक्ट' जैसे प्रस्ताव के बारे में उसका मानना है कि इसके परिणामस्वरूप बार–बार चुनाव होंगे। 'चुनाव नियम आचार' के नियम 49–ओ के तहत कहा गया है कि अगर कोई वैध मतदाता वोट नहीं डालता चाहे और इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लाना चाहे तो एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कुरैशी ने सीएनएन– आईबीएन प्रकरण थापन के कार्यक्रम 'डेविल्स एडवोकेट' में कहा कि हमारी मुख्य आशंका यह है कि अगर हमने सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया तो हमें एक और चुनाव कराना होगा और लोग भले ही चुनाव से ऊब जाने की शिकायत कर रहे हैं।

बहरहाल, चुनाव आयोग को अन्ना हजारे के साथ चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है, जिन्होंने सुझाव दिया है कि अगर चुनावों में करोड़ों रूपये खर्च कर रहे सभी उम्मीदवारों को मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया तो इससे वे अत्यधिक खर्च नहीं करेंगे और चुनावी खर्च भी नियंत्रित हो जाएगा। एस. वाई. कुरैशी ने कहा कि हमारा इस बारे में खुला नजरिया है। अगर कोई प्रस्ताव व्यापक तौर पर अच्छाई के लिए है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। मैं इस

दिलचस्प पहलू के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और देखूंगा कि इसके क्या परिणाम होते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी इस महीने के अंत में अन्ना हजारे से मुलाकात होने वाली है। सीईसी ने कहा कि 'अस्वीकार करने के अधिकार' संबंधी प्रावधान को शामिल किए जाने से उसका विशेषकर कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में गैर इरादतन राजनीतिक संदेश के रूप में दुरूपयोग हो सकता है जहाँ लोग पहले से ही खुद को अलग–थलग महसूस करते हैं। एस.वाई. कुरैशी ने ईवीएम में 49–ओ के तहत बटन रखे जाने का पक्ष लिया, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के प्रति नाखुशी जाहिर करने में मदद मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमें देश के लिए हर बात के नतीजों पर गौर करना होगा। कुरैशी ने कहा कि अस्वीकार कर देने के अधिकार के नकारात्मक पक्ष की बजाय आप अच्छे उम्मीदवार को क्यों नहीं चुनते। इन्होंने कहा कि आयोग ने सिफारिश की है कि ईवीएम में 49–ओ बटन रखते हुए मतदाताओं की निजता की सुरक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप मतदान करने नहीं जाते हैं तो कोई आपकी जगह जाकर आपका वोट डाल सकता है। इसे रोकने के लिए हमने 49–ओ बटन का सुझाव दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बटन के मायने अस्वीकार कर देने के अधिकार से नहीं है। इसके मायने सिर्फ यही है कि आप किसी उम्मीदवार के खिलाफ अपने विचार जाहिर कर सकेंगे। इसे मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। वापस बुलाए जाने के अधिकार संबंधी प्रस्ताव के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में यह कतई संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में ऐसा है। पंचायत के चुनाव में ऐसा हो सकता है।[15]

राइट टू रिकॉल के पक्ष व विपक्ष में तर्क

अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का मतदाताओं का अधिकार लोगों के प्रति निर्वाचित विधायक की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तरीका है। एक विधायिका, केन्द्र या राज्य के लिए चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने को एक लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है, जिसके द्वारा नागरिकों को पद समाप्त होने से पहले विधायक को हटाने या प्रभाव में लाने की शक्ति निहित होती है। यह शक्ति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह मतदाताओं को उन व्यक्तियों के प्रदर्शन की जांच करने की अनुमति देता है जिन्हें वे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं। वापस बुलाने की यह प्रक्रिया फायदेमंद है क्योंकि यह एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों की पूर्ति और

सेवाओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है। यह तय करने के लिए घटक का विशेषाधिकार बन जाता है कि क्या एक गैर–प्रतिनिधि प्रतिनिधि को पूर्ण कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने दिया जाए या नहीं, क्योंकि सरकारी खजाने को खराब प्रदर्शन का खर्च उठाना पड़ता है जो कि वास्तव में आम जनता का खजाना है। याद रखने का अधिकार इस बात की भी जांच करता है कि लोगों के प्रतिनिधि अपने पद का दुरूपयोग कर रहे हैं या नहीं।

आज समय की मांग है कि 'राइट टू रिकॉल' को सूचना के अधिकार की तरह लाया जाए। देश की जनता को वो शक्ति दी जाए जिससे वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि पर दबाव बना सके। साथ ही उन चुने हुए प्रतिनिधियों को इस बात का डर हमेशा से बना रहे कि अगर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो जनता उनको संसद से खदेड़ देगी। आखिर क्यों नहीं वर्तमान सरकार राइट टू रिकॉल लेकर आती है। बात जब सांसदों के मानदेय बढ़ाने की होती है और ऐसा कोई विधेयक (बिल) संसद में आता है तो (सभी पार्टियों के) सारे सांसद आंख मूँद कर उसके समर्थन में अपना वोट दे देते हैं। लेकिन बात जब राइट टु रिकॉल की होती है तो सारे सांसद एकदम से मौन हो जाते हैं।

आखिर क्यों नहीं जनता को अधिकार मिले कि अगर उनका प्रतिनिधि (सांसद, विधायक) उनके क्षेत्र में काम नहीं करता है तो वे उनका पद छीन ले। राइट टू रिकॉल आज समय की जरूरत है। एक ऐसे समय में जब सांसद संसद में चर्चा कम हल्ला ज्यादा करते हैं। लोगों की समस्याएं उठाने की बजाए हंसी–ठिठोली करते हैं। चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में राइट टू रिकॉल एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। मसलन इसको लेकर अलग–अलग तरह के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस वाई कुरैशी इसके अमलीजामे को कठिन बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के विचारक एम जी वैद्य इसे जरूरी और संभव मानते हैं।

सवाल यह है कि इसको लाने की जिम्मेदारी लेगा कौन? कोई नाम याद नहीं आता? अन्ना हजारे एक नाम आता है? जिन्होंने लोकपाल के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पर हुआ क्या लोकपाल कानून बनने के बाद भी लोकपाल अभी तक नियुक्त नहीं हो पाया है। तो फिर आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? जी, जिम्मेदारी के नाम पर लोग भागने लगे हैं। बात चाहे नेता की हो या फिर जनता की दोनो ही इस पहलू पर खरे नहीं उतरते हैं। नेता, चुनाव में जो वादा करता है वो जीतने के बाद भूल जाता है और दूसरी तरफ जनता है

जो जिताने से पहले और बाद में ये तक नहीं जानती की मेरा नेता कौन है। वो इसलिए है कि अगर ऐसा होता तो देश की संसद में स्वच्छ छवि के नेताओं की कमी नहीं होती।

राइट टू रिकॉल का सकारात्मक पक्ष

जब से अन्ना हजारे के द्वारा राईट टू रिकॉल तथा राइट टू रिजेक्ट को सुझाया गया है तभी से जनता और सरकार में इसकी चर्चा होने लगी है यहाँ तक की मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस सुझाव पर सरकार को अमल करने की सिफारिश की है देश में चुनावों में जिस तरह दागी प्रत्याशियों के भाग लेने के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए इस सुझाव के सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है हालांकि इसको अमल में लेके आना इतना आसान नहीं होगा जितना की ये लिखने या बोलने में प्रतीत होता है।

वैसे तो विश्व के कुछ देशों में इससे संबंधित कानून लागू है लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और सबसे अहम अलग–अलग बौद्धिक स्तर के लोग रहते हो, वहाँ इसे लागू करने से पहले काफी सोच विचार की जरूरत है इसे लागू करने के उद्देश्य से टीम अन्ना ने सुझाया कि क्यों न एक राइट टू रिजेक्ट का एक बटन वोटिंग मशीन में दे दिया जाए। जिसे दबाकर लोग सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकें। शायद इस सुझाव में कई सहमत हो जाए लेकिन ऐसा करना खतरनाक ही नहीं बल्कि न्यायोचित भी नहीं होगा। चुनाव चाहे स्थानीय हो, राज्य स्तरीय हो या फिर देश स्तरीय, एक ही पद के लिए कई पार्टियों के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में होते हैं वैसे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इन उम्मीदवारों में से लगभग 95 प्रतिशत कहीं न कहीं दागी होते हैं विशेषकर विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में तो ये आंकड़ा कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन ये सोच भी गलत होगी की पूरी दाल ही काली है। भले ही कम संख्या में सही अभी भी राजनीति में साफ छवि के लोग मौजूद है इसको ध्यान में रखते हुए सबको सिरे से नकारने वाला बटन इन साफ छवि के लोगों के साथ नाईंसाफी होगी, दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि ऐसे किसी बटन का होना कुछ शरारती किस्म के लोगों के लिए एक खेल की तरह भी लिया जा सकता है जिसका नतीजा ऐसे वोटो का बे वजह जाना ही होगा।

इसको लागू करने का एक उपाय ये हो सकता है कि पहले तो वोट व्यक्ति विशेष को देखकर दिए जाये न की उसकी पार्टी को देखकर, क्योंकि जनता से रूबरू उसे ही होना है, चुने हुए प्रत्याशी को इसके बाद उसके द्वारा पेश किये गये वादों के आधार पर या तो

निष्पक्ष समिति के द्वारा सलाना जांच की जाये अथवा जिले के उन लोगों के बीच उसके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करवाई जाये। इस समीक्षा के आधार पर यदि उसे एक ऊंचा प्रतिशत प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि जनता उससे खुश है, कम प्रतिशत मिलने वाले का स्वाभाविक तौर पर रिजेक्शन हो जायेगा।

इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि राय किन लोगों से ली जा रही है हालांकि लोकतांत्रिक देश होने के नाते सभी को अपनी राय देने का हक है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिन्होंने प्राकृतिक और कानूनी तौर पर परिपक्वता की आयु को तो पा लिया है लेकिन अफसोस की वो अपनी परिपक्व राय देने में सक्षम नहीं है। दूसरा ऐसे लोगों की राय भी ठीक उसी तरह खरीदी जा सकती है जिस प्रकार से वोट खरीदे जाते हैं इसलिए इस कदम में एहतियात लेना अति आवश्यक है।

जिस प्रकार से कानून में प्रावधान है कि दोषी को अपराधी करार देने से पूर्व उसको सफाई देने का अवसर दिया जाता है ठीक उसी तरह सभी को बिना मौका दिए नकारना भी ठीक नहीं है। एक समस्या और खड़ी हो सकती है कि यदि कोई प्रत्याशी साल दो साल बाद इस कानून के तहत खारिज हो जाये तब क्या नए सिरे से चुनाव करना भारत जैसे देश में जो पहले से ही कर्जे के बोझ में दबा है जो देश के लिए काफी खर्चीला और चुनाव से जुड़े कर्मचारियों, पुलिस और लोगों की समय की बर्बादी भी होगी ऐसे में यह किया जा सकता है कि दूसरे नंबर के प्रत्याशी को मौका दिया जाये जो नंबर तीन तक अपनाया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर पहले तीन नंबर पर आये प्रत्याशियों के बीच बहुत कम अंतर होता है जिसका मतलब है कि वो तीनों ही प्रत्याशी जनता में लोकप्रिय है।[16]

राइट टू रिकॉल के लिए वरूण गांधी का लोकसभा बिल

भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और लोकसभा सांसद वरूण गांधी ने कहा कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन्हें चुनने वाले लोगों को वापस बुलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। साथ ही वरूण गांधी ने कहा कि गैर राजनीतिक परिवारों के लोगों को प्रतिभा के आधार पर राजनीति में आना चाहिए न कि जाति और धर्म के मुद्दों पर।

उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना कठिन नहीं है लोगों को राइट टू रिकॉल मिलना चाहिए और मैं इस विधेयक को (निजी विधेयक के तौर पर) संसद में पेश करूंगा, ताकि

सुनिश्चित किया जा सके कि लोग अपने प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में उन्हें हटा सके।

वरूण गांधी का बिल

भाजपा नेता वरूण गांधी ने यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि एमपी और एमएलए चुने जाने के 2 साल के भीतर वोटर इन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। बिल के मुताबिक इनको वोट करने वाले 75 फीसदी वोटर अगर इनके प्रदर्शन से खुश नहीं होते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए।

कैसे किया जा सकता है रिकॉल

वरूण गांधी ने बिल में रिकॉल शुरू करने की पूरी प्रक्रिया भी बताई है। बिल के मुताबिक चुनाव क्षेत्र का कोई भी जिम्मेदार वोटर रिकॉल प्रोसेस की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। इसके लिए उसे लोकसभा स्पीकर के सामने एक याचिका दर्ज करनी होगी। इस याचिका पर क्षेत्र के कम से कम एक चौथाई वोटरों के हस्ताक्षर होने जरूरी होंगे। याचिका की सत्यता की जाँच करने के बाद स्पीकर इसे चुनाव आयोग के पास वेरीफिकेशन और वोटरों के हस्ताक्षरों की जांच के लिए भेज सकते हैं। आयोग हस्ताक्षरों की जाँच करने के लिए भेज सकता है। आयोग हस्ताक्षरों की जांच करने के बाद संबंधित एमपी और एमएलए के चुनाव क्षेत्र में कम से कम 10 जगहों पर वोटिंग करवाएंगे।

वोटिंग के दौरान अगर तीन चौथाई मतदाता (जिन्होंने चुनाव के दौरान वोट डाले हो) अगर संबंधित नेता को रिकॉल करना चाहते हैं तो उसे उस पद से हटाया जाना चाहिए। रिजल्ट आने के 24 घण्टों के भीतर स्पीकर इसकी जानकारी आम जनता को देगा। सीट खाली होने के बाद आयोग फिर से उस क्षेत्र में चुनाव कराएगा। वरूण गांधी ने कहा कि मुक्त और न्यायसंगत चुनाव हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे में अगर उनका चुना हुआ नेता बेहतर काम नहीं करता है, तो उसे हटाये जाने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए।[17]

सर्वप्रथम राइट टू रिकॉल की बात उठाने वाले अन्ना हजारे ने भी वरूण गांधी को अपना समर्थन दिया। इसके साथ अन्ना ने कहा कि राइट टू रिकॉल के साथ राइट टू रिजेक्ट का कानून होना चाहिए।

बॉन या बान : एक कानूनी व्यक्ति : राइट टू रिकॉल

कानूनी न्यायशास्त्री ने राइट टू रिकॉल की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर हम सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 की धारा 16 का दुरूपयोग करते हैं, तो नियुक्ति करने की शक्ति में भी नियुक्त व्यक्ति को खारिज करने की शक्ति शामिल होगी। इस प्रकार चुनाव करने की शक्ति में वापस बुलाने के अधिकार की शक्ति भी शामिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णयों में न्यायिक सक्रियता की एक मजबूत लहर दिखाई है जिसके द्वारा जनता की मांग को निर्णय लेने में प्राथमिकता दी गई है। मौलिक अधिकारों के लिए एक व्यापक दायरा दिया गया है और कई मौलिक सिद्धान्तों के लिए एक व्यापक दायरा दिया गया है और कई मौलिक सिद्धन्तों को मौलिक अधिकारों को देने के लिए उठाया गया है। वह दिन दूर नहीं जब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के व्यापक दायरे के भीतर वापस बुलाने के अधिकार को भी शामिल किया जाएगा या इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता इसके समावेश को निर्धारित करेगी।

भारतीय संविधान में भारत को संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र होने का उल्लेख है। लोकतंत्र शब्द संविधान के मौलिक अधिकार खंड में कहीं भी उभर कर नहीं आता है। मतदाताओं की पसंद प्रतिनिधियों की उस सूची तक सीमित है जो वोटिंग मशीनों में प्रदान की जाती है। नागरिकों को दिए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का भी अधिकार होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना बुनियादी संरचना बनाती है और लोकतंत्र की अवधारणा को संविधान के भाग तृतीय में उम्मीदवारों को अस्वीकार करने (राइट टू रिजेक्ट) तथा गैर–निष्पादित विधायकों को वापस बुलाने के अधिकार (राइट टू रिकॉल) के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना चाहिए।

- 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में विशेष रूप से वापस बुलाने या अस्वीकार करने के अधिकार का उल्लेख नहीं है। द कंडक्ट आफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 49–ओ में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जब एक वैध मतदाता अपना वोट नहीं डालने का फैसला करता है, और इस तथ्य को रिकॉर्ड करने का फैसला करता है।

- जस्टिस सच्चर ने संविधान की लोकतांत्रिक भावना को वापस बुलाने और अस्वीकार करने के अधिकार का आह्वान करके सुधारवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है।[18]

राइट टू रिकॉल के प्रति विशेषज्ञों की राय

कुछ विशेषज्ञों ने भी राइट टू रिकॉल पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है तथा राइट टू रिकॉल को लागू होना जरूरी बताया है यह निम्न है –

1. सोमनाथ चटर्जी : पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व वरिष्ठ माकपा नेता – यह कहते हैं कि अभी बहुत गड़बड़ चल रही है। सांसद, तथा विधायक सदन को चलने नहीं देते। दुर्भाग्य यह है कि जिस जनता से इनको चुनकर भेजा है ये उसकी भी चिंता नहीं करते। जवाबदेही नहीं है। लोगों में इनके प्रति बहुत शिकायत है। अगर राइट टू रिकॉल लागू होता है, तो जनप्रतिनिधियों में एक डर कायम होगा। उनमें जवाबदेही की भावना पैदा होगी। राइट टू रिकॉल के रूप में जनता को एक मौका तो देना चाहिए।
2. त्रिलोचन शास्त्री : निदेशक, एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स – यह कहते हैं कि राइट टू रिकॉल एक ऐसा हथियार है, जिससे जनता अपने प्रतिनिधि को सही रास्ते पर ला सकेगी। कुछ नियम बना देने चाहिए, जिनका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल लाया जा सके। मसलन, किसी पर अगर गंभीर आपराधिक या भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई सदन से लगातार अनुपस्थित है या किसी ने दल–बदल किया है। इससे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे और उनमें डर कायम होगा।[19]

राइट टू रिकॉल के बारे में हरिकिशन शर्मा ने भी अपने लेख में लिखा है कि नेता अक्सर चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। सांसद, विधायक या मंत्री बनकर पांच साल सत्ता का सुख भोगते हैं और मतदाताओं से किए वादों की अनदेखी करते हैं। मतदाताओं के पास अगर चुनने के साथ–साथ माननीयों को वापस बुलाने का अधिकार (राइट टू रिकॉल) हो, तो नकारा नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। दुनिया भर में 'राइट–टू–रिकॉल' का कई जगह इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी इसकी मांग जोर पकड़ रही है लेकिन सरकार और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर उदासीन हैं।

राइट टू रिकॉल का प्रतिक्रियात्मक पक्ष

राइट टू रिकॉल को जहाँ आवश्यक माना जा रहा है वहीं कुछ लोग उसे गलत भी बताते हैं तथा राइट टू रिकॉल के समर्थन करने वालों का विरोध भी किया। राइट टू रिकॉल के प्रति कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हुई जो इस प्रकार है–

- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एसवाई कुरैशी के पद पर रहते अपने आखिरी दिन में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयुक्त चुनने के लिए कॉलेजियम की मांग की जिसे खारिज कर दिया तथा राइट टू रिकॉल की मांग सांसदों की टीम अन्ना हजारे ने की थी उसे भी एस.वाई. कुरैशी ने खारिज कर दिया था। कुरैशी ने कहा कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि वह चुनावों में धन की शक्ति को रोकने में असमर्थ थे। तथा एस.वाई. कुरैशी ने वापस बुलाने के अधिकार की मांग को खारिज कर दिया।[20]

- भाजपा नेता वरूण गांधी ने लोकसभा में राइट टू रिकॉल से संबंधित अपना निजी बिल पेश किया था। इसकी बहुजन विजय पार्टी ने आलोचना की तथा वरूण गांधी को चेतावनी दी है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क्रांति के सशक्त हथियार राइट टू रिकॉल से उनका नाम हटा कर इस विचारधारा को इतिहास में अपना नाम से दर्ज करवाने की कोशिश न करें। और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जय प्रकाश नारायण के इस अपमान का विरोध में यह पार्टी इसे न्यायालय ले जाएगी। अर्थात पार्टी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को चुरा कर वरूण गांधी अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है।

- कर्नाटक के राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज ने अन्ना हजारे के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की मांग को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है क्योंकि यह राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेगा। उन्होंने कहा, ''राइट टू रिकॉल'' का प्रावधान नहीं होना चाहिए।

- **ब्रिटेन की संसद में सांसदों को वापस बुलाने का विधेयक :** ब्रिटिश जनता को अपने स्थानीय सांसद को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाएगा यदि वे संसद में एक मसौदा विधेयक में प्रकाशित प्रस्तावों के तहत गंभीर गलत काम में लिप्त पाए जाते हैं। प्रस्ताव में राजनीतिक सुधार एजेंडे के भाग के रूप में सरकार के लिए कार्यक्रम में की गई

प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं, लंदन में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ड्राफ्ट बिल में, डेविड कैमरन सरकार एक शक्ति पेश करने का प्रस्ताव कर रही है।[21]

- अन्ना हजारे पर कटाक्ष करते हुए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि ''संसद में चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने या खारिज करने का अधिकार उनकी मांगों पर तय होना चाहिए और जंतर–मंतर पर नहीं।'' कुरैशी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित चुनाव सुधारों की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जा रही है जो एक सुधार पर गंभीरता से विचार कर रही है। सीईसी ने मांगों को अस्वीकार करने में अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा कि इस कदम से राजनीति खतरे में पड़ जाएगी।

- वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने टीम अन्ना के प्रस्ताव प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार के खिलाफ बात की। प्रणव मुखर्जी ने कहा कि प्रस्ताव वास्तविकता से बहुत दूर है और अगर चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाया जाता है तो यह राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेगा।[22]

- कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को 'राइट टू रिजेक्ट' करना 'राइट टू रिकॉल' की तुलना में ''चुने हुए कानूनविद्'' के लिए ''अधिक प्रबंधनीय विचार'' था जो एक ''मुश्किल'' प्रस्ताव था। दो मुद्दों पर टीम अन्ना के प्रस्तावों का जिक्र करते हुए खुर्शीद ने कहा कि 'राइट टू रिकॉल' को शुरू करने से पहले 'राइट टू इलेक्शन' का प्रबंधन करना अधिक मददगार होगा। चुनाव आयोग ने राइट टू रिकॉल के विचार को खारिज करने के एक दिन बाद कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार अन्ना हजारे के प्रस्ताव पर ऐसे प्रावधानों पर काम कर रहीं है जो चुनाव सुधारों के लिए सर्वदलीय परामर्श का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सांसदों के अधिकार को रद्द करने की मांग एक कठिन काम था, लेकिन सरकार ''उस पर काम कर रही है।''

- मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को यह कहते हुए वापस बुलाने की मांग को खारिज कर दिया कि यह भारत जैसे देश में व्यावहारिक नहीं है। ''हमने स्पष्ट किया है कि राइट टू रिकॉल भारत के लिए बहुत व्यावहारिक

विचार नहीं है यदि कोई प्रतिनिधि पांच साल के लिए चुना जाता है तो वह हमारी प्रणाली में पांच साल तक रहेगा।''

- टीम अन्ना हजारे के साथ मतभेद के कारण, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राइट टू रिकॉल की शुरूआत को यह कहते खारिज कर दिया कि यह भारत जैसे पूरे देश में पूरे ढांचे को अस्थिर कर सकता है। ''मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से सहमत हूँ कि हमारे देश में विशाल रूप में राइट टू रिकॉल का परिणाम हो सकता है जो पूरी संरचना को अस्थिर कर सकता है।[23]

- संतोष हेगड़े टीम अन्ना हजारे के सदस्य ने लोकपाल विधेयक की तरह ही चुनाव सुधारों पर व्यापक बहस की और यह जानने की कोशिश की कि 'राइट टू रिकॉल' और 'राइट टू रिजेक्ट' जैसे उपाय भारत में काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि देश भर में (चुनाव सुधारों पर) एक बहस होनी चाहिए।[24]

वापस बुलाने के अधिकार के पूरे मुद्दे ने सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं को आकर्षित किया है। लेकिन कानून के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, संविधान एक लोकतंत्र को अनिवार्य करता है और कानून की भावना को जीवन देने के लिए विधान बनाए जाते हैं।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के शब्दों में, जहाँ उन्होंने भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाने के अधिकार की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि ''यह समय है कि हम सभी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के सदस्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए 'रिकॉल' जैसे उपकरणों की तलाश करें, इससे पहले की आम आदमी का प्रचलित प्रणाली से मोह भंग हो जाए। संसद और साथ ही साथ सदस्यों के प्रदर्शन और कार्यप्रणाली में सुधार होगा यदि उनके प्रतिनिधि चुने गए लोग उनकी शिकायतों को नियमित रूप में देखते हैं और संसदीय कार्यवाही को नियमित रूप से देखते हैं। लेकिन, हमारे संसदीय लोकतंत्र में इसे सुलझाना इतनी आसान बात नहीं है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को एक आम सहमति पर पहुंचना है जो एक मुश्किल काम हो सकता है।''

भारत में चुनावी प्रक्रिया की विडंबना और भद्दापन यह है कि यह आपराधिक, असामाजिक और अवांछनीय तत्वों को राजनीतिक परिदृश्य में भाग लेने और यहाँ तक कि चुनावी और संसदीय प्रक्रियाओं को प्रदूषित करने से रोकने में सक्षम नहीं है। इसे केवल

मतदाताओं को नियंत्रण में रखकर सही किया जा सकता है और 'राइट टू रिकॉल', एक उत्कृष्ट जवाबदेही उपकरण है। वर्तमान में लोकतंत्र में वापस बुलाने का प्रावधान आवश्यक है क्योंकि सभी स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधि यह धारणा देते हैं कि उन्हें देश के सभी कानूनों से संरक्षण प्राप्त है और उनमें से अधिकांश केवल राज्य के कल्याण के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं।

ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि इस अधिकार के लागू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

♦♦♦♦

संदर्भ सूची

1. वाजपेयी, अतुल बिहारी, 'स्टेट ऑफ द नेशन' शिप्रा पब्लिकेशन, 1996
2. en.m.wikipedia.org
3. राजस्थान पत्रिका, 16 दिसम्बर, 2012
4. en.m.wikipedia.org
5. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल एसिस्टेंस
6. en.m.wikipedia.org
7. न्यूज 18 इण्डिया, 9 अगस्त, 2016
8. द हिंदू, 16 मई, 2017
9. राजस्थान पत्रिका, 1 दिसम्बर, 2012
10. राजस्थान पत्रिका, 14 दिसम्बर, 2012
11. राजस्थान पत्रिका, 16 दिसम्बर, 2012
12. आढ़ा, रमासिंह, 'भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं', ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008
13. www.eci.nic.in
14. ''द क्रिटिकल टेक ऑन 'राइट टू रिकॉल' '', 5 जून, 2017
15. www.eci.nic.in
16. दा इकनॉमिक टाइम्स, 3 अक्टूबर, 2017
17. द इकोनॉमिक टाइम्स, 10 नवम्बर, 2017
18. www.eci.nic.in
19. राजस्थान पत्रिका, 16 दिसम्बर, 2016
20. द हिंदू, नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2011
21. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 26 जनवरी, 2012
22. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 13 दिसम्बर, 2011
23. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 11 नवबर, 2011
24. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 19 अक्टूबर, 2011

षष्ठम अध्याय

निष्कर्ष एवं आत्मकथन

अध्याय षष्ठम्

निष्कर्ष एवं आत्मकथन

भारतीय गणतंत्र की विगत लगभग छः दशकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कार्यकरण में भारत में निर्वाचन तंत्र की सक्षमता की आवश्यकता को रेखांकित तो किया ही, साथ ही इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत किया था कि भारत में निर्वाचन तंत्र सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू और सुदक्ष निर्वहन में सक्षम सिद्ध हुआ है।

भारत के निर्वाचन तंत्र का यह विलक्षण पक्ष है कि निर्वाचन आयोग की संवैधानिक संस्तर तथा उसके कार्यकरण में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। विश्व के अन्य लोकतंत्रों में निर्वाचन तंत्र का सृजन सामान्य विधियों के अधीन किया गया है तथा निर्वाचन तंत्र को केवल वैधानित स्तर प्रदान किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया संवैधानिक संस्तर स्वतंत्र और पवित्र निर्वाचनों के प्रति संविधान निर्माताओं के संकल्प को अभिव्यक्त करता है।

संविधान के प्रवर्तन के पश्चात् विभिन्न आम निर्वाचनों के अनुभव ने अब तक भारतीय निर्वाचन आयोग की दक्षता को रेखांकित किया है। यह अनायास ही नहीं है कि अनेक आम निर्वाचनों के सम्पन्न हो जाने के पश्चात् तथा निर्वाचनों के दौरान कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विद्यमान होने के पश्चात भी अभी तक किसी भी आम निर्वाचन में निर्वाचन आयोग की संस्थागत निष्पक्षता पर सामान्यतः आपत्तियाँ नहीं उठायी गयी है। भारत के पड़ौसी देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा अन्य विकासशील देशों में होने वाले निर्वाचनों में यह परिलक्षित हुआ है कि निर्वाचनों में पराजित पक्ष द्वारा पूरे निर्वाचनों में गम्भीर धान्धली के आरोप लगाते हुए निर्वाचन परिणामों को अस्वीकार किया गया है। किन्तु भारत में लोकसभा के हुए 17 आम निर्वाचनों तथा बड़ी संख्या में हुए विधानसभाओं के आम निर्वाचनों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों आदि में किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में अनियमितताओं आदि के आरोप भले ही लगे हों, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये पूरे आम निर्वाचनों के परिणामों को अस्वीकार करने के कोई प्रयास किसी भी राजनीतिक पक्ष द्वारा आज तक नहीं किये गये। निर्वाचन आयोग के सक्षम कार्यकरण के विषय में उपर्युक्त सामान्य टिप्पणी के आधार पर यह

निष्कर्ष ग्रहण करना समीचीन नहीं होगा कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था पूर्णतः त्रुटिमुक्त है, अथवा विगत लगभग पांच दशकों के निर्वाचनिक अनुभव के क्रम में निर्वाचन व्यवस्था में कोई विकृतियाँ अथवा न्यूनताएं परिलक्षित ही नहीं हुई। तथ्य यह है कि भारत में निर्वाचन तंत्र को संवैधानिक संस्तर प्रदान करने के द्वारा निर्वाचन व्यवस्था की शुचिता और सूक्ष्म निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए जो आधारभूत व्यवस्थाएं की गई हैं उनके द्वारा निर्वाचन तंत्र में कोई अधिष्ठायी दोष परिलक्षित नहीं हुए है, किन्तु निर्वाचनों के प्रशासन तथा निर्वाचनों से सम्बद्ध अन्य प्रक्रियात्मक पक्षों के सन्दर्भ में न्यूनताएं परिलक्षित हुई है तथा उनके निराकरण की आवश्यकता विगत अनेक दशकों से अनुभव की जाती रही है। निर्वाचन व्यवस्था में निर्वाचनों के प्रशासन और प्रक्रिया के निष्पादन के अतिरिक्त भी अनेक अन्य सन्दर्भों में भी विकृतियाँ परिलक्षित हुई हैं। ऐसी विकृतियों वस्तुतः निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी प्रतियोगी पक्षों द्वारा येनकेन प्रकारेण अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के कारण परिलक्षित हुई है। इन विकृतियों में निर्वाचनों में भुजबल और धनबल के प्रयोग, सत्ता के दुरूपयोग, तथा जाति और साम्प्रदायिक भावना आदि के आधार पर निर्वाचन को प्रभावित करने की प्रवृतियों की गणना की जा सकती है। यह भी अनुभव किया गया है कि निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के निष्पादन के संबंध में जिस प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है उस पर आयोग का प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रह पाता। इस न्यूनतता के कारण निर्वाचन के सुदक्ष निष्पादन में आयोग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय हित व क्षेत्रीय समस्याओं को हाशिए पर छोड़ जनप्रतिनिधियों ने जिस बेशर्मी से सत्ता को स्वयं समृद्धि का साधन बना लिया है, उससे लोकतंत्र का लज्जित होना स्वाभाविक है। इन स्थितियों में मतदाता को नकारात्मक मतदान का अधिकार यह सोचने के लिए बाध्य करेगा कि लोकतंत्र का प्रतिनिधि ईमानदार, नैतिक दृष्टि से मजबूत और जनता के प्रति जवाबदेह हो। इसलिए अब संविधान में संशोधन कर प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार दे ही दिया जाना चाहिए। यदि कालांतर में संविधान में संशोधन कर नागरिक को नकारात्मक मत और निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की जाती है, तो चुनाव सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय होगा।

पूर्व में विभिन्न अध्यायों में निर्वाचन प्रक्रिया में त्रुटियों को दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों के प्रयासों को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया गया। पूर्ववर्ती

अध्यायों में हुए विश्लेषण में निर्वाचन तन्त्र के संस्थागत स्वरूप, निर्वाचन प्रक्रिया तथा व्यावहारिक कार्यकरण में परिलक्षित न्यूनताओं की संदर्भित किया गया है। स्वाभाविक रूप से निर्वाचन में सुधारों की संभावनाओं का क्षेत्र भी व्यापक है। प्रस्तुत अध्याय में निर्वाचन तन्त्र में सुधार हेतु सुझावों का सार संस्करण व प्रस्तुतिकरण प्रासंगिक है।

वर्तमान आवश्यकता और परिस्थितियों को देखते हुए निर्वाचन सुधार हेतु अग्रांकित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं :

1. निर्वाचन आयोग में सुधार की आवश्यकता

सम्पूर्ण निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष एवं बड़ी भूमिका का निर्वाह निर्वाचन आयोग द्वारा ही होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग अपनी वर्तमान स्थिति में स्वयं को कहीं न कहीं बन्धनों से युक्त मानता है। यह अति आवश्यक है कि निर्वाचन के लिए चाहे कोई भी सांविधानिक अथवा वैधानिक संशोधन हो जब तक आयोग अपने कार्य करने की क्षमता में सक्षम नहीं होगा, सुधारों का कोई महत्व नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण निर्वाचन तक की इस धुरी को विभिन्न कानूनों द्वारा अधिक स्पष्ट बनाना आवश्यक है ताकि संविधान के भाग 15 के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2. पृथक निर्वाचन मशीनरी एवं स्वतंत्र सचिवालय की आवश्यकता

कार्यपालिका के प्रभावी नियंत्रण से ऊपर से नीचे तक मुक्त निर्वाचन मशीनरी ही स्वतन्त्र एवं स्वच्छ निर्वाचनों का आयोजन करवा सकती है। समय–समय पर स्वयं निर्वाचन आयोग ने इसके सम्पूर्ण तन्त्र को स्वतन्त्र बनाने का आग्रह भी किया है।

वर्तमान में आयोग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं एवं मानव शक्ति हेतु पूर्ण रूपेण संघ सरकार, विधि मंत्रालय एवं संसद पर निर्भर है। आयोग को केन्द्र एवं राज्य स्तर पर एकदम स्वतन्त्र निकाय बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि उसके स्वयं के अधिकारी हों। आयोग के पास संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय या संसदीय सचिवालय की भांति अपना कोई पृथक कर्मचारीवृन्द नहीं है। निर्वाचन आयोग में कार्मिकों की नियुक्ति विभिन्न सरकारी विभागों में से ही की जाती है एवं समय–समय पर इनका स्थानांतरण भी होता रहता है। ऐसी स्थिति में वे कार्यपालिका के नियन्त्रण एवं प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाते हैं। राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उसके अधीनस्थों की नियुक्ति कम से कम छः वर्ष के लिए

निश्चित कर देनी चाहिए। निर्वाचन करवाने के लिए जिला स्तर पर आयोग के अपने कर्मचारीवृन्द होने चाहिए। निर्वाचन के समय जिला स्तर पर जिला दण्डनायक, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सभी प्रमुख अधिकारी आयोग के क्षेत्रीय आयुक्तों के प्रत्यक्ष रूप में अधीन रहने चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र में भी निर्वाचन आयोग की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि इसका बजट संचित निधि पर उसी तरह भारित होना चाहिए जैसे इसी तरह की अन्य स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का होता है।

3. आयुक्तों की राजनीतिक नियुक्ति पर रोक

निर्वाचन आयोग को सामान्यतया पारदर्शी माना गया है और निर्वाचन आयुक्तों द्वारा पद पर रहते हुए किये कार्यों को भारत का निर्वाचक ईमानदारी से किये गये प्रयास मानता है किन्तु पद से सेवानिवृत होने के बाद किसी राजनीतिक पद पर नियुक्ति अथवा उसके प्रयास निर्वाचन प्रक्रिया पर सन्देह उत्पन्न करने के पर्याप्त कारण प्रदान करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्तों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते होंगे। निर्वाचन आयुक्तों की ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों के बाद यदि उनके कार्यकाल में लिये गये निर्णयों का अध्ययन किया जाए तो ऐसा सन्देह विश्वास में बदलने लगता है और ज्ञात होने लगता है कि निर्वाचन आयुक्त अपनी भावी राजनीतिक नियुक्तियों की अपेक्षा के साथ पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर निर्णय देते हैं। निर्वाचन की पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है और इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचन आयुक्तों को सेवानिवृत होने के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक पदों पर नियुक्ति से पृथक रखा जाय।

4. ऑनलाइन मतदान

कई बार ऐसा देखा जाता है कि मतदाता अपनी व्यस्तता के कारण मतदान के लिए जाता ही नहीं है अथवा वह घर से निकलने में असमर्थ महसूस करता है। ऐसी स्थिति में उसका मताधिकार व्यर्थ हो जाता है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया को भी अपनाना चाहिए। ऑनलाइन मतदान के लिए आयोग को मतदान के दिन से पूर्व किसी/किन्हीं निश्चित दिन निर्धारित कर देने चाहिए जिससे मतदान दल को प्राप्त निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचक के नाम के आगे पहले से मताधिकार प्रयोग कर निशान लगा आ सकें।

5. निर्वाचक का पंजीकरण ऑनलाइन हो

आज के तकनीकी युग में जबकि इन्टरनेट, कम्प्यूटर जैसे साधनों का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होने लग गया तो ऐसी स्थिति में निर्वाचकों के निर्वाचन नामावलियों में दर्ज कराने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर देनी चाहिए। आज जब छोटे–छोटे शासकीय कार्य भी ऑनलाइन होने लग गये तो फिर निर्वाचन जैसे कार्य में निर्वाचन नामावली का निर्माण ऑनलाइन क्यों न हो? इसके लिए निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट पर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी मतदाता यदि निर्धारित योग्यता को पूरा करता है और वह निर्वाचक के रूप में स्वयं का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराना चाहता है तो वह निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत कराये। जब वह पंजीकृत हो जाये तो आयोग द्वारा नियुक्त कर्मिक/अधिकारी उसका सत्यापन करके अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन आयोग को प्रदान कर दें। ऐसे सत्यापन के आते ही आयोग द्वारा उस निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कर दिया जाये। इस प्रकार की प्रक्रिया अपना लेने से आयोग को अनावश्यक धन और समय के व्यय से बचने में भारी सहयोग प्राप्त होगा और निर्वाचन प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण कार्य बड़ी सरलता से सम्पादित हो सकेगा।

6. क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 324(4) का यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा निर्वाचनों से पूर्व, निर्वाचन आयोग को, उसके अनुच्छेद 324(1) के अन्तर्गत भारित कार्यों के सम्पादन में सहायता देने के लिए, क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, अब तक प्रायः क्रियान्वित नहीं किया गया है। 1951–52 में प्रथम आम निर्वाचन में दो क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए गए।

प्रारम्भिक वर्षों में ऐसा सम्भव है कि एक दलीय प्रभुत्व वाली सरकारें होने के कारण क्षेत्रीय आयुक्तों की आवश्यकता अनुभव न हुई हो, किन्तु अब प्रदेशों में भिन्न–भिन्न दलों की सरकारें होने तथा निर्वाचन के दौरान आने वाली कठिन समस्याओं के कारण यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति से निर्वाचन तंत्र सुदृढ़ होगा और ऐसा करने से आयोग को अपने दायित्वों के निर्वाह में सुविधा रहेगी।

7. पुनः मतदान अधिकार

मतदान मशीनों को नष्ट किए जाने, दबाव, बल प्रयोग, फर्जी मतदान एवं गम्भीर शिकायतों के आरम्भिक तौर पर सही पाये जाने पर, आयोग को यह अधिकार होना चाहिए कि वह सम्पूर्ण मतदान को रद्द कर, नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दे सके। ऐसा अधिकार आयोग को दे दिए जाने से आयोग को स्वतंत्रता और निष्पक्षता जन साधारण में अधिक प्रतिष्ठित हो सकेगी।

8. आयोग की हठधर्मिता पर नियन्त्रण

आयोग की स्वतंत्रता के साथ–साथ उस पर औचित्यपूर्ण नियन्त्रण भी आवश्यक है। क्योंकि पिछले कुछ समय से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद का हठधर्मिता से प्रयोग किया वह काफी चिन्तनीय था। निर्वाचन आयोग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय है। यदि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के दुराग्रहपूर्ण आदेश स्वीकार किए जाऐगें तो इससे लोकतंत्र का गंभीर खतरा बन सकता है। अतः यह आवश्यक है कि आयोग पर उच्चतम न्यायालय अथवा उसके समान्तर किसी संस्था को आयोग के अधिकारों के दुरूपयोग को रोकने का विधिक प्रावधान प्रदान किया जाना चाहिए।

9. पर्यावरण सहयोगी निर्वाचकी प्रक्रिया की आवश्यकता

आज जबकि विश्व पर्यावरण सम्बन्धी व्यापक समस्याओं से संघर्ष कर रहा है व निर्वाचन प्रक्रिया में लाखों टन कागज अथवा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली अन्य सामग्री इस्तेमाल हो तो उस निर्वाचन प्रक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन प्रक्रिया को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए आवश्यक उपयोगी सामग्री सहारा लिया जाना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर प्रयोग में नहीं ली जाती हो।

10. परिणाम रोकने का अधिकार

जैसा कि पूर्व के अध्यायों से स्पष्ट है कि मतगणना का कार्य भी कई बार संवेदनशील हो जाता है और उनमें भी निजी हितों के कारण गड़बड़ी कर दी जाती है। आयोग को मतदान केन्द्र पर अनाधिकृत अधिकार किए जाने, या पुनः मतगणना में पक्षपात की शिकायत या अन्य गम्भीर शिकायतों के प्रारम्भिक तौर पर पुष्ट होने की स्थिति में मतगणना रोक कर,

जांच होने तक परिणाम को रोके जाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन द्वारा उचित प्रावधान किए जाने चाहिए।

11. पर्यवेक्षकों को कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हों

वर्तमान में निर्वाचन आयोग का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का प्रयास रहता है। किन्तु उन्हें आयोग की ओर से निर्वाचन की देखरेख और प्रतिवेदन देने के अतिरिक्त ओर कोई विधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। आलोचकों ने इन्हें निर्वाचन आयोग के अधिकार शून्य आँख और कान की संज्ञा दी है।

यदि इन पर्यवेक्षकों को सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में संकट या समस्या उत्पन्न होने पर तुरन्त निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए तो इनकी उपादेयता निश्चित बढ़ेगी।

अतः इन पर्यवेक्षकों को, निर्वाचन आयोग के उप–निर्वाचन आयुक्त और सचिव के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। ये पर्यवेक्षक मतदान स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को आयोग की ओर से निर्देश देने के लिए अधिकृत होनी चाहिए। यद्यपि इनके द्वारा दिए गए निर्देशों की पुष्टि आयोग द्वारा अनिवार्यत होनी चाहिए। इस हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 19(क) में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि पर्यवेक्षकों की भूमिका इसी के अन्तर्गत समाहित की जा सके।

12. चलित मतदान केन्द्र

लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक पर्व के समान है और इस पावन कार्य से कोई भी वंचित न हो इसके लिए यह भी किया जा सकता है कि दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ दूरगम रास्तों के कारण मतदाताओं को मतदान के लिए आने में भारी कठिनाईयां आती हो वहां चलित (मोबाइल) मतदान केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे मतदान केन्द्र उस क्षेत्र में चक्कर लगाते रहे और मतदाताओं को मतदान के लिए घर–घर जाकर सूचित करते रहे। यदि इस प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग होगा तो सम्भव है कि मतदाता न केवल मतदान की गम्भीरता को समझने लगेगा अपितु मतदान के लिए प्रेरित भी होता रहेगा।

13. अनुपस्थित मतदान

मतदान में सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि निर्वाचक अपनी व्यस्तता के कारण मतदान दिवस पर मतदान के लिए जाता ही नहीं है। परिणामतः मतदान का प्रतिशत कई बार काफी कम रहता है। मतदान की उपादेयता को समझते हुए निर्वाचक को मतदान दिवस की नियत तिथि से पूर्व निर्धारित अवधि में कभी भी कुछ विशिष्ट स्थानों पर मताधिकार प्रयोग का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

14. बहु–सदस्यीय आयोग उच्च–स्तरीय शीत युद्ध रहित हो

कई बार बहु सदस्यीय निर्वाचन आयोग में यह देखा गया है कि तीनों आयुक्तों के मध्य कहीं न कहीं विवाद चलता रहता है जो कि सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित भी होता रहता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश, फिर संसदीय कानून और तत्पश्चात न्यायालय के निर्णय में यह प्रावधान है कि निर्णय बहुत से लिए जाएं। किन्तु आयोग के कई कार्य आयुक्त/आयुक्तों के तत्कालीन निर्देशों पर भी निर्भर होते हैं। ऐसी स्थिति में अन्य आयुक्तों से सम्पर्क करना एव उनकी राय लेना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में देखा यह गया है कि एक आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय पर अन्य आयुक्तों की टिप्पणी प्रतिकूल होती है। फलस्वरूप इनके अधीनस्थों से कार्य के प्रति उदासीनता पनपती है।

अतः यह आवश्यक है कि तीनों आयुक्तों में सामंजस्यता हो तथा तीनों के कार्यों का मौटे तौर पर विभाजन कानूनन होना चाहिए।

15. धनबल से उत्पन्न दोषों को दूर किया जाए

निर्वाचन में धनबल पर नियंत्रण के लिए 5 अप्रैल, 1996 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय एवं निर्वाचन आयोग के वर्तमान प्रयास काफी प्रशंसनीय एवं महत्वपूर्ण है किन्तु फिर भी निर्वाचन में धन की भूमिका पूर्ण रूपेण समाप्त तथा निष्क्रिय नहीं हुई।

निर्वाचन में धन की भूमिका को कम करने के लिए सबसे प्रमुख उपाय वर्तमान में राज्य द्वारा निर्वाचन व्यय वहन करना हो सकता है। अतः सरकार को चाहिए कि वह निर्वाचन अधिनियमों में संशोधन कर राज्यकोष से निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को धन देवें। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को यह सुविधा मिले जिन्हें पिछले निर्वाचन में संशोधित निर्वाचन अधिनियम के प्रावधान के तहत निश्चित

मात्रा में मत प्राप्त हुए हों। इसी प्रकार केवल उन्हीं निर्दलीय प्रत्याशियों को सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिन्होंने वर्तमान निर्वाचन में अपनी जमानत राशि को बचा लिया हो। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए राज्य को एक विशेष निर्वाचन कोष की स्थापना करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्ति लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन भी साथ–साथ करवाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इन दोनों में पृथक–पृथक से लगने वाला खर्च बहुत हद तक बच जाएगा। इतना ही नहीं, इससे राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला व्यय भी कम हो जाएगा।

16. अभ्यार्थियों के निर्वाचन सम्बन्धी पृथक बैंक खाते हों

निर्वाचन में धनबल को रोकने के लिए एवं निर्वाचन व्यय की वर्तमान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि समस्त अभ्यर्थी निर्वाचन कार्य हेतु अपने पृथक बैंक खाते खुलवाये। अभ्यार्थियों द्वारा इकट्ठा किया गया तमाम धन इस बैंक में जमा होना चाहिए और उनके द्वारा किये जाने वाले खर्चों के लिए इसी कोष से पैसा निकाला जाना चाहिए। साथ ही अभ्यार्थियों को अपने समस्त खर्च बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। जिससे न केवल निर्वाचन में पारदर्शिता आएगी अपितु इस दौरान होने वाली तमाम खरीद फरोख्त का धन श्वेत धन के रूप में बाजार में आएगा और व्यापारियों को इस हेतु निर्धारित कर को चुकाने भी पड़ेगा जो देश के लिए लाभकारी भी रहेगा।

17. दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही व दण्ड क अधिकार

निर्वाचन आयोग के समक्ष कई बार ऐसे मामले भी आते रहते हैं जिनसे निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ कार्मिकों पर गंभीर अनियमितताओं के आक्षेप लगाये गये हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि इस प्रकार के मामलों में कुछ राज्य सरकारे बहुत सरल दृष्टिकोण अपनाती है और किंचित दण्ड देकर मामले को समाप्त कर देती है। ऐसी घटनाओं से निर्वाचन की निष्पक्षता प्रभावित होती है। निर्वाचन आयोग की ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के मामले में कुछ सीमायें हैं क्योंकि :–

(अ) किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही करने के पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। संभव है राज्य या केन्द्र सरकार उन मामलों में स्वयं रूचि ले और ऐसी स्वीकृति देने में संकोच प्रदर्शित करे।

(ब) जिन संस्था द्वारा मुकदमा चलाया जाता है वह भी सरकार के नियंत्रण मे होती है।

अतः निर्वाचन आयोग को, जो कि निर्वाचनों का अधीक्षण व निर्देशन और नियंत्रण करने वाली उच्चतम संस्था है, ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अबाध अधिकार होना चाहिए। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 और 136(2) में इस तरह परिवर्तन किया जाए, जिससे ऐसे अपराधों में कम से कम दो वर्ष का कारावास दिया जा सके। सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ही आयोग के आदेश से, दोषी कार्मिक पर कार्यवाही वैध मानी जानी चाहिए।

18. आयोग की स्वच्छन्दता पर नियन्त्रण

आयोग की स्वतन्त्रता के साथ–साथ उस पर औचित्यपूर्ण नियन्त्रण भी आवश्यक है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद का हठधर्मिता से प्रयोग किया वह काफी चिन्तनीय था। निर्वाचन आयोग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय है। यदि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के दुराग्रहपूर्ण आदेश स्वीकार किए जाऐंगे तो इससे लोकतंत्र पर गंभीर खतरा बन सकता है। अतः यह आवश्यक है कि आयोग पर उच्चतम न्यायालय अथवा उसके समान्तर किसी संस्था को आयोग के अधिकारों के दुरूपयोग को रोकने का विधिक प्रावधान प्रदान किया जाए।

19. मतदान में हिंसा/उपद्रव/बलवे पर नियंत्रण की आवश्यकता

इसके निराकरण हेतु निम्न सुझाव प्रेषित किए जा सकते हैं–

(क) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा व बल प्रयोग की आशंका हो, वहाँ स्थानीय पुलिस को समस्त निर्वाचन क्षेत्रों से पूर्णतया दूर रखते हुए अन्य राज्यों की पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाना चाहिए और उसे स्थिति से निबटने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए।

(ख) एहतियात के तौर पर दो दिन के लिए समस्त निर्वाचन क्षेत्र में आंग्नेय अस्त्रों एवं अन्य हथियारों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध न केवल लगाया, वरन कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए।

(ग) मतदान के दिन से दो दिन पहले से शराब एवं अन्य नशे के पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

(घ) ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हिंसा, बाहुबल की शक्ति, भ्रष्ट साधन अपनाये जाने के आधार पर निर्वाचन याचिकाएं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जायें, सम्बन्धित अदालतों के लिए 6 माह या अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि में उन पर निर्णय करना अनिवार्य कर दिया जाये। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दोषी पाये गए व्यक्तियों पर सदैव के लिए कोई भी निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और जिस किसी सरकारी कर्मचारी पर अपराधी के साथ सहयोग करने के कर्तव्य पालन में ढिलाई बरतने का आरोप सिद्ध हो, उसके विरूद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिए कानूनी ढांचे में जो भी संशोधन परिवर्तन करना जरूरी हो, वह सभी कुछ किया जाना चाहिए।

निर्वाचन में बल प्रयोग की सभी स्थितियों का मूल कारण यह है कि तथाकथित जन प्रतिनिधि, प्रशासन और गुण्डा तत्व के बीच गठबन्धन की स्थिति बन गयी है। कई बार तो ऐसी स्थितियाँ देखी गयी हैं, जिनमें तस्कर, माफिया और गुण्डा तत्व मन्त्री या जन प्रतिनिधि से आश्रय पाता है और प्रशासन पर हावी है। 'सेवाओं' और प्रशासन का राजनीतिकरण इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है और इसे दूर करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है।

20. जाली एवं फर्जी मतदान पर नियंत्रण

भारत में जाली एवं फर्जी मतदान रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। विद्यमान प्रावधानों के अनुसार यदि कोई मतदान अभिकर्ता किसी व्यक्ति के सत्य न होने पर पीठासीन अधिकारी को आपत्ति प्रकट करता है तो भी उसे पृथक से मतदान देने का अधिकार होता है और बाद में इस पर निर्णय किया जाता है।

प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि एक व्यक्ति अपराध अथवा किसी अन्य क्षेत्र में दबदबा रखने की स्थिति में अन्य लोगों के नाम पर झूठा मत देकर आ जाता है।

अतः आवश्यक है कि इस प्रकार के फर्जी और जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाए। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने असफल प्रयास किया भी किन्तु सत्तारूढ़ दल, चाहे केन्द्र का या राज्य का हो, अपने संकीर्ण स्वार्थ के कारण निष्क्रिय है, जबकि पहचान पत्र को लागू करने की तुरन्त आवश्यकता है।

इतना ही नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत इसे भ्रष्ट आचरण घोषित कर देना चाहिए एवं इसके उल्लंघन पर कठोर दण्ड जिसमें कम से कम दो वर्ष का कारावास का प्रावधान भी होना चाहिए।

साथ ही, निर्वाचन कानून में इस प्रकार संशोधन करना भी जरूरी है, जिसके फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के लिए जाली मतदान में संलग्न व्यक्ति को पुलिस को सौंपना और थाने में आवश्यक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हो जाए।

21. उदासीन प्रत्याशियों का निराकरण

भारत में खरपतवार की तरह उत्पन्न होने वाले दल एवं निर्वाचन को मनोरंजन समझने वालों पर नियंत्रण के निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

(i) प्रत्याशियों की जमानत राशि बढ़ा देनी चाहिए।

(ii) जमानत राशि प्राप्ति के लिए न्यूनतम मतों की संख्या अपने वर्तमान प्रावधानों से दो या तीन गुना अधिक कर देनी चाहिए।

(iii) ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो अभ्यर्थी निर्धारित प्रावधानों के तहत निश्चित मत प्राप्त न करने पर भविष्य में समय विशेष हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(iv) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दलों को मान्यता देने का प्रावधान भी परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(v) किसी भी अभ्यार्थी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही समय निर्वाचन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए।

22. सरकारी तन्त्र के दुरूपयोग को रोका जाए

सरकारी मशीनरी का निर्वाचन में दुरूपयोग को रोकने के निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं :–

(क) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के खण्ड 7 को भ्रष्ट आचरण के साथ पुर्नभाषित किया जाना चाहिए।

(ख) इसी अधिनियम की धारा 100(1) भी संशोधित की जानी चाहिए ताकि सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के आधार पर भी न्यायालय किसी निर्वाचन की वैधता अवैधता घोषित कर सके।

(ग) निर्वाचन में दलीय अथवा व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों, स्थानों, विमानों आदि का प्रयोग सख्ती से निषेध कर दिया जाना चाहिए।

(घ) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्रियों के स्वविवेकाधिकार को निर्वाचन से 6 माह पूर्व समाप्त कर देना चाहिए एवं उनके द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न आश्वासनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

(ड़) निर्वाचन के समय किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए। यह स्थिति आम निर्वाचन के साथ–साथ उप निर्वाचनों में भी बनाए रखनी चाहिए।

23. आचार संहिता को कानूनी स्वरूप दिया जाए

वर्तमान में प्रत्येक निर्वाचन में मतदान के पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता को निर्वाचन कानून में परिवर्तन कर वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन को भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध घोषित करना चाहिए। इतना ही नहीं आयोग को इसके क्रियान्विति में अड़चन डालने वाले व्यक्तियों या राजनीतिक दलों को दण्डित करने का एवं उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सही पाये जाने पर दण्ड देने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। यह अधिकार आयोग तथा उसकी राज्य स्तरीय मशीनरी एवं पर्यवेक्षकों को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आयोग स्वच्छ और स्वतन्त्र निर्वाचन करवा सके।

24. कॉल सेन्टर की स्थापना

स्वच्छ, स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया से जनता को सीधे तौर पर भागीदार बनाए जाने के लिए निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर एक टोल फ्री कॉल सेन्टर की स्थापना करनी चाहिए जो 24 घण्टे कार्यरत रहे। यह कॉल सेन्टर न केवल जन शिकायतों को दर्ज करे अपितु आचार संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों के उल्लंघन कर तत्काल रूप से प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को मदद प्रदान करने का भी कार्य करे। इस प्रकार के कॉल सेन्टर को जनता को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में आसान तरीकों से निर्वाचकीय प्रक्रिया को समझाने का कार्य भी दिया जा सकता है।

25. राजनीति में अवांछित तत्वों के प्रवेश पर रोक

राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए निम्न प्रावधान होने चाहिए–

(क) निर्वाचन अधिनियमों में संशोधन कर उसे और कठोर बनाना चाहिए जिसमें उन व्यक्तियों को अपराध के लिए न्यायालय से सजा हो चुकी है, निर्वाचन में संघर्ष की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

(ख) अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से राजनेताओं के सहज सम्बन्धों को रोका जाना चाहिए।

(ग) राजनेताओं का जीवन चूँकि सार्वजनिक होता है – जो समाज और राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, अतः कम से कम उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वालों से निजी सम्पर्क नहीं रखना चाहिए।

(घ) अपराधी किस्म के लोगों के सत्कार और उपहार को राजनेताओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

26. राजनीतिक दलों की भूमिका का नियमन

वर्तमान निर्वाचन अधिनियमों में, 'राजनीतिक दल' की व्याख्या नहीं की गई है, जबकि राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। अतः कानून द्वारा राजनीतिक दल की परिभाषा व कार्यकरण की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। अधिनियम में इस बात का प्रावधान भी किया जाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के निम्नांकित पक्षों का, नियम बनाकर निर्धारण कर सकें।

(क) राजनीतिक दलों का अनिवार्य पंजीकरण

(ख) राजनीतिक दलों द्वारा सभी प्राप्तियों व खर्च का अनिवार्यतः लेखा रखना

(ग) कम्पनियों और व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा तथा उस पर आयकर में राहत तथा उसकी अधिकतम सीमा

(घ) आयोग द्वारा निर्देशित संस्था द्वारा अनिवार्य अंकेक्षण

(ड़) राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यकलापों के लिए आयोग को सामयिक प्रतिवेदन

(च) राजनीतिक दलों द्वारा विधि विरूद्ध कार्य करने पर मान्यता समाप्त करने एवं उनके प्रमुख नेताओं को समय विशेष के लिए निर्वाचन में भाग लेने से रोक लगाना।

27. निर्वाचन के आव्रजन पर तत्काल कार्यवाही

सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचक नामावलियों में कई ऐसे निर्वाचकों के नाम भी दर्ज रहते हैं जो या तो उस क्षेत्र में निवास नहीं करते अथवा जिनका देहान्त हो चुका है। इस प्रकार की निर्वाचक नामावलियों निर्वाचन आयोग की कार्य कुशलता पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने का आलोचकों को पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि वह आव्रजन अथवा मृत्यु के कारण वहाँ से हटे लोगों के नाम निर्वाचक नामावलियों से तत्काल निकाले जायें। निर्वाचन आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से यह कार्य निरन्तर करता रहे।

28. निर्वाचन नामावलियों के संशोधन में सावधानी

अब तक यह देखा गया है कि मतदाता सूचियों में सबसे ज्यादा धांधलियां होती हैं। उसमें व्यापक त्रुटियाँ हैं चाहे वह तकनीकी स्तर पर ही क्यों न हों। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूचियों में संशोधन के समय व्यापक सावधानी बरती जाए। मतदाता सूचियों के राजनीतिकरण को भी रोका जाना चाहिए। इन सूचियों के निर्माण के लिए उसे कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त रखा जाना चाहिए। अतः इस हेतु जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की पृथक रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए और वह निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में सीधे कार्यरत होना चाहिए। इस अधिकारी की नियुक्ति पूर्णकालिन होनी चाहिए। इस अधिकारी को मतदाता सूचियां बनवाने में सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर गैर सरकारी अभिकरणों से मदद लेकर कार्य करना चाहिए।

इतना ही नहीं, मतदाता सूची के निर्माण के तुरन्त पश्चात उसे प्रकाशित कर प्रमुख समाचार–पत्र में विज्ञप्ति निकालकर इससे जुड़ी आपत्तियाँ मंगवानी चाहिए। मतदाता सूची में यदि किसी प्रकार की जाने या अनजाने में त्रुटि की जाती है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी माना जाना चाहिए। मतदाता सूचियों में जानबूझकर दुराग्रह से ग्रसित होकर परिवर्तन करने पर कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

29. शपथ–पत्रों की जांच

भारत में निर्वाचन सुधार के लिए उठाये गये बड़े कदमों में अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र के साथ भरे जाने वाले शपथ–पत्रों का उल्लेख एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। किन्तु शपथ–पत्र भर देने अथवा प्रकाशन मात्र निर्वाचन सुधार नहीं माना जा सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि इन शपथ–पत्रों में उल्लेखित तथ्य या तो त्रुटिपूर्ण होते हैं अथवा उनमें आकड़ों को जानबूझकर अस्पष्ट बना दिया जाता है। शपथ–पत्रों में उल्लेखित सूचनाएं कई बार इतनी अस्पष्ट लिखी होती है कि उनको पढ़ना ही जटिल हो जाता है और जब सूचनाएँ ही अस्पष्ट है तो उनका विश्लेषण करना तो वैसे भी बड़ा जटिल बन जाता है। अतः आवश्यक है कि ऐसी सूचनाओं को सुस्पष्ट शब्दों में लिखवाने का दायित्व रिटर्निंग अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा सौंपा जाना चाहिए। शपथ–पत्रों में उल्लेखित सूचनाओं का तत्काल सत्यापन किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अभ्यार्थियों ने जानबूझकर बढ़ा–चढ़ा कर सूचनाएं देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास भी किया है।

शपथ–पत्रों में उल्लेखित सूचनाओं का एक पक्ष यह भी है कि इसमें चल और अचल सम्पत्ति का कुल ब्यौरा भी दिया जाता है उसमें सम्पत्ति का जो आंकलन है वह उचित नहीं है क्योंकि अचल सम्पत्ति परिस्थितियों एवं बाजार के व्यवहार के आधार पर परिवर्तित हो जाती है और उनके मूल्य की वृद्धि के आधार पर आंकलन कई बार यह भ्रम पैदा करता है कि जैसे जनप्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल के दौरान ही लाखों रूपये बना लिये। आवश्यकता इस बात की है कि शपथ–पत्र में सूचनाओं को और अधिक रूप में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाये जिससे उनका अध्ययन तथा सारे विश्लेषण निर्वाचक सही तरीके से कर पाये।

30. राजनीतिक दलों सम्बन्धी सुझाव

व्यापक संख्या में पंजीकृत किन्तु निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। इसके लिए बेहतर होगा कि उन समस्त राजनीतिक दलों की मान्यता को खत्म कर देना चाहिए जिनका गत तीन आम निर्वाचनों में अपने क्षेत्र के उसके कम से कम दस अभ्यर्थियों ने निर्वाचन में सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कुल वैध मतों का 5 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया हो।

इसी प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिवर्ष अपने लेखाओं का प्रतिवेदन अनिवार्यतः निर्वाचन आयोग में जमा करवाने में असफल होने पर केवल उनकी मान्यता समाप्त करने का आयोग के अधिकार तक सीमित न रखकर उसके तत्कालीन पदाधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए एवं ऐसे पदाधिकारियों को निर्वाचन में भाग लेने को अधिकतम 5 वर्ष रोका भी जाना चाहिए।

31. मतदाताओं की सहभागिता में विस्तार की आवश्यकता

मतदाता के प्रति मतदाताओं की उदासीनता और राजनीति के प्रति वितृष्णा की भावना का उन्मूलन करने के लिए निर्वाचन में मतदान को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि निर्वाचनों में उसकी यह उदासीनता निर्वाचक को मजाक बना देती है।

अतः भारतीय संसद को अनिवार्य मतदान का नियम बना देना चहिए और जो मतदाता निर्वाचनों में भाग न ले उन पर कुछ दण्ड लगाया जाए, जो 30–50 रूपये से अधिक न हो। यदि मत न देने के कारण मतदाता को न्यायालय के सामने उपस्थित होना व जुर्माना देना पड़ेगा तो वह उदासीनता दिखाने के पहले कई बार सोचेगा।

विश्व में अनेक देशों में जैसे बैल्जियम, नीदरलैण्डस, आस्ट्रेलिया, क्यूबा, ऑस्ट्रिया आदि देशों में अनिवार्य मतदान की पद्धति है। इन देशों में मतदान में भाग न लेने पर जुर्माना किया जाता है। इसे 'मनी फाइन प्लान' कहते हैं। अनिवार्य मतदान होने से मतदान का प्रतिशत निश्चित ही बढ़ेगा। इससे जहां जाली मतदान की समस्या का समाधान होगा वहीं प्रतिनिधियों के चयन में पेशेवर राजनीतिज्ञों की पकड़ कम होगी।

32. प्रत्यावर्तन की आवश्यकता

प्रायः यह देखा गया है कि निर्वाचन में अभ्यर्थी मतदाताओं को लुभाने के लिए अनाप–शनाप झूठे आश्वासन देते रहते हैं। इससे जनता गुमराह होती है। वे भोले–भाले मतदाताओं को सुनहरे सपने दिखाकर उनके मतों को प्रभावित करते हैं। किन्तु विजयी होने के बाद वे उन आश्वासनों का क्रियान्वयन तो दूर, सोचते तक नहीं हैं।

अतः गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। कानून में संशोधन कर यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मतदाता को दिए आश्वासनों का क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो मतदाताओं का उन्हें वापस बुलाने (प्रत्यावर्तन) का अधिकार अर्थात राइट टू रिकॉल होना चाहिए।

यद्यपि ऐसा माना जाता है कि इसका सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि जो निर्वाचन में हार गया वह किसी न किसी ढ़ंग से विजयी अभ्यर्थी को वापस बुलाने में सारी शक्ति लगा देगा।

अतः इस स्थिति को दूर करने का भी प्रावधान होना चाहिए। संशोधित अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह पहले इसका निर्धारण करे कि अभ्यर्थी ने अपने आश्वासनों का क्रियान्वयन किया या करने का प्रयास किया अथवा नहीं।

33. निर्वाचन याचिकाओं में विलम्ब न हो

भारत में निर्वाचन याचिकाओं पर सुनवाई आयोग करता है। इन याचिकाओं पर विचार करने से पूर्व जाँच निर्वाचन आयोग प्रत्यक्षतः न कर सम्बन्धित राज्य के निर्वाचन विभाग को प्रेषित मात्र कर देता है। राज्य निर्वाचन आयोग इन्हें सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करता है। जिला स्तर पर जाँच पूर्ण होने के बाद निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है, जहाँ प्रायः कार्याधिक्य के कारण, ये शिकायते आम शिकायतों की तरह, कार्यालय की फाइलों में बंधकर रह जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार तो याचिकाओं पर निर्णय होता है तब तक विवादास्पद व्यक्ति अपना कार्यकाल भी पूर्ण कर लेता है। अतः यहां सुधार होना आवश्यक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन करते हुए इन याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु अधिकतम समय निर्धारित कर दिया जाना

चाहिए अथवा याचिकाओं पर निर्णय हेतु आयोग के अधिकार को प्रत्यायोजित कर क्षेत्रीय समितियों का गठन कर उन्हें दे देना चाहिए।

34. मतदाता पहचान पत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ

मतदाता पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर करने का कार्य शीघ्र होना चाहिए और मतदाता पहचान पत्र को बहुउउ्देशीय बनाया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर यूनिक आइडेन्टटीफीकिशन को भविष्य में पूरी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। तब तक मतदाता पहचान पत्र के दोहराव और त्रुटियों का समाधान किया जाना चाहिए।

35. राजनीतिक दलों को भ्रष्ट आचरण के दायरे में लाना

भारत में निर्वाचन पर कुप्रभाव डालने पर भ्रष्ट आचरण का दोषी किसी व्यक्ति या उम्मीदवार को माना जाता है और इस आधार पर उसे व्यक्तिगत तौर पर दण्डित किये जाने के प्रावधान है किन्तु किसी राजनीतिक दल द्वारा किया गया अनुचित आचरण केवल आचार–संहिता के उल्लंघन का दोषी मानने तक सीमित है। दल को भ्रष्ट आचरण पर एक पक्ष बना कर उसके विरूद्ध भी वैसी ही कार्यवाही होनी चाहिए जैसे व्यक्ति विशेष के विरूद्ध।

36. मतदान पूर्व सर्वेक्षणों पर नियन्त्रण

वर्तमान में मतदान से पूर्व विभिन्न संगठन मतदाताओं के रूझान को प्रकट करने हेतु सर्वेक्षण करते हैं। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष मतदान को प्रभावित करते हैं। अतः ऐसी संभावना बनी रहती है कि सर्वेक्षण करने वाले संगठन किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष/विपक्ष में अपने पूर्वग्रह के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस सम्बन्ध में यह प्रावधान करते हुए इनको नियन्त्रित किया जाना आवश्यक है।

37. दूरसंचार सेवाओं का अधिकतम प्रयोग

निर्वाचकीय प्रक्रिया में मोबाइल आदि दूरसंचार साधनों का प्रयोग बढ़ा कर जनसहभागिता का विस्तार किया जा सकता है। एक साथ इन्टरनेट के माध्यम से मोबाइल पर संदेश भेजने की तकनीक का प्रयोग करते हुए आयोग जनता से उनके पंजीकृत मोबाइल से सीधे सम्पर्क में रह सकता है। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किन्ही जिज्ञासाओं को

अथवा अपने मतदान केन्द्र, अपने क्षेत्र के अभ्यार्थियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम आदि की जानकारी भी मोबाइल तकनीक से प्राप्त की जा सकती है।

38. एकीकृत निर्वाचक नामावली हो

वर्तमान में लोकसभा व विधानसभा के लिए निर्वाचक नामावली बनाने का कार्य निर्वाचन आयोग के पास है जबकि पंचायती राज के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग से निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। यह कार्य धन, समय व श्रम की अनावश्यक बर्बादी है और किसी विशेष उद्देश्य को प्रकट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में बेहतर कि एक ही निर्वाचक नामावली सभी निर्वाचनों में प्रयुक्त होनी चाहिये और इस अतिरिक्त व्यय को निर्वाचक नामावलियों की त्रुटियों को दूर करने में लगाया जाना चाहिए।

39. नागरिक समाज संगठनों की भूमिका बढ़ाना

भारत जैसे देश में निर्वाचन के प्रति जागरूकता, जानकारी, आदि के लिये निर्वाचन आयोग को नागरिक समाज संगठनों का सहयोग लेना चाहिए। इससे लोगों में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति सहजता का भाव ही उत्पन्न नहीं होगा अपितु मताधिकार की आवश्यकता एवं उपादेयता की भी व्यापक जानकारी प्राप्त होगी। परिणामस्वरूप स्वच्छ लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से निर्वाचन के पर्व का सम्पादन पूर्ण हो सकेगा।

40. निर्वाचन पद्धति में बदलाव की आवश्यकता

वर्तमान में लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचनों में साधारण बहुमत पद्धति (जैम थ्पतेज च्वेज जैम च्वेज॑ लेजमउ) को अपनाया गया है। इस पद्धति की कमियाँ बहुदलिय राज व्यवस्था में सर्वविधित है। अतः इन निर्वाचनों में भी अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। विशेषतः उन पद्धतियों के बारे में जिनके माध्यम से जन प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के कम से कम 50 प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त करते हुए आगे प्रतिनिधित्व करें।

41. अभ्यार्थियों को अस्वीकार करने का अधिकार

निर्वाचन की वर्तमान प्रक्रिया में निर्वाचकों को नामांकित व्यक्तियों में से किसी एक को मत देने का ही अधिकार है। परिणामस्वरूप न चाहते हुए भी किसी ठोस विकल्प के अभाव में ऐसे व्यक्ति को मत देना पड़ता है जिसे निर्वाचक नापसन्द करता है। ऐसी स्थिति में यह उचित रहेगा कि निर्वाचक को मत देने के लिए उल्लेखित मतपत्र में अन्तिम कॉलम में

उपर्युक्त में से कोई भी उपयुक्त नहीं का विकल्प भी प्रदान किया जाना चाहिए। इससे यह तो पता चलता है कि कितने लोग ऐसे अभ्यार्थियें को प्रतिनिधित्व हेतु अपात्र मानते हैं।

42. महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाय

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तब उसमें महिला प्रतिनिधित्व को अनिवार्यतः सुनिश्चित नहीं किया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों सहित उन तमाम निर्वाचकीय कानूनों में संशोधन किया जाये जो महिला प्रतिनिधित्व को राजनीतिक सहभागिता के हर स्तर पर सुनिश्चित कर सके। इसके लिए महिला आरक्षण सहित कई अन्य सुधार किया जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों द्वारा महिला अभ्यार्थियों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन व्यय और निर्वाचन व्यय की सीमाओं में विस्तार, महिला अभ्यार्थियों की जमानत राशि में कमी, जमानत जब्त के लिए प्राप्त किये जाने वाल मतों के प्रतिशत को घटाया जाये, इत्यादि।

43. जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल ही निर्वाचन अवधि तक हो

जन प्रतिनिधियेां के कार्यकाल को भी एक निश्चित अवधि तक होना चाहिए। उनके लिए या तो निश्चित कार्यकाल निर्धारित कर देना चाहिए या फिर निर्वाचन में खड़े होने के अवसर निश्चित कर देने चाहिए। इससे निर्वाचन एवं राजनीति में नये लोगों को अवसर मिलते रहेंगे और सत्ता में येन–केन प्रकारेन बने रहने के लिए निर्वाचन तन्त्र के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ सीमित या समाप्त हो सकता है।

44. समग्र राजनीतिक सुधार

जैसा कि पूर्व के अध्यायों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि निर्वाचन अपने आप में साध्य नहीं है अपितु लोकतन्त्र एवं सांविधानिक शासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। किन्तु इसे एक मात्र साधन मान लेना ही उचित नहीं होगा। एक राजनीतिक व्यवस्था को दुष्प्रभावित करने वाले अन्य साधनों को जब तक नहीं सुधारा जायेगा तब तक निर्वाचन व्यवस्था मात्र में ही सम्पूर्ण सुधारों से समग्र राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की शत प्रतिशत अपेक्षा करना उचित नहीं है अतः राजनीतिक व्यवस्था में सुधार को समग्र भाव से देखना आवश्यक है।

निर्वाचन सुधार का समग्र अध्ययन एक व्यापक एवं विशेष विषय है। प्रस्तुत अध्ययन का सम्बन्ध मुख्यतः निर्वाचन सुधार के विधिक पहलुओं एवं तत्संबंधी आनुवांशिक प्रसंगों के विवेचन व विश्लेषण से रहा है। अध्ययन के क्षेत्र की परिधि का निर्वाचन के वैधानिक पक्ष तक परिसीमन अध्ययन की सीमाओं को स्वतः स्पष्ट कर देता है। यहां यह तथ्य भी सहजता से आत्मसात किया जा सकता है कि अध्ययन के विभिन्न अध्यायों में निर्वाचन व्यवस्था एवं सुधार के जिन महत्वपूर्ण आयामों का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है वे स्वयं में पूर्ण शोध कार्य का पृथक विषय बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत अध्ययन में उनका विश्लेषण आकार व स्वरूप दोनों ही दृष्टियों से सीमित रहा।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में भारतीय निर्वाचन तन्त्र निर्वाचन एवं व्यवस्था, उनके दोषों व दुर्बलताओं का परीक्षण करते हुए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का सारगर्भित निष्कर्ष इस रूप में प्रतिबिम्बित किया जा सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन से जो दोष, न्यूनताएँ, त्रुटियाँ स्पष्ट हुई हैं, उनके पश्चात् भी निर्वाचन व्यवस्था अभी तक निर्वाचन की शुचिता के प्रति लोकतांत्रिक आस्था का सम्यक् निर्वाह करने में सफल रही है, लेकिन यह भी यथार्थ है कि सम्बन्धित दोषों का समयबद्ध परिष्कार लोकतन्त्र के सुनिश्चित गरिमापूर्ण एवं सार्थक भविष्य के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है।

♦♦♦♦

शोध सारांश

शोध सारांश

इस शोध में समाविष्ट अध्ययन का विषय भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधारः पुनरावाहन के अधिकार के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन का शोध सारांश।

चुनाव एक लोकतांत्रिक गणराज्य के गठन की प्रक्रिया का वह आवश्यक तत्व है जिसके बिना लोकतंत्र महत्वहीन हो जाएगा अर्थात् ''चुनाव'' या ''निर्वाचन'' लोकतंत्र के प्राण तत्व की भांति है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अन्तर्गत 'निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं।'

निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने का आवश्यक बेरोमीटर है। इनके माध्यम से ही साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकते हैं परन्तु लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल निर्वाचन व्यवस्था की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्कता इस बात की भी है कि जो निर्वाचन सम्पन्न कराए जाएं वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों इनका संचालन निर्दलीय आधार पर हो और वे हर समय पर सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त हों।

चुनाव एवं निर्वाचकीय प्रक्रिया से सम्बन्धित एक अन्य पहलू मतदान है।

मतदान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को घोषित या अघोषित रूप से व्यक्त करता है। डोनार्ल्ड ई. स्टोक्स ने कहा है– ''मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सामूहिक निर्णयों में समाहार करने का एक साधन है।'' मतदान आचरण का तात्पर्य व्यक्ति के मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि व्यक्ति को मताधिकार के लिए कौनसे तत्व प्रेरित व कौनसे तत्व निरूत्साहित करते हैं। द्वितीय स्तर पर इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं?

भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं। मतदान के द्वारा जनता अपने शासकों का चयन, नियंत्रण तथा सरकार को वैद्यता प्रदान करती है। नागरिक मताधिकार की शक्ति के माध्यम से ऐसी सरकार को बदल सकते हैं जो कि उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती। वस्तुतः भारत जैसे देश में निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है।

भारत में अब तक लोकसभा के 17 महानिर्वाचन तथा राज्य विधानसभाओं के अनेक निर्वाचन एवं लोकसभा तथा विद्यान सभा के अनेक उप–निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं। इन सभी निर्वाचनों का निर्वाचन तंत्र द्वारा सशक्त आयोजन किया गया परन्तु इस प्रक्रिया में अनेक कमियाँ एवं विकृतियाँ भी परिलक्षित हुईं। तथा इस कमियों से लोकतंत्र प्रभावित होता है।

निर्वाचन में जो विकृतियाँ हैं उनमें समय–समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा सुधार भी किये जाते रहे हैं तथा इनमें प्रमुख सुधार है राइट टू रिकॉल यानि वापस बुलाने का अधिकार तथा राइट टू रिजेक्ट है।

प्रथम अध्याय ''परिचयात्मक'' में लोकतंत्र में निर्वाचन के महत्व, मतदान का अर्थ, मतदान के तरीके, मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व, चुनाव सुधार तथा राइट टू रिकॉल आदि के विश्लेषण के साथ ही शोध पद्धति, शोध के उद्देश्य तथा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा का भी उल्लेख किया गया है। लोकतंत्र में निर्वाचन का महत्व सत्ता परिवर्तन अहिंसक तरीके से, राजनीतिक दलों को स्वयं आत्म निरीक्षण करने का अवसर, मानव को समाज के लिए कार्य करने का अवसर, सरकार में स्थायित्व, लोक कल्याणकारी कार्य को प्रोत्साहन आदि का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है और जाति, धर्म, भाषा, विकास, क्षेत्रीय मुद्दे, काला धन, भ्रष्टाचार आदि मतदान को कैसे प्रभावित करते हैं इसका भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

द्वितीय अध्याय ''निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग'' के अन्तर्गत भारत में चुनावों का इतिहास में रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम, 1958, भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन (मार्च, 1942), कैबीनेट मिशन (मार्च, 1946) आदि में की गयी निर्वाचन की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का विवेचन किया गया है। प्रस्तुत

अध्याय में भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना, पदावधि और शर्तें, कार्मिक व्यवस्था एवं व्यय, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में सांविधानिक प्रावधान, निर्वाचन आयोग के कृत्य और अधिकार, चुनावों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्याायपालिका की भूमिका आदि का वर्णन किया गया है तथा साथ ही निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल एवं राजनीतिक दलों को मान्यता देने के मापदण्ड का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है।

तृतीय अध्याय ''भारत की निर्वाचन प्रक्रिया'' के अन्तर्गत राज्य में चुनाव सम्पन्न करवाये जाने हेतु निर्वाचन तंत्र को जो तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया है– राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था, निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 (क) में प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता तथा आयोग द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) एक मुख्य लेखाधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी का एक पद प्रशासनिक सेवा का एवं एक विभागीय पद सृजित हैं। साथ ही इन सभी अधिकारियों के कर्तव्यों व अधिकारों का विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 (क) के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकरी की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर वैधानिक रूप से चार प्रकार के अधिकारी होते हैं– निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतदान दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी व पुलिस अधिकारी। इन सभी अधिकारियों के कर्तव्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

निर्वाचन व्यवस्था की प्रक्रिया, निर्वाचन अधिसूचना की प्रक्रिया, मतदान तिथि बढ़ाना अथवा परिवर्तन करना, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की प्रारम्भिक संवीक्षा, निर्वाचक नामावली अभ्यर्थियता वापस लेना, निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, सविरोध और निर्विरोध निर्वाचन, अभ्यर्थी की मृत्यु का प्रभाव, प्रत्याशी की योग्यता, सदस्यों की निरर्हताएँ, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, मतदान के विधिक उपबंध, इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, मतदान केन्द्र में और इसके इर्द–गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन, मतदान की समाप्ति, मतगणना, उप निर्वाचन आदि का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय ''चुनाव सुधार के प्रयास एवं सुझाव'' के अन्तर्गत यह बताने का प्रयास किया गया है कि निर्वाचन सुधार दशकों से संसद और देश के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। अनेक पक्षों द्वारा इस संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की गयीं, इनमें से अधिक महत्वपूर्ण पक्षों की सिफारिशों का अध्ययन अपना महत्व रखता है। चूँकि निर्वाचन से जुड़ी त्रुटियों को हर व्यक्ति, राजनीतिक दल, राजनेता, संस्था, समूह ने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, अतः स्वाभाविक रूप से निर्वाचन सुधारों के लिए प्रस्तुत उनके सुझावों में उनका विशिष्ट दृष्टिकोण भी परिलक्षित हुआ महसूस होता है।

निर्वाचन में सुधार करने के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाता रहा है। प्रस्तुत अध्याय में संयुक्त संसदीय समिति (1970), तारकुंडे समिति (1974), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), इन्द्रजीत गुप्त समिति (1998), के. संथानम समिति (1962) आदि और समय–समय पर अनेक राजनीतिक दलों (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, अन्ना द्रमुक, आठ दलीय स्मरण पत्र) द्वारा निर्वाचन सुधार हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

इसके साथ ही हेगड़े सरकार (1983) राजीव सरकार (1984), विधि आयोग का 170 वाँ प्रतिवेदन (1999), निर्वाचन आयोग, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय आदि के द्वारा समय–समय पर निर्वाचन सुधार हेतु किये गये प्रयासों व सुझावों का विवेचन किया गया है।

पंचम अध्याय ''पुनरावाहन के अधिकार (राइट टू रिकॉल)'' के अन्तर्गत बताया गया है कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से जनता संतुष्ट नहीं तो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इसमें राइट टू रिकॉल का अर्थ तथा इसके इतिहास के बारे में बताय गया है। विश्व के कई देश अमेरिका, युगाण्डा, आस्ट्रिया, आइसलैंड, रोमानिया, क्यूबा, जर्मनी, बेलारूस, इक्वाडोर इथोपिया, किर्गिस्तान, पलाऊ आदि में राइट टू रिकॉल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन सबका स्तर अलग–अलग है।

भारत में राइट टू रिकॉल सदियों से चला आ रहा है तथा भारत में राइट टू रिकॉल का इतिहास बताया गया है। भारत में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब व बिहार में नगर निकायों में राइट टू रिकॉल लागू है का उल्लेख किया गया है।

राइट टू रिकॉल के मतदान की प्रक्रिया तथा क्या भारत में विधानसभा व संसद स्तर पर लागू होना चाहिए। तथा राइट टू रिकॉल को लागू करने से पहले कुछ सुधारों का भी उल्लेख किया है। साथ ही राइट टू रिकॉल के गुण व दोष तथा प्रमुख समस्याऐं भी बताई गई है।

राइट टू रिकॉल को संसद व विधानसभा में लाने के लिए इसके प्रति जनता का सकारात्मक पक्ष तथा नकारात्मक पक्ष का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।

षष्ठम अध्याय ''निष्कर्ष एवं आत्मकथन'' के अन्तर्गत समस्त अध्यायों के माध्यम से प्रमुख बिन्दुओं को दर्शाया गया है। साथ ही वर्तमान चुनाव व्यवस्था व मतदान व्यवहार में व्याप्त त्रुटियों, समस्याओं, असंगतियों और दोषों का विवेचन करने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रमुख चुनाव में धन के दूषित प्रभाव, बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव निर्दलियों की बढ़ती बाढ़, जाली मतदान की घटनाएं तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने वाली वांछित चुनाव मशीनरी की ही निष्पक्षता पर संदेह, जबरन मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, समाज के कमजोर वर्ग को मतदान करने से रोकने, चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद का सहारा लेने आदि त्रुटियां है।

अतः शोधार्थी द्वारा व्यक्तिगत अनुभव व जनमानस के सदस्यों के सम्पर्क से वर्तमान आवश्यकता और परिस्थितियों को देखते हुए निर्वाचन सुधार हेतु राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, क्षेत्रीय दलों पर अंकुश, ना रहे कोई दागी, 50 प्रतिशत + 1 मत, खर्च की निगरानी, गलत प्रचार पर लगाम, रूके ओपोनियन पोल, परिणाम रोकने का अधिकार, मतदाताओं मे जागरूकता, चुनाव में धर्म अथवा जाति के नाम पर वोट मांगने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया जाना चाहिए आदि सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए चुनाव अपरिहार्य है। यदि चुनाव विकृतिपूर्ण होंगे तो पवित्र और उज्ज्वल लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि जल्द से जल्द निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी एवं दोषमुक्त बनाया जाए, तभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा बरकरार रह सकती है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग को मिलकर काम करना होगा।

♦♦♦♦

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अरोड़ा, एन.डी. : भारत में लोकसभा चुनाव सांख्यिकी अध्ययन, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, 1977

2. अली, सबीक : ए सर्वे ऑफ दी जनरल इलेक्शन्स 1957, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, नई दिल्ली, 1959

3. अग्रवाल, आर.सी. : कॉन्सटीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, दिल्ली, एस. चन्द कम्पनी, 1986

4. अय्यर, आर.पी. कृष्णा एवं सम्पा : आल इण्डिया इलेक्शन गाइड, ऑरियन्टल पब्लिशर्स, मद्रास, 1956

5. अरथर, एस.पी. तथा श्री निवासन आर : स्टडीज इन डेमोक्रेसी, एलाईड पब्लिशर्स, बम्बई, 1965

6. ऑस्टिन ग्रेनविल : दी इण्डियन कांस्टीट्यूशन : कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड क्लेरंडन प्रेस, 1966

7. आढ़ा, रामसिंह : भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौती एवं सम्भावनाएं, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008

8. आहूजा, एम.एल. : हैण्डबुक आफ जनरल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रोरियल रिफार्मस इन इण्डिया 1932–1999, मित्तल नई दिल्ली, 2000

9. आढ़ा, रामसिंह : भारत में निर्वाचन तंत्र, शोध राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1994

10. अय्यर, ए.एन. : चुनावी कानून, कम्पनी, कानून संस्था, मद्रास, 1961

11. आडवाणी, एल.के. : भारत में चुनाव व्यवस्था : सुधार की आवश्यकता, पंचानानन्द खोज संस्था, चण्डीगढ़, 1987

12. अय्यर, एस.पी. तथा श्री निवासन, आर. : स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, बम्बई, एलाईड पब्लिशर्स, 1965

13. बक्शी, पी.एम. : इलेक्शन्स लॉ एण्ड प्रोसीजर, बिहारी ब्रदर्स, 1985

14. भण्डारी, के. : इण्डियाज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दी इलेक्शन्स आर. कारवेज, नई दिल्ली, 1988

15. भल्ला, आर.पी. : इलेक्शन्स इन इण्डिया, एस चांद एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1972

16. भगवती, जगदीश एन तथा अन्य : इलेक्टरोल पॉलिटिक्स इन दी इण्डियन स्टेट्स, मनोहर, दिल्ली, 1975

17. चावला, डी.डी. : चुनावी कानून व प्रक्रिया, ब्राही ब्रादर्श, देहली, 1991

18. चतुर्वेदी, आर.जी. : स्टेट एण्ड राइट्स ऑफ मैन, दिल्ली, मेट्रोपोलिटन, 1971

19. चण्डीदास तथा अन्य (सम्पा.) इण्डिया वोट्स : ए सोर्स बुक ऑन इण्डियाज इलेक्शन्स, नई दिल्ली, ड्मृनिटिज प्रेस, 1968

20. चौपड़ा, जे.के. : भारत में चुनाव सुधार की राजनीति, मित्तल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1989

21. दस्तूर, एलो जे. (सम्पा.) स्टडीज इन दी फोर्थ जनरल, इलेक्शन्स, एलाइड पब्लिशर्स, बोम्बे, 1972

22. दास, बी.सी. : इण्डियन गर्वनमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, प्रगति प्रकाशन, मीरूत, 1979

23. गुप्ता, डी.एस. : भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1985

24. गुप्ता अनिरूद्ध : रेवल्यूशन थ्रू बैलट, अंकुर पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 1977

25. ग्रेनविल, आस्टिन : दी इण्डियन कॉन्स्ट्टीयूशन, कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन ऑक्सफोर्ड, कलेरेडन प्रेस, 1956

26. गहलोत, एन.एस. : इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1992

27. गोस्वामी, भालचन्द्र प्ररवर : भारत में सुधार दशा और दिशा, पोइन्टर पब्लिशर्स, 1999

28. ग्रिफिथ, अर्नेस्ट ईन : दी अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लंदन मैथ्यून एण्ड कम्पनी, 1954

29. गुप्ता, डी.सी. : इण्डियन नेशनल मुवमेंट एण्ड कान्सटीट्यूशनल डवलपमेंट, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1973

30. हुर्वजर, मौरिस : पॉलिटिकल पार्टीज : देयर ऑर्गेनाइजेशन एण्ड एक्टिविटी, इन दा मॉर्डन स्टेट, राबर्ट मैथ्यूट एण्ड कम्पनी, लन्दन, 1964

31. हेगड़े, आर.के. : इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कर्नाटक जनता पार्टी ऑफिस, बंगलौर, 1987

32. जैन, एम.पी. : इण्डियन कॉन्स्टीटयूशनल लॉ, बाम्बे, एम.एन त्रिपाठी, 1978

33. जौहरी, जे.सी. : इण्डियन पॉलिटिक्स, जालंधर, वैशाली, 1984

34. जैन, धर्मचन्द : भारतीय लोकतंत्र, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृष्ठ सं.1

35. जयन्ता, हंसराज : चुनावी क्रिया में भ्रष्टता, दीप व दीप पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 1972

36. जनरल इलेक्शंस, 1962 : फैक्ट्स एण्ड फिगर्स, इण्डियन प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो, इलैक्शन्स यूनिट, नई दिल्ली, 1962

37. जैन, एस.एन. : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 1998

38. जोशी, आर.पी. : भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007

39. कांग्रेस एण्ड दी सैकेण्ड जनरल इलेक्शन, 1957 : ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, 1957

40. कमल, के.एल. : पार्टी पॉलिटिक्स इन इण्डियन स्टेट्स, एस. चांद एण्ड कम्पनी, 1967

41. कुमार, बी. वेंकटेश : इलेक्ट्रोरल रिफार्म इन इण्डिया : करेण्ट डिस्कोर्सेज, रावत, 2009

42. कोठारी, रजनी तथा अन्य : कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल चेलेंज इन इण्डिया : जनरल इलेक्शन्स 1967, ऐकेडेमिक बुक्स, बम्बई, 1969

43. कोठारी, रजनी (सम्पा.) : पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन्स स्टडीज, एलाइड, बॉम्बे, 1967

44. कृष्णामणी, पी.एन. : इलेक्शन्स, केण्डीडेट्स एण्ड वोटर्स, न्यू इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, 1967

45. कॉजेकर, एस.वी. तथा रिचार्ड एल. पाक्र : रिपोर्ट्स ऑफ दी इण्डियन जनरल इलेक्शन्स 1951–52, पोपुलर बुक डिपो, बाम्बे, 1956

46. कोठारी, रजनी : कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओरियंट लांगमैन, दिल्ली, 1972

47. कृष्णन् नयार, एम. : द लॉ ऑफ इलेक्शन्स इन इण्डिया त्रिवेन्द्रम, दी एकेडमी ऑफ लीगल पब्लिकेशन्स, 1986

48. कार्निज, वी.बी. (सम्पा.) : फोर्थ जनरल इलेक्शन्स : प्रोब्लम्स एण्ड पॉलिसीज, लालवानी पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1966

49. कश्यप, सुभाष (सम्पा.) इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टोरल रिफार्म्स इन इण्डिया, आई.सी.पी. एस. 1971, नई दिल्ली

50. कश्यप, सुभाष : भारत में निर्वाचन : समस्याएँ और सुधार, रिसर्च, दिल्ली, 1972

51. कश्यप, सुभाष : नेशनल रिसर्जेन्स थ्रू इलैक्टोरल रिफार्मस, शिप्रा, नई दिल्ली, 2002

52. कुरेशी, जहीर मसूद : इलेक्शन्स एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया : ए केश स्टीज ऑफ कश्मीर, संदीप, दिल्ली, 1979

53. लाल, कंवर : इलेक्शन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जीत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1977

54. लाल, शिव : दी प्राइम मिनिस्टर्स पोलकेस एण्ड, अवर जजमेन्ट्स, दी इलेक्शन्स आर्काइव्ज, नई दिल्ली, 1977

55. महेश्वरी, एस.आर. : दी जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया, चैतन्य पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 1982

56. महेश्वरी, एस.आर. : इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन नेशनल मैट्रोपोलिस, रीतु पब्लिकेशन्स, 1982

57. मेहता, अशोक : दी पॉलीटिकल माइण्ड ऑफ इण्डिया : इन एनालाइसिस ऑफ दी जनरल इलेक्शन्स, सोशलिस्ट पार्टी कन्ट्रोल ऑफिस, बाम्बे, 1952

58. मिश्र, एस.एन. : लोक प्रशासन के बदलते आयाम, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, 2005

59. मैकेन्जी, डब्ल्यू. जे.एच. : फ्री इलैक्शन्स, जार्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1958

60. मीरचन्दानी, जी.सी. : दी पीपुल्स वरडिक्ट, नई दिल्ली विकास, 1980

61. मंगलानी, रूपा : भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियाँ एवं सूचना का अधिकार : परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियाँ, ''राज्य शास्त्र समीक्षा'' राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, अंक 1–2, 2004, पृष्ठ संख्या 121–130

62. मोरिन्स जोन्स, डब्ल्यू.एच. : दी गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया, हचिन्सन यूनिवर्सिटी, लंदन, 1964

63. मसोधकर, बी.ए. : लॉ रिलेटिंग टू इलेक्टोरल डिफेक्शन बाम्बे, एन.एम. त्रिपाठी, 1986

64. मलिक, विजय : इलेक्शन लॉ : लखनऊ ईस्टन बुक कं., 1977

65. मेहता, प्राग : इलेक्शन्स कैम्पेन, नई दिल्ली, नेशनल, 1975

66. महाराष्ट्र रीजनल ब्रांच आई.आई.पी.ए. : आर्गेनाईजेशन ऑफ इलेक्शन्स टू यूनियन एण्ड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इण्डिया, बम्बई, पोपुलर, 1962

67. मुखर्जी, ए.आर. : पॉर्लियामेन्टरी, प्रोसीड्ट इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, 1967

68. नारंग, ए. एस : भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, 2005

69. नारायण, इकबाल : ट्वीलाइट और डॉन : पॉलिटिकल चेंज इन इण्डिया, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1972

70. नारायण, इकबाल तथा अन्य : लिकेज, एलीट, एण्ड इलेक्शन्स, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1978

71. नीरज : नेहरू एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया, मेट्रो पोलिटिन बुक कम्पनी, देहली, 1971

72. पामर, नार्मन डी : इलेक्शन्स एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेंट, दी साउथ एशियन एक्सपीरियेंस, नई दिल्ली, 1976

73. पायली, एम.बी. : इण्डियाज कॉन्स्टीट्यूशन, एलाइड पब्लिशर्स, एशिया, 1962

74. पॉल, शारदा : जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया, एसोसिएटेड पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1980

75. पोपलाई, एस.एल. : 1962 जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया, एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1962

76. फूलचन्द्र : इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इण्डिया, आई.सी.पी.एस., नई दिल्ली, 1984

77. पाण्डेय, सुरेन्द्र : आम चुनाव में जाति एवं सम्प्रदाय, एस.के. पब्लिशिंग कम्पनी, सरोवर बिहार, मोराबन्दी, राँची, 1995

78. पट्टाभिराम एम. (सम्पा.) : जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया, एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1967

79. राना, एम.एस. : इण्डिया वोट्स : लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन, बी.आर. पब्लिशिंग कॉरर्पोरेशन, दिल्ली, 1998

80. रंजन, राजीव : चुनाव, लोकसभा और राजनीति, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2000

81. राठौड़, मीना : भारत में राजनैतिक दल, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003

82. रोश, जे.एफ.एस. : इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टर्स, आयर एण्ड स्मोटिसक, लंदन, 1955

83. राजगोपालाचारी : रेस्क्यू डेमोक्रेसी फ्रॉम मनी पावर, भारतीय भवन, बाम्बे, 1977

84. रामगोपाल : अनडेमोक्रेटिक एलिमेन्ट्स इन दी इण्डियन कॉन्सीट्यूशन, समाया पब्लिकेशन्स, बाम्बे, 1977

85. रतना स्वामी, पी. : इलेक्टोरल रिफार्मस इन इण्डिया : लॉ एण्ड इन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड वर्ल्ड, बुक वेल, नई दिल्ली, 2004

86. राय, रामाश्रय : इलेक्शन्स एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया, आई.जे.पी.ए., अक्टुबर–दिसम्बर, 1971

87. शर्मा, अशोक : भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन, अनुसंधान व विशद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1984

88. सिंह, डॉ. निशांत : लोकतंत्र और चुनाव सुधार, राधा पब्लिकेशन्स, दरियागंज नई दिल्ली, 2003

89. सिंह, एल.पी. : इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रॉब्लम्स एण्ड सजेस्टेड सोल्यूशन, उप्पल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1986

90. सेन, ए.के. : इलेक्शन्स लॉ एण्ड रूल्स, टेक्नीक एण्ड प्रोपेगेण्डा, नई दिल्ली, ए.आई. सी.सी. ऑफिस, 1961

91. स्मिथ, टी.ई. : इलेक्शन्स इन डवलपिंग कंन्ट्रीज, मैक्मिलन, लंदन, 1960

92. सिरससिकर, वी.एम. :बिना ताज के सम्प्रभुता : भारतीय क्रिया में व्यावहारिक विश्लेषण, लोकप्रिय प्रकाशन, बाम्बे, 1973

93. शकधर, एस.एल. : लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन्स इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992

94. सिंह, भवानी : इलेक्शन पॉलिटिक्स एण्ड वोटिंग बिहेवियर, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1995

95. शिवाराम, बी. : दी फ्रेमिंग ऑफ इण्डियाज कॉन्स्टीट्यूशन : ए स्टडी, नई दिल्ली, 1968

96. शेषन, टी.एन. : ''बोझिल मन की व्यथा कथा'', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1995

97. शर्मा, पदमनाभ : भारत में निर्वाचन राजनीति, स्वरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1993

98. शर्मा, एच.सी. : भारत में शासन और राजनीति, जनशक्ति प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007

99. शुद्र, एस.पी. सिंह व अजीत सिंह शुद्र : भारतीय चुनाव व विधानसभा, भारतीय प्रकाशन, लुधियाना, 1953

100. सारस्वत, गुरूकिशन लाल : भारतीय चुनाव व चुनाव अर्जी, पूर्वी प्रकाशन, लखनऊ, 1961

101. त्रिवेदी, डॉ. आर. एवं एम.पी. राय : भारत सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2001

102. उपाध्याय, अन्जु शरण : इलेक्ट्रोरल रिफार्म इन इण्डिया, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2005

103. वैंकटरमैय्या, एम. : फ्री एण्ड फेयर इलेक्शन्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1966

104. वर्मा, एस.पी. तथा इकबाल नारायण : फोर्थ जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया, ओरियन्टल लोंगमेन, 1970

105. वीनर, मायरन तथा अन्य : इण्डियन वोटिंग बिहेवियर : स्टडी ऑफ दी 1962 जनरल इलेक्शन्स, के.एल. मुखोपाध्याय फर्म, कलकत्ता, 1965

106. वट्टल, एल.पी. सिंह : चुनाव सुधार : समस्या और सुझाव, उजला प्रकाशन हाउस, नई दिल्ली, 1986

वेबसाइट

1. www.eci.gov.in

2. www.google.com.in

शोध पत्र

1. प्रशासनिक चिंतन : लोक प्रशासन विभाग, राज.वि.वि. जयपुर, वॉल्यूम 1, वर्ष 1 जनवरी, जून 2003

2. जनरल ऑफ कान्सटिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज : दी इन्सटीट्यूट ऑफ कान्सटिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, नई दिल्ली।

3. पावेल, बसन्ती लाल : मानवाधिकारों का संवैधानिक पक्ष, राजस्थान पत्रिका, 7.12.1994

4. जैन, निलांजना : चुनाव सुधारों पर विचार : ''लोकतंत्र समीक्षा'' सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, अंक 1–4, 2004, पृ. 89–96

5. मंगलानी, रूपा : भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियाँ एवं सूचना का अधिकार : परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियाँ ''राज्य शास्त्र समीक्षा'' राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, अंक 1–2, 2004, पृ.सं. 121–130

6. यादव, योगेन्द्र लेख ''दी थर्ड इलेक्ट्रॉल सिस्टम'' (सेमिनार–अगस्त, 1999, पृ. 14–20)

7. इन्दा, उम्मेदसिंह : भारतीय राजनीति में आचार संहिता, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2008

8. कश्यप, सुभाष : भारत में निर्वाचन समस्याएँ और सुधार, सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन, रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल साइंसेज, नई दिल्ली, 1972

सरकारी प्रतिवेदन

1. दी बीकानेर एडिक्ट ऑफ 1913, आर्टिकल 4.5

2. एफ.डी.सी. लेजीस्लेटिव काउंसिल

3. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2012–2013 : निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचरण संहिता, भारत निर्वाचन आयोग, 2003

5. रिटर्निंग अधिकारियों के लिए, पुस्तिका निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2013

6. पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका : निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2013

7. निर्वाचन विधि निर्देशिका, 2004, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. निर्वाचन कानूनों का परिशिष्ट

9. मतदान अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका, 2013

10. उम्मीदवारों के लिए पुस्तिका, 2013

11. मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका, 2013

12. निर्वाचनों का संचालन से संबंधित निर्देशिका का संग्रह

13. इलेक्ट्रोल रिफॉर्मस एन एजेण्डा फार नेशनल एक्शन हैदराबाद, शासकीय सचिवालय, 1987

14. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, नई दिल्ली, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

15. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नई दिल्ली, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

16. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1956, निर्वाचन नामावली की तैयारी, नई दिल्ली, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

17. मैनुअल ऑफ इलेक्शन लॉ, नई दिल्ली, विधि मंत्रालय, भारत सरकार (विभिन्न संस्करण)

18. तारकुण्डे समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 1975

19. विधि आयोग का 170वाँ प्रतिवेदन, 1999

20. राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग का प्रतिवेदन, 2000

21. भारत का संविधान : नई दिल्ली, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

न्यायिक निर्णय

1. गोलक नाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब : ए.आई.आर. 1967, ए.सी. 1643

2. इनरी बेरूबारी यूनियन : ए.आई.आर. 1960, ए.सी. 845

3. सादिक अली बनाम निर्वाचन आयोग : ए.आई.आर., 1972, ए.सी. 187

4. मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त : ए.आई.आर. 1978 सु. को 851

5. एस.पी. पेनुस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी : ए.आई.आर. 1952 सु.को. 64

6. आल पार्टीज हिल लीडर्स बनाम संगमा : ए.आई.आर. 1977

7. एशोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य : सिविल अपील सं. 2001 का 178

पत्र–पत्रिकाएँ

1. क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज
2. योजना
3. राजस्थान वार्षिकी
4. द हिन्दुस्तान टाइम्स
5. प्रतियोगिता दृष्टि
6. प्रतियोगिता दर्पण
7. दा हिन्दू
8. इण्डिया टुडे
9. वर्ल्ड फोकस
10. राजस्थान पत्रिका
11. टाइम्स ऑफ इण्डिया
12. इण्डियन एक्सप्रेस
13. राष्ट्रीय सहारा
14. द ट्रिब्यून
15. द स्टेट्समेन
16. दैनिक जागरण
17. दैनिक भास्कर
18. जनसत्ता
19. फ्रन्ट लाइन
20. दा इकनॉमिक टाइम्स

प्रकाशित शोध–पत्र

क्र. सं.	शोध–पत्र का शीर्षक	प्रकाशन वर्ष	शोध–पत्रिका / पुस्तक का नाम	ISSN NO.	संस्करण	राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय
01.	भारत में निर्वाचन व्यवसथा : चुनौती एवं सुधार	2015	नेचर एण्ड सोसायटी	2394–1340	Volume-II अक्टूबर–दिसम्बर 2015	अन्तर्राष्ट्रीय
02.	भारतीय मानवाधिकार एवं महिला विकास की प्रमुख चुनौतियाँ	2016	अबीर	2249-3409	अप्रेल –जून 2016	अन्तर्राष्ट्रीय

ISSN : 2394-1340

Vol. II No. 4 Oct.-Dec. 2015

Nature and Society

An International Research Journal

EVOLUTION

EDUCATION

ENVIRONMENT

ETHICS

A Quarterly Bilingual Multi Disciplinary Research Journal

Chief Editor
Dr. S.S. Yadav

Executive Editor
Dr. Ruchi Tyagi

THAR INDIA INSTITUTION

CONTENTS

1.	अध्यापक शिक्षा का मूल्य–शिक्षा में योगदान	*डॉ. मधु माथुर (प्रोफेसर)*	1
2.	मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में नारी भावना	*नरेश बूरी*	6
3.	भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौती एवं सुधार	*अलका मीणा*	18
4.	"समाज, सिनेमा और साहित्य : अन्तर्द्वंद का एक विश्लेषण	*डॉ. भूरसिंह जाटव*	25
5.	'दो मंजिला प्रेम' : एक समीक्षा	*कविता मीणा*	34
6.	स्त्री आन्दोलन की परम्परा	*डॉ. सुरेन्द्र सिंह यादव*	39
7.	काव्यप्रकाश में वर्णित शब्दशक्ति :एक अवलोकन	*डॉ0 गोपाल लाल मीणा* *दिलीप कुमार*	49
8.	भारत–बांग्लादेश सम्बन्धों का वर्तमान विश्लेषण	*डॉ. भावना शर्मा*	64
9.	अमृतलाल नागर के उपन्यास साहित्य में दलित चेतना	*डॉ. मानप्रकाश मीणा*	76
10.	अनुसूचित जनजाति के अस्तित्व का संकट	*डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा*	80
11.	संस्कृत वाङ्मय में नारी शब्द व्युत्पत्ति और उसका धर्म	*डॉ. राजेश मीना*	92
12.	भारतीय चुनाव प्रणाली : समस्याएँ एवं समाधान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में	*फकरूदीन खान*	99
13.	महिला सशक्तिकरण एवं पंचायतीराज	*रोहित कुमार जैन*	108
14.	शहरी स्वशासन : एक परिचय	*लक्ष्मीनारायण बुनकर*	122
15.	The Role of Tigers in Wildlife Conservation	*Dr. Jyotsna Jain*	126
16.	Noise Pollution in Jaipur Urban City and Their Impact	*Dr. Manisha Mathur* *Dr. Charu Goyel* *Dr. Jyotsna Jain*	134

ISSN : 2394-1340

भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौती एवं सुधार

अलका मीणा
शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

चुनाव एक लोकतान्त्रिक गणराज्य के गठन की प्रक्रिया का वह आवश्यक तत्त्व है जिसके बिना लोकतन्त्र महत्त्वहीन हो जाएगा अर्थात निर्वाचन लोकतंत्र के प्राण तत्त्व की भाँति है। यह समीक्षा भारतीय चुनाव में मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। चुनाव सुधार के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक प्रावधानों को व्यावहारिक तरीके से समझने में भी यह सहायक होगा। शोध में प्राप्त सूचना एवं तथ्यों से आगामी निर्वाचन से सम्बन्धित नीति निर्माण में सहायता मिलेगी एवं मतदाताओं के राजनीति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोंण भी यह अंकित करेगा।

निर्वाचनिक सुधार से बढ़ते राजनैतिक दलों में कमी एवं जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। निर्वाचन प्रणाली के प्रमुख सुधार में राइट टू रिकॉल लागू होने से राजनैतिक जनसहभागिता में होने वाले परिवर्तनों को यह शोध इंगित करेगा। भारत के निर्वाचन में जन सहभागिता की अब तक की प्रगति को रेखांकित करेगा जिससे भविष्य में होने वाले निर्वाचनिक सुधार के लिए नए नए सुझाव प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

भारत में निर्वाचन व्यवस्था

'चुनाव' या 'निर्वाचन' लोकतन्त्र के प्राण तत्त्व की भाँति है। प्रतिनिधि लोकतन्त्र के अन्तर्गत ''निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं।'' निर्वाचन लोकतन्त्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने का

ISSN : 2394-1340

आवश्यक बेरोमीटर है। इनके माध्यम से ही साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकता है। परन्तु लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए केवल निर्वाचन व्यवस्था की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता इस बात की भी है कि जो निर्वाचन सम्पन्न करायें जाए वे निष्पक्ष और स्वतन्त्र हों, इनका संचालन निर्दलीय आधार पर हो और वे हर समय पर सत्तारूढ दल के प्रभाव से मुक्त हों। जैसाकि हृदयनाथ कुंजय ने कहा है कि "यदि निर्वाचन मशीनरी (यन्त्र) त्रुटिपूर्ण हो, या अकुशल हो या ऐसे शक्तियों द्वारा संचालित की जाती हों जिनकी सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो लोकतन्त्र स्त्रोत के स्थान पर ही विषैला हो जायेगा।"

यह शाश्वत तथ्य है कि लोकतन्त्र वृक्ष है स्वतंत्रता उसकी छाया। निर्वाचन इस वृक्ष को सींचने वाले जल के समान है जिस प्रकार एक निश्चित अन्तराल पर निश्चित मात्रा में जल डालने से कोई वृक्ष निरन्तर पल्लवित–पुष्पित होता रहता है,उसी प्रकार एक निश्चित अंतराल पर निश्चित विधि द्वारा निर्वाचन होते रहने से लोकतन्त्र उत्तरोत्तर अधिक परिपक्व होता जाता है।

चुनाव के महत्त्व को गिल क्राइस्ट ने इन शब्दों में व्यक्त किया "आधुनिक राज्य प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों की अपेक्षा विस्तार से अधिक बड़ा है और नागरिकों के लिए यह असम्भव है कि कानूनों पर विचार विनिमय करने के लिए वे एक स्थान पर इकट्ठे हो सकें। अतः आधुनिक जनतत्र प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होता है, जिसके द्वारा सब नागरिक कानून बनाने वाली सभा में भाग लेने की बजाय औरों को उसके लिए निर्वाचित करते हैं।"

लोकतन्त्र में निर्वाचन का महत्त्व निम्न कारणों से है –

- इससे सत्ता परिवर्तन अहिंसक तरीके से होता है।
- ये राजनीतिक दलों को स्वयं आत्म निरीक्षण करने का अवसर देते हैं।
- ये मानव को समाज के लिए कार्य करने का अवसर देते हैं।
- ये व्यक्ति को स्थानीय दायरे से ऊपर उठाकर राष्ट्रीयता के दायरे तक ले जाते हैं इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता हैं।

ISSN : 2394-1340

- ये सरकार में स्थायित्व लाते हैं।
- ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का संचार करते है।
- देश के साथ प्रेम करना सिखाते हैं।
- लोक कल्याणकारी कार्य को प्रोत्साहन देते हैं।

निर्वाचन की महत्ता को स्वीकार करते हुए ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में प्रमुख स्थान दिया है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से सम्बन्धित है जिनमें निर्वाचन को सम्पन्न कराने के लिए एक तटस्थ और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका कार्य चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण कर भारत में चुनाव सम्पन्न कराना है।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपने अस्तित्व और कार्य दोनों के लिए लोगों की सहभागिता पर निर्भर रहती है। इसके माध्यम है– चुनाव, वयस्क मताधिकार, निर्वाचित विधायिका, राजनीतिक दल और दबाव समूह। जहाँ एक ओर लोकतन्त्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया सहभागिता पर आधारित है, वहीं इससे सरकार के कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। कुछ वर्ग सहभागिता की प्रक्रिया से अलग रह सकते हैं तो कुछ अन्य वर्गो की अति–सहभागिता हो सकती है। कोई भी लोकतन्त्र राजकार्य में शत–प्रतिशत लोगों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर सकता।

चुनाव प्रणाली में चुनौती

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक पन्द्रह संसदीय तथा राज्य विधान मण्डलों के कई चुनाव व मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं। ये सभी चुनाव सामान्यत शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए हैं। फिर भी यह स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ चुनाव के मामले में सब कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि चुनाव पद्वति एवं चुनावों में कुछ कमियाँ और असंगतियाँ देखने में आयी हैं। चुनाव में धन की बर्बादी होती है और चुनाव में खड़े लोग और पार्टियाँ इस ओर पर्याप्त और अपेक्षित रूप से गंभीर नहीं होते।बार–बार विभिन्न राजनैतिक परिस्थितियों के चलते चुनाव का बोझ इस देश पर भारी पड़ता है।

ISSN : 2394-1340

बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव, निर्दलियों की बढ़ती बाढ़, जाली मतदान की घटनाएँ तथा स्वतन्त्र और निष्पक्ष मतदान कराने वाली वांछित चुनाव मशीनरी की निष्पक्षता पर संदेह, जबरन मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने समाज के कमजोर वर्ग को मतदान करने से रोकने, चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद का सहारा लेने, सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने तथा राजनैतिक दलों द्वारा जोड़तोड़,'आया राम गया राम' तथा गठबन्धन सरकारों का खट्टा मीठा अनुभव भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय कमजोर बनाता है। एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकने की आजादी भले ही लोकतान्त्रिक अधिकारों की पुष्टि करता हो पर इस तरह की और दूसरी विसंगतियाँ होने के कारण भारत में निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता को चिन्हित किया है।

चुनाव प्रणाली में सुधार

भारत में 1967 के चौथे आम चुनावों के बाद ज्यादा आवश्यक मानी गयी। डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के अनुसार, "हमारे संविधान ने आधुनिक उदारवादी दर्शन के सार तत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया है परन्तु इसके पूरे अर्थ का अभी उद्घाटन होना है। अभी इसे न्याय, स्वतन्त्रता तथा क्षमता के उदात्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेष है। यदि हमें इसका महत्त्व तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने निर्वाचन–प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता की रक्षा के लिए पृथक प्रयास करें।"

चुनाव प्रणाली के कुछ प्रमुख सुधार निम्न हैं–

- मतदान में नोटा का प्रयोग
- मत पत्र के प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रानिक मशीन द्वारा मतदान
- स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान
- चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने या बुलाने की व्यवस्था
- मत–गणना की सही विधि का विकास
- स्त्रियों एवं निर्बल समूहों के लिए सीटों का आरक्षण

ISSN : 2394-1340

- प्रत्याशियों के लिए समुचित आवश्यक योग्यता एवं अर्हताएँ निर्धारित करना।
- मतदान पत्रों की डिजाइन ऐसी हो जिससे लोगों को समझने में कठिनाई न हो।
- निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का सम्यक गठन
- चुनाव खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियत्रण
- चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन
- मतदाताओं के लिए भयमुक्त वातावरण
- घूंस देकर, शराब पिलाकर या जबरदस्ती मत डलवाने के विरूद्ध नियंत्रण
- अवैध मतदान पर रोक
- चुनाव की ऋतु, दिन एवं समय निर्धारण में सावधानी

चुनाव प्रणाली के प्रमुख सुधारों में वापस बुलाने का अधिकार भी बहुत महत्त्वपूर्ण सुधार है। जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना है, यदि वह अपने उस प्रतिनिधि के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है, तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि वह अपने उस प्रतिनिधि को समय से पूर्व ही वापस बुला ले। इसे ही वापस बुलाने का अधिकार कहा जाता है।

चुनाव प्रणाली के उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग, सम्पूर्ण देश के निर्वाचकों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण और नियन्त्रण करता है। निर्वाचन आयोग व्यापक स्तर पर निर्वाचनों का निर्देशन करता है। सम्पूर्ण निर्वाचन व्यवस्थाओं का प्रबन्ध एवं आयोजन, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं नवीनीकरण, नामांकन पत्रों की स्वीकारोक्ति, उनकी जाँच एवं संवीक्षा, मतपत्रों का मुद्रण, उनका रख–रखाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा उसका उपयोग, मतदान की व्यवस्था, कानून और व्यवस्था का अनुरक्षण, शिकायतों की सुनवाई और समाधान तथा मतगणना आदि कई कार्यो का संचालन विभिन्न प्रशासनिक सोपानों के माध्यम से निर्वाचन तन्त्र द्वारा किया जाता है।

इस उद्देश्य के विभिन्न पक्षों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:–

- चुनाव प्रणाली में लोकतन्त्र की भावना को दूषित करने वाले तत्वों यथा जातिवाद, धनबल, बाहुबल, राजनैतिक भ्रष्टाचार, धर्म जैसे कारकों के प्रभाव का अध्ययन
- निर्वाचन प्रशासन के विभिन्न स्तरों के केन्द्रीय, राज्यीय एवं जिला स्तरीय संरचना की निष्पक्षता का मूल्यांकन
- निर्वाचन राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों व सुझावों का अध्ययन।
- भारतीय निर्वाचन तन्त्र के समग्र संगठन एवं कार्यकरण का मूल्यांकन करना।
- चुनाव सुधार में वापस बुलाने के अधिकार का महत्त्व एवं विश्लेषण का अध्ययन
- चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में मतदाताओं के आचरण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों का अवलोकन एवं विश्लेषण।

चुनाव प्रणाली के महत्व

किसी भी प्रदेश में नेतृत्व की प्रकृति को समझने के लिए वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक परिवेश की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि नेतृत्व का निर्माण करने वाले तत्त्व व उसके कारकों पर इन समस्त पहलुओं का अत्यधिक प्रभाव रहता है। नेतृत्व की प्रकृति को निर्धारित करने में अनुयायियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि नेतृत्व क्रिया नेता तथा अनुयायियों के बीच होती है। यहाँ पर नेता से तात्पर्य जनप्रतिनिधि से एवं निर्माणक तत्व मतदाता तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक का अर्थ निर्वाचन की कमियों से है।

'भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचनिक सुधार में यह आवश्यक समझा गया है कि नेतृत्व निर्माण अर्थात् लोकतान्त्रिक राज्य के गठन हेतु सम्पन्न कराये जाने वाले चुनाव उनको सम्पन्न कराने वाली संस्था, एवं प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सम्भावित चुनाव सुधारों का भी निर्धारण कर लिया जावे साथ ही लोकतन्त्र की निर्धारक इकाई व्यक्ति है,जो कि वयस्क होने पर मतदान द्वारा, जन प्रतिनिधियों का चयन करता है, इसके व्यवहार का भी अवलोकन विभिन्न शोध प्रविधियों के माध्यम से किए जाने का विनम्र प्रयास किया गया है जिसमें

मतदान व्यवहार द्वारा पैदा होने वाले दुष्परिणामों को इस अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया जा सके और अन्य किसी भी अध्ययन के द्वारा इसको तुलनात्मक अध्ययन के लिए तैयार किया जा सके तथा चुनाव में व्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा जिससे भारत में स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, डॉ. श्याम मोहन व डॉ. महेन्द्र सिंह पलसानियाः भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आस्था प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2010
2. आढ़ा, रामसिंह : भारत में निर्वाचन व्यवस्थाः चुनौती एवं सम्भावनाएँ, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008
4. बाबेल, बसंती लालीः भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 1995
5. चौहान, घनश्याम : भारतीय राजनीतिक और सरकार, सुमित एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली, 2005
7. जोशी, आर.पी. एवं आर. एस. आढ़ा : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुर्नरचना के विविध आयाम (संपादित), रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000
8. जैन, पुखराज एव बी.एल. फड़ियाः भारतीय शासन एवं राजनीति, आगरा साहित्य भवन, 2009
9. जैन, निलांजनाः चुनाव सुधारों पर विचारः "लोकतन्त्र समीक्षा" सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, अंक–1–4, 2004, पृ. 89–96
10. कश्यप,सुभाष : भारत में निर्वाचन : समस्याएं और सुधार, रिर्सच, दिल्ली, 1972
11. मोदी, एम.पी. तथा सरोज मोदीः भारतीय राजनीति की प्रवृतियाँ, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–2007
12. मंगलानी, रूपा : भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियाँ एवं सूचना का अधिकारः परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियाँ, "राज्य शास्त्र समीक्षा" राजनीति विज्ञानविभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, अंक 1–2, 2004, पृष्ठ संख्या–121–130
13. मिश्र, एस.एन. : लोक प्रशासन के बदलते आयाम, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, 2005
14. नारंग, ए. एस. : भारतीय शासन एवं राजनीति, गीताजंली पब्लिशिंग हाऊस, 2005
15. पुरी, मनोहर : लोकतन्त्र के पाये प्रभावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
16. रंजन, राजीव : चुनाव, लोकसभा और राजनीति, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2000
17. त्रिवेदी, डॉ. आर.एवं एम. पी. राय : भारत सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर– 2001

❑❑❑

ABEER

A Journal of Research

R.N.I. No. RAJBIL/36886/2011 I.S.S.N. No. 2249-3409 April-June 2016

ABEER

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति

Chief Editor
DR. PRAVESH KUMAR

CONTENTS

1.	Impact of Information Technology on Library Collection	Mamta Singh	1-7
2.	Sociological Status of Handicraft Artisans of Bikaner and their Problems	Prof. Jaya Paliwal Shalini Soni	8-13
3.	Need and Importance of Capital Adequacy Standards in India	Ajay Kumar	14-16
4.	Honor Killing "Murder" Justified in the Name of Prestige	Dr. Richa Singhal Dr.Saloni Ratnu	17-24
5.	Database Technology: Retrospect's and Prospects	Dr. Purnima Kaushik Vineeta Chauhan	25-32
6.	Use of Herbal medicines	Hansha Saini	33-39
7.	Problems of water management	Sachin Yadav	40-43
8.	Managerial Functions Redefined through the Mahabharata	Dr. Bhumika Thakor Piyush Dashora	44-46
9.	Cloud Computing and Digitalised Libraries	Dr. Purnima Kaushik Babita Chauhan	47-52
10.	सूफीत्त्व विचारधारा में धर्म और साहित्य	डॉ. शीशराम बोयत	53-56
11.	भारतीय मानवाधिकार एवं महिला विकास की प्रमुख चुनौतियाँ	अलका मीना	57-63
12.	भारतीय साहित्य : एक समग्र सिंहावलोकन	वर्षा चौहान	64-72
13.	महात्मा गाँधी का अमेरीकी नागरिक अधिकार आन्दोलन पर प्रभाव	नागेश शर्मा	73-81
14.	भारतीय संगीत के बदलते प्रतिमान : एक दृष्टि में	डॉ. सोनिका पारीक	82-87
15.	आदिवासी वर्ग के मानवाधिकार संबंधी मुद्दे तथा संवैधानिक सुरक्षा	डॉ. भावना शर्मा शारदा देवी	88-95
16.	राजस्थान में जल संकट की समस्या एवं उसके समाधान का एक अध्ययन	डॉ. विनीता तंवर बीना कुमारी	96-101
17.	भारतीय महिला और वर्तमान सामाजिक बदलाव	डॉ. ईनाक्षी चतुर्वेदी मिनाक्षी मील	102-106

भारतीय मानवाधिकार एवं महिला विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

- अलका मीना

अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकारों के क्रम में मानवाधिकारों की अवधारण एक व्यापक अवधारण है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों एवं पर्यावरण से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने व्यक्तित्व को कायम रखने एवं व्यक्तित्व के विकास तथा निर्माण के लिए अनिवार्य होती है। राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से अधिकार मानव इतिहास के समान शाश्वत है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के छः दशकों के पश्चात भी भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति बर्बरता, अमानवीयता, भैदभाव, घुटन और जेल के कैदी सा व्यवहार किया जाता है। वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक दशा में कुछ सुधार दृष्टिगोचर होता है, जिसके पीछे महिला संगठनों का भागीरथ, प्रयास, शिक्षा का प्रसार, संचार माध्यमों का विस्तार औद्योगिकरण, स्त्री रोजगार के बढते अवसर, सुधार आन्दोलन तथा स्त्रियों की रक्षार्थ कानूनों का निर्माण आदि बिन्दु महत्वपूर्ण हैं। लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है।

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन विषयक समझौते के अनुसार क्या हमारे देश में महिलाओं के प्रति समानता का व्यवहार और उनके अधिकार का सम्मान हो रहा है? महिलाओं पर अधिरोपित विभिन्न प्रकार की नियोग्यताएँ, नैतिकता का ह्रास, भौतिकवादिता, अर्थ की लालसा, अश्लीलता एवं उन्मुक्ता आदि कारकों को महिलाओं के मानवाधिकारों एवं उनके विरूद्ध बढते अपराधों के लिए उत्तरदायी माना है। भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों की संप्राप्ति की दिशा में वैधानिक उपायों के तहत भारतीय संविधान के अर्न्तगत महिला–अधिकारों का प्रावधान किया गया तथा समय–सयम पर अनेक कानून बनाए गए। महिलाएं विश्व की मानव सभ्यता की आधी आबदी की प्रतिनिधित्व करती है। मानव होने के नाते उन्हें मानवाधिकार मिलना अपरिहार्य हैं।

मानवाधिकार

मानव अधिकार वे अधिकार है जो एक मानव को मानव होने के लिए चाहिए, वे अधिकार जो मानव होने के नाते अंतर्निहित है, वे अधिकार जो मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, वे अधिकार जो मानव को 'भय' और 'भूख' से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है, मानव अधिकार कहे जा सकते है। मानव अधिकार ''आधारभूत'' होते हैं जीवन की मानवीय गरिमा तथा उच्चतर मानव मूल्य, इन आधारभूत अधिकारों पर निर्भर ''स्वशासन'' का भाव निहित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार मानव अधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता व गरिमा

से संबंधित इन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अन्तर्राष्ट्रीय करारों में वर्णित है और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

मानव अधिकारों का सार्वभौमिकरण द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद प्रारम्भ हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी लोगों के मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर को मान्यता प्रदान की। विश्व के सभी मानवों को समान अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के एक मानव अधिकार आयोग का गठन महासभा के अधीन सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ने किया।

महिलाओं से संबधित मानवाधिकार

आजादी के बाद भारत ने हमेशा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता दिलाने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के माध्यम से लिंग पर आधारित भेदभाव रहित समाज बनाने का प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, सबके लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

संवैधानिक प्रावधानों की निरंतरता में संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान (सीट) का आरक्षण किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता में भी महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रावधान महिलाओं के अधिकारों के लिए किए हैं:

1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – इस अधिनियम के अन्तर्गत दहेज लेने व देने का प्रतिषेध किया है और इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। दहेज की कुप्रथा विशेषकर हिन्दू समाज में एक समस्या बन गई है दहेज के लिए अनेक लड़कियों की हत्या कर दी जाती है इसलिए दहेज लेने व देने को अपराध घोषित किया गया है।

2. अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, 1987– इस अधिनियम के अन्तर्गत वेश्यावृति को रोकने के प्रावधान किया गया है तथा अनैतिक, अनाचरण या लैंगिक शोषण के प्रयोजन के लिए कोई मकान, वाहन स्थान इत्यादि को दण्डनीय माना है।

3. स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुतीकरण (प्रतिषेध अधिनियम, 1986) – इस अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, रेखांकन एवं चित्रकारिता या अन्य रीतियों से स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुतिकरण जिसमें स्त्रियों के प्रति अशिष्टता का बोध होता है। जो लोक नैतिकता को गिराता है, भ्रष्ट बनाता है, क्षति पहुंचाता है इस प्रकार का कृत्य दण्डनीय माना है।

4. सती निवारक अधिनियम 1987– इस अधिनियम के अन्तर्गत जो कोई सती होने का प्रयत्न करेगी, जो कोई सती होने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करेगा, वह दण्डनीय कृत्य माना जाएगा।

5. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1978 – इस अधिनियम के माध्यम से वर व वधू

की आयु का सीमांकन किया गया है। यदि कोई अधिनियम की सीमाओं का अतिक्रमण एवं उल्लंघन करता है तो उसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 – यह आयोग संवैधानिक और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने से संबंधित सभी मामालों का अन्वेषण और परीक्षण करेगा, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के लिए सुझाव देगा, जेल या अन्य संस्थान जहां महिलाओं को कैदियों के रूप में रखा जाता है, उनका निरीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए आवेदन करेगा। आयोग की 11 विशेषज्ञ समितियां है। जिन्हें विशेष काम सौंपे गये हैं। पारिवारिक/महिला लोक अदालतें महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए दूर–दराज स्थानों पर लगाई जाती है।

महिला विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अभिव्यक्ति देता है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के चार पुष्ट स्तम्भों पर आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उन्नति के लिए सभी संभव प्रयत्न किए गये, राज्य द्वारा महिलाओं को अधिकार देने एवं उनका विकास करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता निरंतर अनुभव की गई। महिलाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ देने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन में उनका उचित भाग ले सकने के योग्य बनाने हेतु विशेष कदम समय–समय पर उठाये जाते रहे है।

भारतीय न्यायपालिका के विविध न्याय निर्णयों द्वारा महिलाओं की स्थिति ने सुधार परिलक्षित हुए। महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन एवं उन्हें देश के निर्माण का उचित भूमिका दिलाने के उद्देश्य से विविध समितियों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत महिला आयोग का गठन किया गया। विविध राज्यों में भी इस आयोग के गठन के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के निवारण के प्रयासों द्वारा महिला विकास को गति प्रदान की गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त इन चुनौतियों का विश्लेषण निम्नांकित क्रम में किया जा सकता है–

1. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन –शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क के साथ आत्मा पर भी पभाव डालती है जिससे सामाजिक साहचर्य एवं सद्भाव विकसित होता है। भारत की कुल साक्षरता में पुरूषों की साक्षरता की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। महिला साक्षरता के कम होने का मुख्य कारण परम्परागत समाज है, जिसमें बालिकाओं के प्रवेश, अध्ययन तथा विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीण एवं सुदूर वनांचल क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता शहरी तथा सम्पन्न वर्ग महिलाओं की साक्षरता से बहुत कम है। फलतः उन्हें विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। आज भी ग्रामीण जनमानस की अशिक्षा,

अज्ञानता तथा रूढ़ियां बालिका शिक्षा में अवरोधक है। केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बचपन में ही अधिकांश लड़कियां कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेती है लेकिन राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी लड़कियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है।

2. लिंगानुपात में असंतुलन – विगत दशकों से भारत में लिंगानुपात में असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 150 लाख बच्चियाँ पैदा होती है, इनमें से एक चौथाई कन्याएं अपना 15वां जन्मदिन क्रूर सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों के कारण नहीं मना पाती है। इस भेदभाव को कम करने के लिए विज्ञान का कोई कारगर उपयोग नहीं हो पाया है। जबकि गर्भस्था शिशु का लिंग परीक्षण कराने की वैज्ञानिक सुविधा का दुरूपयोग मादा भ्रूण की हत्या के लिए किया जा रहा है।

3. अल्पायु में विवाह परम्परा – महिलाओं के लिए बाल–विवाह एक सामाजिक अभिशाप या समस्या बना हुआ है। बाल–विवाह को कानूनी अपराध करार दिए जाने के बावजूद यह कटु सत्य है कि देहातों में आज भी बाल–विवाह देखने को मिलता है। यह कुरीति महिला विकास के क्षेत्र में समस्याएं प्रस्तुत करती है।

4. दहेज परम्परा से उत्पन्न विसंगतियां – दहेज प्रतिषेध विधि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सन् 1961 में अधिनियमित की गई किंतु सामाजिक चेतना की कमी, दहेज के अपराध विचारण की लंबी प्रक्रिया, समाज कल्याण संस्थाओं की प्रभावी भूमिका का अभाव जानकारी का अभाव एवं अधिकारों के लिए नहीं लड़ने की पुरानी आदत जैसे कई कारण दहेज परम्परा को निरंतर बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। इस परम्परा के कारण समाज में आज भी लड़कियों को तिरस्कार, अपमान, ताने व नियंत्रण आदि की परिस्थितियों से गुजरना पडता है।

5. सम्पत्ति का अधिकार – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पिता की सम्पति में पुत्रियों को भी समान हिस्से का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पति का पूर्ण अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया है। फिर भी महिलाएं सहखातेदार की हैसियत से बंटवारे के लिये आवेदन नहीं कर सकती है। मुस्लिम और पारसी महिलाओं को भी कुछ सम्पति अधिकार प्राप्त है। किंतु भाइयों के बराबर नहीं बल्कि भाई की तुलना में बहन आधा हिस्सा ही प्राप्त करती है। अतः इस प्रकार विसंगतियाँ इस अधिकार को सीमित करती है।

6. समाज में व्याप्त उपभोक्तावादी संस्कृति – महिलाओं के प्रति बढते अपराधों का मुख्य कारण है भारतीय समाज में निरन्तर विकसित होती जा रही उपभोक्तवादी संस्कृति। महिलाओं के सामने इस नवीन पश्चिमी संस्कृति का जो स्वरूप सामने आ रहा है वह महिलाओं के व्यक्तित्व एवं बौद्धिक विकास के साथ–साथ समस्याओं को भी अधिक विकसित करने में अग्रसर हो रहा है।

7. राजनीतिक दलों के समर्थन का अभाव – भारत में ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महिलाओं की राजनीति में अहं भूमिका रही है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से राजनीति दलों में महिलाओं की भूमिका को नगण्य न कहकर कम कहा जा सकता है। आनुपातिक दृष्टि से महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। इस विषय पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। कम प्रतिनिधित्व के कारण महिला वर्ग राजनीति में अपने विचार प्रस्तुत करने एवं सक्रिय निर्णय करने जैसे अवसरों से वंचित रह जाता है।

8. महिला–संरक्षण कानूनों के उचित क्रियान्वयन का अभाव – महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम तथा समाज में महिला की स्थिति को सुधारने के लिये संविधान तथा सरकार द्वारा अनेक विधानों तथा कानूनों की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद महिलाएं उत्पीड़न एवं हिंसा की शिकार हो रही है। महिलाओं के अर्थ एवं यौन शोषण के विरूद्ध बलात्कार एवं दहेज मृत्यु में साक्षी कानून में परिवर्तन कर अपराधी पर दायित्व निर्धारित करने एवं पुलिस के दायित्व विस्तृत करने के प्रावधान प्रस्तुत किए गए है। किंतु उनकी व्यावहारिक क्रियान्विति के प्रति अभी भी संदेह व्यक्त किया जाता है। महिलाओं के अधिकारों के प्रयोग क्षेत्र में देश में व्याप्त नौकरशाही, लालफीताशाही तथा नवसामंतवाद की बाधायें भी बनी रहती है। महिलाओं को संरक्षित करने वाले कानूनों की क्रियान्विति एवं उनका विकास एक महत्वपूर्ण समस्या है।

9. भारतीय राजनीति का दूषित वातावरण – भारतीय राजनीति के दूषित वातावरण की समस्या भी महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निर्वाह करने के क्षेत्र में बाधा प्रस्तुत करती है। हिंसा, भ्रष्टाचार, आरोप–प्रत्यारोप और छल छद्म के दलदल में आकंठ डूबी राजनीति को महिलाएं अपना कार्यक्षेत्र नहीं बनाना चाहती। अतः वे राजनीति को दूषित समझती है। इसके अलावा जो महिलाएं राजनीति में भाग लेती है उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं होना भी एक समस्या है। तथा भारतीय राजनीति में वर्तमान में धन एवं बाहुल्य की प्रधानता होने के कारण भी महिलाएं इस क्षेत्र से स्वयं को दूर रखती है।

10. दोषपूर्ण तथा ढीली–ढीली न्यायिक प्रक्रिया – भारत में न्यायिक प्रक्रिया पूर्णतया साक्ष्यों पर निर्भर है। महिलाओं के साथ घटने वाले अनेक अमानुषिक अपराधों के अपराधी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिये जाते है। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीडित महिला से प्रायः वकील शालीनता की सीमाओं को लांघकर इतने अश्लील प्रश्न पूछते हैं जिससे न केवल उसका सार्वजनिक अपमान होता है बल्कि उससे भयभीत होकर बहुत सी महिलाएं न्यायिक कार्यवाही के बीच में ही मुकदमे वापिस ले लेती हैं। कठोर कार्यवाही के अभाव में अपराधों में संलग्न अपराधी बेधड़क अपराध करते है और अपराध का शिकार हुई महिला मूक, निरीह, उपेक्षित व अपमानित जीवन जीने को विवश हो जाती है। न्याय में विलंब तथा साक्ष्यों पर आधारित न्याय–व्यवस्था

के कारण कितने ही अपराधों पर न्यायिक कार्यवाही करना कठिन हो जाता है। महिलाओं को अपने दैहिक कामकाज करने के लिये पुरूषों से अधिक सुरक्षा तथा सरल न्यायिक निर्णयों का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जिसका वर्तमान व्यवस्था में अभाव है।

11. जाति व्यवस्था एवं कुरीतियाँ – महिलाओं को अंधेरे में रखने वाली और उन्हें मानसिक दृष्टि से संकुचित तथा आर्थिक रूप से दयनीय बनाने वाली कुप्रथाएँ जैसे बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, अशिक्षा एवं जाति व्यवस्था आदि वर्षों से समाज मे व्याप्त है। ग्रामीण परिवारों में लड़की को पढ़ाने के प्रति आज भी अधिक उत्साह नहीं है। उसपर लड़की का विवाह, उसके कुछ सोचने समझने की आयु से पहले ही कर देने के रिवाज ने महिलाओं के विकास की संभावना को बहुत पीछे धकेल दिया है।

12. कामकाजी महिलाओं की समस्या – कामकाजी महिलाओं के अधिकारों एवं स्थिति से जुड़े विविध अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों के अंर्तगत जिन प्रमुख समस्याओं का उल्लेख आता है वे पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत अधिक है। यथा–वैवाहिक सामंजस्य को बनाये रखने की समस्या, पारिवारिक देखरेख की समस्या, स्वयं के स्वास्थ्य की समस्या, दोहरे कार्यभार की समस्या आदि। इन समस्याओं का निदान पारिवारिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत आधार पर सम्भव है लेकिन जो प्रमुख समस्या कामकाजी महिलाओं के कार्य क्षेत्र में सामान्य तौर पर पाई जाती है, वह हैं यौन उत्पीडन की समस्या। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण है जहां कनिष्ठ अधिकारी महिलाएं वरिष्ट पुरूष पदाधिकारियों द्वारा परेशान की जाती है तथा वरिष्ठ अवसरों द्वारा कनिष्ठ कामकाजी महिला लिपिकों, टाइपिस्टों आदि के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह स्थिति श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र की अधिकांश इकाईयों में कार्य करने वाली महिलाओं के संबंध में भी उजागर होती है। कार्य के दौरान उनके पुरूष सहयोगियों पर्यवेक्षकों, अधिकारियों द्वारा उनका यौन शोषण एवं दुराचार भी किया जाता है।

इस प्रकार की एवं इससे जुड़ी विविध स्थितियों से संरक्षण हेतू सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के समस्त कार्य क्षेत्रों में यौन उत्पीडन को परिभाषित करके उससे संबंधित दुराचारों को रोकने हेतु निर्देश भी दिए गए है किंतु व्यावहारिक दृष्टि से नैतिक रूप से भारत में यौन उत्पीड़न रोकने के लिये अनेक उपायों के बावजूद कानूनी रूप से इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिये प्रयास नहीं किया गया। स्वयंसेवी संस्थाएं जो महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिये कार्य कर रही है, उनका कहना है कि समुचित एवं प्रभावी कानून न होने के कारण वह महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय दिलाने में असहाय पाती है। यदि इस प्रकार का कानून बन जाएगा तो वह इसका उपयोग कर सकेंगी। निम्नांकित क्रम में इन समस्याओं को वर्णित किया जा सकता है–

1. रोजगार अवसरों में पक्षपात
2. वित्तीय साधनों का अभाव।

3. संसाधन वितरण में पक्षपात।
4. शिक्षा एवं तकनीकि ज्ञान का अभाव।
5. असमानता एवं शोषण की शिकार।
6. पारिवारिक दायित्वों का बोझ।
7. महिला कल्याण कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन का अभाव।
8. न्यून स्त्री साक्षरता दर।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14
2. एम.ए. अंसारी, नारी चेतना और अपराध, पंचशील, जयपुर, 1989,
3. प्रभा, आप्टे, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग, जयपुर, 1996,
4. अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस, राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1998,
5. आर.पी. तिवारी एवं डी.पी. शुक्ला, भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, ए.पी.एच., दिल्ली, 1999,
6. सिमरन कौर, ''ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता'', कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 1999,
7. हरिकृष्ण निगम, ''कामकाजी महिलाएँ'', राजस्थान पत्रिका, मार्च 2008,
8. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, ''बढ़ता महिला उत्पीड़न'', राजस्थान पत्रिका, सितम्बर 2009,
9. नंदिनी जावली, ''महिलाओं को कम राजनैतिक प्रतिनिधित्व'', राजस्थान पत्रिका, सितम्बर 2010,
10. बसन्ती लाल बाबेल, ''महिलाओं के विरूद्ध अपराध'', राजस्थान पत्रिका, जुलाई 2012

✦✦✦✦

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नात्तेकत्तर महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

From :
ABEER (Quarterly)
A-Journal of Research
A-37, Malviya Nagar, Jaipur-302017
Mob. : 09251014888

स्वत्त्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक – डॉ. प्रवेश कुमार के लिए मुद्रित व A-37, मालवीय नगर, जयपुर – 302017 से प्रकाशित ।
मुद्रण स्थल मदरलैण्ड प्रिन्टिंग प्रेस गीता भवन, 20 दुकान, आदर्श नगर, जयपुर